आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा

2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

सांख्यिकी विभाग

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा
2021—22

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान

संदेश

राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड–19 से उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करने के अथक प्रयास एवं रणनीतिक पहल की है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से राज्य के आर्थिक कल्याण को बनाये रखने और कमजोर वर्गों तक पहुंचने का एक सशक्त प्रयास किया है।

राज्य में सुशासन हेतु तीन मूल सिद्धांत – संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही मार्गदर्शक शक्ति रही है एवं राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में सहायक रही है।

''आर्थिक समीक्षा, 2021–22'' राज्य के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रगति और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्मिलित रहे सभी व्यक्तियों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन उन सभी पाठकों के लिए उपयोगी होगा जो राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में रुचि रखते हैं।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

मंत्री
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्राक्कथन

समाज के कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार दृढ़ता के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार का उद्देश्य राज्य में जनता को स्थाई आजीविका, सस्ती स्वास्थ्य सेवाऐं, सामाजिक रूप से समावेशी और गरीबी मुक्त जीवन प्रदान करना है।

राज्य के त्वरित विकास हेतु सौर ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, खान और खनिज, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, निर्यात और एमएसएमई जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। **''आर्थिक समीक्षा, 2021–22''** चिन्हित किये गए मुख्य क्षेत्रों के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन जन–प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के अध्ययन में रूचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिये उपयोगी होगा।

(गोविन्द राम मेघवाल)

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

"आर्थिक समीक्षा 2021–22" राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की स्थिति और विकास की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रगति, बुनियादी सामाजिक सेवाओं और राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को भी सम्मिलित किया गया है। यह एक वार्षिक दस्तावेज है जो राज्य सरकार के बजट की प्रस्तुति के समय राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

मैं उन सभी विभागों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रकाशन को समय पर प्रकाशित करने में अपना सहयोग दिया है।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन पाठकों के लिए उपयोगी होगा और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में लगे नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और संस्थानों के लिए भी सहायक होगा।

(अशोक चांदना)

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

आभार

राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के तीव्र और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राजस्थान के लोगों के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी योजना वर्तमान महामारी के दौरान विशेष रूप से मददगार रही हैं।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत **"आर्थिक समीक्षा, 2021–22"** सरकार के पूर्ण दृष्टिकोण तथा इसके कार्यान्वयन को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दर्शाता है।

मैं इस प्रकाशन की टीम के प्रयासों की सराहना करती हूँ और आशा है कि यह प्रकाशन नीति निर्माताओं, सरकारी कार्मिकों एवं नागरिक संगठनों के लिए एक पुस्तिका के रूप में उपयोगी होगा।

उषा

(उषा शर्मा)

सत्यमेव जयते
शासन सचिव
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

राजस्थान सरकार राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए दृढ़ता से काम कर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीय और व्यापक तस्वीर अत्यंत महत्वपूर्ण रही है जो राज्य की सतत् और समावेशी विकास की योजना बनाने के लिए आवश्यक आधार बनाती है।

''आर्थिक समीक्षा 2021–22'' राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान प्रवृतियों को दर्शाता है।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन सभी योजनाकारों, नीति निर्माताओं और सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगा।

(नवीन जैन)

सत्यमेव जयते

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान

भूमिका

आर्थिक समीक्षा 2021–22 राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इस प्रकाशन में विभिन्न क्षेत्रों यथा– वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना का विकास, सेवा क्षेत्र, शहरीकरण और शहरी विकास, बुनियादी सामाजिक सेवाओं– शिक्षा और स्वास्थ्य, अन्य समाजिक सेवाऐं/कार्यक्रम में हुई प्रगति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस के अतिरिक्त राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन, सतत विकास लक्ष्य और विभिन्न विभागों के फ्लेगशिप कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन में विश्लेषण के उद्देश्य से सामाजिक–आर्थिक टाइम सीरीज डेटा को सांख्यिकी परिशिष्ट के रूप में भी सम्मिलित किया गया हैं।

मैं विभिन्न विभागों के उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराने में अपना सहयोग दिया है। मैं इस प्रकाशन को तैयार करने में सम्मिलित रहे इस निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूँ।

इस प्रकाशन में सुधार लाने हेतु सुझावों का स्वागत है।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
	i	**आर्थिक विकास के मुख्य सूचक**
	iv	**सारांश**
1.	1	**वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य**
		राज्य घरेलू उत्पाद
		प्रति व्यक्ति आय
		सकल स्थाई पूंजी निर्माण
		थोकमूल्य सूचकांक
		उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
2.	16	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र**
		कृषि परिदृश्य
		भू–उपयोग
		प्रचालित जोत धारक
		मानसून
		कृषि उत्पादन
		उद्यानिकी
		कृषि विपणन
		जल संसाधन
		उपनिवेशन
		सिंचित क्षेत्र विकास
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना
		भू–जल
		जल ग्रहण विकास
		राज्य भण्डारण निगम
		पशुपालन
		गोपालन विभाग
		डेयरी विकास
		मत्स्य पालन
		वानिकी
		पर्यावरण विभाग
		सहकारिता
3.	48	**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज**
		ग्रामीण विकास
		पंचायती राज
		ग्रामीण आधारभूत संरचना
		ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)
4.	63	**औद्योगिक विकास**
		औद्योगिक परिदृश्य
		उद्योग विभाग
		निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी)
		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड(रीको)
		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)
		राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी)
		दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.)
		खादी एवं ग्रामोद्योग
		कारखाना एवं बॉयलर्स
		राजस्थान में खनन क्षेत्र
		तेल एवं प्राकृतिक गैस
		श्रम
		रोजगार विभाग
		राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

विवरणिका

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
5-	90	**आधारभूत संरचना का विकास**
		उर्जा
		सड़क
		परिवहन
		रेलवे
		डाक एवं दूर संचार सेवाएं
		आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
6-	105	**सेवा क्षेत्र**
		राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य
		पर्यटन
		संस्कृति
		पुरातत्व एवं संग्रहालय
		देवस्थान विभाग
		वित्तीय सेवाऐं
		सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
		राजस्थान जन आधार योजना
		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
		राजस्थान फाउण्डेशन
		आयोजना (जनशक्ति) विभाग
		मूल्याकंन संगठन
7-	124	**शहरीकरण और शहरी विकास**
		राजस्थान में शहरीकरण
		राजस्थान में शहरी विकास
		राजस्थान आवासन मण्डल
		नगर नियोजन विभाग
		स्वायत्त शासन विभाग
		शहरी जलापूर्ति
8-	143	**बुनियादी सामाजिक सेवाएं –शिक्षा एवं स्वास्थ्य**
		शिक्षा
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
		आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ
		कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)
		परिवार कल्याण
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)
9-	172	**अन्य सामाजिक सेवाएं/ कार्यक्रम**
		जलापूर्ति
		मिड–डे मील योजना (एम.डी.एम.एस.)
		समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)
		बाल अधिकारिता
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली
		समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
		विशेष योग्यजन
		अल्पसंख्यक मामलात
		महिला अधिकारिता
		बीस सूत्री कार्यक्रम
10-	197	**राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन**
		राजकोषीय प्रबन्धन
		योजनावार परिव्यय
		बाह्य सहायतित परियोजनाएं
		सार्वजनिक निजी सहभागिता
11-	218	**सतत् विकास लक्ष्य**
	प1–प44	**सांख्यिकीय परिशिष्ठ**

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	628020 832529	642929 911674	679564 999050	660118 1013323	733017 1196137
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	5.24 9.46	2.37 9.51	5.70 9.58	-2.86 1.43	11.04 18.04
3.	सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाऐं	प्रतिशत	25.20 32.52 42.28	26.14 27.65 46.21	28.05 26.09 45.86	30.45 25.26 44.29	28.85 26.34 44.81
4.	सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाऐं	प्रतिशत	26.14 29.23 44.63	25.88 26.26 47.86	27.83 24.54 47.63	30.98 23.42 45.60	30.23 24.67 45.10
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	557618 748490	568102 819340	598550 898081	583645 914262	648142 1078903
6.	प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	73529 98698	73929 106624	76882 115356	74009 115933	81231 135218

टिप्पणी: वर्ष 2019-20- संशोधित अनुमान II, वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2021-22- अग्रिम अनुमान (अ.)

चित्र 1

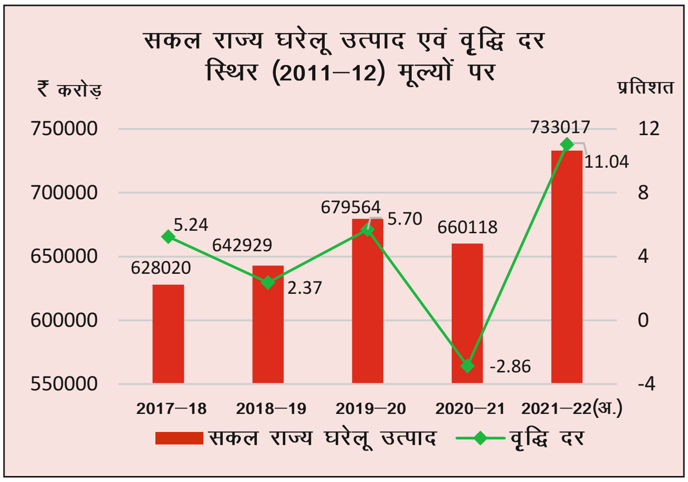

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 2

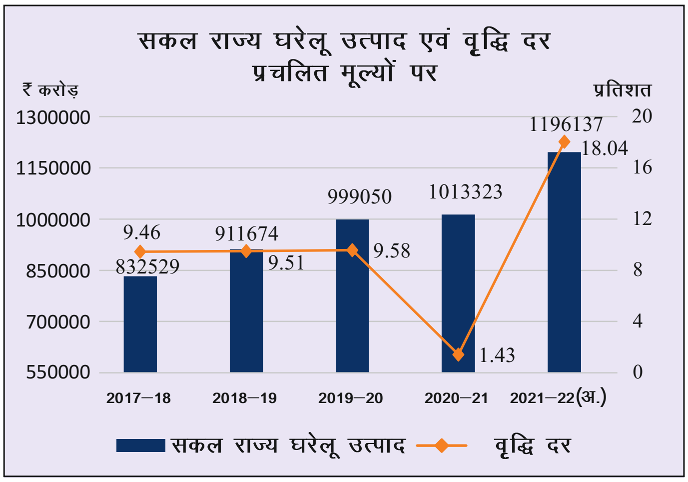

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 3

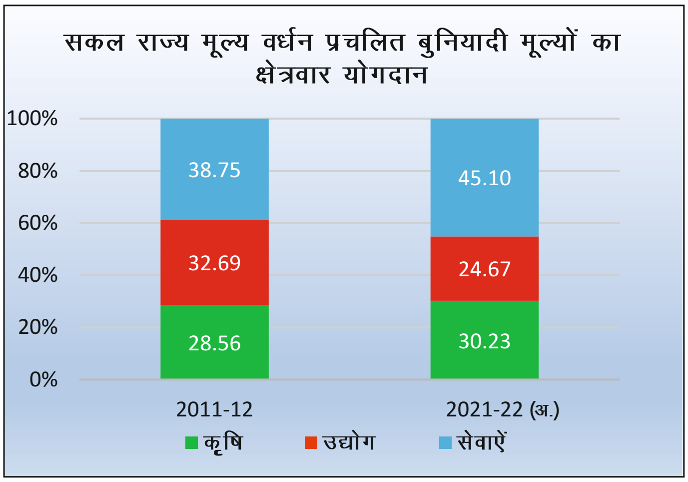

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 4

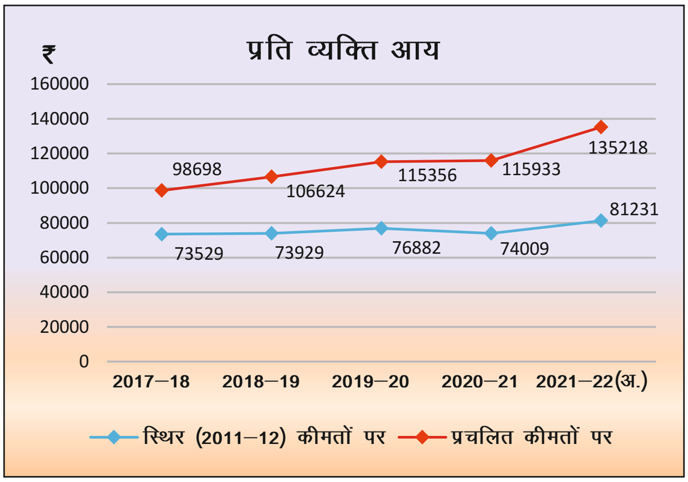

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 5

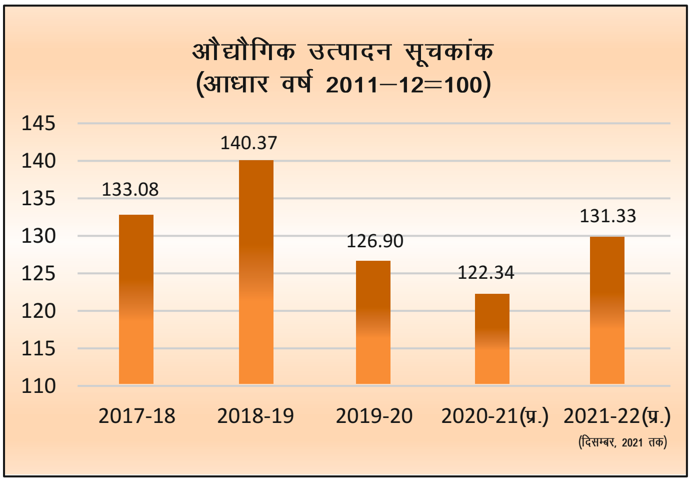

प्र.–प्रावधानिक

चित्र 6

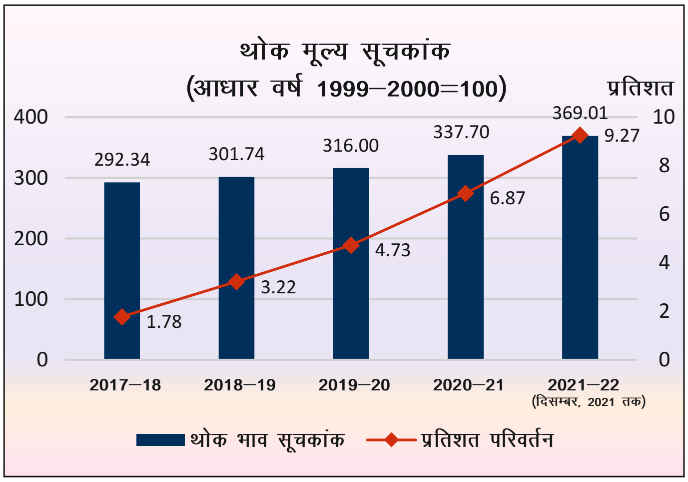

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर@	₹ करोड़	236069	265091	283423	276473	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)		170.17	183.07	202.56	204.97+	-
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मै. टन	221.05	231.60	266.35	269.09+	225.20~
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)		133.08	140.37	126.90	122.34@	131.33@@
11.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100)		292.34	301.74	316.00	337.70	369.01$
	प्रतिशत परिवर्तन		1.78	3.22	4.73	6.87	9.27
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	19553	21078	21176	21979	23321$
13.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर)	₹ करोड़	219643	267523	315149	343406	375030

* कृषि वर्ष से संबंधित है।
\+ अन्तिम
~ अग्रिम
@ प्रावधानिक
@@ प्रावधानिक दिसम्बर, 2021 तक
$ दिसम्बर, 2021 तक

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान (2021–22)

अर्थव्यवस्था का आकार
प्रचलित मूल्यों पर
अखिल भारत : ₹232.15 लाख करोड़
राजस्थान : ₹11.96 लाख करोड़

भारत की जी.डी.पी. में राज्य का प्रतिशत योगदान
प्रचलित मूल्यों पर
राजस्थान : 5.15

जीडीपी/जीएसडीपी विकास दर (%)
स्थिर (2011–12) मूल्यों पर
भारत : 9.2
राजस्थान: 11.04

प्रति व्यक्ति आय
प्रचलित मूल्यों पर
भारत : ₹1,50,326
राजस्थान : ₹1,35,218

सामाजिक संकेतक

साक्षरता दर (%)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 73.0
राजस्थान : 66.1

जन्म दर – 2019
(प्रति 1,000 जनसंख्या पर)
भारत : 19.7
राजस्थान : 23.7

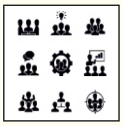

कार्य भागीदारी दर (%)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 39.8
राजस्थान : 43.6

जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

भौगोलिक क्षेत्र (लाख वर्ग कि.मी.)
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 32.87
राजस्थान : 3.42

जनसंख्या
(2011 की जनगणना के अनुसार)
भारत : 121.09 करोड़
राजस्थान : 6.85 करोड़

लिंगानुपात (जनगणना 2011)
(महिलाएँ प्रति 1,000 पुरूष)
भारत : 943 | राजस्थान : 928

राजस्थान में भौतिक आधारभूत संरचना

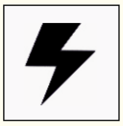

स्थापित विद्युत क्षमता (मेगावॉट)
भारत : 3,93,389
राजस्थान : 23,321

सड़क घनत्व
(प्रति 100 वर्ग कि.मी.)
भारत : 161.71 कि.मी.
राजस्थान : 79.76 कि.मी.

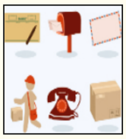

डाक और दूरसंचार (मार्च, 2021)
डाक घर –
भारत : 1,56,721 राजस्थान : 10,287
दूरसंचार ग्राहक (करोड़)
भारत : 120.12
राजस्थान : 6.68

राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसकी उत्तर व उत्तर—पूर्वी सीमाएं पंजाब व हरियाणा से, पूर्वी व दक्षिण—पूर्वी सीमाएं उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से, दक्षिण—पश्चिम सीमा गुजरात राज्य से एवं पश्चिम व उत्तर—पश्चिम सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है और भारत की कुल जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत (भारत की जनगणना, 2011) जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राज्य की आकृति समांतर अ—सम चतुर्भुज आकार में है, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 869 किमी. व उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किमी. है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किमी. एवं अरब सागर से लगभग 400 किमी. दूर है। जयपुर इसकी राजधानी है, जो कि राज्य के पूर्व—मध्य भाग में स्थित है।

भौगोलिक दृष्टि से राज्य को चार मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि (1) पश्चिमी रेगिस्तानः जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी व रेतीले मैदान है, (2) अरावली पहाड़ियाँः जो कि दक्षिण—पश्चिम में गुजरात से प्रारम्भ होकर उत्तर—पूर्व में दिल्ली में समाप्त होती है, (3) पूर्वी मैदानः जलोढ़/कछारी मिट्टी से समृद्ध, (4) दक्षिणी—पूर्वी पठार। राज्य में विविध जलवायु परिस्थितियां पायी जाती हैं जो कि अर्द्ध—शुष्क से लेकर शुष्क तक है। प्रशासनिक दृष्टि से यह 7 सम्भाग एवं 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एवं प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रायः 'राज्य आय' के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन के आंकलन का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आंकलित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों के जीवन स्तर एवं सम्पन्नता की सूचक है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों से पता चलता है किः

- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2021—22 के लिए ₹11.96 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020—21 के दौरान यह ₹10.13 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021—22 में स्थिर (2011—12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹7.33 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2020—21 के ₹6.60 लाख करोड़ से 11.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष 2021—22 के लिए ₹10.79 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020—21 के दौरान यह ₹9.14 लाख करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021—22 में स्थिर (2011—12) कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान ₹6.48 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2020—21 के ₹5.84 लाख करोड़ से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021—22 में ₹1,35,218 अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2020—21 की ₹1,15,933 से 16.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। स्थिर (2011—12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021—22 में ₹81,231 अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2020—21 की ₹74,009 से 9.76 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999—2000=100) वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर वर्ष 2021 में 363.23 हो गया है, जो कि गत वर्ष से 9.78 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। गत वर्ष से प्राथमिक वस्तु, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 14.10, 11.91 तथा 4.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011—12=100) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में 10.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है। औद्योगिक

श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016=100) में दिसम्बर, 2021 में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें दिसम्बर, 2020 की तुलना में अलवर केंद्र में 5.0 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 3.9 प्रतिशत और जयपुर केंद्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

बैंकिंग एवं वित्त

राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है। राज्य में सितंबर, 2021 में, कुल 7,791 बैंक कार्यालय/शाखाएं हैं, जिनमें से 4,219 सार्वजनिक क्षेत्र, 1,575 क्षेत्रीय ग्रामीण, 1,560 निजी क्षेत्र, 9 विदेशी, 393 लघु वित्त और 35 भुगतान बैंक शाखाएं/कार्यालय हैं।

राजस्थान में सितम्बर, 2021 में जमाओं में सितम्बर, 2020 की तुलना में 9.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 10.08 प्रतिशत रही है। सितम्बर, 2021 में राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का साख–जमा अनुपात 75.53 प्रतिशत रहा है एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 70.01 प्रतिशत रहा है, जबकि सितम्बर, 2020 तक राजस्थान में यह अनुपात 75.41 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 72.04 प्रतिशत रहा था।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

राजस्थान में पूरे मानसून मौसम 2021 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य, अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जबकि गंगानगर और सिरोही जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई।

राज्य में 1 जून से 30 सितंबर, 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिमी दर्ज की गई जो सामान्य वर्षा 414.50 मिमी की तुलना में 17.10 प्रतिशत अधिक रही है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में स्थिर मूल्य के साथ–साथ प्रचलित मूल्य में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर यह वर्ष 2011–12 के ₹1.19 लाख करोड़ से बढकर वर्ष 2021–22 में ₹1.95 लाख करोड़ हो गया जो कि 5.04 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर) दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह वर्ष 2011–12 के ₹1.19 लाख करोड़ से बढकर वर्ष 2021–22 में ₹3.37 लाख करोड़ हो गया जो कि 10.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर) दर्शाता है।

प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021–22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष के 269.09 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 16.31 प्रतिशत कम है।

कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2020–21 में क्रमशः 101.51 प्रतिशत, 46.61 प्रतिशत और 77.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपास की वर्ष 1997–98 से 2001–02 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी जो 100.30 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020–21 में 675 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई है।

राजस्थान में उद्यानिकी के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021–22 के लिए केंद्रीय अंश सहित ₹571.40 करोड़ के बजट के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹199.98 करोड़ की राशि व्यय की गयी है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतीहर मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 2,087 किसानों को ₹32.39 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सिंचाई

राज्य के सीमित जल संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में कुल 39.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 9,854 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना

(आरडब्ल्यूएसएलआईपी) को 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 4.70 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान इस परियोजना के कार्यान्वयन से लाभान्वित होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम.के.एस. वाई.–एम.आई.) योजना राज्य में चलाई जा रही है जो लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹56.82 करोड़ (₹34.08 करोड़ केन्द्रीय अंश तथा ₹22.74 करोड़ राज्य अंश) व्यय किये गये हैं। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर के तहत दिसंबर, 2021 तक क्रमशः 19,312 हैक्टेयर एवं 34,518 हैक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।

अटल भूजल योजना, भूजल के घटते स्तर को रोकने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक (50:50) की सहायता से शुरू की गई है। इस योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य में 5 वर्षों के लिए कुल बजट राशि ₹1,189.65 करोड़ अनुदान हेतु स्वीकृत है। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया हैं।

उद्योग

सरकार द्वारा किए गए उद्योग विशिष्ट सुधारों और पहलों ने राज्य के समग्र औद्योगिक परिदृश्य में काफी सुधार किया है। विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के कारण दो पूर्ण लॉकडाउन के बावजूद उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021–22 के लिए स्थिर (2011–12) कीमतों पर 15.37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2021–22 में प्रचलित कीमतों पर 24.67 प्रतिशत है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता आधार के निर्माण में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

संशोधित एमएसएमई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर 2021 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 2,02,947 औद्योगिक इकाईयों/उद्यमियों ने उद्यम पंजीकृत किया गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल ₹7,699.46 करोड़ के निवेश वाली इन इकाईयों ने 11,28,082 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये हैं।

विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक ऋण प्रदान करने के लिए मौजूदा उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए, "मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना" को अधिसूचित कर 13 दिसंबर, 2019 से प्रारम्भ कर दी गई है।

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राज्य में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) सक्रिय रूप से घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए निवेश के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021 के दौरान राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति की आयोजित तीन बैठकों में ₹1,68,490 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और 1,01,721 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले 16 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है।

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) द्वारा मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एस.डब्ल्यू.सी.एस.) को मजबूत करने के लिए निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी/अनुमति में तेजी लाने के लिए, "वन स्टॉप शॉप" सुविधा स्थापित की गई है। वन स्टॉप शॉप के तहत, निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक "निवेश बोर्ड" का गठन किया गया है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान, रीको ने 3,816.51 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, 1,440.16 एकड़ भूमि विकसित की है और 1,524 भूखंड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य सहित) आवंटित किए हैं। इसमें 1,271 भूखण्डों के लिये आवंटन पत्र तथा 253 भूखण्डों के लिये प्रस्ताव पत्र जारी किये गये हैं। इस अवधि के दौरान, निगम ने औद्योगिक क्षेत्रों पर ₹293.24 करोड़ का व्यय किया है और ₹809.11 करोड़ की वसूली की है।

निर्यात

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में निर्यात को पहचाना गया है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे–बाजार के अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीकी में उन्नयन तथा अधिक रोजगार के अवसर आदि के संदर्भ में भी है।

नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)–2020 जारी किया है, जिसमें 'लैंडलॉक्ड स्टेट्स' की श्रेणी के तहत, राजस्थान 62.55 के सूचकांक के साथ एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। निर्यात वृद्धि और अभिविन्यास को छोड़कर, राज्य ने सभी स्तंभों और उप–स्तंभों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पांच वस्तुओं के अन्तर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातु शामिल हैं जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य ₹52,764.31 करोड़ रहा है।

खान और खनिज

देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान समृद्ध राज्य है। इसमें 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से 57 खनिजों का खनन वर्तमान में किया जा रहा है। देश में राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान से होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरू), स्टेटाइट, फेलस्पार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी और सजावटी पत्थरों के उत्पादन में भी इसका देश में प्रमुख स्थान है। राज्य भारत में सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। वर्तमान में खनन पट्टे ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा दिए जा रहे हैं।

राज्य में प्रधान खनिजों के 174 खनन् पट्टे तथा अप्रधान खनिजों के 15,280 खनन् पट्टे एवं 17,577 खदान लाईसेन्स जारी हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान खान एवं भू–विज्ञान विभाग को ₹7,100 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसकी तुलना में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹4,159.13 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के कार्य से जुडा है। इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य किफायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज सम्पदा का दोहन करना और क्षेत्र में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। कम्पनी के द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइम स्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरएसएमएमएल का अनुमानित सकल राजस्व और कर–पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,343.44 करोड़ और ₹448.21 करोड़ रहा है।

तेल एवं गैस

राजस्थान, भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (30 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) है और बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिले) क्षेत्र में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021) के दौरान ₹2,903.14 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण हेतु नवीन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाईसेन्सिंग नीति (एच.ई.एल.पी.) की खुला रकबा लाईसेन्सिंग नीति

(ओ.ए.एल.पी.) – चतुर्थ के अर्न्तगत (बीकानेर–नागौर बेसिन) में ऑयल इण्डिया लिमिटेड को दो नवीन ब्लॉक 17 नवम्बर, 2020 को आवंटित किये गये और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 जून, 2021 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) जारी किया गया है।

श्रम और रोजगार

राज्य सरकार ने 30 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से अकुशल, अर्द्ध–कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर क्रमशः₹252, ₹264, ₹276 और ₹326 प्रति दिन कर दिया है, जो 1 जुलाई 2020, से प्रभावी है।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो 1 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी, के तहत पुरुष के लिए ₹3,000 और महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए ₹3,500 का बेरोजगारी भत्ता प्रति माह अधिकतम दो वर्षों या जब तक वे नियोजित/स्व–रोजगार नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, के लिए पात्र बेरोजगार युवाओं को वितरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को परिकल्पना के अनुसार और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से योजना के नए दिशा–निर्देश–"मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2021" (एम. वाई.एस.वाई.-2021) 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किये गए हैं। अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों में कम से कम तीन महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की दैनिक इंटर्नशिप करनी होगी। इसके अलावा, भत्ता राशि में भी ₹1,000 (अर्थात पुरुष के मामले में ₹4000 और महिला, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के मामले में ₹4500) की वृद्धि की गई है। एम.वाई.एस.वाई.-2021 के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी हो गए हैं।

ऊर्जा

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत तापीय संयंत्र, पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमॉस, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएँ और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं।

मार्च, 2021 तक राज्य में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21,979 मेगावॉट थी। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक जोडी गई उत्पादन क्षमता 1342.50 मेगावॉट है। इस प्रकार, दिसंबर, 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40 मेगावॉट हो गई है।

मार्च, 2017 तक राज्य का कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) प्रसारण तंत्र 36,079 सर्किट किमी था, जो मार्च, 2021 तक बढ़कर 43,111 सर्किट किमी (पीपीपी के साथ) हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, (दिसंबर, 2021 तक) कुल 243.12 सर्किट किमी को प्रसारण तंत्र में जोड़ा गया है।

मार्च, 2017 में राज्य में ऊर्जा उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो मार्च, 2021 तक बढ़कर 8,561 करोड़ यूनिट हो गई। 2017–18 से 2020–21 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 23.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी 27.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में शत–प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर, 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया है।

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के आंकलन के अनुसार, राजस्थान में सौर उत्पादन से 142 गीगावाट बिजली स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब तेजी से हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसम्बर, 2021 तक कुल 9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की है।

सड़क एवं परिवहन

राज्य में मजबूत परिवहन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास में शक्तिशाली इंजन की तरह हैं। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि परिवहन सुविधाओं की प्रगतिशील संरचना को दर्शाता है। संसाधनों के निरन्तर प्रगति व विकास की स्पष्ट सूचक है। राज्य में परिवहन विभाग के पास वर्ष 2020–21 के दौरान पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या में 9.92 लाख और वर्ष 2021–22 में दिसंबर 2021 तक 7.83 लाख थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.06 प्रतिशत कम है।

विगत अनेक वर्षों से राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी राज्य के सड़क तंत्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की लम्बाई सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी, जो मार्च, 2021 तक बढ़कर 2,72,959.28 किलोमीटर हो गयी है। 31 मार्च, 2021 तक, राज्य मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व 79.76 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 161.71 किमी. है।

राज्य में अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। 183 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि 168 ग्राम पंचायत में कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक) इस परियोजना पर ₹412.30 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले ₹194.99 करोड़ का व्यय किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी. एन.आर.ई.जी.एस.) ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक) ₹7,965.05 करोड़ व्यय किया गया है तथा 2,962.73 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 63.26 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण – (पीएमएवाई–जी) योजना 20 नवंबर, 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना–2011 (एसईसीसी–2011) के समंको के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसंबर, 2021 तक) ₹1,010.25 करोड़ व्यय कर 94,302 नये आवास निर्मित किये गये हैं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 : राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों के मौके पर समाधान के लिए 2 अक्टूबर, 2021 से "प्रशासन गांव के संग अभियान 2021" अभियान शुरू किया है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है। अभियान में पंचायती राज विभाग की प्रगति इस प्रकार है (दिसंबर 2021 तक) :

- अभियान में कुल 10 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं।
- नाम हस्तांतरण/उप–मंडल/पट्टों के पुनर्वेधीकरण/भूमि परिवर्तन के कुल 23,384 कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं।
- आवासीय भूमि विस्तार के कुल 11,354 प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं।
- पेयजल योजना से संबंधित कुल 17,212 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
- कुल 4,24,933 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 86,760 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए राशि प्रदान की गई।

शहरी विकास

शहरी क्षेत्रों में कुल आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है और यह अखिल भारत की रफ्तार के अनुरूप बढ़ रहा है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 16.28 प्रतिशत (1961) से बढ़कर 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गया है।

राजस्थान में शहरी आबादी के मामले में, कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सबसे अधिक शहरीकृत जिले हैं, जबकि जालौर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाड़मेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरीकृत जिले हैं।

भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे अच्छा, रहने योग्य और जीर्ण–शीर्ण। जिसमें से राजस्थान में लगभग 68.9 प्रतिशत आवास 'अच्छी' स्थिति में हैं, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 68.4 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 29.3 प्रतिशत आवासों को 'रहने योग्य' के रूप में वर्गीकृत किया

गया है और 1.8 प्रतिशत आवास उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं।

जयपुर क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) उत्तरदायी है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2021–22 में जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹698.71 करोड़ है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से ₹56.62 करोड़ का ऋण शामिल है। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) ₹818.06 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹446.46 करोड़ पूंजीगत व्यय था।

वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹145.49 करोड़ हैं और सड़कों/फ्लाईओवर, पुलों, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण/रखरखाव, पार्कों के विकास, अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्य पर व्यय ₹87.15 करोड़ है।

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.) का ध्येय मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। आरएचबी द्वारा ई–बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना, "एआईएस रेजीडेन्सी" आवासीय योजना, विधायकों के लिए आवास, प्रताप नगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकास, मानसरोवर, जयपुर में "सिटी पार्क" का विकास, जयपुर चौपाटी, आरएचबी आवास मोबाइल ऐप, आरएचबी ग्रीन मोबाइल ऐप और वेबसाइट, ओपन एयर जिम की स्थापना आदि जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है।

दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान आवासन मण्डल ने 2,56,780 आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू किया है, जिसमें से 2,50,131 आवासीय इकाइयां पूर्ण हो चुकी हैं, 2,48,275 आवासीय इकाइयां आवंटित की जा चुकी हैं और 2,35,707 आवासीय इकाइयां आवेदकों को सौंपी जा चुकी हैं। बोर्ड द्वारा निर्मित सभी घरों में से 60 प्रतिशत से अधिक इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं।

आर.एच.बी ने एक अनूठी योजना "10 प्रतिशत दीजिये गृह प्रवेश कीजिये" प्रारम्भ की है, जो 156 ईएमआई के साथ किराया क्रय पर ई–बोली जमा करके बुधवार नीलामी उत्सव के तहत 50 प्रतिशत तक की रियायती दर पर है। यह योजना 10 जून, 2020 से ई–नीलामी के माध्यम से आम आदमी की भागीदारी की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। दिसम्बर, 2021 तक नीलामी में कुल 6,471 आवासीय संपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससे ₹908.42 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

राज्य में "प्रशासन शहरो के संग" अभियान 2 अक्टूबर, 2021 से शुरू किया गया। इस अभियान के माध्यम से नगरीय विकास विभाग के 3 प्राधिकरण व 14 न्यासों द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 59,741 लीज डीड/पट्टे जारी किये गये तथा अन्य विभिन्न सेवाओं (भवन निर्माण अनुज्ञा, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/ पुनर्गठन, लीज आदि) के 65,054 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका हैं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न सेवाओं के कुल 4,707 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुगम, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित पोर्टल विकसित किया जा रहे हैं, इस प्रयास में, 13 सितंबर, 2019 को जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन किया गया।

राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजना में बिना किसी शर्त के केवल परियोजना मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को ₹5 लाख की सहायता राशि सीड मनी के रूप में देने का प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए किया गया है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा ₹20.03 करोड़ खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। जिसकी अनुपालना में 6 से 9 दिसम्बर, 2021 को मूल्यांकन समिति की बैठक हुई जिसमें 28 स्टार्टअप्स का चयन किया गया।

22 दिसम्बर, 2021 को महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा नीति आयोग के सहयोग से टेक्नो–हब में वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स–2021 के 5वें संस्करण के प्रचार के लिए एक रोड़ शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिला संस्थापकों के अलावा सीईओ सहित 100

से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया।

19 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भरतपुर इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया। कोटा और अजमेर इनक्यूबेटर सेन्टर (अब अभय कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में स्थापित है) का कार्य निर्माणधीन है।

आई स्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विण्डो की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, चैलेन्ज फोर चेन्ज, राजस्थान स्टैक, क्यू–रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आई.स्टार्ट नेस्ट (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर) भी राज्य के स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का उपयोग केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। एड–ऑन मॉड्यूल्स यथा मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जी.आई.एस. एकीकरण और एप्लीकेशन्स यथा एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। 'स्वतः भाषण मान्यता' (ए.एस.आर.) की कार्यक्षमता के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर–181 प्रारम्भ किया गया है। 31 दिसम्बर, 2021 तक 89.16 लाख से अधिक शिकायतें/समस्याएं वार–रूम में प्राप्त हुई तथा लगभग 88.04 लाख शिकायतें/समस्याओं समाधान किया गया।

राज–काज परियोजना के माध्यम से सरकारी कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश का नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए), राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन और आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आदि के मापदंड राज–काज प्रोजेक्ट के तहत सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के साथ लागू किए जा रहे है। इस मापदंड को सभी सरकारी विभागों में प्रभावी और अनिवार्य बनाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राज्यव्यापी दिशा–निर्देश जारी किए गये है।

कोविड–19 महामारी के संक्रमण काल में अधिकारियों/कर्मचारियों/जन प्रतिनिधियों का आवागमन प्रतिबंधित रहा था। अतः फेस–टू–फेस संचार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट–अप का पंचायत स्तर तक व्यापक रूप में उपयोग किया गया।

कोविड–19 सांख्यिकी अनुप्रयोग और बीआई डैशबोर्ड/रिपोर्टः– राज्य भर में व्यापक रूप से कोविड–19 महामारी से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को कैप्चर करने की आवश्यकता को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की हाउस टीम ने केवल 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में एक केन्द्रीकृत वेब–आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन ''कोविड–19 सांख्यिकी'' विकसित किया और समय–समय पर राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें और अधिक पहलुओं/विशेषताओं को शामिल करने के लिए इसे धीरे–धीरे अपग्रेड किया गया है।

मोबिलिटी पासः– राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं यातायात विभाग आदि से व्यक्तियों और वाहनों के आपातकालीन आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई–पास के लिए आवेदन किया जा सकता है।

कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जिसके अन्तर्गत कोविड–19 से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कर प्रसारण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिससे समस्त स्तरों से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। ''ई–औषधी–कोविड–19'' डैशबोर्ड के माध्यम से कोविड–19 महामारी में काम में आने वाली 57 प्रकार की महत्त्वपूर्ण औषधियों व अन्य सामानों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत कोविड–19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए ऊष्णता आधारित/विषयगत नक्शों का उपयोग करके एक प्रणाली के रूप में 'राज कोविड इन्फो ऐप' विकसित की गयी है।

पर्यटन

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र राजस्थान के

निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम सम्भावनाएं रखता है। कलैण्ड़र वर्ष 2021 के दौरान, 220.24 लाख (219.89 लाख स्वदेशी एवं 0.35 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।

शिक्षा

राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर विकास और बेहतर शैक्षिक आधारभूत संरचना प्रदान करके लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान, सतत शिक्षा कार्यक्रम और साक्षर भारत मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से पूर्ण साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का राज्य द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

कोविड–19 के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करके छात्रों को शिक्षा की सुविधा के लिए एक स्थिर, अनूठी व अभिनव पहल की गई है।

मिड डे मील योजनान्तर्गत, कोविड़–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेंहू/चावल) एवं कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के बदले में चना दाल वितरण करने का निर्णय लिया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में 36,264 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,532 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 15,333 प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें डाईस रिपोर्ट, 2020–21 के अनुसार कुल 64.64 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही हैं। वर्ष 2021–22 में ₹64.80 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है तथा दिसम्बर, 2021 तक राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में ₹64.40 करोड़ की पाठ्य पुस्तकें सफलतापूर्वक वितरित की गई।

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्तिः एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, इस योजना के अन्तर्गत ₹2,650 लाख के आवटंन विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक ₹170.51 लाख खर्च किए गए है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह अधिनियम राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश (राज्य के नियमों के आधार) की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण के लिए एक वेबपोर्टल (www.rte.raj.nic.in) विकसित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(सी) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख की गई है। वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को ₹125.66 करोड़ राशि पुनर्भरण की गई है।

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कार्यरत हैं और इन स्कूलों में 38,501 लड़कियां पढ़ रही हैं। इसके लिए स्वीकृत राशि ₹13,316.82 लाख के विरूद्ध जिलों को ₹9,489.14 लाख (71.26 प्रतिशत) आवंटित किये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य एक सुसंगत, समान सेतु है। विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने के लिए वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 15,449 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से 474 माध्यमिक एवं 766 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए चल रहे हैं और इनमें से 128 विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप पिछले शैक्षणिक सत्र 2020–21 की तुलना में सत्र 2021–22 में 17.41 प्रतिशत नामांकन यानी 8.97 लाख नामांकन में वृद्धि हुई हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकन 60.51 लाख का हैं।

उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालयों एवं

महाविद्यालयों का कार्य प्रबन्धन करता है। आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 2,413 हो गई है। जिसमें से राज्य में 356 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 2,033 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। विभाग द्वारा 1,479 शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय तथा 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में कुल 87 (जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल) अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से, 1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के 17 घटक कॉलेज हैं और 69 निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेज हैं जिनकी कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 29,087 विद्यार्थी है। इसी तरह, प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 48 एम.बी.ए. संस्थान (6 राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त एवं 42 निजी संस्थान) आरएमएपी 2021 में पंजीकरण के अनुसार लगभग 3,282 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के घटक/निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय/एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में जोधपुर में एक भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.), एमएनआईटी कैंपस जयपुर में आईआईआईटी कोटा, एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) उदयपुर तथा एमएनआईटी जयपुर संचालित हैं।

राज्य में 31 दिसम्बर, 2021 तक 26 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक झालावाड हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 07 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व 9 निजी क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 15 नये मेड़िकल कॉलेज यथा अलवर, बांरा, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य द्वारा प्रति कॉलेज ₹325 करोड़ (₹195 करोड़ केन्द्रीय अंश व ₹130 करोड़ राज्यांश) की दर से कुल ₹4,875.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को प्रसारित की गई, इनकी स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ–साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य में दिसम्बर, 2021 तक 129 अस्पताल, 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 2,170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण), 190 औषधालय, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी) और 14,423 उप केंद्र कार्यरत हैं।

राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक नई पहल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई, 2021 से शुरू की है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना

हैं। योजना के तहत एनएफएसए, एसईसीसी के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड—19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। शेष आबादी प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹850 की एक छोटी राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती हैं जो कि प्रीमियम लागत का 50 प्रतिशत है, शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन कर रही है।

फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 (सामान्य बीमारियों के लिए) तथा ₹4.50 लाख (गंभीर बीमारियों के लिए) का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के अन्तर्गत कुल 1,597 रोग पैकेज की पेशकश की जाती है, जिसमें 465 द्वितीयक पैकेज और 1,132 तृतीयक पैकेज शामिल हैं। कुल पैकेज में से 51 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित है। कोविड—19, म्यूकोर्मिकोसिस और डायलिसिस का इलाज ट्रस्ट मोड पर किया जा रहा हैं।

पैनल में सम्मिलित अस्पतालों में कैशलेस आई.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के अन्तर्गत 634 निजी व 788 सरकारी पैनलबद्ध चिकित्सालय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में ''राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना'' संचालित की जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त तथा यातायात की सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक अनुमानित) में 25.08 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.67 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, 6.71 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गरम भोजन, 4.67 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन, 31,151 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान तक निःशुल्क परिवहन, 5.21 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक निःशुल्क परिवहन एवं 60,328 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई है। निःशुल्क दवा, प्रयोगशाला परीक्षण, रक्त संचार सेवाएं एवं परिवहन सेवा वाले बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 3,25,312, 1,35,589, 5,241 एवं 96,940 हैं (दिसम्बर, 2021 तक प्रावधानिक)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा कोविड—19 को एक अंतर्राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मध्यनजर एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले महामारी से संबंधित दिशा—निर्देशो के अनुसार राज्य में बचाव, नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय, उपचार, जांच (संपर्क ट्रेसिंग) और सूचना का प्रसार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में रोगग्रस्त यात्रियों की पहचान, आईसोलेशन वार्डों में संक्रमित यात्रियों की स्क्रीनिंग और प्रवेश एवं देश के सभी हिस्सों से आने वाले यात्रियों की जानकारी एकत्र करने जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में कोविड—19 की पहली घटना 2 मार्च, 2020 को जयपुर में एक इटली नागरिक में पाई गई थी।

जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 6,47,984 कोविड संक्रमित रोगी पाए गए है, जिनमें से 6,268 मरीज अपनी जान खो चुके है। मार्च, 2020 से शुरू होकर दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 9,56,227 मरीज कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 8,964 मरीज अपनी जान खो चुके हैं।

- **सक्रिय निगरानी (घर—घर सर्वे):** राज्य में करीब 25,000 चिकित्सा टीम रोजना घर—घर जाकर सर्वे कर रही है जिसमें प्रत्येक टीम 50 घरों में जाती है।
- **पैसिव सर्विलांस:** संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए अस्पतालों में अलग से ओपीडी कार्य कर रही है।
- **मिशन लिसा:** मिशन लिसा द्वारा राज्य में उच्च जोखिम समूह वर्ग के व्यक्तियों की निगरानी के लिए घर—घर जाकर सर्वेक्षण कर जागरूकता एवं स्थिति के अनुसार जांच कार्य किया जा रहा है। दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 1,40,35,878 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 13,84,794 उच्च जोखिम वाले समूह में पाए गए।
- **क्वारंनटाईन/आईसोलेशन सेन्टर:** प्रदेश में संदिग्ध कोरोना रोगियों/व्यक्तियों की निगरानी अथवा उपचार के लिए राज्य में 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,14,288 क्वारंटाईन बेड एवं 36,834 आईसोलेशन बेड की पहचान की गई है।
- **संसाधन:** राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉपरेशन (आरएमएससीएल) के माध्यम से पीपीई किट,

एन–95, ट्रीपल लेयर मास्क व वीटीएम आदि की खरीद की जा रही है, साथ ही आपदा प्रबन्धन विभाग के समन्वय से आपूर्ति की जा रही है।

- **जाँच सुविधा एवं परिणाम:** राज्य के सभी जिलों में कोरोना वायरस के लिए जाँच सुविधा 72 केन्द्रों पर उपलब्ध है और जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,09,44,243 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से कुल 6,47,984 पॉजिटिव पाए गए हैं।
- **कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग:** दिसम्बर, 2021 तक 9,56,227 पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए 19,65,372 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करते हुए लक्षण के आधार पर 7,35,827 संपर्क व्यक्तियों के नमूने लिए गए हैं।
- **अन्य विशेष:** जिला कलेक्टर को कोविड–19 हेतु जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के अन्तर्गत कोविड–19 को अधिसूचित रोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान समाचार पत्रो/ फ्लैक्स/बेनर/ पैंम्पलेट/रेडियो/ व्यक्तिगत रूप से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, पॉजिटिव केस क्षेत्र में कंटेन्मेंट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जलापूर्ति

राज्य में भूगर्भीय जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की समस्या है। राज्य में पिछले दो दशकों से भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यन्त जटिल है। पेयजल आपूर्ति के सतही स्त्रोत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से 3 पेयजल आपूर्ति योजनाओं यथा ईसरदा बांध (दौसा), बत्तीसा नाला (सिरोही), परवन अकावाड़ (झालावाड़) को क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है। राज्य में 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,877 बस्तियों/ढाणियों में से 53,062 को पूर्ण रूप से 56,636 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 12,179 बस्तियां/ढाणियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है। इसलिये अब विभाग का लक्ष्य प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,702 बस्तियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक ₹53,979 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 8,361 एकल जल प्रदाय योजनाएं एवं 122 वृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल है। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 80 लाख परिवारो को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। 21.84 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारो को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

31 मार्च, 2021 तक 19.57 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 2.54 लाख नये कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

सतत् विकास गोल्स (एसडीजी)

संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में, 17 सतत् विकास गोल्स (एस.डी.जी.) एवं 169 टार्गेट्स वाले ''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट'' शीर्षक वाले दस्तावेज को अंगीकार किया। एस.डी.जी. विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों के एकीकृत वैश्विक गोल्स् की एक व्यापक सूची है। सतत् विकास गोल्स सार्वभौमिक (सभी देशों–विकसित, विकासशील और अविकसित के लिए), अन्त:संबंधी एवं अविभाज्य है तथा इसलिए सभी को साथ में लाने के लिये व्यापक एवं सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि ''कोई भी पीछे ना रहे''। 17 एस.डी.जी. और संबद्ध 169 टार्गेट्स 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं।

सितम्बर, 2019 में आयोजित एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने सतत् विकास गोल्स को अर्जित करने में

10 वर्ष से भी कम समय शेष होने पर एस.डी.जी. के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने में किये जाने प्रयासो में तेजी लाने वाले 'कार्रवाई दशक (Decade of Action)' के रूप में घोषित किया है।

राज्य में सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। संकेतकों के समंकों का संकलन तथा प्रगति की सामयिक समीक्षा हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) में एस.डी.जी. कार्यान्वयन केन्द्र/प्रकोष्ठ स्थापित एवं कार्यरत है। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग समिति संस्थापित है। इस राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सतत् विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है।

धरातल पर बेहतर कार्य योजना एवं एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन और मोनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

राजस्थान ने राज्य एवं जिला स्तर पर एस.डी.जी. की उपलब्धियों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिये राज्य संकेतक फ्रेमवर्क और जिला संकेतक फ्रेमवर्क जारी किया है जिनमें क्रमशः 330 व 251 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (सी.एम.आर.ई.टी.ए.सी.)

वर्ष 2019—20 बजट घोषणा —189 की अनुपालना में प्रदेश के आर्थिक—वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक—टैंक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 7 मार्च, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (CMRETAC) का गठन किया गया। डॉ० अरविन्द मायाराम, आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री एवं पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार को परिषद में उपाध्यक्ष एवं 21 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया गया है। परिषद निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही हैं:—

- राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों, विशेषतः राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों के सृजन आदि की पहचान करना तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यवाही योग्य सलाह देना।
- राज्य के विशिष्ट आर्थिक एवं वित्तीय नीतिगत विषयों के गहन विश्लेषण हेतु अध्ययन करना।
- राज्य में की जा रही नवीन पहल को चिन्हित कर, उनकी मध्य अवधि प्रगति को सुनिश्चित करना तथा इनके क्रियान्विति के विभिन्न स्तरों की समीक्षा करना।
- राज्य की विकास योजनाओं में आने वाली चुनौतियों के सम्बन्ध में समुचित समाधान देने एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।
- परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए संबद्ध विभागों को समय—समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना और आवश्यकता अनुसार मध्य अवधि सुधार/संशोधन के सुझाव देना।
- राज्य की आर्थिक विकास एवं वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित करना।

परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई, जिसमें परिषद के सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है।

परिषद द्वारा राज्य के सामाजिक—आर्थिक विकास से जुड़े निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन पत्र तैयार कराये जा रहे है, जो इन क्षेत्रों के लिए भावी नीति—निर्धारण हेतु उपयोगी होगें:—

1. शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का प्रबंधन
2. सतत् कृषि विकास
3. ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि व्यवसाय बुनियादी ढांचे का विकास
4. अर्थव्यवस्था के लिए अमूर्त सांस्कृतिक

संपत्ति के योगदान की मात्रा निर्धारित करना

5. शिक्षा और नए प्रतिमान
6. चिकित्सा सेवाएं
7. व्यवसाय करना
8. बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक–निजी भागीदारी
9. राज्य का राजकोषीय प्रबंधन

फ्लेगशिप योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया है।

शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियानः राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत, वर्ष 2021 में 5,040 निरीक्षण करने के बाद 4,549 नमूने लिए गए, जिनमें से 530 घटिया, 219 गलत और 119 असुरक्षित पाए गए।

निरोगी राजस्थान अभियानः राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगरीय वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र (महिला एवं पुरूष) का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है।राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 79,731 स्वास्थ्य मित्र (महिला और पुरुष) और शहरी क्षेत्र में 14,373 स्वास्थ्य मित्र (महिला और पुरुष) का चयन किया गया है। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवी व्यक्तियों को बिना किसी पारिश्रमिक के स्वास्थ्य मित्र के रूप में कार्य करना होता है। ये स्वास्थ्य मित्र जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाः वर्ष 2021–22 में आवश्यक दवा सूची में 2 नई औषधियों को शामिल किया गया हैं एवं 4 औषधियों को विलोपित किया गया हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के 6 दवाईयों की श्रेणियां बदली गई हैं। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 711 औषधियां, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सूचीबद्ध हैं एवं दिसम्बर, 2021 तक योजना के अन्तर्गत ₹760 करोड़ का व्यय किया गया एवं 8. 58 करोड़ मरीज लाभाविन्त हुए है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजनाः इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 40 करोड़ जांचें की जाकर 17.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम. सी.एस.बी.वाई.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए और विनाशकारी कोरोना महामारी जो कि तबाही मचा रही है, राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की है और राजस्थान में 1 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) शुरू की है। योजना के अन्तर्गत कुल 1,597 रोग पैकेज की पेशकश की जाती है और 1 मई, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक 11,68,283 दावों पर ₹785.33 करोड़ खर्च किए गए हैं।

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने सत्र 2019–20 से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2021–22 में बजट घोषणा अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गावों और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1,200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित करने प्रस्ताव किया गया हैं। इसी क्रम में 346 राजकीय विद्यालयों को सत्र 2021–22 में परिवर्तित किया गया है। इन विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया जारी हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 551 (सत्र 2019–20 में 33, सत्र 2020–21 में 172, सत्र 2021–22 में 346) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हो रहे हैं।

₹1 प्रति किलो गेहूँ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम के बजाय ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल 6.95 लाख मीट्रिक टन गेहूँ 1.37 करोड़ व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इस योजना में वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 9,390 लड़कियों को ₹3,903.03 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यथा यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, आर.पी.एस. सी. द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाऐं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ठ सहायक व उक्त लेवल की अन्य परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इन्जीनियर/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट, सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी की परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछडा वर्ग व विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से कम या माता–पिता राजकीय सेवा में हों तो पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, पात्र है। योजनान्तर्गत बजट प्रावधान ₹25 करोड़ एवं 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना: वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है। 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 52,30,324 वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: इस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक इस पेंशन योजना के तहत 16,95,629 हितग्राहियों के बीच कुल ₹1,95,039.34 लाख का वितरण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: इस योजना में, राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रति माह ₹750 से ₹1500 की पेंशन प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) कुल ₹51,946.33 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 5,90,547 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

पालनहार योजना: यह योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरम्भ की गई थी, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹45,605.69 लाख व्यय कर 5,24,189 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019: इस नीति के अन्तर्गत कृषि–प्रसंस्करण और आधारभूत इकाइयां स्थापित करने हेतु कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी. वाई.) : इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसंबर,

2021 तक) के दौरान 1,601 उद्यमियों के बीच ₹485.32 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम–2019

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान, कुल 2,766 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए जिन्हें तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी के 1,393, लघु श्रेणी के 811 और मध्यम श्रेणी के 562 प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019: राज्य में तेजी से सतत् और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 को 17 दिसंबर, 2019 से प्रभावी बनाया गया। इस योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नए निवेश के लिए 7 साल के लिए एसजीएसटी की 100 प्रतिशत अदायगी और बिजली कर, स्टाम्प शुल्क और मंडी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत एस.टी./एस.सी. के उद्यमी को पदोन्नति आदेश डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्पेशल पैकेज के तहत दिया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹54,254.84 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सहित 3,268 आवेदनों पर छूट प्रमाण–पत्र जारी किये गये।

जन सूचना पोर्टल : सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं की 562 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

राजस्थान जन आधार योजना: भारत सरकार (यूआईडीएआई) के परिपत्र दिनांक 9 मई, 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के प्रमाण तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल नामांकित परिवारों की संख्या 1.87 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.15 करोड़, कुल नकद व गैर–नकद लाभ के ट्रांजेक्शन 105.47 करोड़ तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण ₹44,997 करोड़ किये जा चुके हैं।

विधवा विवाह उपहार योजना: पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप ₹15,000 दिये जाने का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इसे बढ़ाकर ₹30,000 वर्ष 2019–20 पुनः बढ़ाकर ₹51,000 दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹3.36 लाख व्यय कर 7 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उज्ज्वला योजना: यह योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवाछंनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोडने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹22.68 लाख का व्यय किया जा चुका है।

स्वाधार गृह योजना: भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001–02 से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹16.33 लाख का व्यय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना: कोविड–19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की है। 25 जून, 2021 से योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है। साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी.बी.टी. योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹10,838 लाख व्यय कर 15,311 बच्चों / विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

गाड़िया लोहार मकान निर्माण: गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में ₹70,000 देने का प्रावधान है। प्रथम किश्त में ₹25,000, द्वितीय किश्त में ₹25,000 एवं तृतीय किश्त में ₹20,000 अनुदान के रूप में दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹81.05 लाख व्यय कर 116 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय योजना: गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बन बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में ₹5,000 दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹5 लाख व्यय कर 100 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को ₹50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दिसम्बर, 2021 तक 1,77,386 लाख लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किये गये।

पुरस्कार एवं सम्मान

- ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), कोलकाता में, सेफ टूरिज्म डेस्टीनेशन अवॉर्ड।
- ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), अहमदाबाद में बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड।
- नई दिल्ली में फोर फेयर एण्ड फेस्टीवल 7 (आई.टी.सी.टी.ए.) – बी2बी इन्टरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एवं कान्क्लेव बेस्ट अवार्ड
- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.), बैंगलोर में डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन कैंम्पेन एवं बेस्ट प्रजेन्टेशन अवार्ड।
- इंडिया टुडे टूरिज्म अवाड्र्स 2021, नई दिल्ली में गरडिया महादेव (कोटा) के लिए बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड।
- इंडिया टुडे टूरिज्म अवाड्र्स 2021, नई दिल्ली में डेजर्ट फेस्टिवल (जैसलमेर) के लिए बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड।
- ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट स्टेट इन इंडिया अवार्ड।
- ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड।
- 4 मई, 2021 को आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, लन्दन की ओर से सम्मानित किया गया और वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता का प्रमाण–पत्र दिया गया।
- आवास क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार "स्कॉच अवार्ड 2021" 13 नवंबर, 2021 को गोल्ड कैटोगरी में हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, नई दिल्ली द्वारा मानसरोवर में एचआईजी के 104 फ्लेट्स (बी+एस+13) के अरावली अपार्टमेंट हाउसिंग

प्रोजेक्ट के लिए "रेसिडेंटेल यूनिट्स एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स" की श्रेणी के तहत ट्रॉफी दी गई है।

- राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनाः अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 3 दिसम्बर को प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन, कार्यालयों, एजेन्सियों और अन्य में विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस योजना में पुरस्कार के रूप में ₹10,000 से ₹15,000 प्रति व्यक्ति/प्रति संस्थान तथा प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाते है। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 39 विशेष योग्यजन एवं 4 संस्थाओं को लाभान्वित किया जाकर ₹4.30 लाख वितरित किये गये हैं।

जनसांख्यिकीय रूपरेखा

- 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्षेत्रवार वर्गीकरण की दृष्टि से, राजस्थान की शहरी आबादी 1.70 करोड़ है जो कि कुल आबादी की 24.9 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण आबादी 5.15 करोड़ है जो कि कुल आबादी की 75.1 प्रतिशत है।

- 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान का समग्र लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं है, जबकि 2001 में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 890 महिलाएं थी, जिससे यह दृष्टिगत होता है कि शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में 24 की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात वर्ष 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में कुछ अधिक है। 2001 में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 930 महिला का था, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक था।

- राज्य में 1961 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है। 2011 में राजस्थान में साक्षरता दर 2001 के 60.4 प्रतिशत से बढ़कर 66.11 प्रतिशत हो गई है। क्षेत्रवार साक्षरता अनुसार 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 79.70 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 61.4 प्रतिशत रही है। राज्य की मुख्य विशेषताओं का भारत से तुलनात्मक विवरण तालिका 0.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 0.1: राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001—2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0—6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73
साक्षरता दर (पुरूष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2019*	प्रति हजार मध्य—वर्ष जनसंख्या	23.7	19.7
अशोधित मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार मध्य—वर्ष जनसंख्या	5.7	6
शिशु मृत्यु दर	2019*	प्रति हजार जीवित जन्म	35	30
मातृ मृत्यु अनुपात	2016-18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2014-18*	वर्ष	68.7	69.4

*एस.आर.एस.बुलेटिन : भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

अध्याय **01**

वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में

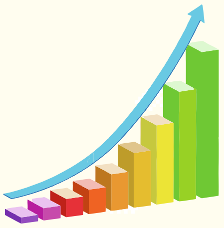

प्रचलित कीमतों पर राज्य अर्थव्यवस्था का आकार (2021–22)

❖ भारतः ₹232.15 लाख करोड़ | राजस्थानः ₹11.96 लाख करोड़

स्थिर कीमतों पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि (2021–22)

❖ भारतः 9.2 प्रतिशत | राजस्थानः 11.04 प्रतिशत

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (2021–22)

❖ भारतः ₹1,50,326 | राजस्थानः ₹1,35,218

प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान (2021–22)

भारत	राजस्थान
कृषिः 18.76 प्रतिशत	कृषिः 30.23 प्रतिशत
उद्योगः 28.20 प्रतिशत	उद्योगः 24.67 प्रतिशत
सेवाः 53.04 प्रतिशत	सेवाः 45.10 प्रतिशत

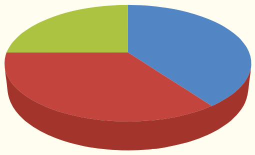

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण वैश्विक रूप से आर्थिक विकास को भारी झटका लगा और लगातार दो वर्षों में 2 पूर्ण लॉकडाउन लागू किये गये। इन लॉकडाउन ने न केवल लाखों नागरिकों को घरों तक सीमित कर दिया, बल्कि सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां भी काफी हद तक बंद हो गई। वर्ष 2020–21 में राज्य की आय को काफी हद तक नुकसान हुआ लेकिन सरकार की नीतियों एवं उसके प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के बाद विनिर्माण क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दूसरा प्रमुख प्रेरक क्षेत्र रहा है। वर्ष 2021–22 में अखिल भारतीय स्तर के 9.2 प्रतिशत की तुलना में राजस्थान की समग्र अर्थव्यवस्था के 11.04 प्रतिशत की दर से बढने का अनुमान है।

वृहद् आर्थिक समूह

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की वृहद् तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब है तथा इससे तैयार की गई प्रति व्यक्ति आय, जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदण्ड है।

राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित एवं स्थिर, दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध, दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं। सकल अनुमानों में से स्थायी पूंजी का उपभोग (सी.एफ.सी.), जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, घटाया नहीं जाता है, जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समंकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग (सी.एफ.सी.) घटाया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता हैं। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित हैं– (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन तथा (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021–22 में ₹11.96 लाख करोड़ सम्भावित है, जोकि वर्ष 2020–21 में ₹10.13 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2020–21 के 1.43 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 18.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021–22 में ₹232.15 लाख करोड़ सम्भावित है जो 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.15 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तथा अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमान तथा इनकी वृद्धि तालिका–1.1 एवं राजस्थान की जी.एस.डी.पी. चित्र–1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अ.)
जी.एस.डी.पी.–राजस्थान	832529	911674	999050	1013323	1196137
वृद्धि दर (%)	9.46	9.51	9.58	1.43	18.04
जी.डी.पी.–अखिल भारत	17090042	18886957	20351013	19745670	23214703
वृद्धि दर (%)	11.0	10.5	7.8	-3.0	17.6

राज्य के लिए वर्ष 2019–20– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2020–21 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

चित्र 1.1

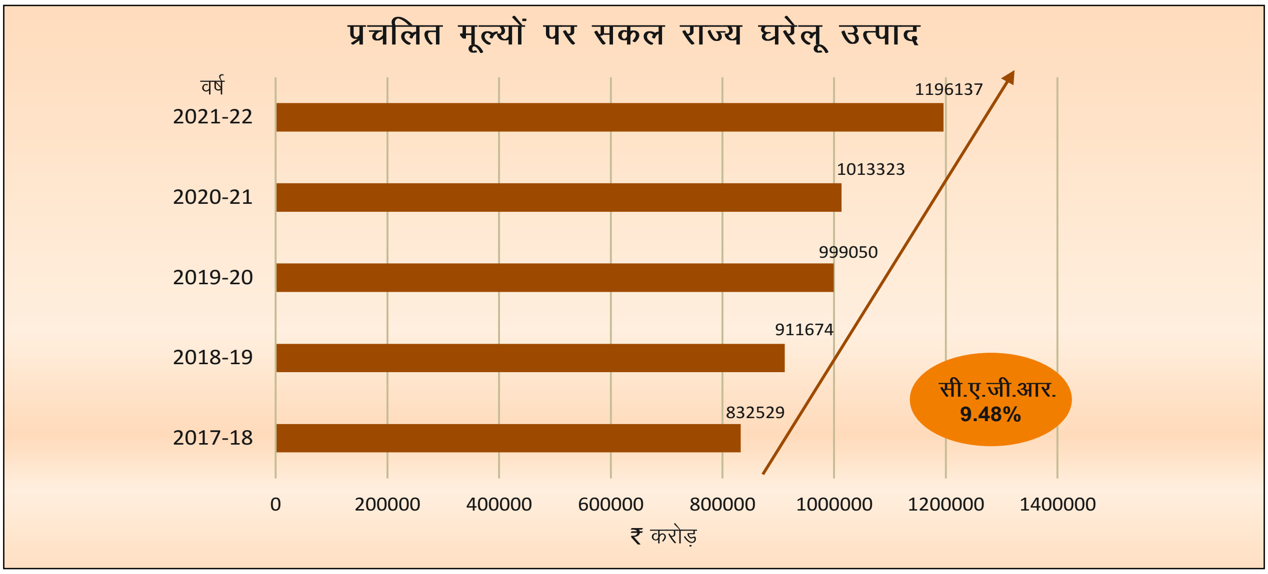

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2020–21 में ₹9.50 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹11.16 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020–21 में 1.92 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 17.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में वर्ष 2020–21 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 14.57 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 23.66 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 16.14 प्रतिशत है।

वर्ष 2017–18 से प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन की संरचना को चित्र 1.2 में तथा सकल राज्य मूल्य वर्धन को तालिका–1.2 में दर्शाया गया हैं।

चित्र 1.2

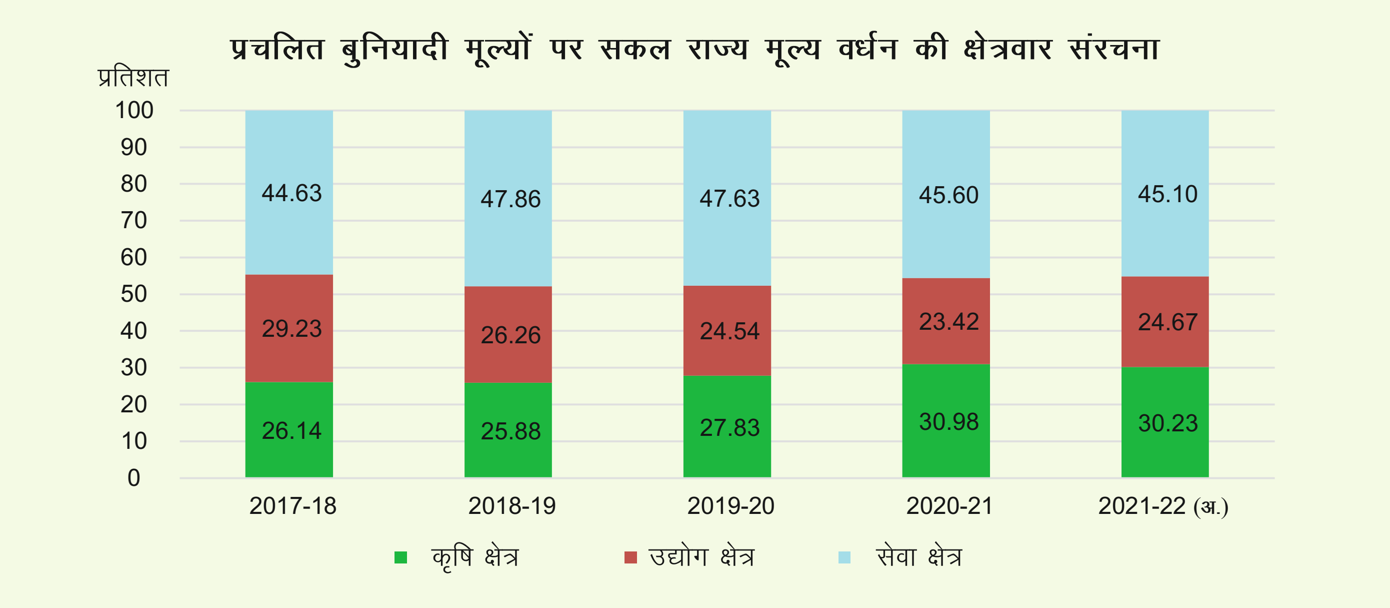

तालिका–1.2 प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (अ.)
कृषि क्षेत्र	205920	222377	259493	294348	337221
उद्योग क्षेत्र	230230	225599	228721	222524	275163
सेवा क्षेत्र	351566	411269	443979	433244	503180

वर्ष 2019–20– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि (जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य) क्षेत्र के योगदान में वर्ष 2011–12 से 2021–22 में वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र का योगदान, जो कि वर्ष 2011–12 में 28.56 प्रतिशत था, वर्ष 2021–22 में बढ़कर 30.23 प्रतिशत सम्भावित है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 32.69 प्रतिशत था, जो वर्ष 2021–22 में घटकर 24.67 प्रतिशत सम्भावित है। सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 38.75 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2021–22 में बढ़कर 45.10 प्रतिशत सम्भावित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011—12) मूल्यों पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. की गणना की जाती है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021—22 में वास्तविक/स्थिर (2011—12) मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹7.33 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020—21 में ₹6.60 लाख करोड़ था, जो कि वर्ष 2020—21 में 2.86 प्रतिशत गिरावट की तुलना में वर्ष 2021—22 में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021—22 में वास्तविक/स्थिर (2011—12) मूल्यों पर ₹147.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 4.97 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011—12 मूल्यों पर) के अनुमान एवं इनकी वृद्धि तालिका 1.3 में एवं राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011—12 मूल्यों पर) चित्र 1.3 में दर्शाए गए है।

तालिका 1.3 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011—12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अ.)
जी.एस.डी.पी.—राजस्थान	628020	642929	679564	660118	733017
वृद्धि दर (%)	5.24	2.37	5.70	-2.86	11.04
जी.डी.पी.—अखिल भारत	13144582	14003316	14569268	13512740	14753535
वृद्धि दर (%)	6.8	6.5	4.0	-7.3	9.2

राज्य के लिए वर्ष 2019—20— संशोधित अनुमान— II, वर्ष 2020—21—संशोधित अनुमान— I और वर्ष 2021—22 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2020—21 प्रावधानिक अनुमान वर्ष 2021—22 अग्रिम अनुमान

चित्र 1.3

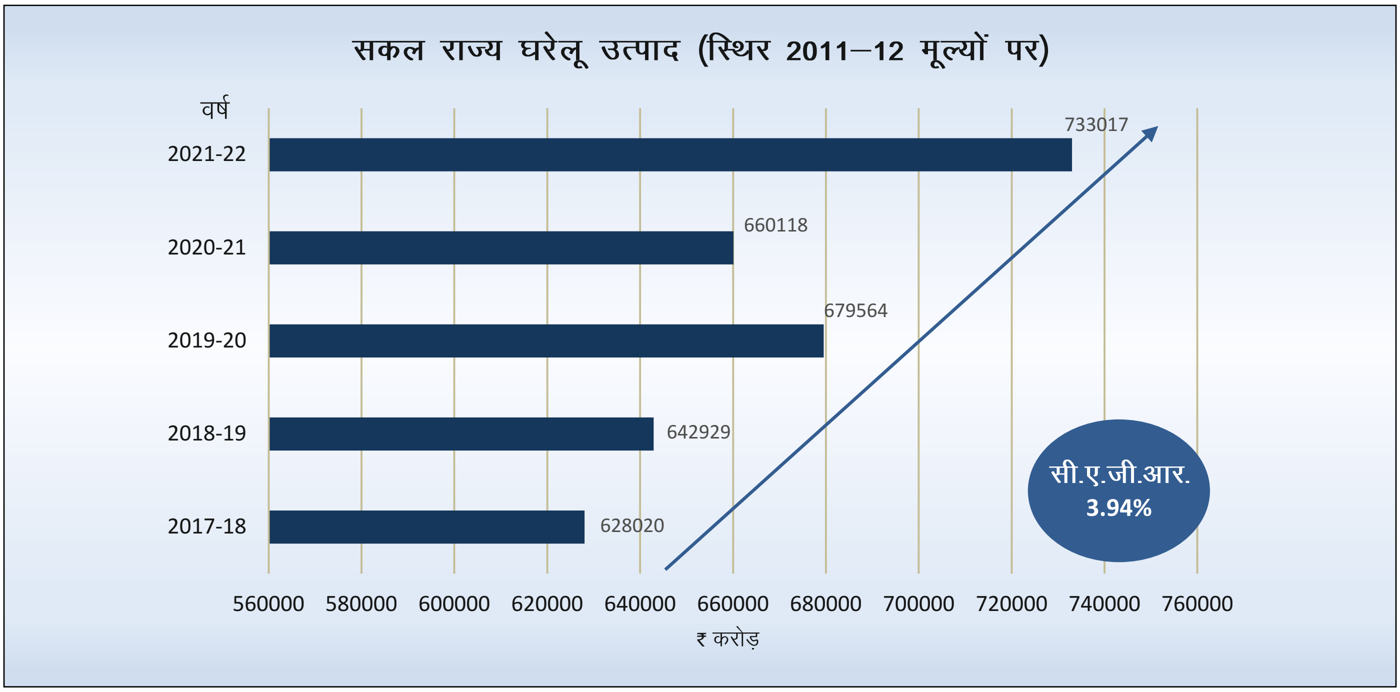

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2020–21 में ₹6.10 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹6.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020–21 में 2.51 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में वर्ष 2021–22 में 10.60 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 से योगदान 28.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 28.85 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2021–22 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹1,94,722 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 4.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 से योगदान 32.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 26.34 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2021–22 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹1,77,801 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 15.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र में रेलवे, अन्य यातायात, भण्डारण, संचार, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, वित्तीय तथा अन्य सेवाओं का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 से योगदान 38.75 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2021–22 में 44.81 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2021–22 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹3,02,418 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 11.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2017–18 से स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन की संरचना को तालिका–1.4 पर तथा स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार विकास दर को चित्र 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.4 स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (अ.)
कृषि क्षेत्र	148692	156850	175590	185839	194722
निर्माण क्षेत्र	191886	165912	163320	154115	177801
सेवा क्षेत्र	249430	277350	287035	270284	302418

वर्ष 2019–20– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

चित्र 1.4

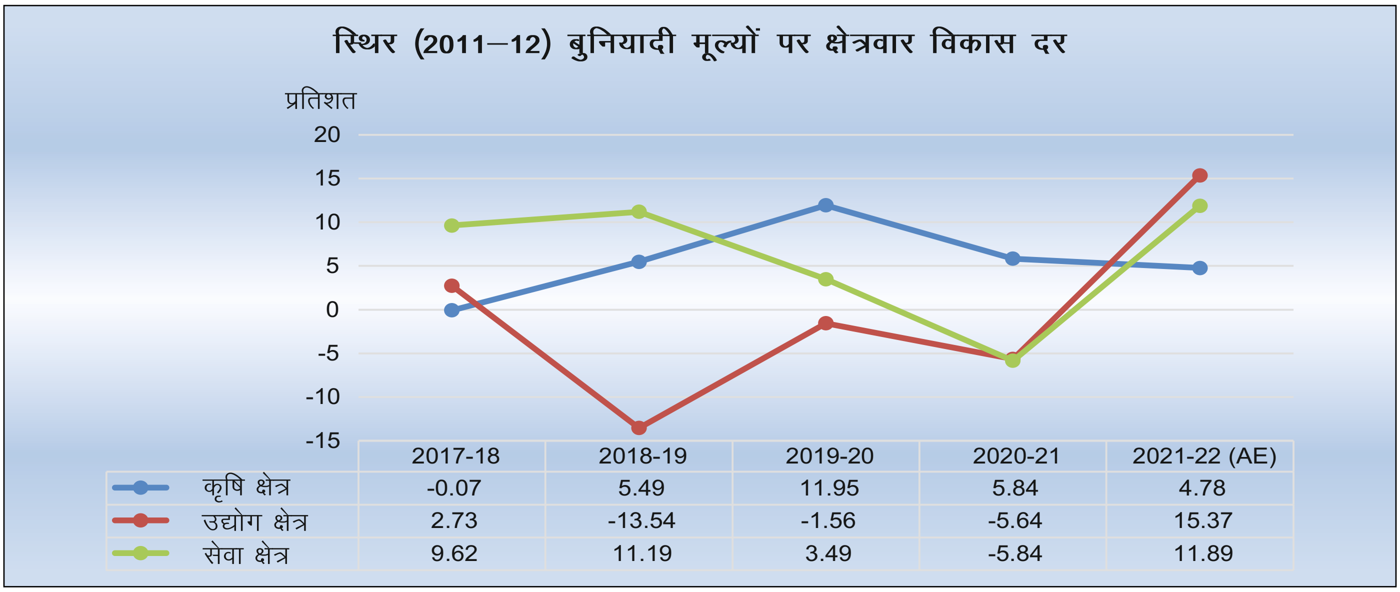

वर्ष 2019–20– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.)

सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021–22 में ₹10.79 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020–21 में ₹9.14 लाख करोड़ था, यह वर्ष 2020–21 में 1.80 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021–22 में 18.01 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2021–22 में ₹6.48 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2020–21 में ₹5.84 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2020–21 में 2.49 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में वर्ष 2021–22 में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तालिका–1.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.5 राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अ.)
प्रचलित कीमतों पर	748490	819340	898081	914262	1078903
वृद्धि दर (%)	9.65	9.47	9.61	1.80	18.01
स्थिर (2011–12) कीमतों पर	557618	568102	598550	583645	648142
वृद्धि दर (%)	5.28	1.88	5.36	-2.49	11.05

वर्ष 2019–20– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2020–21–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020–21 में ₹1,15,933 की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹1,35,218 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 16.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर चित्र–1.5 में दर्शाई गई है।

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर (2011–12) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020–21 में ₹74,009 की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹81,231 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 9.76 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर चित्र–1.6 में दर्शाई गई है।

चित्र 1.5

राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर

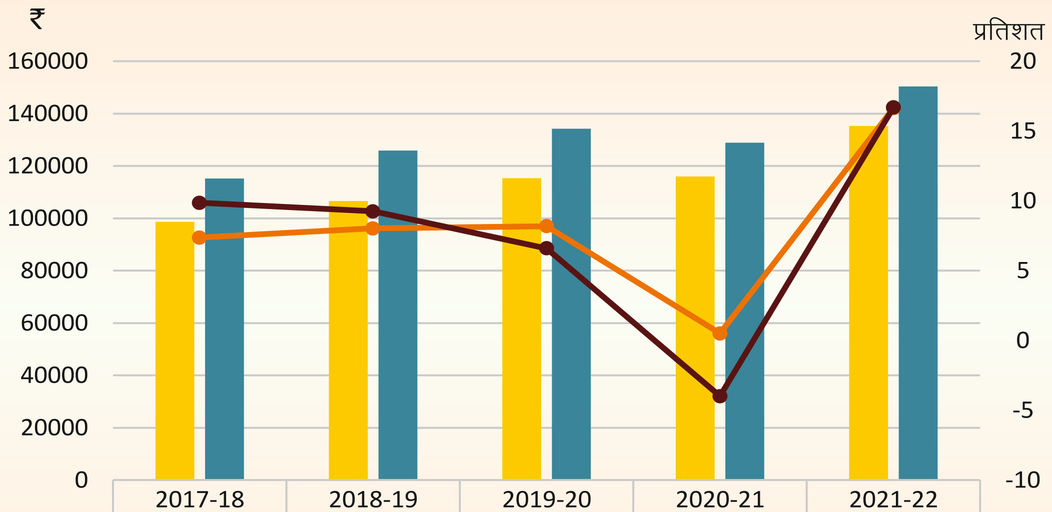

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्थान	98698	106624	115356	115933	135218
अखिल भारत	115224	125883	134186	128829	150326
वृद्धि दर राजस्थान	7.37	8.03	8.19	0.50	16.63
वृद्धि दर अखिल भारत	9.86	9.25	6.60	-3.99	16.69

चित्र–1.6

राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

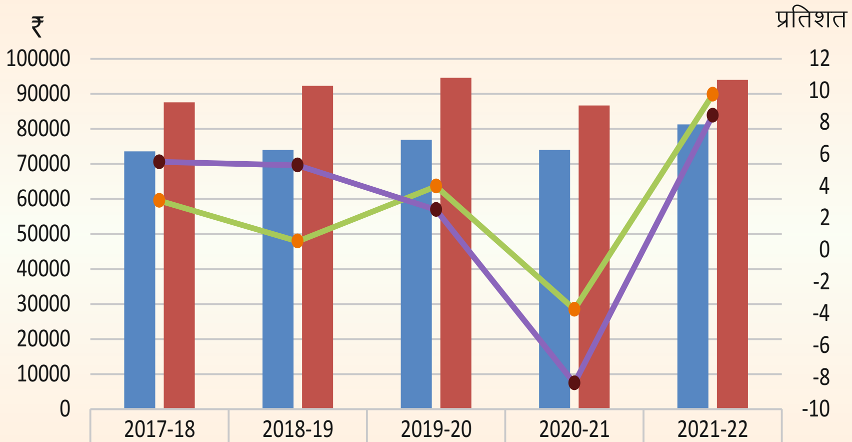

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्थान	73529	73929	76882	74009	81231
अखिल भारत	87586	92241	94566	86659	93973
वृद्धि दर राजस्थान	3.09	0.54	3.99	-3.74	9.76
वृद्धि दर अखिल भारत	5.52	5.32	2.52	-8.36	8.44

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को लेखावधि के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई स्थाई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020–21 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹2,76,473 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹10,13,323 करोड़) का 27.28 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2019–20 की तुलना में 2.45 प्रतिशत की गिरावट हुई। राज्य में निर्मित सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2016–17 से चित्र–1.7 में दर्शाया गया है। सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का औसत योगदान वर्ष 2020–21 में क्रमशः 76.10 एवं 23.90 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2016–17 से क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण तालिका–1.6 में दर्शाया गया है।

चित्र–1.7

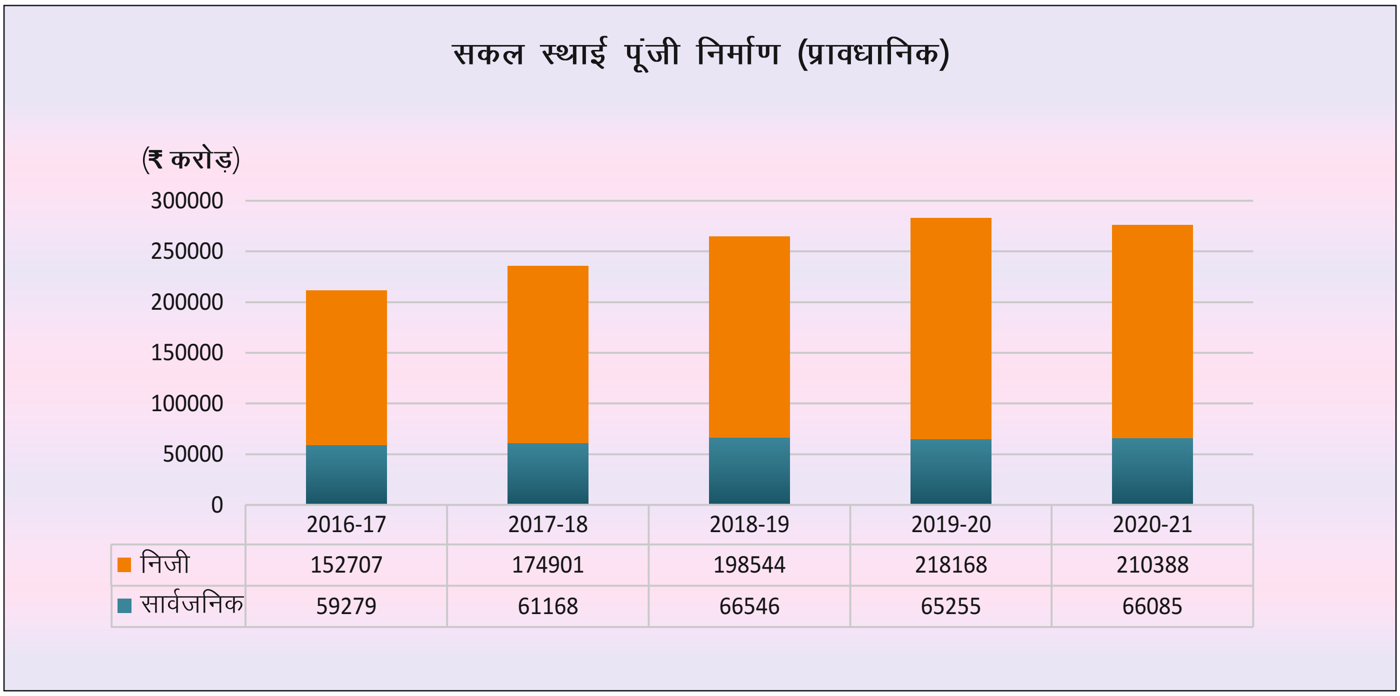

वर्ष 2004–05 से टाइम सीरीज समंक परिशिष्ट प13 में दिखाये गये हैं।

तालिका–1.6 क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रावधानिक)

(₹ करोड़)

क्र.सं.	क्षेत्र/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कृषि	8994	10260	8686	9095	10086
2.	वानिकी	195	177	112	98	156
3.	मत्स्य	4	4	2	2	2
4.	खनन	2646	2728	2717	2605	2533
5.	पंजीकृत विनिर्माण	12156	14327	13768	13319	12338
6.	निर्माण	70779	77603	94164	107419	97812

क्र.सं.	क्षेत्र/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	17942	14826	16947	16159	13811
8.	रेलवे	971	1185	1295	1188	1247
9.	संचार	7663	14981	17236	19915	17377
10.	अपंजीकृत विनिर्माण, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, यातायात एवं अन्य सेवाऐं	8423	11089	10448	10868	10578
11.	वित्तीय सेवाऐं	801	400	1452	2487	1446
12.	आवासीय भवन	52843	57908	63322	66405	72495
13.	लोक प्रशासन	28568	30581	34942	33864	36592
योग		**211986**	**236069**	**265091**	**283423**	**276473**

योग का मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।

मूल्य सांख्यिकी

कीमतों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समय के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होता हैं। चूंकि कीमतें विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, इसलिए मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन पर पड़ता हैं। इनमें होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक उपकरण मूल्य सूचकांक हैं। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों मे होने वाले सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर के मूल्यों को मापते हैं।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव राज्य के सभी जिलों से प्राप्त कर संकलित किये जा रहे हैं। थोक मूल्यों के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार कर जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) (आधार वर्ष 1999–2000=100)

थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार–चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मण्डलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता हैं। यह विभिन्न वस्तु समूहों जैसे–प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक हैं। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में भी मूल्य सूचकांक सहायक हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित हैं। प्राथमिक वस्तु समूह को 33.894, विनिर्मित उत्पाद समूह को 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग को 16.253 भारांकन दिया गया है।

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में 330.86 से बढ़कर वर्ष 2021 में 363.23 रहा है, जो कि 9.78 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक 331.49 से बढकर 378.22, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक 509.26 से बढकर 569.93 एवं विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 272.27 से बढ़कर 285.65 रहा है। गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 14.10, 11.91 एवं 4.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में 121.8 से बढकर वर्ष 2021 में 134.8 हो गया, जिसमें 10.67 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017 से 2021 के दौरान वृहद् वस्तु समूहवार थोक मूल्य सूचकांक एवं उनका गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.7 व 1.8 तथा चित्र 1.7 व 1.8 में दर्शाया गया हैः—

तालिका 1.7 राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1999—2000=100)

क्रम संख्या	वृहद्—समूह	वार्षिक औसत सूचकांक				
		2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021**
1	प्राथमिक वस्तुएं	294.05	299.08	317.48	331.49	378.22
(अ)	कृषि वस्तुएं	292.40	295.87	314.89	328.58	377.10
(ब)	खनिज	306.55	323.29	337.05	353.47	386.65
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	428.71	463.78	461.22	509.26	569.93
3	विनिर्मित उत्पाद	243.61	247.78	256.74	272.27	285.65
समस्त वस्तुऐं		**290.79**	**300.27**	**310.56**	**330.86**	**363.23**

(*माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना—19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

तालिका 1.8 राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन

(आधार वर्ष 1999—2000=100)

क्रम संख्या	वृहद् समूह	वार्षिक औसत प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष आधारित)				
		2017	**2018**	**2019**	**2020***	**2021**
1	प्राथमिक वस्तुएं	-2.61	1.71	6.15	4.41	14.10
(अ)	कृषि वस्तुएं	-3.59	1.19	6.43	4.35	14.77
(ब)	खनिज	5.08	5.46	4.26	4.87	9.39
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	9.44	8.18	-0.55	10.42	11.91
3	विनिर्मित उत्पाद	4.16	1.71	3.62	6.05	4.91
समस्त वस्तुऐं		**2.89**	**3.26**	**3.43**	**6.54**	**9.78**

(*माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना—19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

चित्र 1.7

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

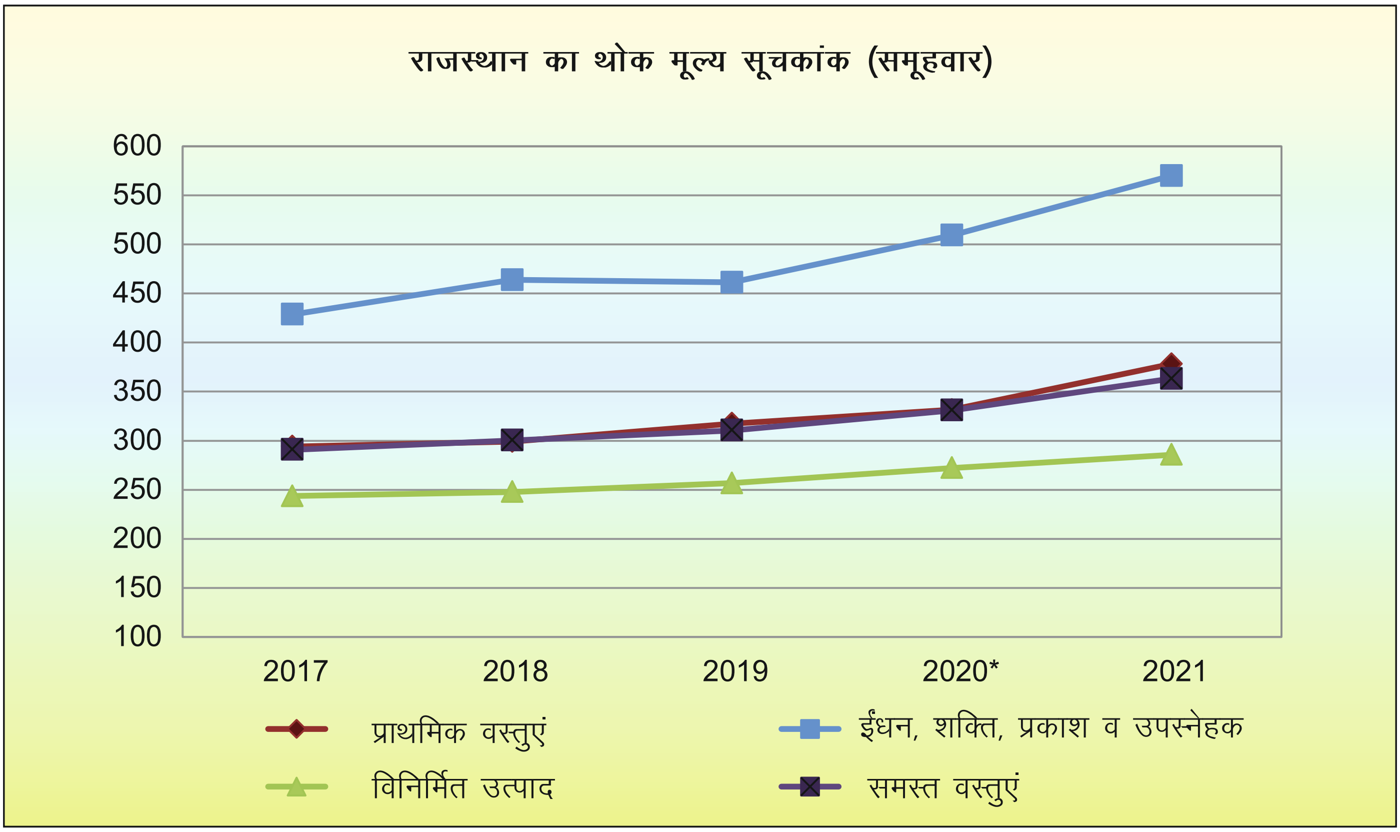

(*माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

चित्र 1.8

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

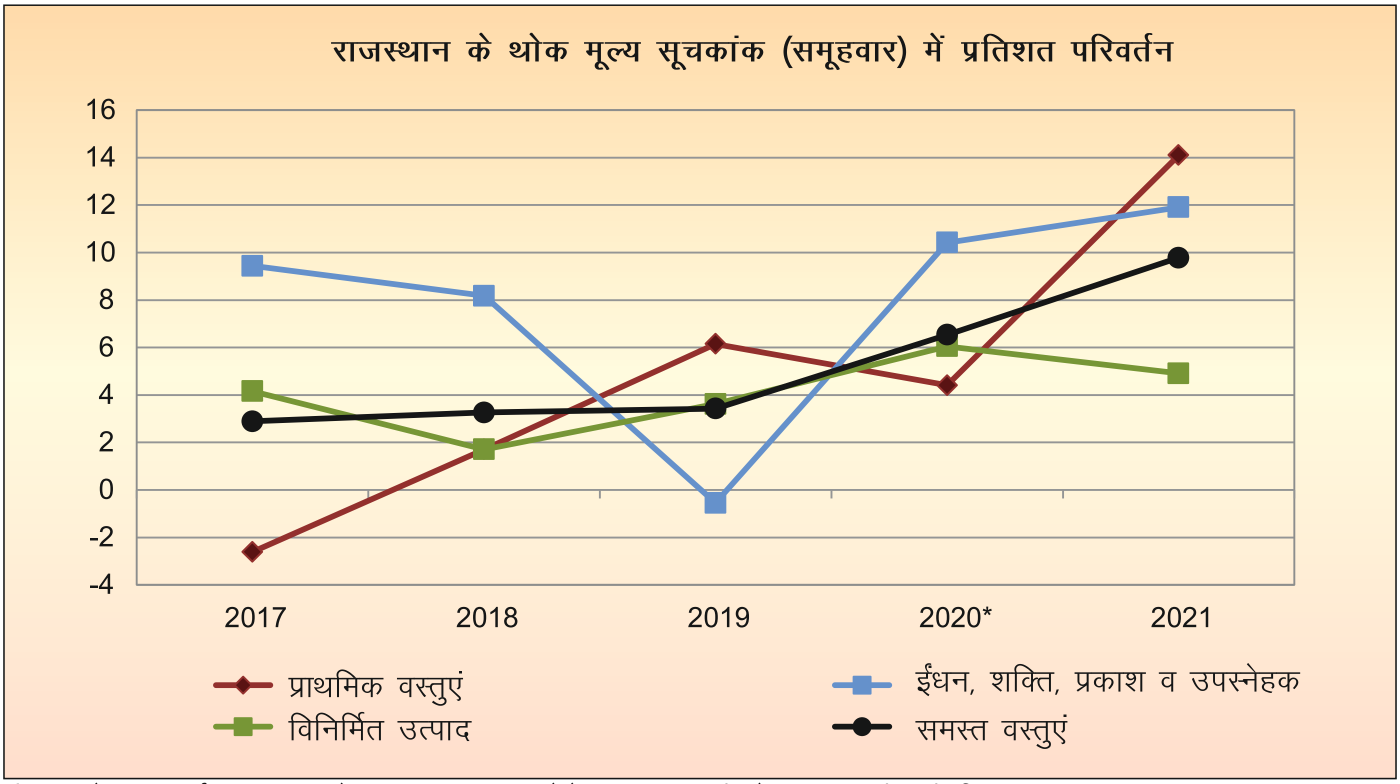

(*माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया हैं, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। चूंकि यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमतों में उतार—चढ़ाव को सम्मिलित करता है, इसलिए सरकार मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती है। प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं — (अ) औद्योगिक श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई—आई.डब्ल्यू) (ब) कृषि श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई—ए.एल.) (स) ग्रामीण श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई—आर.एल.) (द) ग्रामीण एवं शहरी हेतु (सी.पी.आई—आर.एण्ड यू.)। प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला तथा चतुर्थ सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ.), नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किये जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 पर माह अगस्त, 2020 तक जारी किये गये तथा वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.— आई.डब्ल्यू.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थाई बास्केट के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को मापने का महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक—आई.डब्ल्यू. का लक्षित समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोत, रेलवे एवं विद्युत (उत्पादन व वितरण) में नियोजित श्रमिक हैं। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तें के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है।

औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक — (सी.पी.आई.—आई.डब्ल्यू.) (आधार वर्ष 2016=100):

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई—आईडब्ल्यू) (आधार वर्ष 2016=100) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जा रहे है। अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 2001=100) में शामिल किया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा माह सितम्बर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016=100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय श्रृंखला के लिए CPI (IW) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों से लिये गये समकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से तीन केंद्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित हैं। वर्ष 2021 में उपभोक्ता कीमतों में निरन्तर वृद्धि का रूझान जारी रहा। दिसम्बर, 2021 के उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में पिछले वर्ष के दिसम्बर, 2020 की तुलना में अलवर केंद्र पर 5.0 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र पर 3.9 प्रतिशत, जयपुर केंद्र पर 2.6 प्रतिशत तथा अखिल भारत पर 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर केंद्रों के लिए सभी वस्तु समूहों के माह दिसम्बर, 2021 का माह दिसम्बर, 2020 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फिति तालिका 1.9 में दर्शाए गए हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आधार वर्ष 2016=100 पर दिसम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2021 में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है, उसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पुराने आधार वर्ष 2001=100 के ऊपर भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और अखिल भारतीय के लिए पिछले पांच वर्षों (2016 से 2020 तक) के दौरान बढत की प्रवृति रही है, जिसको तालिका 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9 औद्योगिक श्रमिकों के समूहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

क्र. सं.	समूह	अलवर केन्द्र		दिस., 2020 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	भीलवाड़ा केन्द्र		दिस., 2020 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	जयपुर केन्द्र		दिस., 2020 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	अखिल भारत		दिस., 2020 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
		दिस., 2021	दिस., 2020		दिस. 2021	दिस. 2020		दिस. 2021	दिस. 2020		दिस. 2021	दिस., 2020	
1	खाद्य एवं पेय पदार्थ	126.5	121.7	3.9	116.2	110.7	5.0	118.7	114.6	3.6	126.8	119.7	5.9
2	पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	144.0	136.1	5.8	143.9	123.3	16.7	128.7	128.6	0.1	140.8	133.3	5.6
3	वस्त्र एवं जूते	114.6	115.7	-1.0	124.4	124.4	0.0	117.6	111.2	5.8	122.0	117.6	3.7
4	आवास समूह	112.3	110.4	1.7	114.0	112.2	1.6	109.8	108.7	1.0	116.8	113.5	2.9
5	ईंधन एवं प्रकाश	157.7	135.9	16.0	153.8	133.6	15.1	140.2	120.7	16.2	157.7	132.4	19.1
6	विविध समूह	122.2	113.4	7.8	120.8	119.3	1.3	113.0	113.7	-0.6	122.5	117.6	4.2
सामान्य सूचकांक		**124.4**	**118.5**	**5.0**	**120.4**	**115.9**	**3.9**	**116.5**	**113.5**	**2.6**	**125.4**	**118.8**	**5.6**

तालिका 1.10 औद्योगिक श्रमिकों का वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2001=100)

वर्ष	अजमेर		भीलवाड़ा		जयपुर		अखिल भारतीय	
	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
2016	256	3.23	269	3.86	257	4.90	274	4.98
2017	260	1.56	274	1.86	268	4.28	281	2.55
2018	272	4.62	278	1.46	282	5.22	295	4.98
2019	292	7.35	296	6.47	313	10.99	317	7.46
2020$	300*	2.74	310	4.73	327	4.47	335	5.68

*माहवार औसत (जनवरी, 2020 से अगस्त, 2020)

$दिसम्बर, 2020 तक का औसत (भीलवाडा, जयपुर एवं अखिल भारतीय केन्द्र का माह सितम्बर से दिसम्बर, 2020 के सूचकांकों को वर्ष 2001 की पुरानी श्रृंखला पर परिवर्तित किया गया)

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–ए.एल.) (आधार वर्ष 1986–87=100)

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986–87=100 पर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2017–18 से कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका 1.11 तथा चित्र 1.9 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.11 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारतीय	
	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक
2017-18	899	950	846	893
2018-19	951	997	863	920
2019-20	1058	1083	955	999
2020-21	1038	1087	994	1042
2021-22*	1073	1120	1018	1077

*औसत पर आधारित (जुलाई से दिसम्बर, 2021)

चित्र 1.9

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

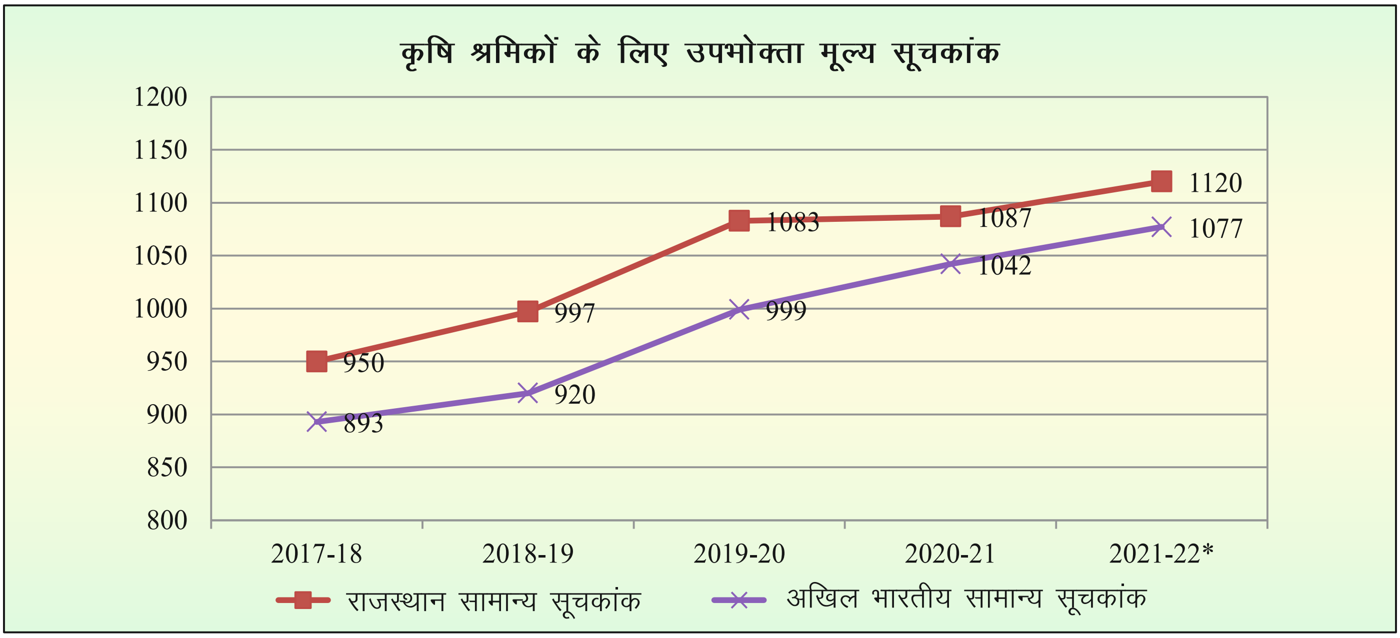

*औसत पर आधारित (जुलाई से दिसम्बर, 2021)

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त) (आधार वर्ष 2012=100)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग–अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी, 2011 से जारी किए जा रहे हैं। सामान्य सूचकांक वर्ष 2017 से वर्ष 2021 की विवरण तालिका 1.12 में अंकित है:–

तालिका 1.12 ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2012=100)

क्र.सं.	वर्ष	राजस्थान			अखिल भारतीय		
		ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2017	137.29	132.96	135.73	135.63	131.03	133.50
2	2018	139.33	138.56	139.05	140.73	136.50	138.77
3	2019	145.33	144.11	144.91	144.89	142.82	143.93
4	2020$	153.11	152.38	152.84	154.54	152.27	153.47
5	2021*	157.43	157.30	157.40	161.43	160.30	160.91

$ राजस्थान का माह अप्रेल एवं मई, 2020 का सूचकांक कोविड–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया गया।
*(जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2021 तक का औसत)

*****

अध्याय **02**

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

अर्थव्यवस्था में योगदान (जी.एस.वी.ए.)

फसल क्षेत्र

- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर: 12.61%
- प्रचलित मूल्यों पर: 13.89%

पशुधन क्षेत्र

- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर: 13.34%
- प्रचलित मूल्यों पर: 13.98%

वानिकी क्षेत्र

- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर: 2.79%
- प्रचलित मूल्यों पर: 2.25%

मत्स्य क्षेत्र

- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर: 0.11%
- प्रचलित मूल्यों पर: 0.11%

भारत में राजस्थान का वर्ष 2019–20 में शीर्ष फसल उत्पादक के रूप में योगदान

- **बाजरा: 45.56%**
- **राई एवं सरसों: 46.28%**
- **कुल तिलहन: 20.30%**
- **चना: 23.44%**
- **कुल दलहन: 19.41%**
- **ग्वार (2018-19): 78.62%**

(स्त्रोतः कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि – 2020, भारत सरकार)

कृषि परिदृश्य

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से आता है एवं जल्दी ही वापसी हो जाती है। वर्षा की अवधि में भी उतार–चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चित रहती है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रमुख योगदान है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2017–18 में ₹1.49 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹1.95 लाख करोड़ हो गया, जो कि 6.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2017–18 में ₹2.06 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹3.37 लाख करोड़ हो गया, जो कि 13.12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है। चित्र 2.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) एवं वृद्धि दर दर्शाता हैं।

चित्र–2.1

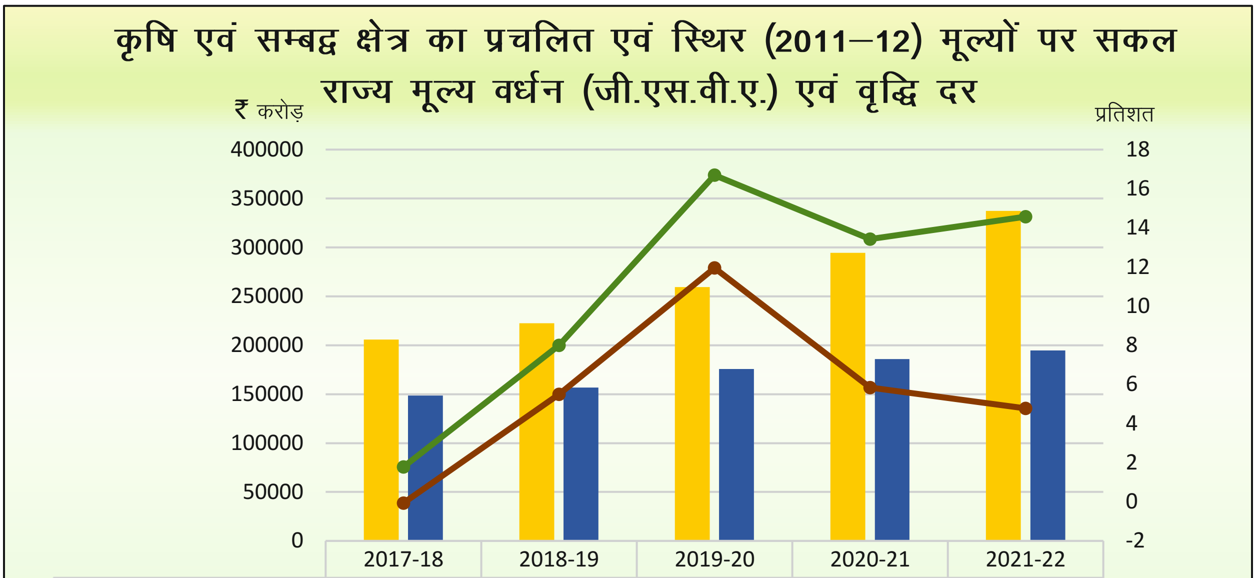

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जी.एस.वी.ए. प्रचलित मूल्यों पर	205920	222377	259493	294348	337221
जी.एस.वी.ए. स्थिर मूल्यों पर	148692	156850	175590	185839	194722
वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर	1.78	7.99	16.69	13.43	14.57
वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर	-0.07	5.49	11.95	5.84	4.78

नोटः–वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान द्वितीय, वर्ष 2020–21 संशोधित अनुमान प्रथम एवं वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011–12 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था, जो कि बढकर वर्ष 2021–22 में 30.23 प्रतिशत हो गया। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी है। वर्ष 2021–22 में फसल क्षेत्र का अंश 45.94 प्रतिशत, पशुधन क्षेत्र का अंश 46.25 प्रतिशत, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.44 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.37 प्रतिशत हैं। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान को चित्र–2.2 में दर्शाया गया है।

चित्र–2.2

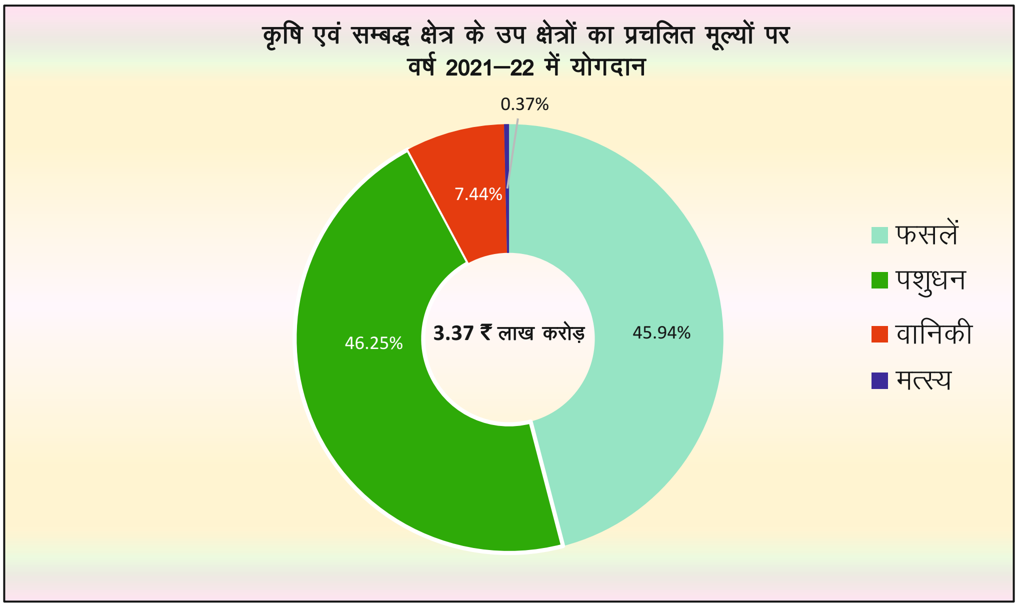

नोटः–वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

विकास के सन्दर्भ में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में स्थिर (2011—12) मूल्यों पर वर्ष 2021—22 में वर्ष 2020—21 की तुलना में 4.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फसल एवं मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः 1.99 प्रतिशत एवं 0.12 प्रतिशत की कमी जबकि पशुधन और वानिकी क्षेत्र में क्रमशः 13.27 एवं 13.03 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। चित्र 2.3 स्थिर (2011—12) और प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) 10 वर्षों की अवधि में क्षेत्रवार सी.ए.जी.आर. दर्शाता है।

चित्र—2.3

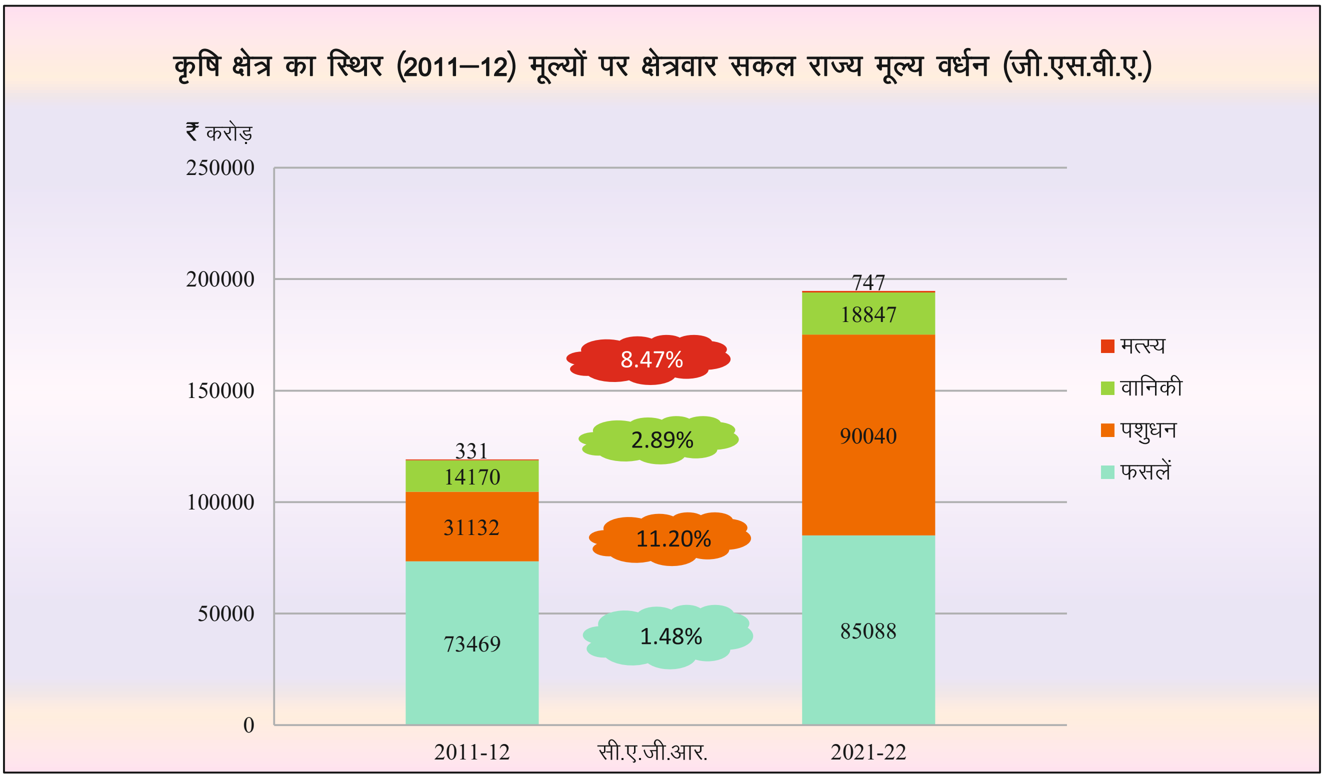

नोटः—वर्ष 2019—20 संशोधित अनुमान द्वितीय, वर्ष 2020—21 संशोधित अनुमान प्रथम एवं वर्ष 2021—22 अग्रिम अनुमान

वर्ष 2021—22 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन ₹1.55 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य के फसल क्षेत्र की आय में खरीफ में बाजरा, मूंगफली और मूंग एवं रबी में गेहूं, सरसों और चना फसलों का प्रमुख योगदान है। पिछले पांच वर्षों के लिए इन फसलों के सकल मूल्य उत्पाद को चित्र 2.4 एवं 2.5 में दर्शाया गया है।

चित्र—2.4

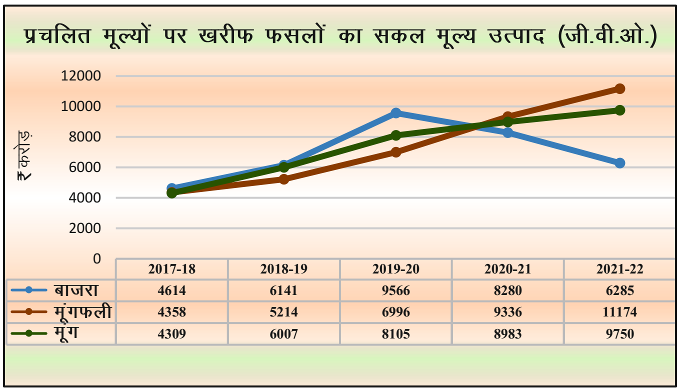

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बाजरा	4614	6141	9566	8280	6285
मूंगफली	4358	5214	6996	9336	11174
मूंग	4309	6007	8105	8983	9750

चित्र—2.5

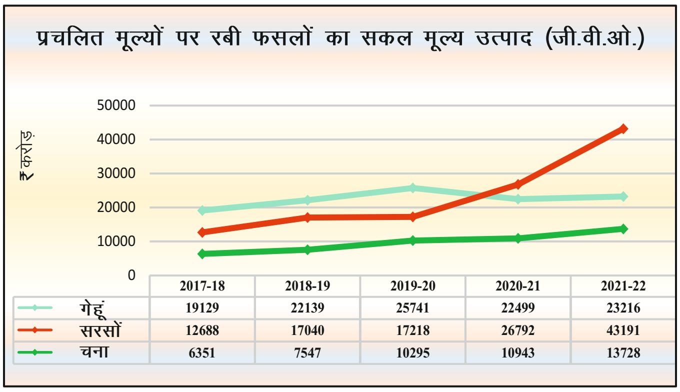

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गेहूं	19129	22139	25741	22499	23216
सरसों	12688	17040	17218	26792	43191
चना	6351	7547	10295	10943	13728

वर्ष 2021—22 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.56 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अण्डे और मांस का प्रमुख योगदान है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021—22 में पशुधन क्षेत्र के सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.) में पशुधन उत्पादों के योगदान को चित्र 2.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 2.6

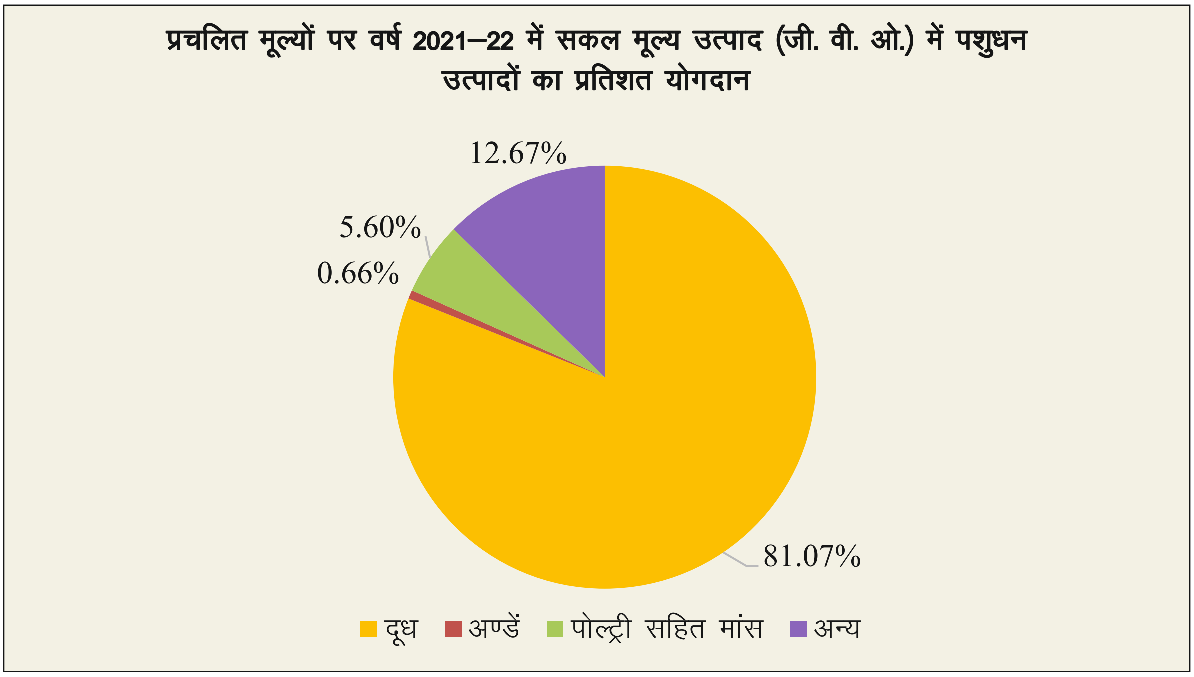

भू–उपयोग

राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2019–20 में 342.90 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 8.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.70 लाख हैक्टेयर) वानिकी के अन्तर्गत, 5.85 प्रतिशत क्षेत्रफल (20.07 लाख हैक्टेयर) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अन्तर्गत, 6.92 प्रतिशत क्षेत्रफल (23.72 लाख हैक्टेयर) ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.86 प्रतिशत क्षेत्रफल (16.67 लाख हैक्टेयर) स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (0.29 लाख हैक्टेयर) वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 10.84 प्रतिशत क्षेत्रफल (37.17 लाख हैक्टेयर) बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.25 प्रतिशत क्षेत्रफल (21.42 लाख हैक्टेयर) अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 4.54 प्रतिशत क्षेत्रफल (15.55 लाख हैक्टेयर) चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 52.58 प्रतिशत (180.32 लाख हैक्टेयर) शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है (चित्र 2.7)।

चित्र 2.7

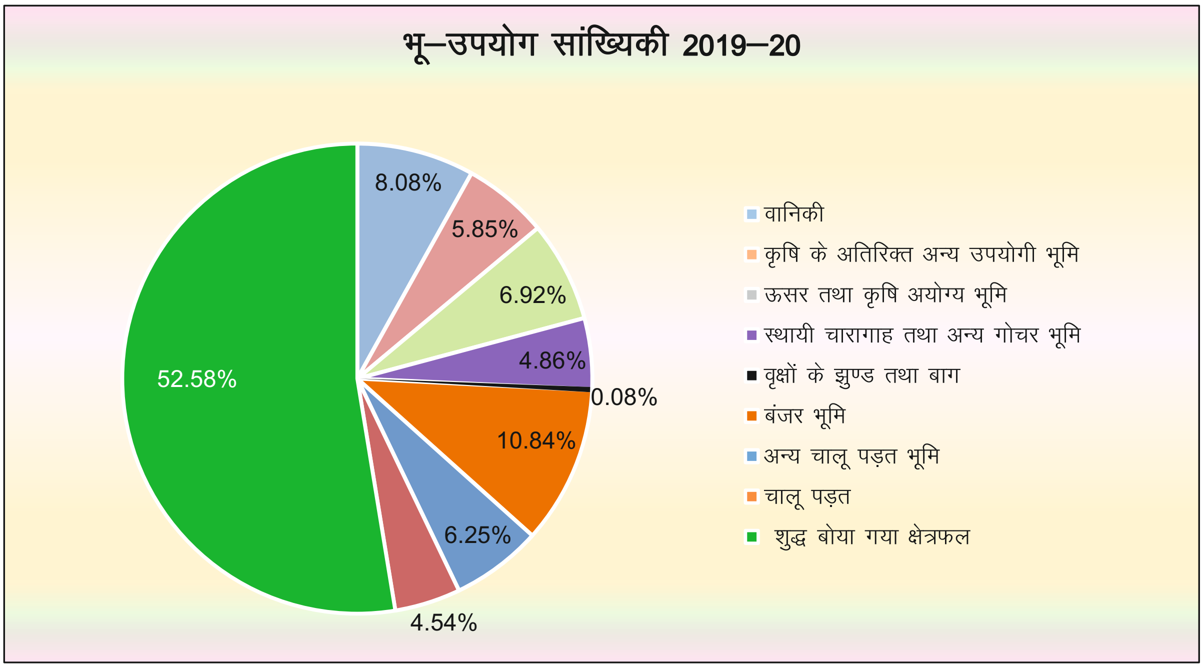

प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015—16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010—11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका—2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010—11 की तुलना में वर्ष 2015—16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों में कमी हुई है। बड़े आकार की भू—जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामान्तरण में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2010—11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015—16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

वर्ष 2010—11 की तुलना में वर्ष 2015—16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमान्त, लघु व अर्द्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत व 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका—2.1)। इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना, 2015—16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हैक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010—11 में 3.07 हैक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

महिला प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015—16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010—11 में यह संख्या 5.46 लाख थी, अर्थात् महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका—2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों से क्रमशः 49.55 प्रतिशत, 20.77 प्रतिशत, 14.97 प्रतिशत, 11.74 प्रतिशत एवं 2.97 प्रतिशत है। वर्ष 2010—11 की तुलना में वर्ष 2015—16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है (तालिका—2.1)।

राज्य में वर्ष 2010—11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015—16 में बढ़कर 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका—2.1)।

मानसून

राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जो प्राकृतिक रूप से अनियमित है तथा मानसून की अवधि भी कम है। अस्थिर मौसम की स्थिति एवं अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की प्रवृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुँचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 3 दिन देरी से 18 जून को प्रारम्भ होकर जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ।

राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिमी. दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 414.50 मिमी. की तुलना में 17.10 प्रतिशत अधिक रही है।

राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2021 में असामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जबकि गंगानगर एवं सिरोही जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई।

कृषि उत्पादन

राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं है, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है।

गत तीन वर्षों की खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन का विस्तृत विवरण तालिका—2.2 एवं खाद्यान्न एवं तिलहनों के उत्पादन को चित्र—2.8 में दर्शाया गया है।

प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021—22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 269.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 16.31 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2021—22 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 84.90 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 116.33 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 27.02 प्रतिशत कम है। वर्ष 2021—22 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 140.30 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2020—21 में 152.76 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.16 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

वर्ष 2021–22 में खरीफ अनाज का उत्पादन 66.63 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष के खरीफ उत्पादन 97.04 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 31.34 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में रबी अनाज का उत्पादन 115.95 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2020–21 के 129.58 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 10.52 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

वर्ष 2021–22 में खरीफ दलहन का उत्पादन 18.27 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2020–21 के 19.29 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 5.29 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में रबी दलहन का उत्पादन 24.35 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2020–21 के 23.18 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 5.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.1 लिंगानुसार जोतों के मुख्य आकार वर्ग के अनुसार प्रचालित जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का प्रतिशत विचलन (समस्त सामाजिक वर्ग)

क्र. स.	जोत की श्रेणी (हैक्टेयर में)	लिंग	जोतों की संख्या (000)			जोतों का क्षेत्रफल (000 है.)		
			2010–11	2015–16	प्रतिशत विचलन	2010–11	2015–16	प्रतिशत विचलन
1	सीमान्त (1.0 हैक्टेयर से कम)	पुरूष	2268	2683	18.30	1120	1304	16.43
		स्त्री	239	384	60.67	116	177	52.59
		संस्थागत	4	4	0.00	2	2	0.00
योग			**2511**	**3071**	**22.30**	**1238**	**1483**	**19.79**
2	लघु (1.0–2.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1389	1514	9.00	1988	2158	8.55
		स्त्री	120	161	34.17	171	227	32.75
		संस्थागत	2	2	0.00	3	4	33.33
योग			**1511**	**1677**	**10.99**	**2162**	**2389**	**10.50**
3	अर्ध–मध्यम (2.0–4.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1240	1297	4.60	3509	3655	4.16
		स्त्री	92	116	26.09	258	325	25.97
		संस्थागत	3	3	0.00	7	8	14.29
योग			**1335**	**1416**	**6.07**	**3774**	**3988**	**5.67**
4	मध्यम (4.0–10.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1051	1038	-1.24	6459	6334	-1.94
		स्त्री	74	91	22.97	445	549	23.37
		संस्थागत	2	3	50.00	14	16	14.29
योग			**1127**	**1132**	**0.44**	**6918**	**6899**	**-0.27**
5	बड़े (10.0 हैक्टेयर एवं अधिक)	पुरूष	381	334	-12.34	6621	5657	-14.56
		स्त्री	21	23	9.52	340	377	10.88
		संस्थागत	2	2	0.00	83	80	-3.61
योग			**404**	**359**	**-11.14**	**7044**	**6114**	**-13.20**
समस्त		पुरूष	6329	6866	8.48	19697	19108	-2.99
		स्त्री	546	775	41.94	1330	1655	24.44
		संस्थागत	13	14	7.69	109	110	0.92
योग			**6888**	**7655**	**11.14**	**21136**	**20873**	**-1.24**

तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी तथा रबी फसलों में राई व सरसों, तारामीरा एवं अलसी सम्मिलित है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021—22 में 92.04 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020—21 के 79.57 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 15.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खरीफ तिलहन का वर्ष 2021—22 में 31.15 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2020—21 में 33.97 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.30 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। रबी तिलहन का उत्पादन वर्ष 2020—21 के 45.60 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2021—22 में 60.89 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 33.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गन्ने का उत्पादन वर्ष 2020—21 के 3.94 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2021—22 में 2.47 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 37.31 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2021—22 में कपास का उत्पादन 23.31 लाख गाँठें उत्पादित होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2020—21 में यह उत्पादन 32.07 लाख गाँठें था, जो कि 27.32 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

तालिका—2.2 राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

फसल	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)			उत्पादन (लाख मैट्रिक टन में)		
	2019—20	2020—21 (अन्तिम)	2021—22 (अग्रिम)	2019—20	2020—21 (अन्तिम)	2021—22 (अग्रिम)
(अ) अनाज	**98.49**	**94.57**	**91.21**	**221.41**	**226.62**	**182.58**
खरीफ	60.47	60.92	60.57	71.80	97.04	66.63
रबी	38.02	33.65	30.64	149.61	129.58	115.95
(ब) दलहन	**63.36**	**61.42**	**61.79**	**44.94**	**42.47**	**42.62**
खरीफ	38.39	39.95	41.05	17.76	19.29	18.27
रबी	24.97	21.47	20.74	27.18	23.18	24.35
(अ+ब) खाद्यान्न	**161.85**	**155.99**	**153.00**	**266.35**	**269.09**	**225.20**
खरीफ	98.86	100.87	101.62	89.56	116.33	84.90
रबी	62.99	55.12	51.38	176.79	152.76	140.30
(स) तिलहन	**58.27**	**51.71**	**59.07**	**73.20**	**79.57**	**92.04**
खरीफ	23.42	24.49	23.60	25.66	33.97	31.15
रबी	34.85	27.22	35.47	47.54	45.60	60.89
(द) गन्ना	**0.04**	**0.05**	**0.04**	**3.26**	**3.94**	**2.47**
(य) कपास (रूई)*	**7.61**	**8.08**	**7.56**	**27.88**	**32.07**	**23.31**

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 किलो)।

चित्र–2.8

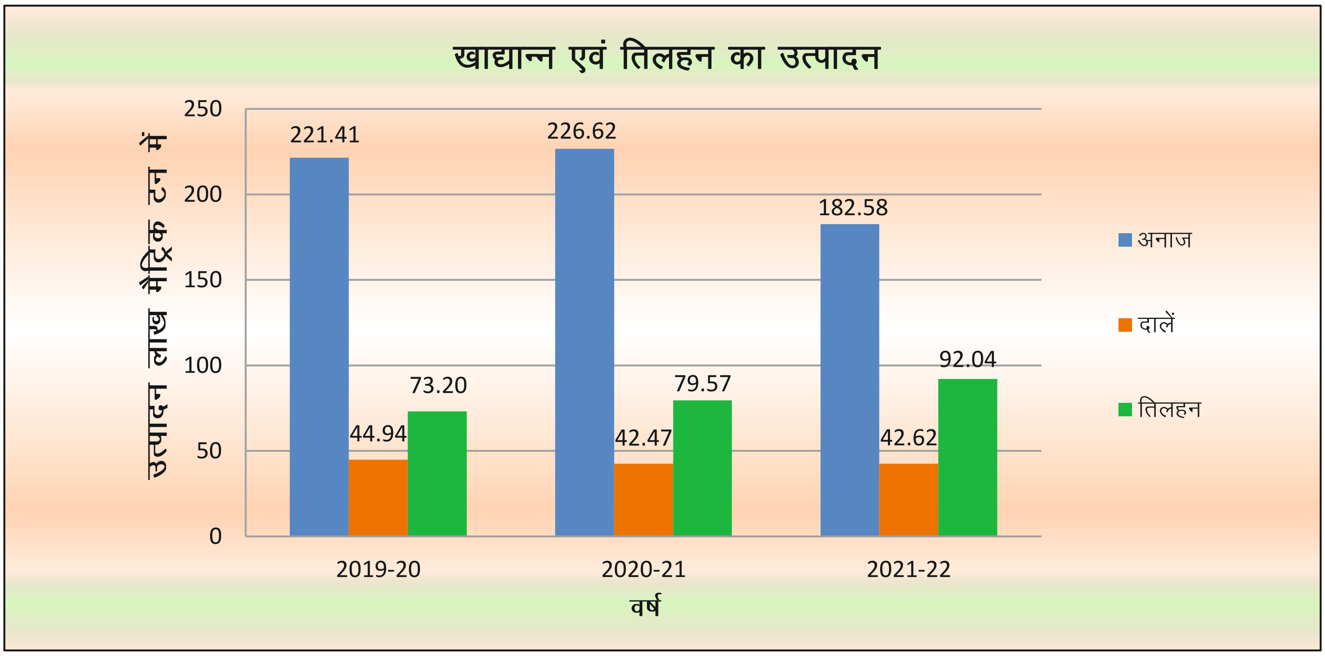

राजस्थान राज्य की उत्पादन में स्थिति

वर्ष 2019–20 में राजस्थान राज्य देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान तथा मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय एवं सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है। राजस्थान का उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक विवरण तालिका 2.3 में निम्नानुसार है।

तालिका 2.3 प्रमुख फसलो के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
1	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	45.56
2	राई एवं सरसों	राजस्थान	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	46.28
3	पोषक अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	15.35
4	कुल तिलहन	राजस्थान	गुजरात	मध्य प्रदेश	20.30
5	कुल दलहन	राजस्थान	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	19.41
6	चना	राजस्थान	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	23.44
7	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	तमिलनाडु	16.04
8	सोयाबीन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	4.68
9	ग्वार*	राजस्थान			78.62

स्त्रोतः– भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी पुस्तिका एक नजर में वर्ष 2020 के आधार पर।
*ग्वार फसल में वर्ष 2018–19 की स्थिति।

कृषि जलवायुवीय क्षेत्रवार मुख्य फसलें

राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत मरूस्थलीय या अर्द्ध मरूस्थलीय है, जो वर्षा पर निर्भर है। राज्य का दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39 प्रतिशत है, उपजाऊ है। राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें बोई जाने वाली मुख्य फसलों का विवरण तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमः

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारम्भ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों यथा–कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018–19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है।

गैर–स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलनः उत्पादन के लिए इकॉनोमिक थ्रेसहोल्ड लेवल (ई.टी.एल.) से नीचे के जीवों को रखने के लिए फसलों को कीड़ों, कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए स्थानिक/गैर–स्थानिक क्षेत्रों में टिड्डी एवं कीटों/रोगों के उन्मूलन के लिए पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

महिला प्रशिक्षणः इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है तथा महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है ताकि वे साथी कृषकों को तकनीकी ज्ञान हस्तांतरित कर सके। राज्य सरकार द्वारा 30 महिला कृषकों के प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3,000 देने का प्रावधान है।

कृषि शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन राशिः लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग, उच्च माध्यमिक, स्नातक (कृषि), स्नातकोत्तर और पीएचडी करने में प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति छात्रा, स्नातक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹12,000 प्रति छात्रा, स्नातकोत्तर (कृषि) और पीएचडी के लिए प्रति वर्ष ₹15,000 प्रति छात्रा को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

कृषि प्रदर्शनः ''देखकर विश्वास करने'' के कृषि के सिद्धान्त पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। नई उन्नत एवं नवोन्मेषी कृषि तकनीक का हस्तान्तरण करने के लिए फसल प्रदर्शन का आयोजन कृषि विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) से वंचित जिलों में राज्य की विशिष्ट फसल जौ पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

बीज मिनिकिटः विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को बढ़ावा देने हेतु 0.1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए टोकन राशि पर बीज मिनिकिट कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिटः फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इनके अलावा नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, उर्वरक का अग्रिम भण्डारण, निर्देशन एवं प्रशासनिक आदि गतिविधियां भी संचालित की जाती है।

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (जेड.बी.एन.एफ.)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–20 में ''खेती में जान तो सशक्त किसान'' की सोच रखते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु राज्य बजट से राज्य के 3 जिलों (टोंक, सिरोही एवं बांसवाड़ा) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के 15 जिलों (टोंक, अजमेर, अलवर, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, नागौर, बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़ व सिरोही) में योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के विभिन्न घटकों पर प्रशिक्षण आयोजित कर चयनित किसानों को दो दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग के तहत चयनित किसानों को भी आदान इकाई पर अनुदान के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, इससे कृषक खेत में स्वयं द्वारा तैयार किए गए कृषि आदानों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगें एवं कृषि उत्पादन रसायन मुक्त होंगें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में वर्ष

तालिका 2.4 राज्य के कृषि जलवायुवीय क्षेत्र

क्र. स.	जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिलें	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	बाड़मेर एवं जोधपुर	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4	अन्तः स्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	नागौर, सीकर, झुन्झुनू एवं चुरू जिले का भाग	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालौर, पाली सिरोही एवं जोधपुर जिलें का भाग	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहू एवं सरसों
6	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा एवं टोंक	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7	बाढ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	भीलवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिलें का भाग	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहू एवं चना
9	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले का भाग	मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, झालावाड़, बून्दी, बारां एवं सवाई माधोपुर जिले का भाग	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं सरसों

2007–08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है।

गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.), कृषि यंत्रो, फव्वारा, पम्प सैट, सिंचाई जल हेतु पाइप लाईन एवं फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग देना आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

राज्य में एन.एफ.एस.एम. गेहूं 14 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 से राज्य के सभी 33 जिलों को एन.एफ.एस.एम. में शामिल कर लिया है।

राज्य में एन.एफ.एस.एम. मोटा अनाज मक्का 5 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, तथा उदयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। मोटा अनाज जौ के लिए 7 जिलों यथा– अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर तथा सीकर में एन.एफ.एस.एम. क्रियान्वित किया जा रहा है।

एन.एफ.एस.एम.न्यूट्रिसीरियल मिशन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

के रूप में राज्य में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गई। इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन, उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबन्धन और फसल प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण देना है। इस मिशन के तहत जिलों को फसलवार बांटा गया है। फसल ज्वार हेतु 10 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली व टोंक तथा बाजरा फसल हेतु 21 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक को सम्मिलित किया गया हैं।

एन.एफ.एस.एम.–वाणिज्यिक फसलों: वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध संरक्षण रसायन सम्मिलित है।

एन.एफ.एस.एम. तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन: इस मिशन की मुख्य गतिविधियां आधारभूत एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का वितरण, फसल प्रदर्शन, समन्वित जीवनाशी प्रबन्धन, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण वितरण, जैव उर्वरक, जिप्सम, जल संवहन के लिए पाइन लाईन, कृषक प्रशिक्षण, कृषि उपकरण, तारबंदी, बीज मिनी किट वितरण तथा बीज आधारभूत विकास आदि हैं। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत ₹380.82 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹77.73 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.)

इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। ''राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन'' के अन्तर्गत चार उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं–

- कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस.एम.ए.ई.)
- बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)
- कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान (एन.ई.जी.पी.–ए.)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत ₹123.32 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹25.57 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)

पूर्व में संचालित योजनाओं– राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्ध परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केन्द्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत चार सब–मिशन सम्मिलित किए गए हैं:–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.): राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समन्वित कृषि पद्धति यथा– पशुपालन आधारित, उद्यानिकी आधारित और कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियों की परिकल्पना की गई है। कृषकों को समन्वित कृषि पद्धति एवं सहायक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कृषि पद्धति के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गतिविधियां की जाती है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड : यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबन्धन तकनीकी के विकास की परिकल्पना करती है। मृदा स्वास्थ्य के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु पोषक तत्वों का प्रदर्शन और टिकाऊ कृषि के लिए सन्तुलित पोषक तत्व प्रबन्धन हेतु वर्ष 2021–22 के दौरान 1,760 गांवों का चयन करते हुए 5,280 मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश आधारित पोषक तत्व प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव हैं।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.): जैविक खेती में पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर एवं पी.जी.एस. प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है एवं पी.के.वी.वाई कार्यक्रम के तहत सहभागिता गारण्टी प्रणाली (पी.जी.एस.) के तहत गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण है। किसानों के पास पी.जी.एस.–भारत मानकों के अनुपालन में जैविक खेती के किसी भी रूप को अपनाने का विकल्प है।

(द) कृषि वानिकी पर उप मिशन (एस.एम.ए.एफ.): राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पर एक उप मिशन वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विभिन्न कृषि–वानिकी डेटाबेस को समर्थ बनाने के लिए भूमि की स्थिति और कृषि वानिकी के क्षेत्र में सुधार करना है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹79.06 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹21.86 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में लगातार हो रही कमी को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संगठन/विभाग आदि के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण पैटर्न क्रमशः 60:40 अनुपात में है। वर्ष 2021–22 में ₹350.00 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹23.11 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पोण्ड, जल हौज एवं डिग्गियों आदि के निर्माण की विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। वर्ष 2021–22 में ₹66.67 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹3.65 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2016 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अन्तर्गत खरीफ फसल में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार मौसम खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिये 30 प्रतिशत एवं सिंचित क्षेत्रों के लिये 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केन्द्रीयांश द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य में प्रीमियम, अनुदान और फसल कटाई प्रयोगों के संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राज्य निधि योजना चल रही है।

वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति तालिका–2.5 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.5 वर्ष 2021–22 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां*
पाइप लाईन	किमी.	5513	3443
फार्म पोन्ड	संख्या	7111	3293
कृषि यंत्र	संख्या	7679	3350
पौध संरक्षण यंत्र	संख्या	30180	2091
जिप्सम वितरण	मैट्रिक टन	102440	24271
फसल प्रदर्शन	संख्या	199131	184157
फसल मिनी किट वितरण	संख्या	737250	646166
समन्वित कीट प्रबन्धन प्रदर्शन	संख्या	250	249
कृषक प्रशिक्षण (1 व 2 दिवसीय)	संख्या	6154	4099
पौध संरक्षण रसायन/जैविक कीट नियंत्रण	हैक्टेयर	281400	144865
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	संख्या	500000	288000
कांटेदार तारबंदी	मीटर	700330	444190

* दिसम्बर, 2021 तक

उत्पादकता

कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता का तुलनात्मक विवरण तालिका—2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका—2.6 कृषि फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)

फसल	1997—98 से 2001—02 (औसत)	2002—03 से 2006—07 (औसत)	2007—08 से 2011—12 (औसत)	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21 (अन्तिम)
अनाज	1189	1294	1617	2013	2134	2248	2396
दलहन	472	407	481	620	636	709	692
खाद्यान्न	991	1058	1291	1470	1544	1646	1725
तिलहन	866	1086	1144	1473	1593	1257	1539
गन्ना	46184	51707	61432	70365	83448	73055	79111
कपास (रूई)	337	286	428	551	552	623	675
ग्वार	221	277	409	369	334	452	458

उपरोक्त तालिका—2.6 से स्पष्ट है कि वर्ष 1997—98 से 2001—02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2020—21 में अनाज की उत्पादकता में 101.51 प्रतिशत, दलहनों में 46.61 प्रतिशत, एवं तिलहनों में 77.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कपास (रूई) की वर्ष 1997—98 से 2001—02 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम/हैक्टेयर थी, जो कि बढ़कर वर्ष 2020—21 में 675 किलोग्राम/हैक्टेयर हो गई है, जो कि 100.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

उद्यानिकी

राजस्थान में उद्यानिकी विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य गौण गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। बजट प्रावधान वर्ष 2021—22 में राज्य आयोजना मद में स्वीकृत ₹571.40 करोड़ (केन्द्रीयांश सहित) के प्रावधान की तुलना में दिसम्बर, 2021 तक ₹199.98 करोड़ व्यय किए गए हैं। राज्य योजनान्तर्गत 1,415 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना, 195 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण उपाय एवं सब्जियों के 1,752 प्रदर्शन लगाए गए हैं।

राज्य में उद्यानिकी विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं:—

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)

राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा— फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इस योजना में बजट प्रावधान वर्ष 2021—22 में ₹107.60 करोड़ (₹64.56 करोड़ केन्द्रीय अंश तथा ₹43.04 करोड़ राज्य अंश के रूप में) के विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक ₹15.66 करोड़ (₹9.40 करोड़ केन्द्रीयांश तथा ₹6.26 करोड़ राज्यांश के रूप में) व्यय किए गए हैं। इसी अवधि में 1,187 हैक्टेयर में फलों के बगीचे स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक 0.16 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाऊस, 0.20 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल, 23 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग, 47 वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित, 286 कम लागत के प्याज भण्डारणों का निर्माण, 26 पैक हाउस एवं 30 जल संग्रहण स्त्रोतों का विकास किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम.के.एस.वाई.—एम.आई.)

राज्य में जल एक सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है। इन पद्धतियों के समुचित उपयोग को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा

वर्ष 2021–22 में विभिन्न श्रेणी के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

वर्ष 2021–22 के लिए ₹133.33 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹80.00 करोड़ व राज्यांश ₹53.33 करोड़) का प्रावधान किया गया है। ड्रिप एवं फव्वारों द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि में अतिरिक्त अनुदान के रूप में ₹100.00 करोड़ रखे गए है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹56.82 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹34.08 करोड़ एवं राज्यांश ₹22.74 करोड़) व्यय किए गए हैं। दिसम्बर, 2021 तक राज्य का 19,312 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप, मिनी फव्वारा संयंत्रों एवं 34,518 हैक्टेयर क्षेत्र फव्वारा सिंचाई के अन्तर्गत आता है।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना (प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना कम्पोनेंट 'बी')

वर्ष 2019–20 से भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पी.एम. कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा–अभियान) कम्पोनेन्ट–बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 एचपी क्षमता तक के पम्प हेतु अनुदान देय है। जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नही है एवं डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है, ऐसे कृषक इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगाने के पात्र है। राज्य में वर्ष 2010–11 से दिसम्बर, 2021 तक 64,010 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाये जा चुके है।

इस योजनान्तर्गत कुल 60 प्रतिशत (केन्द्रीयांश 30 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत) अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत राज्य मद से कुल प्रावधान ₹200.00 करोड़ के विरूद्ध ₹105.85 करोड़ व्यय कर दिसम्बर, 2021 तक 13,880 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹116.80 करोड़ नवीन एवं पूर्व अनुमोदित योजनाओं के लिये अनुमोदित किये गये है। इसके अन्तर्गत खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना, बस्सी (जयपुर) में अनार व नान्ता (कोटा) में खट्टे फलों के उन्नत उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, संरक्षित खेती का विकास एवं नर्सरियों के विकास आदि पर दिसम्बर, 2021 तक ₹3.65 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध ₹2.70 करोड़ व्यय किए गए हैं।

फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाईजेशन एवं ऑटोमेशन योजना

कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने तथा पोषक तत्वों की दक्षता बढाने हेतु बूंद–बूंद सिंचाई के साथ फसलों को महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर फर्टिगेशन तकनीक से आवश्यक जल घुलनशील पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाते हैं। इससे पौधों को उचित समय पर उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने के कारण उनका समुचित विकास होता है फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होता है। ऑटोमेशन बूंद–बूंद सिंचाई तकनीक से इरिगेशन शिड्यूलिंग सुनिश्चित करने तथा सिंचाई जल उपयोग की उच्चतम दक्षता प्राप्ति की महत्वपूर्ण तकनीक है। विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। किन्तु कोविड महामारी के चलते योजनान्तर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रगति अर्जित नही की गयी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत ₹5.22 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2021 तक ₹2.63 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा 920 हैक्टेयर क्षेत्र में फर्टिगेशन एवं 4 ऑटोमेशन संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।

फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विवरण तालिका–2.7 में दर्शाया गया है।

कृषि विपणन

राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु अच्छी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में मण्डी नियामक एवं प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' के अन्तर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामलें में कृषकों, खेतिहर मज़दूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2021–22 में 2,087 किसानों को दिसम्बर, 2021 तक ₹32.39 करोड़ से लाभान्वित किया गया है। राज्य में 'सुपर', 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों (फल और सब्जी मंडियों के यार्डो के अतिरिक्त) के प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''किसान कलेवा योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 22.85 लाख कृषकों एवं मज़दूरों को मण्डी प्रांगण में अनुदानित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाकर दिसम्बर, 2021 तक ₹5.44 करोड़ की सहायता राशि दी गयी है।

तालिका–2.7 फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

वर्ष	फल			सब्जियां			मसाले		
	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)
2002–03 से 2006–07 (औसत)	24503	297563	12144	115388	606632	5257	453719	416021	917
2007–08 से 2011–12 (औसत)	31936	473238	14818	145183	890147	6131	668692	653742	978
2012–13 से 2016–17 (औसत)	41726	712658	16987	160320	1450711	8870	891384	916568	1006
2017–18	54207	736350	13584	166234	1699584	10224	902650	1392301	1542
2018–19	57933	956430	16509	166175	1663007	10008	916848	1096838	1196
2019–20	62328	997948	16011	178961	1885210	10534	1013343	1097801	1083
2020–21	68883	906739	13163	189387	2185865	11542	962367	1180477	1227

नोटः–वर्ष 2020–21 में रबी फसल की गिरदावरी नहीं हुयी है, इसलिए क्षेत्रफल के आंकड़े पांच वर्षों के औसत एवं उत्पादन फसल काटने के प्रयोगों (सी.सी.ई.) पर आधारित है।

राज्य में **''महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015''** लागू की गयी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

- **प्रसूति सहायताः** महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निधारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 37 महिला श्रमिकों को ₹1.59 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **विवाह के लिये सहायताः** अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। अनुज्ञप्तिधारी पुरूष/महिला श्रमिक को अपनी पुत्रियों के विवाह के लिये ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के लिये ही देय होगी। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 511 अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को ₹260.00 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजनाः** मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक, जिसके पुत्र/पुत्री, जो 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 125 छात्र/छात्राओं को ₹4.58 लाख से लाभान्वित किया गया है।
- **चिकित्सा सहायताः** अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गम्भीर बीमारी (केन्सर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती

रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 7 मण्डी श्रमिक को इस योजना में ₹1.40 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- **पितृत्व अवकाशः** पुरूष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को दो प्रसुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 55 पुरूष श्रमिकों को ₹1.88 लाख से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत इन योजनाओं में माह दिसम्बर, 2021 तक 735 मण्डी श्रमिकों को ₹269.45 लाख से लाभान्वित किया गया है।

कृषि विपणन बोर्ड

राज्य में एक व्यापक नीति ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019'' दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को जारी की गयी।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैः–

- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढाना।
- कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय मे वृद्धि के उपाय करना।
- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ठ फसलों जैसे–जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ग्वार, ईसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, किन्नू, अनार एवं ताजा सब्जियों आदि के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना।

वित्तीय सहायता के प्रावधानः

- किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि–प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 लाख और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख का प्रावधान है।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के संग्रह केंद्र हेतु पूंजी निवेश परियोजना लागत का 10 प्रतिशत के अतिरिक्त टॉप अप अनुदान के रूप में एवं अन्य सभी उद्यमियों के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक देय है।
- सभी पात्र परियोजनाओं की परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- जनजाति उप–योजना क्षेत्र या पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों और उनके संगठनों के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाइयां या महिला उद्यमी और युवा उद्यमी, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो को एक प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देय है।
- किसानों और उनके संगठनों तथा ढ़ाचागत परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹100 लाख है।
- राज्य के फल, सब्जियों और फूलों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किमी. से अधिक परिवहन के लिए तीन साल की अवधि तक प्रतिवर्ष ₹10 से ₹15 लाख तक का अनुदान का प्रावधान है।
- भोजन, सब्जियां, फूल, मसाले संसाधित कृषि उत्पाद और असंसाधित उत्पाद के निर्यात के किराए में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 से ₹15 लाख का अनुदान देय है।
- जैविक उत्पादों की गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात बाजारों का उपयोग करने के लिए, 5 साल की दीर्घावधि हेतु अधिकतम ₹20 लाख प्रतिवर्ष के परिवहन अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष ₹2 लाख की अधिकतम सीमा के साथ ₹1 किलोवाट प्रति घण्टा की दर से बिजली दर अनुदान तथा ₹10 लाख की अधिकतम सीमा के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र पर लागत का 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

कृषक कल्याण कोष का गठन

''किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए ₹1,000 करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को 'कृषक कल्याण कोष' का गठन किया गया है। इस कोष के लिए बैंकों से कुल ₹2,000 करोड़ का ऋण लिया जा चुका है। इस कोष के लिए ₹500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी तक उपयोग नही किया है। इस राशि का उपयोग कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिए और सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.–एफ.एम.ई.)

पी.एम.–एफ.एम.ई. योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 6,638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रमोन्नत करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- मौजूदा सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण की पहुंच में वृद्धि।
- ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण।
- मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढ़ांचे में लाने हेतु सहायता।
- आम प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं और भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्युवेशन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना।
- उद्यमों के वृद्धि हेतु पेशेवर और तकनीकी सहायता।

वर्ष 2021–22 में मण्डी यार्डों, उप यार्डों एवं सड़क निर्माण कार्यों पर ₹174.41 करोड़ व्यय किए गए हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों में दिसम्बर, 2021 तक 91.76 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया है।

जल संसाधन

राज्य की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग का वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के अल्प जल संसाधनों के दोहन, उपयोग एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग के सतत प्रयासों से वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 39.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 9,854 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है।

कृषि सिंचित प्रबन्धन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य सम्पादित किए गए। सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा) में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, जल दक्षता सुधार और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की नई योजनाओं को लागू करने के लिए ₹3,198.26 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमे से दिसम्बर, 2021 तक ₹1,766.44 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

वर्ष 2021–22 में 7 वृहद् (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.) एवं नवनेरा बांध (ई.आर.सी.पी.), ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पीपलखूंट, 5 मध्यम परियोजनाएं (गरड़दा, ताकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह) तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

परवन वृहद् परियोजनाः 'परवन' वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य सरकार द्वारा परवन परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि ₹7,355.23 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के अन्तर्गत 1,821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ–साथ झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घनमीटर जल उपलब्ध करवाएगी, जिससे कुल 2,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹392.32 करोड व्यय किये जा चुके हैं और अब तक ₹4,149.84 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना को वर्ष 2023–24 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नर्मदा नहर परियोजनाः भारत में पहली बडी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर एवं बाडमेर जिलों के 2.46 लाख हैक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

अनिवार्य की गयी है। इस परियोजना की संशोधित लागत ₹3,124.00 करोड़ है, दिसम्बर, 2021 तक 2.46 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹16.58 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक ₹3,170.02 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना को वर्ष 2023–24 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नवनेरा बैराज (ई.आर.सी.पी.): यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) का एक अभिन्न हिस्सा होगी। नवनेरा बैराज परियोजना की लागत ₹1,595.06 करोड़ है, परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। इस परियोजना पर वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹234.42 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा अब तक कुल ₹531.54 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। यह परियोजना 2023–24 तक पूरी होने की सम्भावना है।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डबल्यू.एस.एल.आई.पी.)

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ है। जायका परियोजना को दो चरणों में वित्त पोषित करेगा और प्रत्येक चरण के लिए दो अलग–अलग ऋण समझौते होंगे। प्रथम चरण की परियोजना लागत ₹1,069.40 करोड़ (16,148 मिलियन येन) है जिसमें ₹908.94 करोड़ (13,725 मिलियन येन) जायका द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और ₹160.46 करोड़ (2,423 मिलियन येन) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह परियोजना अप्रेल, 2017 से प्रभावी है और मार्च, 2025 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्वार का कार्य किया जाना है। परियोजना के क्रियान्वयन से 4.70 लाख हैक्टर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।

प्रथम चरण में ₹1,069.40 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के 21 जिले – अजमेर, अलवर, सीकर, सिरोही, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड, बूंदी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, भीलवाडा, पाली, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर के 2.62 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की 65 लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्वार किया जा रहा है।

65 उप–परियोजनाओं में से ₹214.24 करोड़ की 16 उप परियोजनाओं के जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ₹454.30 करोड़ की 48 उप परियोजनाओं का जीर्णोद्वार कार्य प्रगति पर है और शेष 1 उप परियोजना की निविदा प्रक्रियाधीन है।

द्वितीय चरण के लिए 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के 1.28 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में ₹481.00 करोड़ के जीर्णोद्वार कार्यों हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। परियोजना पर वर्ष 2021–22 हेतु ₹465.40 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2021 तक ₹86.83 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस परियोजना पर अब तक कुल ₹533.20 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹3,291.63 करोड़ एवं समयावधि 5 वर्ष है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी 496 से 671 (53 किमी.) तथा इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 200 (61 किमी.), कुल 114 किमी. लम्बाई के जीर्णोद्वार कार्य।
- इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के (1,705 किमी.) जीर्णोद्वार का कार्य।
- 22,851 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात मिलेगी।
- जल उपयोगिता संघों की क्षमता वर्द्धन, सिंचित क्षेत्र विकास गतिविधियों में सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस परियोजना हेतु ₹378.42 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2021 तक ₹374.46 करोड़ व्यय किये जा चुके है। इस परियोजना पर अब तक कुल ₹1,139.33 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार (विश्व बैंक परियोजना) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹134.00 करोड़ (भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान) और समयावधि 8 वर्ष

(2016–17 से 2023–24) है। राज्य भर में 153 स्वचालित वर्षामापी, 115 स्वचालित नदी/बांध गेज संयंत्र एवं 150 स्वचालित भू–जल मापन संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन उपकरणों की मदद से सैटेलाइट से निरन्तर और सटीक डेटा प्राप्त करने के बाद, ऑनलाइन डेटा जनता के लिए उपलब्ध होगा। इस ऑनलाइन जानकारी की मदद से जल प्रबन्धन में सुधार हो रहा है।

पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों और नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बीसलपुर बांध और जंवाई बांध पर स्कॉडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डेटा एक्विजिशन) प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। इसी क्रम में गुढा बांध (बून्दी) एवं माही बांध (बांसवाड़ा), नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर (जालोर), गंग नहर तथा भांखडा नहर एवं हनुमानगढ की नहरों पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्कॉडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹7.89 करोड़ व्यय किये जा चुके है। अब तक इस परियोजना पर कुल ₹17.00 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) और सरहिन्द फीडर

इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) एवं सरहिन्द फीडर की री–लाइनिंग के लिए 23 जनवरी, 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत ₹1,976.00 करोड़ है। अनुबन्ध के अनुसार इन्दिरा गांधी फीडर की रि–लाईनिंग के लिए 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरहिन्द फीडर की रि–लाईनिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य क्रमशः 54.15 व 45.85 प्रतिशत का अंशदान होगा। जिसमें राजस्थान को केन्द्र सरकार से 60 प्रतिशत हिस्सा राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार परियोजना में राजस्थान की हिस्सा राशि ₹715.48 करोड़ है। इस परियोजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की 97 किमी तथा सरहिन्द फीडर की 100 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग की जानी है।

राजस्थान फीडर की 23 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग कार्य पंजाब द्वारा मार्च–मई, 2021 में नहर बन्दी लेकर करवाये गये। राजस्थान फीडर में माह मार्च–मई, 2022 में कुल 53 किमी लम्बाई में तथा मार्च–मई 2023 में 21 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020–21 में राज्य के बडे बांधों के जीर्णोद्वार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधन हेतु ₹965.00 करोड़ की योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। योजना के प्रथम चरण में 6 बांधों बीसलपुर, जवाई, सूकली सेलवाडा (सिरोही), माही, गंभीरी (चित्तौडगढ़) तथा मातृकुण्डियां बांध (भीलवाडा) के ₹117.00 करोड़ की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 2 बांध छापी एवं सोम कमला अम्बा के लिए ₹27.00 करोड़ की निविदाएं प्रगतिरत है।

परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण समझौता दिनांक 4 अगस्त, 2021 को किया जा चुका है। परियोजना के माध्यम से राज्य के बड़े बांधों का जीर्णोद्वार कर जल रिसाव रोका जायेगा जिससे बांधों की जलभराव क्षमता बढेगी और किसानों को सिंचाई के लिये तथा आमजन को पेयजल हेतु अधिक जल उपलब्ध होगा। आधुनिक उपकरणो के माध्यम से बांधों का आधुनिकीकरण किया जायेगा जिससे वर्षाकालीन/बाढ़ बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे। विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण/सेमिनार होंगे जिससे कार्य दक्षता में वृद्धि होगी। समयबद्ध प्रयासों द्वारा ड्रिप परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

परियोजना पर वर्ष 2021–22 हेतु ₹51.35 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2021 तक ₹11.80 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

उपनिवेशन

उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन करना है। उपनिवेशन विभाग द्वारा आरम्भ से दिसम्बर, 2021 तक 14.26 लाख हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। उपनिवेशन विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में ₹69.70 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक ₹23.58 करोड़ की राजस्व वसूली की गई।

सिंचित क्षेत्र विकास

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डबल्यू.एम.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह उप शाखा परियोजना एवं गंग नहर प्रथम एवं द्वितीय चरण, भाखड़ा नहर परियोजना प्रथम चरण, बीसलपुर और चम्बल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रेल, 2017 से गंग नहर परियोजना द्वितीय के अतिरिक्त, इसकी

अन्य परियोजनाओं में वित्तीय सहायता रोक दी है। केन्द्र सरकार द्वारा गंग नहर परियोजना द्वितीय चरण का दायरा 44,875 हैक्टेयर से बढाकर 1,17,795 हैक्टेयर करने के कारण परियोजना की लागत ₹146.74 करोड़ से संशोधित कर ₹341.53 करोड़ कर दी गयी। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक गंग नहर परियोजना द्वितीय चरण पर ₹43.68 करोड़ व्यय कर 19,048 हैक्टेयर में पक्का खालों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

नाबार्ड की वित्तीय सहायता से चम्बल नहर परियोजना का पुनर्विकास किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹182.31 करोड़ व्यय कर 203.03 किमी लम्बाई की नहरों का निर्माण किया जा चुका है।

बजट भाषण वर्ष 2021–22 में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना 19,778 हैक्टेयर एवं अमर सिंह उप शाखा परियोजना 5,211 हैक्टेयर में बचे हुए खालों को पक्का करने के कार्य की घोषणा की जाकर क्रमशः ₹69.19 करोड़ तथा ₹18.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। उक्त कार्यो हेतू वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्रमशः ₹21.36 करोड़ एवं ₹5.41 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹3.79 करोड़ व्यय कर 1,533 हैक्टेयर में कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की नई ''इन्सेन्टिवाइजेशन स्कीम फोर ब्रिडिजिंग इरिगेशन गेप'' (आई.एस.बी.आई.जी.) योजना में वर्तमान में चल रही 7 परियोजनाओं की 6,83,656 हैक्टेयर कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (सी.सी.ए.) हेतु ₹4,423.74 करोड़ तथा 3,05,862 हैक्टेयर सी.सी.ए. के 8 नई परियोजनाओं हेतु ₹1,760.28 करोड़ की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना प्रकृति की विषमताओं से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरूभूमि को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित और इस क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा प्रभावित, पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार, नहर का कार्य पूर्ण कर 16.17 लाख हैक्टेयर (प्रथम चरण में 5.46 लाख हैक्टेयर और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हैक्टेयर) सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जाती थी। यह लक्ष्य नहर निर्माण कार्यों को पूरा करने के बाद हासिल किया गया है।

इन्दिरा गांधी नहर द्वितीय चरण के निरन्तर उपयोग एवं नहरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक जल का ह्रास हो रहा है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की दो परियोजनाएं– बीकानेर व जैसलमेर संभाग प्रत्येक में एक–एक इस वर्ष नाबार्ड से वित्त पोषण के तहत शुरू की गई हैं। बीकानेर संभाग की परियोजना दातौर, नांचना, अवाई, सांकड़िया प्रणाली व मुख्य नहर की सीधी नहरों का आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार की लागत ₹121.00 करोड़ और जैसलमेर संभाग की परियोजना ''शहीद बीरबल शाखा'' का आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार की लागत ₹58.42 करोड़ है।

इन कार्यो पर वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹27.82 करोड़ व्यय हुए है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण, बीसलपुर शाखा, भुटटोवाला व धोधा नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ–XXVI के अन्तर्गत मार्च, 2021 में ₹134.55 करोड़ स्वीकृत किये गये है तथा परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक निर्माण एवं रखरखाव के अन्य कार्यो के अंतर्गत 1.24 कि.मी. लक्ष्य के विरूद्ध 1.09 कि.मी. रामगढ खुली नहर का निर्माण किया गया हैं तथा नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिये डिसिल्ट सफाई व रेस्टोरेशन के तहत् 2,230.59 हजार घनमीटर मिट्टी के कार्य किये गये हैं।

वर्ष 2021–22 मे विभाग को कुल ₹431.54 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसमें कंवरसेन लिफ्ट योजना हेतु ₹1.35 करोड़ तथा ₹430.19 करोड़ जिसमें नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना हेतु नाबार्ड के अन्तर्गत द्वितीय चरण की नहरों के संचालन, नये आवश्यक कार्यों तथा उनके रखरखाव हेतु ₹75.00 करोड़ तथा स्प्रिंकलर सिंचाई के कार्यों हेतु ₹100.00 करोड़ भी सम्मिलित हैं। माह दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹206.56 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

भू–जल

राज्य के भू–जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु भू–जल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में, जहां हर दूसरे वर्ष अकाल की स्थिति बन जाती है, पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु भू–जल विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में सतत् एवं सफल प्रयासों से

रेगिस्तानी व पहाड़ी जिलों में सिंचाई के लिए अतिरिक्त भूमिगत जल जुटाने के साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्धता बढी है। भू—जल विभाग मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करता हैः—

- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों व पीजोमीटर की संरचना का निर्माण एवं जल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन एवं विकास करना।
- पेयजल एवं अन्य उद्देश्य हेतु नलकूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण करवाना।
- सरकार की विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के अन्तर्गत रॉक ड्रिलिंग और विस्फोटन द्वारा कुओं को गहरा करना।

वर्ष 2021—22 में किसानों के लिए 88 नलकूप, 61 हैण्डपम्प एवं 22 पिजोमीटर को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत 16,013 कुओं का सर्वेक्षण, 12,887 जल नमूनों का एकत्रीकरण, 7,523 जल नमूनों के रासायनिक विश्लेषण एवं 293 स्थानों पर भू—भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक व केन्द्र सरकार (100 प्रतिशत अनुदान) द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2016—2024 तक है एवं नोडल विभाग जल संसाधन विभाग, राजस्थान है एवं भू—जल विभाग इसमें सहयोगी विभाग है।

इस योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में 150 टेलीमैट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (टी.डी.डबल्यू.एल.आर.) स्थापित किए गए है। इससे भू—जल स्तर के रियल टाईम डाटा उपलब्ध हो रहे है। इस योजना में रसायन प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण खरीदे गये है जिनसे भू—जल की गुणवता जांची जा रही है। आगामी वर्षों में पीजोमीटर निर्माण व अन्य कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना भारत सरकार एंव विश्व बैंक के सहयोग से (50:50 प्रतिशत) देश के सात राज्यों क्रमशः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट, राजस्थान, उतरप्रदेश एंव मध्यप्रदेश राज्यों में 1 अप्रेल, 2020 से लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को रोकना एवं समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना है। यह योजना पांच वर्षो 2020—21 से वर्ष 2024—25 तक के लिये है। इस योजना की अनुमानित लागत ₹6,000 करोड़ है। जिसमें से राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षो के लिये कुल बजट ₹1,189.65 करोड़ स्वीकृत है।

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समिति के 1,144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित 1,144 ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है।

जलग्रहण विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत है। राज्य के क्षेत्रफल में से 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर है, जबकि राज्य में कुल स्त्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा 1.16 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त वर्षा की कम अवधि, वर्षा की तीव्रता एवं वर्षा पद्वति में हुए परिवर्तन के कारण राज्य में भू—जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है साथ ही उपजाऊ भूमि भी बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है।

इस भीषण समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में "राजीव गांधी जल संचय योजना" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

"राजीव गाँधी जल संचय योजना" (आर.जी.जे.एस.वाई.) के अन्तर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कनवर्जेन्स, विभिन्न लाईन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जनसहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवा कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात दिनांक 20 अगस्त, 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4,000 गावों में किया गया है, जिसके प्रथम चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है। प्रथम चरण के अन्तर्गत विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा लगभग 1.75 लाख कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी लागत लगभग ₹2,233 करोड़ है। दिसम्बर, 2021 तक ₹1,100 करोड़ की लागत के लगभग 80,461 कार्य शुरू किए गए जिसमें से ₹755.00 करोड़ की लागत के लगभग 59,385 कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) इस

योजना में केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। राज्य को दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹4,474.73 करोड़ केन्द्रीयांश एवं राज्यांश के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कुल स्वीकृत राशि का लगभग 53.29 प्रतिशत है। इस योजना पर ₹4,351.27 करोड़ व्यय कर कुल 37.76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के अन्तर्गत राज्य में 216 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिसके 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना हैं।

राज्य भण्डारण निगम

राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (आर.एस.डबल्यू.सी.) का मुख्य कार्य किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थाओं के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारण हेतु राज्य में गोदामों एवं भण्डार गृहों का निर्माण करना है। निगम की अधिकृत अंश पूंजी ₹800.00 लाख तथा प्रदत्त अंश पूंजी ₹785.26 लाख है।

निगम राज्य के 31 जिलों में औसत भण्डारण क्षमता 14.77 लाख मैट्रिक टन के साथ 93 भण्डार गृह संचालित कर रहा है (जिसमें 13.41 लाख मैट्रिक टन निगम की स्वनिर्मित क्षमता भी सम्मिलित है), जिनकी वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक औसत उपयोगिता भण्डारण क्षमता 10.65 लाख मैट्रिक टन रही है, जो कि भण्डारण क्षमता की कुल औसत उपयोगिता भण्डारण का 72.00 प्रतिशत है। निगम द्वारा भण्डारण शुल्क में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 70 प्रतिशत, अन्य कृषकों को 60 प्रतिशत एवं सहकारी समितियों को 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है, जो कि केन्द्र और अन्य राज्यों के भण्डारण निगमों की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 2021–22 के दौरान निगम द्वारा 2,12,250 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य किया गया एवं दिसम्बर, 2021 तक 4.65 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता निर्माणाधीन है। राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां तालिका– 2.8 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.8 राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	उपलब्धियां				
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22*
1.	औसत भण्डारण क्षमता (लाख मैट्रिक टन)	11.93	14.84	14.69	15.89	14.77
2.	औसत उपयोगिता (लाख मैट्रिक टन)	10.47	15.36	14.63	14.73	10.65
3.	औसत उपयोगिता प्रतिशत	88 %	103 %	100 %	93 %	72 %
4.	भण्डारण क्षमता का निर्माण (मैट्रिक टन)	57500	21600	16350	32250	212250
5.	भण्डार गृहों की संख्या	93	93	93	93	93
कुल आय (₹ लाख में)		12343.41	20536.58	23443.32	29114.77	14691.46

* दिसम्बर, 2021 तक

पशुपालन

राजस्थान में पशुपालन, विशेषकर शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि की सहायक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो कि अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन राजस्थान की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व को बढ़ाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन, सूखे एवं अकाल की मार के विरूद्ध सुरक्षा कवच का काम करता है और गरीब ग्रामीणों को सतत् एवं स्थायी आजीविका प्रदान करता है।

राजस्थान पशु सम्पदा में समृद्ध राज्य है। देश के सर्वोत्तम नस्ल के गौवंश, भेड़, बकरी, घोड़ा व ऊँट राज्य में हैं। राज्य में शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्ल (राठी, गीर, साहीवाल तथा थारपारकर), दूध व खेती दोनों कार्य के लिए कांकरेज व

हरियाणा नस्ल के गौवंश तथा नागौरी व मालवी की संकर नस्ल प्रचुर मात्रा में हैं।

पशु गणना—2019 के अनुसार, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। देश के कुल पशुधन का 10.60 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। यहाँ देश का 7.24 प्रतिशत गौवंश, 12.47 प्रतिशत भैंस, 14.00 प्रतिशत बकरियां, 10.64 प्रतिशत भेड़ तथा 84.43 प्रतिशत ऊँट उपलब्ध है। राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2019—20 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 13.32 प्रतिशत एवं ऊन उत्पादन में 37.44 प्रतिशत है।

पशुपालन विभाग, पशुधन में नस्ल सुधार के साथ प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की समन्वित सेवाएं तथा पशुपालकों में जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरस्थ इलाकों तक पशु चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार की स्थिति उल्लेखनीय रही है जो तालिका—2.9 में दर्शाई गई है।

तालिका—2.10 में विभिन्न पशुधन उत्पादों के उत्पादन स्तर को दर्शाया गया है। दूध का उत्पादन 2017—18 के 22,427 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2020—21 में 30,723 हजार टन हो गया है, जो कि 36.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह अण्डों का उत्पादन वर्ष 2017—18 के 1,455 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2020—21 में 2,488 मिलियन हो गया है।

मांस उत्पादन में यही प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2017—18 में मांस उत्पादन 188 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2020—21 में 201 हजार टन हो गया है तथापि वर्ष 2017—18 में ऊन उत्पादन 143 लाख किग्रा. से बढ़कर वर्ष 2020—21 में 157 लाख किग्रा. हो गया है।

पशुओं में रोग नियन्त्रण हेतु वर्ष 2021—22 में 151.57 लाख टीकाकरण किए गए। पशुओं में उन्नत नस्लों के लिए दिसम्बर, 2021 तक 2.09 लाख बड़े पशुओं एवं 3.99 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण तथा 19.97 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

वर्ष 2021—22 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

- पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाईयों एवं सर्जिकल उपभोग्य सामग्रियों की संख्या बढ़ाकर 138 किया जा रहा है। वर्तमान में 120 प्रकार की दवाईयां एवं टीके उपलब्ध हैं।
- पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पी.पी.आर.) रोग नियत्रंण के लिये प्रदेश मे 5.68 लाख भेड—बकरियों मे टीकाकरण किया जा चुका है।

तालिका—2.9 राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाएं

संस्थाएं	2018	2019	2020	2021*
बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय	35	35	35	35
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	785	786	786	788
पशु चिकित्सालय	1710	1709	1709	2075
पशु चिकित्सा उप केन्द्र	5067	5467	5638	5775
जिला चल पशु चिकित्सा इकाई	102	102	102	102

* दिसम्बर, 2021 तक

तालिका—2.10 पशुधन उत्पाद उत्पादन

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	मांस उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (दस लाख)	ऊन उत्पादन (लाख किग्रा.)
2017—18	22427	188	1455	143
2018—19	23668	192	1662	145
2019—20*	26572	200	2698	144
2020—21*	30723	201	2488	157

*प्रावधानिक

- बी.पी.लैब, आगरा रोड, जामड़ोली, जयपुर द्वारा 48.24 लाख गलघोंटू रोग, 2.24 लाख लंगडा बुखार रोग तथा 9.42 लाख फड़किया रोग के टीके उत्पादित कर वितरित किये जा चुके है।
- विभाग द्वारा 277.98 लाख पशु चिकित्सा एवं 11,639 हजार पशु बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।
- वर्ष 2021–22 में जिन ग्राम पंचायतों में विभागीय पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें 300 नवीन पशुचिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। जिसके तहत 277 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जा चुके है।
- जोधपुर एवं नागौर जिले के नावां में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- पशु संजीवनी योजनान्तर्गत पशु पंजीकरण हेतु 2,008 विभागीय संस्थाओं को कम्प्यूटर टेबलेट उपलब्ध करवाए गए है।
- 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इन क्रमोन्नत पशु चिकित्सालयों में 198 पशु चिकित्सा अधिकारियों, 198 पशुधन परिचरों के पद सृजित किए गए।
- भरतपुर जिले के सिनसिनी एवं अजमेर जिले के बोराड़ा (किशनगढ़) में संचालित पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है।
- प्रदेश के ऊँट बाहुल्य क्षेत्रों में कुल 1,155 ऊष्ट्र कल्याण शिविर आयोजित कर 48,705 ऊँटों का उपचार किया गया।
- राज्य सरकार के निर्णय अनुसार 'प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021' के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 10,790 शिविरों में 27.30 लाख पशुओं का उपचार, 36.30 लाख पशुओं का टीकाकरण, 36.88 लाख पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई, 28.63 लाख पशुओं पर कृमिनाशक दवा का छिडकाव, 1.35 लाख बांझपन से ग्रसित पशुओं के उपचार के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान परीक्षण किया गया। पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र तैयार करने का कार्य व अभियान में 11.16 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत देशी नस्ल के उन्नयन हेतु उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले 70 नर बछड़ें देश के प्रमुख सीमन स्टेशनों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए।
- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एन.ए.आई.पी.) के तहत विभिन्न चरणों में प्रदेश के लगभग 28 लाख पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया गया।
- बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी महाविद्यालय तथा बस्सी (जयपुर) में डेयरी एवं खाद्य प्रोद्यौगिकी महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए।
- पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाये जाने एवं पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से राज्य में पशु चिकित्सालय स्तर पर 2,882 राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 2,446 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन कर पंजीयन करवाया जा चुका है।

गोपालन विभाग

गोपालन निदेशालय का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्य करना है। इस प्रयोजन के लिए, निदेशालय गोपालन गौवंश संरक्षण के सतत् विकास एवं समृद्धि निधि नियमों, 2016 के दृष्टिकोण के माध्यम से पशुपालन संस्थान जैसे गौशाला/कांजीहाउस और नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। निदेशालय, जैविक खेती, चारा उत्पादन, और दूध, गाय के गोबर और गोमूत्र के मूल्य वर्धन पंचगव्य सहित एवं गौ पालक और राज्य के गौशाला प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, गोशालाओं/कांजी हाउस को 9.93 लाख आश्रय प्राप्त अनाथ घुमंतू और अनुत्पादक बूढ़े मवेशियों की आबादी को चारा, पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दिसम्बर, 2021 तक ₹547.11 करोड़ वितरित किए गए है।

वध से बचाए गौवंश योजना के अन्तर्गत बड़े मवेशियों के लिए ₹40 प्रति दिन और छोटे मवेशियों के लिए ₹20 प्रति दिन की दर से, गौशाला में मवेशियों को रखने की अवधि या एक साल जो भी कम हो, तक सहायता देने का प्रावधान है। इस पर दिसम्बर, 2021 तक ₹68.28 लाख व्यय किए गए।

निराश्रित नर गौवंश की समस्या के समाधान हेतु नंदीगौशाला जन सहभागिता योजना संचालित है। 16 नंदी गौशाला

संचालित हो चुकी है। इसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹7.20 करोड़ सम्बन्धित जिलों को आवंटित किये जा चुके है। बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की क्रियान्विति में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला स्थापित करने के लिये ₹157.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है। इस योजना के तहत 1 गौशाला में 1 बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुका है तथा 2 बायोगैस संयंत्र का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

गौशाला विकास योजना के तहत राज्य की पंजीकृत गौशालाओं जिसमें कम से कम 100 मवेशी हो, में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 85 गौशालाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं तथा 75 गौशालाओं को भुगतान स्वीकृति जारी कर दिसम्बर, 2021 तक ₹5.35 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 27 जिलों की गोपालन समिति द्वारा प्रत्येक जिले से 2 सर्वश्रेष्ठ गोशालाओं का चयन कर ₹5,000 नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह वितरित किये जा चुके है।

डेयरी विकास

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 16,531 दुग्ध सहकारी समितियों को राज्य में 23 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्थान, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) लिमिटेड, जयपुर से सम्बद्ध किया गया है।

विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं स्वयं के संसाधनों से जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 41.95 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक आर.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 27.32 लाख किग्रा. दुग्ध संकलित किया गया है। वर्तमान में, राज्य भर में 8.98 लाख दुग्ध उत्पादक, सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं एवं वर्ष पर्यन्त दुग्ध का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। दुग्ध संघों ने वर्ष 2021–22 के दौरान दुग्ध उत्पादकों को माह दिसम्बर, 2021 तक ₹2,880.14 करोड़ का भुगतान किया है। डेयरी विकास क्षेत्र की मुख्य गतिविधियों की उपलब्धियां तालिका–2.11 में दर्शाई गई हैं।

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा पौष्टिक पशु आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 3,27,531 मैट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है एवं राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 3,26,501 मैट्रिक टन पशु आहार बेचा गया है। डेयरी फैडरेशन द्वारा घी, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड, पनीर, दही, चीज़ इत्यादि उत्पादों का उत्पादन भी किया जा रहा है। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक लगभग 16,232 मैट्रिक टन घी का विपणन किया गया। सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघ, दुग्ध उत्पादकों को बीमा उपलब्ध करवा रहे हैं।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (पांचवां चरण): व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी, 2021 से लागू की गई है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5.00 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹2.50 लाख की बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 1,28,078 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमाः जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 16 वां चरण दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2021 तक 46,342 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया हैं।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजनाः इस योजनान्तर्गत 1 फरवरी, 2019 से दुग्ध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दुग्ध संघों को अप्रैल से नवम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए ₹123.21 करोड़ की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मत्स्य

मत्स्य क्षेत्र राज्य के जल संसाधनों में मत्स्य विकास के अलावा मछली के रूप में कम लागत में प्रोटीनयुक्त आहार तथा ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जलस्रोत उपलब्ध हैं, जो जलाशयों एवं पॉण्ड एवं छोटे तालाबों के रूप में लगभग 4.23 लाख हैक्टेयर में फैला हुआ है। इस जल क्षेत्र में 3.29 लाख हैक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में एवं 0.94 लाख हैक्टेयर छोटे जलाशयों और तालाबों के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 0.87 लाख हैक्टेयर नदियों

तालिका –2.11 वर्ष 2021–22 के दौरान डेयरी गतिविधियां

मद	इकाई	लक्ष्य 2021–22	उपलब्धियां*
औसतन दुग्ध संकलन	लाख किग्रा. प्रतिदिन	31.26	27.32
औसतन दुग्ध विपणन	लाख लीटर प्रतिदिन	24.91	18.54
पशु आहार विक्रय (संघ)	000' मैट्रिक टन	349	228
पुनर्जीवित समितियां	संख्या	1035	872
नई समितियां	संख्या	1849	1079
कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	000' संख्या	409	255

* दिसम्बर, 2021 तक

एवं नहरों के रूप में जलमग्न क्षेत्र उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में ग्यारहवें स्थान पर है। केन्द्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुम्बई (2010) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, राज्य में 80,000 मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, जबकि राज्य में वर्ष 2021–22 में मत्स्य उत्पादन दिसम्बर, 2021 तक मात्र 32,205.83 मैट्रिक टन हुआ है।

राज्य में विभिन्न वर्षों में बढ़ते मत्स्य उत्पादन को तालिका–2.12 में दर्शाया गया है। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना 'आजीविका मॉडल', जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के तीन जलाशयों जयसमन्द (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) एवं कडाना बैक वाटर (डूंगरपुर) में प्रारम्भ की गई है। इस नए मॉडल के अनुसार लिफ्ट अनुबन्ध सबसे अधिक बोलीदाता को दिया गया है। आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की सम्पूर्ण कीमत स्थानान्तरित करने एवं मछली पकड़ने की दर देश में सर्वाधिक होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इस मॉडल के तहत 57 मछुआरा सहकारी समितियों के लगभग 6,218 मछुआरों को लाभान्वित किया गया हैं तथा नियमित आधार पर कार्य करने वाले आदिवासी मछुआरों की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार, विभाग राजस्व अर्जन करने के बजाय मछुआरों की आजीविका पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये रामसागर (धौलपुर), बीसलपुर (टोंक) एवं राणा प्रताप सागर (रावतभाटा), जवाई बांध (पाली) एवं जयसमन्द (उदयपुर) बांधों से मत्स्य लेण्डिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संग्रहण तथा मत्स्य स्टॉक के

तालिका –2.12 मत्स्य उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मैट्रिक टन)	मत्स्य बीज उत्पादन (मिलियन फ्राई)
1	2017–18	54035.34	1094.01
2	2018–19	55848.99	1032.93
3	2019–20	58138.21	1226.41
4	2020–21	60163.50	1087.09
5	2021–22*	32205.83	952.29

* दिसम्बर, 2021 तक

संवर्द्धन हेतु जलाशय विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में राजस्व प्राप्ति हेतु मछली उत्पादन के लिए जलाशय पट्टे (लीज) पर दिए गए। मत्स्य विभाग को जलाशयों के पट्टों से वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹24.34 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

क्राफ्ट एवं गियर अनुदान के अन्तर्गत 900 मछुआरों को लाभान्वित किया गया है एवं 89 आदिवासी मछुआरों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 7,788 आदिवासी मछुआरों को सेविंग कम रिलीफ योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

नेशनल मिशन फोर प्रोटीन सप्लीमेन्ट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना बांध माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रोद्यौगिकी विस्तार एवं प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई है और योजना के अनुसार 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के दो चरण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं तथा

तृतीय चरण हेतु स्थापित पिंजरों को आदिवासी मछुआरा सहकारी समिति बस्सीपाड़ा (बांसवाड़ा) को मत्स्य पालन हेतु आवंटित कर दिया है। बीसलपुर बांध (टोंक) में सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वारियम गैलरी के लिए ₹5.63 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में सजावटी मछली प्रजनन इकाई कार्यरत है।

राज्य में उपलब्ध समस्त प्रभावी जल क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन के लिए संग्रहण हेतु प्रतिवर्ष 368.50 मिलियन फिंगर लिंग मत्स्य बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता है इसके लिए 4,865 मिलियन स्पॉन या 1,216 मिलियन फ्राई उत्पादन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,325 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्यों के विरूद्व 952.29 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन किया गया।

राज्य में उपलब्ध समस्त प्रभावी जल क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन के लिए संग्रहण हेतु प्रतिवर्ष 368.50 मिलियन फिंगर लिंग मत्स्य बीज की आवश्यकता हैं। इसके लिए 4,865 मिलियन स्पॉन या 1,216 मिलियन फ्राई उत्पादन की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,325 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्ध 952.29 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।

राजस्थान कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य पालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे है। इसका उद्देश्य विभागीय कर्मचारियों, मत्स्य पालक विकास अभिकरणों तथा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा प्रायोजित मछुआरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य के विभिन्न जलाशयों के मिट्टी पानी के सेम्पल की जांच एवं नये जलाशयों व मत्स्य प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 570 मत्स्य कृषकों को विभिन्न मत्स्य तकनीकों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सक्रिय मछुआरों का सामुहिक दुर्घटना बीमा कराया जाता है। वर्तमान में राज्य के लगभग 20,000 मत्स्य कृषक प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य सेक्टर से आजीविका हेतु जुड़े हुए है। 4,350 सक्रिय मछुआरों का वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक सामुहिक दुर्घटना बीमा किया गया।

मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रान्ति योजना के सभी आयामों को समाहित करते हुए प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम. एम.एस.वाई.) वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। इसके लिए ₹495.73 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है।

वानिकी

वन, जैव वानस्पतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60 प्रतिशत है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87 प्रतिशत है जो कि वन क्षेत्र तथा उसके बाहर अवस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2019–21 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर प्रबन्धन से वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई हैं।

जैव विविधता, मृदा एवं जल के संरक्षण, ग्रामवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं वन सुरक्षा तथा वन संरक्षण एवं प्रबन्धन में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना भी वन विभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, 6,195 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां (वी.एफ.पी.एम.सी.)/पारिस्थितिकी–विकास समितियां विभाग के मार्गदर्शन में 11.94 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन कर रही हैं। इन 6,195 समितियों में से 770 पर्यावरण–विकास समितियों, अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास वन्यजीव प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए गठित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को वन व गैर वन क्षेत्रों के लघु वन उत्पादों से राजस्व संग्रहण द्वारा आय प्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है। गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

औषधीय पौधों, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 51,200 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2021 तक 44,696.48 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है।

विभिन्न विकास कार्यों पर ₹749.70 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹216.42 करोड़ व्यय किए गए हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें पारिस्थितिक विकास, मृदा संरक्षण कार्य, अग्नि से बचाव, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं

चिड़ियाघर आदि का विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यों जैसे– नई वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के गठन, स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक विकास तथा वन्य जीवों का संरक्षण आदि के विकास कार्य करवाए गए हैं।

राज्य में ईको–टूरिज़्म की विपुल सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 15 संरक्षित क्षेत्र हैं, इसके अलावा 4 बॉयोलोजिकल पार्क भी जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में विकसित किए गए हैं।

पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग की स्थापना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मामलों, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (आर.एस.पी.सी.बी.) से सम्बन्धित मामलों से निपटने, आर.पी.सी.बी., जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों व संगठनों की सहायता से प्रदूषण से सम्बन्धित सभी मामलों का समाधान एवं नियंत्रण हेतु एक नोडल विभाग के रूप में की गई। पर्यावरण विभाग राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से सम्बन्धित मामलों को देखता है।

पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं / कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:–

विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं न्यायालय आदेशों की पालना: पर्यावरण विभाग को पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों की अनुपालना विभिन्न विभागों, मण्डलों एवं संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। यह विभिन्न अदालती आदेशों (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एन.जी.टी. आदि) के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम: पर्यावरण विभाग समय–समय पर शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल), विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) एवं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) को रैलियों, प्रश्नोत्तरी, निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कर मनाया जाता हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ₹50,000 की राशि आर.एस.पी.सी.बी. द्वारा प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराई गई।

संचार एवं प्रसार (प्रचार): विभाग की विभिन्न गतिविधियों, राज्य सरकार के निर्णयों, चल रही विभिन्न योजनाओं, पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी समय–समय पर जनता तक प्रसारित की जाती है। तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा– विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल), विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) तथा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सन्देश प्रकाशित एवं प्रसारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹33.00 लाख के वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹30.08 लाख व्यय किए गए है।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम, 2010 को अधिसूचित किया है। वर्ष 2021–22 का बजट प्रावधान ₹132.01 लाख है, राजस्थान को दिसम्बर, 2021 तक ₹45.00 लाख की राशि जारी की गई है।

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी तीन श्रेणियों अर्थात संगठनों, नागरिकों और नगर पालिका के लिए अलग–अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है (ये पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दिए गए हैं)।

सहकारिता

सहकारी साख संरचना

वर्तमान में, सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 23 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक भण्डार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 7,094 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 274 फल एवं सब्जी विपणन समितियां है। राज्य में 22 संघों सहित कुल 37,642 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹200.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹120.50 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए है। वर्ष 2021–22 मे 27.25 लाख किसानों को दिसम्बर, 2021 तक ₹243.31 करोड़ के मध्यकालीन एवं ₹14,889.38 करोड़ के अल्पकालीन कृषि एवं गैर–कृषि ऋण वितरित किए गए हैं (तालिका 2.13)।

तालिका 2.13 सहकारी साख संरचना

(₹ करोड़)

ऋणों के प्रकार	2020–21 (दिसम्बर तक)	2021–22 (दिसम्बर तक)	प्रतिशत परिवर्तन
अल्पकालीन	11007.74	14889.38	35.26
मध्यकालीन	244.31	243.31	-0.41
दीर्घकालीन	108.22	120.50	11.35

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण

राज्य के किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 की पूर्व योजना जिसमें ₹1.50 लाख का फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसान के लिए सब्सिडी को जारी रखने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सदस्यों से केवल मूल ऋण की वसूली करनी है और ब्याज राशि के लिए दावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समायोजित किया जाना है। वर्ष 2020–21 के लिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों ने सहकारी समितियों के माध्यम से 26.34 लाख किसानों के 31 मार्च, 2021 तक ₹15,235.38 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए गए है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019

राज्य के किसानों के हित में, राज्य सरकार ने 30 नवंबर, 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण पात्रता मानदंडों के तहत कवर किए गए पात्र ऋणी किसानों का ऋण माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऋण के प्रमाणीकरण के लिए अंगूठे के निशान के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया लागू की गई है। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2021 तक 20.72 लाख ऋणी किसानों को ₹7,820.99 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

उन लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए जो अपनी भूमि को बैंकों की गिरवी से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यम अवधि/दीर्घकालिक साख संरचना) ₹2.00 लाख तक का 30 नवंबर, 2018 तक के अवधिपार ऋण बकाया की माफी के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2021 तक 32,021 ऋणी किसानों को ₹359.90 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान फसल ऋण माफी योजना 2018 के तहत कुल 28.07 लाख किसानों को दिसम्बर, 2021 तक ₹7,568.59 करोड़ के अल्पकालिक फसल ऋण माफी से लाभान्वित किया गया है।

एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21

एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21 में शुरू की गई है। इस योजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, वसूली हेतु 43,276 पात्र ऋणियों में ₹697.49 करोड़ के मांग के विरूद्ध प्रकरणों में ₹41.14 करोड़ की राहत प्रदान की गई है।

रहन से मुक्ति

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक 53,688 ऋणियों को उनके ऋण के पूर्ण भुगतान के बाद रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

कृषि मांगों की वसूली

वर्ष 2020–21 में कुल कृषि ऋणों की मांग ₹1,439.83 करोड़ के मुकाबले केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ₹1,323.99 करोड़ की वसूली की गई जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 91.95 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में कुल कृषि ऋणों की मांग ₹13,098.31 करोड़ के विरूद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा ₹6,850.43 करोड़ की वसूली की गई है। जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 52.30 प्रतिशत है।

दीर्घकालीन ऋणों की वसूली

वर्ष 2020–21 में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹1,090.75 करोड़ के मुकाबले ₹324.44 करोड़ की वसूली की गई है जो कुल मांग का 29.74 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में (1 जुलाई, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹797.00 करोड़ के मुकाबले ₹85.45 करोड़ की वसूली की गई जो कुल मांग का 10.72 प्रतिशत है।

फसली ऋण वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया

खरीफ, 2019 से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 का शुभारम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण के सम्बन्ध में जारी सहकारी साख नीति दिनांक 11 जुलाई, 2018 एवं रजिस्ट्रार,

सहकारी समितियां द्वारा फसली ऋण वितरण में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर इसके एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से ''आधार'' आधारित प्रमाणीकरण के पश्चात् डिजिटल सदस्य रजिस्टर (डी.एम.आर.) के माध्यम से किसानों को फसली ऋण वितरण किये जाने के उद्देश्य से सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन प्राप्त करने से लेकर नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु एक पोर्टल सृजित किया गया है।

किसान सेवा पोर्टल

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान पोर्टल की शुरूआत की गई है। यह पोर्टल सरकार के नीति निर्धारण में सहायक होगा। यह पोर्टल एक ही छत की नीचे किसानों को सभी प्रकार की सेवाऐं भी प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ राज्य के किसानों को प्रदान करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। इस योजना में माह दिसम्बर, 2021 तक 77.46 लाख किसानों द्वारा पोर्टल पर आवेदन किया गया। 75.42 लाख किसानों को ₹10,631.94 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई।

सरकार की नीति एवं अभिनव योजनाओं का प्रभाव :–

- कृषकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनकी आय में वृद्वि हुई है।
- महिलाओं एवं ग्रामीण नवयुवकों हेतु स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हुये हैं।
- कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है।
- कृषकों को स्वयं के अनाज भण्डारण हेतु गौदाम की सुविधा उपलब्ध हुई है।

राज सहकार पोर्टल

सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा– अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, नई सोसायटी के पंजीकरण का आवेदन, गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) पंजीकरण, गेम्स फेडरेशन पंजीकरण, सहकारी संस्था की चुनाव प्रणाली, कोर्ट केश की स्थिति, ऑडिट रिपोर्ट, फसल ऋण और ऋण माफी की स्थिति आदि सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज सहकार पोर्टल शुरू किया गया है।

ज्ञान सागर क्रेडिट योजना

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा ₹6.00 लाख तथा विदेश में ₹10.00 लाख निर्धारित है। छात्राओं को ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राज्य में वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। रबी 2021 में 18.82 लाख किसानों का बीमा किश्त के रूप में ₹420.87 करोड़ की राशि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बीमा कम्पनियों को दिसम्बर, 2021 तक प्रेषित की गई।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत गैर कृषि गतिविधियों हेतु ₹50,000 तक के ऋण पांच साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस योजना में वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹5.83 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

महिला विकास ऋण योजना

महिला विकास ऋण योजना के माध्यम से भूमि विकास बैंक कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, 2 व्यक्तियों की गारंटी के माध्यम से गैर–कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए ₹50,000 का ऋण प्रदान करके महिलाओं के लिए आय के स्रोत बना रहे हैं। वर्ष 2021–22 में, इस योजना के तहत 487 महिलाओं को ₹15.32 करोड़ का कुल ऋण वितरित किया गया है।

सहकारी किसान कल्याण योजना

किसानों की कृषि ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, केन्द्रीय सहकारी बैकों (सी.सी.बी.) द्वारा कृषि से संबद्ध उद्देश्यों के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹111.64 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण शून्य प्रतिशत की रियायती ब्याज

दर पर उपलब्ध हो सके। सहकारी बैंकों को ₹534.00 करोड़ की बजट घोषणा के विरूद्ध ब्याज अनुदान के ₹352.35 करोड़ उपलब्ध करवाये गये।

जन औषधि केन्द्र

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत कॉनफैड द्वारा 200 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जन औषधि केन्द्र– उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं और डूंगरपुर जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एक जन औषधि केन्द्र एस.एम. एस. अस्पताल, जयपुर में और एक केन्द्र संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल (एस.डी.एम.एच.) जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

जोधपुर, राजसमंद एवं चुरू के थोक उपभोक्ता भण्डार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर एक–एक खादी का काउन्टर प्रारम्भ किया गया है। उदयपुर थोक उपभोक्ता भण्डार द्वारा फिनाईल का नवीन व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

सी.जी.एच.एस. की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों, पेन्शनर्स, राजकीय उपक्रम बोर्ड, निगम हेतु आर.जी.एच.एस. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी संचालित करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करने तथा स्टेट लोजिस्टीक सर्विस प्रोवाईडर हायर करने के लिए कॉनफैड को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। बिड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अरबन को–ऑपरेटिव बैंक

राज्य में वर्तमान में 35 अरबन को–ऑपरेटिव बैंक कार्यरत है। जिनमें से 3 बैंक रेलवे कर्मचारी सैलेरी अर्नर सहकारी बैंक है। 2 बैंक मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव एक्ट, 2002 में रजिस्टर्ड है। इन बैंकों में ₹7,400.49 करोड़ की अमानतें है तथा हिस्सा पूंजी ₹256.91 करोड़ है। अरबन बैंक लगभग 4.47 लाख लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 2021 को इन बैंकों का ऋण बकाया ₹3,870.42 करोड़ एवं कार्यशील पूंजी ₹8,857.07 करोड़ है, इनका शुद्व लाभ ₹71.22 करोड़ है।

सहकारी विपणन संरचना

राज्य में प्रत्येक मण्डी यार्ड 274 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां राज्य में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद, एवं कीटनाशक दवाईयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। राज्य में तहसील पर अपेक्स राजफैड कार्यरत है। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक सहकारी विपणन समितियों द्वारा उपभोक्ता सामग्री, कृषि आदान एवं कृषि उपज पर क्रमशः ₹118.00 करोड़, ₹153.00 करोड़, एवं ₹1,136.00 करोड़ का विपणन किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान राजफैड द्वारा किसानों को दिसम्बर, 2021 तक 438 क्विंटल बीज वितरित किया गया हैं।

सहकारी उपभोक्ता संरचना

उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं एवं उपभोक्ता उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर राज्य मे 38 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार पंजीकृत तथा शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) कार्यरत हैं। उपभोक्ता क्षेत्र का व्यापार वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹1,446.37 करोड़ हो गया है।

सहकारी आवास योजना

इसके अन्तर्गत, गृह निर्माण समितियों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना में ₹20.00 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने/क्रय करने एवं मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/रखरखाव हेतु बेबी ब्लेंकेट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में निर्मित भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹7.00 लाख तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी आवासन संघ (आर.सी.एच.एफ.) को ₹108.60 लाख हिस्सा राशि के रूप में दिए गए हैं। कुल हिस्सा पूंजी ₹252.18 लाख है। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹31.00 लाख का ऋण वितरण किया गया तथा मार्च, 2022 तक 1.29 करोड़ के ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

भण्डारण

राज्य में सहकारी संस्थाओं/समितियों के अन्तर्गत 8,522 गोदाम निर्मित हैं। इन गोदामों का उपयोग कृषि उपज एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु किया जाता है।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जी.एस.एस.) में गोदाम निर्माण की

कार्य योजना अनुमोदित की गई हैं एवं गोदामों के निर्माण हेतु ₹12.00 करोड़ प्राप्त हो चुके है।

विभाग का योजना प्रावधान

वर्ष 2021–22 के वार्षिक आयोजना के ₹3,635.13 करोड़ के प्रावधान के विरूद्व ₹1,914.25 करोड़ राज्य निधि से एवं ₹0.19 करोड़ केन्द्रीय सहायता के व्यय किए जा चुके हैं।

कोविड–19 के प्रभाव और महामारी को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण–

- सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कृषि उपज के विरूद्ध रहन ऋण पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गयी। सहकारी बैंकों ने इस योजना के तहत दिसम्बर, 2021 तक 17 किसानों को ₹44.68 लाख का ऋण वितरित किया है।
- कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के सहकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर 4.40 प्रतिशत पर नाबार्ड द्वारा ₹1,500 करोड़ स्वीकृत किए है। जिला सहकारी बैंकों द्वारा ₹1,380 करोड़ के अग्रिम ऋण कृषकों को उपलब्ध कराए गए।
- कटाई पश्चात बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए गोदाम, धर्मकांटा, कोल्ड स्टोरेज, भण्डार गृह एवं प्रसंस्करण इकाइयों आदि के लिए 500 प्राथमिक सहकारी समितियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए।
- दीर्घकालिक कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान दिया गया। इसकी अवधि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है।
- भूमि विकास सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और छोटे उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋणों के ब्याज दर में 1.45 प्रतिशत की कमी करते हुए ब्याज दर 11.65 प्रतिशत के स्थान पर 10.20 प्रतिशत की गई एवं 30 जून, 2021 से पुनः घटाकर 10.00 प्रतिशत पर निर्धारित की।

*****

अध्याय **03**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

एक दृष्टि में

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना**

  मानव रोजगार दिवसों का सृजनः 2,962.73 लाख, रोजगारः–63.26 लाख परिवार

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण**

  नये आवासों का निर्माणः 94,302

- **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)**

  कार्य पूर्णः 5,144
कुल व्ययः ₹218.42 करोड़

- **अनुदान–पन्द्रहवां वित्त आयोग**

  कार्य पूर्णः 58,646
कुल व्ययः ₹2,161.40 करोड़

एक दृष्टि में

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–फेज–2**

  शौचालयों का निर्माणः 93,438

  सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माणः 2,932

  ओडीएफ प्लस गांवः 631

- **प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021**

  पट्टे जारीः 10 लाख
नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन आदि : 23,384

  पेयजल योजना की शिकायतों का निस्तारणः 17,212

  जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारीः 4,24,933

- **ग्रामीण आधारभूत संरचना**

  गांवों का सड़क (डामर) संयोजनः 87.86%,

  सड़क (डामर) लम्बाई (31 मार्च, 2021 तक): 1,42,755.31 कि.मी.

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास, अपेक्षाकृत मुख्य धारा से दूर और बिखरी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यक प्रक्रिया है। राज्य के नियोजित विकास के लिए क्रियान्वित लगभग सभी विकास गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्य योजनाएं– आजीविका परियोजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.)

प्रायोजित की जा रही हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, स्व–विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं।

इन योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मज़दूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) – राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई। यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। सभी ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वेक्षण एवं सहभागिता पहचान प्रक्रिया द्वारा चिन्हित किया जाता है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध राशि ₹228.48 करोड़ (चालू वित्तीय वर्ष के प्रावधान के विरूद्ध ₹220.31 करोड़ एवं पूर्व वर्ष के उपलब्ध प्रारंभिक शेष से ₹8.17 करोड़) के विरूद्ध ₹228.48 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹412.30 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹194.99 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.) राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों मे संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹36.12 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹35.41 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक ₹57.34 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹16.49 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

राजीविका के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही मुख्य गतिविधियों में संगठन निर्माण, क्षमता संवर्द्धन, वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास एवं कनवर्जेन्स सम्मिलित है।

राजीविका– संक्षिप्त प्रगति

इस परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक लगभग 27.18 लाख गरीब परिवारों को 2,38,069 स्वयं सहायता समूहों, 18,729 ग्राम संगठन (वी.ओ.) एवं 549 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के रूप में संगठित किया गया है। 1,76,493 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड द्वारा वित्तीय सहायता एवं 91,788 स्वयं सहायता समूहों को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संवर्द्धन राशि उपलब्ध कराई गई है। राजीविका के अन्तर्गत क्रमोन्नत हुए स्वयं सहायता समूहों में से कुल 1,95,193 स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते बैंक में खुलवाए गए हैं एवं बैंक द्वारा 1,59,673 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया है।

परियोजना क्रियान्वयन दृष्टिकोण

- केवल स्वयं सहायता समूहों पर ही केन्द्रित नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग संरचना को भी विकसित करना।
- एक से अधिक बार वित्त उपलब्ध करवाना।
- बचत एवं साख (ऋण) मॉडल।
- आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण।
- सामाजिक एवं आजीविका सुरक्षा।
- समुदाय से समुदाय को सीख (सी.आर.पी. मॉडल)।
- कौशल विकास एवं रोजगार।
- वैब बेस एम.आई.एस. प्रणाली, लेखा एवं वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया की टेली सॉफ्टवेयर द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग।

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक की उपलब्धियों की सूचना तालिका–3.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1 वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियां

क्र.स.	गतिविधि	लक्ष्य	प्रगति*	संचयी प्रगति
1	स्वयं सहायता समूहों के गठन की संख्या	65480	32896	238069
2	बैंक में खोले गए बचत खातों वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	65480	20350	195193
3	क्रमोन्नत ग्राम संगठन की संख्या	3338	2556	18729
4	क्रमोन्नत क्लस्टर लेवल फेडरेशन की संख्या	70	58	549
5	रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	66928	28784	176493
6	आजीविका संवर्धन राशि प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	17257	11022	91788
7	बैंक ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की संख्या	80000	43516	159673
8	व्यय (₹ करोड में)	420.30	194.99	928.44

*दिसम्बर, 2021 तक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं।
- लाभान्वितों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी।
- परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं।
- रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाएगी।
- आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारण्टी है।
- आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- गांव से 5 किमी. की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। 5 किमी. से अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मज़दूरी देय होती है।
- किए गए कार्य के आधार पर मज़दूरी का भुगतान किया जाता है।
- कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सभा, कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है।
- किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण।
- सभी प्रकार की मज़दूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघरों के माध्यम से।
- ग्राम सभा को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है।
- प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली।

मनरेगा के अकुशल श्रमिकों की कोविड–19 महामारी से सुरक्षा के लिए श्रमिकों को उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं हाथ धोने के लिए कार्यस्थल पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था करने तथा नियमानुसार कार्य उपलब्ध करवाकर प्रत्येक श्रमिक को जॉब कार्ड जारी करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹9,769.04 करोड़ व्यय किया गया तथा 4,605.43 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 75.43 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 12.31 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹7,965.05 करोड़ व्यय किया गया तथा 2,962.73 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 63.26 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2.57 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) योजना का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को किया गया था। योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के समंको के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। वर्ष 2020–21 में ₹3,558.76 करोड़ व्यय कर 3,59,139 नए आवास निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹1010.25 करोड़ व्यय कर 94,302 नए आवास निर्मित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि ₹12,000 देय है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दैनिक मज़दूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है। व्यय राशि केन्द्र व राज्य के मध्य 60:40 अनुपात में वहन की जाती है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है।

पेयजल से सम्बन्धित कार्य, सम्पर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण, पानी के टेंकों की सफाई, पारम्परिक जल स्रोतों का विकास कार्य, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय/औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय/औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर्स, अदालत के भवन आदि कार्य इस योजना के अन्तर्गत रखे गए हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु आवंटित राशि में से प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा ₹1.75 करोड़ की राशि का उपयोग स्वास्थ्य आधारभूत संरचना (उपकरणों, भवनों इत्यादि) से संबंधित कार्यों में ही किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध निधि ₹1,480.80 करोड़ में से ₹436.07 करोड़ का व्यय कर कुल 10,840 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान कुल उपलब्ध निधि ₹1,725.01 करोड़ में से ₹218.42 करोड़ का व्यय कर कुल 5,144 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

राजस्थान राज्य से 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹5.00 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। "गम्भीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम ₹1.00 करोड़ तक की स्थाई सम्पत्ति का निर्माण करवा सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। योजना में जन समूह द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी/जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है।

कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 75 दिवस में प्रदान की जाती है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोरोना महामारी के कारण इस

योजना को वर्ष 2020—21 एवं 2021—22 हेतु गैर संचालित रखा गया था। योजना को 10 नवम्बर, 2021 से वित्तीय वर्ष 2021—22 के शेष समय के लिए प्रति सांसद ₹2.00 करोड़ के आवंटन के साथ पुनः शुरू किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 में उपलब्ध राशि ₹389.21 करोड़ के विरूद्ध ₹106.09 करोड़ व्यय कर कुल 2,243 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान (दिसम्बर, 2021) तक कुल उपलब्ध राशि ₹522.83 करोड़ के विरूद्ध ₹74.24 करोड़ व्यय कर कुल 1,341 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिले के 14 खण्डों में बहुलता से निवास करते हैं। इस मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986—87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल उपलब्ध राशि ₹58.16 करोड के विरूद्ध ₹12.61 करोड़ व्यय कर कुल 345 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹43.64 करोड के विरूद्ध ₹9.78 करोड़ व्यय कर कुल 278 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य के चार सीमावर्ती जिलों— बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल उपलब्ध राशि ₹302.89 करोड़ के विरूद्ध ₹160.65 करोड़ व्यय कर कुल 916 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2021—22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹178.04 करोड़ के विरूद्ध ₹58.25 करोड़ व्यय कर कुल 394 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

महात्मा गांधी जन—भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.वी.वाई.)

माह फरवरी, 2020 में गुरू गोलवलकर जन—भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन—भागीदारी विकास योजना किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जन—भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70 प्रतिशत (टी.एस.पी. क्षेत्र की स्थिति में 80 प्रतिशत) राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल उपलब्ध राशि ₹99.86 करोड़ के विरूद्ध ₹55.25 करोड़ व्यय कर कुल 550 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹74.70 करोड़ के विरूद्ध ₹23.43 करोड़ व्यय कर कुल 172 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005—06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) की 26 पंचायत समितियों में लागू है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल उपलब्ध राशि ₹44.99 करोड़ के विरूद्ध ₹12.37 करोड़ व्यय कर कुल 366 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹34.28 करोड़ के विरूद्ध ₹2.23 करोड़ व्यय कर कुल 94 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान का दक्षिणी—मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत यथा— भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ—साथ यहाँ निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार

हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में उपरोक्त 5 जिलों के 14 खण्डों में शुरु किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम उपरोक्त जिलों के 16 खण्डों में क्रियान्वित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध राशि ₹57.00 करोड़ के विरूद्ध ₹20.33 करोड़ व्यय कर कुल 276 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹38.71 करोड़ के विरूद्ध ₹4.01 करोड़ व्यय कर कुल 78 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

स्व–विवेक जिला विकास

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर यह योजना वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ की गई। क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध राशि ₹9.58 करोड़ के विरूद्ध ₹2.57 करोड़ व्यय कर कुल 81 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹5.38 करोड़ के विरूद्ध ₹0.38 करोड़ व्यय कर कुल 11 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को समावेश करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं निवेश के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के क्रम में ''मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि'' योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजना को लागू करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 6 अप्रेल, 2021 को दिशा–निर्देश जारी किए गए। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹16.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

बायो–फ्यूल, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में ऊभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढा जा सकता है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के 8 पूर्वी जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक) करंज के पौधारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए हैं।

मुख्य गतिविधियां

1. ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु अखाद्य तैलीय पौधों (रतनजोत, करंज, महुआ एवं नीम) का महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य विभागों के अभिसरण से पौधारोपण।
2. राज्य में बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय का विनियमन।
3. ''नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं ऑर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम'' के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना।
4. बजंर भूमि एवं चारागाह विकास समिति के सदस्यों हेतु क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियाँ (दिसम्बर, 2021 तक)

- राज्य के 12 बायो–फ्यूल जिलों में मनरेगा के अन्तर्गत अभिसरण द्वारा रतनजोत/करंज के लगभग 3 करोड़ 27 लाख पौधों का रोपण कार्य किया गया।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के महिला स्वयं सहायता समूहों के 8,622 सदस्यों को 212 प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उनकी आमदनी में बढोतरी हेतु रतनजोत पौधारोपण एवं बीज एकत्रीकरण का प्रशिक्षण दिया गया।
- राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 बनाया और लागू किया गया। नियमों के तहत बायोडीजल उत्पादकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। राजस्थान जैव–ईंधन नियम जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- राजस्थान जैव ईधन नियम 2019 के अर्न्तगत राज्य में 11 बायोडीजल उत्पादक एवं 88 मोबाईल रिटेल आउटलेट्स का पंजीकरण किया जा चुका है।
- राज्य मे बायोडीजल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्टेट मोटर

गैराज एवं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जे.सी.टी.एस.एल) के वाहनो मे बायोडीजल मिश्रित डीजल के उपयोग हेतु पायलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया।

- न्यू नेशनल बायोगैस आर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम (एन.एन.बी.ओ.एम.पी.) के अन्तर्गत 939 घरेलू बायोगैस प्लांट तैयार करवाये गये एवं 708 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तानान्तरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के तहत अनुदान राशि जारी की गई।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड

राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ 22 दिसम्बर, 2016 को ''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड'' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। चारागाह विकास के कार्य के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से अभिसरण कर राज्य में दिसम्बर, 2021 तक कुल 10,613 चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार करना सम्मिलित है एवं गाँव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए आदर्श बन सके। इन ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदो द्वारा किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की चरणवार प्रगति तालिका 3.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.2 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) की चरणवार प्रगति

फेज	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	बेसलाईन सर्वे एव वीडीपी कार्य	वी.डी.पी. में सम्मिलित कुल कार्य	कुल पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
I	34	34	1611	1163	114
II	31	31	2270	1683	140
III	17	17	785	399	65
IV	25	24	925	148	92
V	16	11	484	16	14
VI	9	4	131	-	-
VII	9	2	80	-	-
VIII	7	2	57	-	-

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एम.ए.जी.पी.वाई.)

यह योजना अद्वितीय और परिवर्तनकारी है, क्योंकि यह विकास की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण रखती है। इस योजना के माध्यम से चयनित गांवों के कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना सामुदायिक सहभागिता, ग्रामीणों की सामाजिक लामबंदी पर ध्यान केन्द्रित कर, गाँव में अन्य विकास गतिविधियों की श्रृंखला को गति प्रदान करती है। ग्राम पंचायतों को मजबूत और पारदर्शी बनाना, ग्राम सभाओं को सक्रिय करना और सुशासन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। खेल, नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित पोषण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, इस योजना का विशेष पहलू है। इस के अन्तर्गत, विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

योजना के प्रथम चरण में 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है एवं ग्राम विकास योजना (वी.डी.पी.) में सम्मिलित 16,643 कार्यों में से 7,077 कार्य पूर्ण एवं 674 कार्य प्रगतिरत हैं। द्वितीय चरण में 97 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है।

स्मार्ट विलेज

वर्ष 2017–18 में ''स्मार्ट विलेज'' योजना, 3,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों का चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामों को विकसित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के लिए वित्त विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में 3,275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया।

स्मार्ट विलेज योजना के तहत मुख्य गतिविधियों में जल निकासी प्रबंधन एवं पक्की नालियां, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, खुले जिम सहित सार्वजनिक पार्क/खेल मैदान, गलियों में एल.ई.डी. लाईट या सोलर लाईट, दो मुख्य मार्गों को स्व–राज मार्ग के नाम से विकसित करना, प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्न भंडार गृह, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) के तहत सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना

महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती (वर्ष 2019) के अवसर पर 27 नवम्बर, 2019 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गाँव का चयन कर गाँधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाना है। योजना की मुख्य गतिविधियों में जनसंख्या नियन्त्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और टीकाकरण, नशा मुक्त समाज की स्थापना तथा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

इस योजना में किए जाने वाले कार्यों में सभी प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, शमशान, कब्रिस्तान आदि की सुरक्षा एवं सतत् सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराना शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य सद्भावना का माहौल विकसित करने हेतु प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गाँधी जयंती और गणतन्त्र दिवस का आयोजन करना है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को उक्त गांवों में ''मेरा गांव मेरा गौरव'' दिवस भी आयोजित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 22 जिलों में ''गांधी ज्ञान केन्द्र पुस्तकालय एवं वाचनालयों'' का उद्घाटन किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.), हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम) का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। राज्य में प्रथम चरण 2015–16 में भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में पाँच क्लस्टरों का चयन किया गया है। द्वितीय चरण 2016–17 के लिए राज्य में अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ, बांसवाड़ा और जयपुर जिलों में छः क्लस्टरों का चयन किया गया है। तृतीय चरण 2017–18 के लिए राज्य में बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ और हनुमानगढ जिलों में चार क्लस्टरों का चयन किया गया है। वर्ष 2020–21 में जनजातिय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बड़ोदिया जिला बांसवाड़ा का चयन किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध राशि ₹132.39 करोड़ के विरूद्ध ₹68.44 करोड़ व्यय कर कुल 588 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक कुल उपलब्ध राशि ₹63.95 करोड़ के विरूद्ध ₹23.31 करोड़ व्यय कर कुल 292 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

पंचायती राज

राजस्थान, देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है, जहाँ देश में पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिले से 2 अक्टूबर, 1959 को देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया था। दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहा है, जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के अनुच्छेद–243(जी) में पंचायतों की शक्तियाँ,

अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।

पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था:

ग्राम पंचायत— ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत की भाँति ग्राम सभा, ग्राम के सम्पूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है।

पंचायत समिति— पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है।

जिला परिषद— जिला परिषद, ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है।

पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य हैं:—

- पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- पीसा (पी.ई.एस.ए.) अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक/संस्थापन कार्य।
- पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यावसायिक क्षमता, विशेषतः निर्वाचित महिला जन—प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता का संवर्द्धन करना ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।
- उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वयन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजना समिति के माध्यम से एकीकृत विकेन्द्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा— पन्द्रहवां वित्त आयोग, षष्टम राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना।
- सभी घरों, सरकारी स्कूलों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु योग्य बनाना।
- पंचायतों को ई—एनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना।

केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप एवं विकास कार्यक्रम, जो कि सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हैं और समावेशी विकास को बढ़ाते हैं, उनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 33 जिला परिषद, 352 पंचायत समितियां और 11,307 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

पन्द्रहवां वित्त आयोग

पन्द्रहवें वित्त आयोग, की पंचाट अवधि वर्ष 2020—21 से 2024—25 तक (5 वर्ष) है। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वितरित की जायेगी। 15 वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अन्तरिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत बेसिक अनटाईड अनुदान एवं 60 प्रतिशत बेसिक टाईड अनुदान के रूप में होगा। अनटाईड अनुदान का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाईट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/भवनों जैसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भण्डारण केन्द्रों, सडकों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रखरखावत की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। 50 प्रतिशत टाईड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाये रखने एवं शेष 50 प्रतिशत बुनियादी

सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹3,358 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये एवं दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹2,161.40 करोड़ व्यय किया जाकर कुल 58,646 कार्य पूर्ण किए गए है।

षष्टम राज्य वित्त आयोग

षष्टम राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि वर्ष 2020–2021 से 2024–2025 है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का अनुपात 5:20:75 रहेगा।

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 की सिफारिशों के अनुसार, अनुदान की 55 प्रतिशत राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5 प्रतिशत राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹2,942 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। कुल राशि ₹1,397.22 करोड़ (जिसमें से पंचायत सहायकों के मानदेय हेतु ₹100 करोड़) सभी ग्राम पंचायतों को जारी किये गये। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹263.54 करोड़ व्यय कर 2,904 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ किया गया है जो पांच वर्षो तक क्रियान्वित किया जावेगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–II का मुख्य उदेश्य गांवों में ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांवों को ओ.डी.एफ.प्लस बनाना है।

स्वच्छ भारत मिशन हेतु प्रावधान (एस.बी.एम.–जी.):

व्यक्तिगत शौचालय (आई.एच.एच.एल.): व्यक्तिगत शौचालय की एक ईकाई के निर्माण एवं उपयोग के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) एवं चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों (ए.पी.एल.) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया वाले परिवारों) को राशि ₹12,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर 2021 तक राशि ₹184.14 करोड़ व्यय की जाकर कुल 93,438 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र (सी.एस.सी.): ग्राम पचांयत द्वारा ₹3.00 लाख की लागत से विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 30 प्रतिशत राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर 2021 तक राशि ₹54.45 करोड़ व्यय की जाकर कुल 2,932 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है।

ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन

स्थानीय तौर पर उत्पन्न होने वाले ठोस एवं तरल कचरे का पर्याप्त प्रबंधन से, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार कर समुदाय का सर्वागीण विकास किया जा सकता है। राज्य के 11,284 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के कार्य किये जा रहे है। इन गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को स्थाई रूप से बनाये रखने, ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन सुनिश्चित करने एवं प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखने वाले गांव के रूप में विकसित किया जाकर ओडीएफ प्लस बनाया जावेगा। इस वित्तीय वर्ष में राशि ₹16.21 करोड़ व्यय की जाकर 631 गांव ओडीएफ प्लस बनाये जा चुके है।

पंचायत पुरस्कार

73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2010–11 में लागू की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाते हैं:–

- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.पी.): इसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों एवं पाँच ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2021 में चयनित पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य को ₹152 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई, जिसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया। वर्ष 2021 में डी.डी.यू.पी.एस.पी. के अन्तर्गत पुरस्कृत पंचायती राज सस्थाओं का विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3 वर्ष 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

क्रम संख्या	पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं के नाम
1	जिला परिषद–कोटा, जिला–कोटा
2	पंचायत समिति–कोटडा, जिला–उदयपुर
3	पंचायत समिति–चिडावा, जिला–झुन्झुनूं
4	ग्राम पंचायत–त्योंदा, पंचायत समिति खेतडी, जिला–झुन्झुनूं
5	ग्राम पंचायत–4 एन. एन. चानणा, पंचायत समिति पदमपुर, जिला गंगानगर
6	ग्राम पंचायत–थूर, पंचायत समिति–बडगांव़, जिला–उदयपुर
7	ग्राम पंचायत– निधेराकलां, पंचायत समिति–सेपउ, जिला–धौलपुर
8	ग्राम पंचायत–बर, पंचायत समिति–रायपुर, जिला–पाली

- नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.): इसके अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों और प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत–भोजासर, पंचायत समिति–झुन्झुनूं, जिला परिषद–झुन्झुनूं का चयन किया गया है और ₹10.00 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया।
- बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.): इसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2021 हेतु ग्राम पंचायत–मिण्डा पंचायत समिति–नावां, जिला–नागौर को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है और ₹5.00 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.ए.) पुरस्कार– यह पुरस्कार वर्ष 2019 से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य से एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन, गुणवत्ता पूर्ण नियोजन, संवहनीय विकास लक्ष्यों का समावेश, शून्य एवं कम लागत की गतिविधियों का समावेश, मॉनेटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन का प्रभावी ढांचा, कर्न्वेजेन्स, निजी आय का नियोजन, दस्तावेजीकरण तथा योजना नियोजन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत–अडवड, पंचायत समिति–मूण्डवा, जिला–नागौर को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित कर ₹5.00 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा जी.पी.डी.पी. की गुणवत्ता एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य की विशिष्ट मार्गदर्शिका ''आपणी योजना आपणो विकास'' पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के केन्द्रीय मॉडल दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार की जा चुकी है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर भागीदारी मोड में तैयार की जाती है। सक्षम अधिकारियों से नियोजित गतिविधियों की व्यवहार्यता और तकनीकी पुष्टिकरण के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित जी.पी.डी.पी. को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकेन्द्रिकृत सहभागिता हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) 2022–23 के लिए ''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान की शुरूआत की गई है। भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता की पहचान कर योजना बनाने तथा ग्राम सभा में इसके अनुमोदन के लिए अभियान चलाया गया। जन अभियान ''सबकी योजना सबका विकास'' कार्यक्रम के अनुसार सहभागी और एकीकृत ग्राम पंचायत

विकास योजनाएं तैयार कर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा रहीं हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पी.एस.ए.) के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान 60 प्रतिशत केन्द्रीयांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है। इस योजना में विशेष ध्यान जन–प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन, पंचायती राज संस्थानो का आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु ₹144.52 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल राशि ₹28.79 करोड़ (₹17.27 करोड़ केन्द्रीयांश एवं ₹11.52 करोड़ राज्यांश) प्रथम किस्त के रूप में जारी किये गये। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹13.32 करोड़ व्यय कर 79 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

विलेज मास्टर प्लान

भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, शासकीय भवन, सड़क एवं अन्य विकास गतिविधियों के प्रावधान हेतु भूमि के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाया जायेगा। आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं। जन–प्रतिनिधि और अन्य नागरिकों को भी उनके सुझावों के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए विलेज मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नगर नियोजन विभाग के अधिकारी जिला परिषद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत विलेज मास्टर प्लान तैयार करेगी और ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करेगी। अंत में अनुमोदन के बाद विलेज मास्टर प्लान को ई–पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि में करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से और आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिसर में सभी कार्यालयों को ग्राम पंचायत स्तर पर लाने का प्रावधान है। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल ड्रॉइंग और नक्शे पूर्व में ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की सम्भावित लागत ₹50 लाख है।

वर्ष 2014 में, राज्य में 723 नवीन ग्राम पंचायतें गठित की गईं। इन 723 ग्राम पंचायतों में से 697 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटित की गई है। 597 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 81 कार्य प्रगति पर हैं। 14 ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं।

वर्ष 2019 में, राज्य में 1,456 नवीन ग्राम पंचायतें (1,455 ग्राम पंचायतें एवं 1 नगरपालिका) गठित की गईं। इन 1,456 ग्राम पंचायतों में से 1,355 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटित की गई है और 1,211 ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है एवं 83 कार्य पूर्ण हो चुके हैं 1,026 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर हैं। 17 ग्राम पंचायतें स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं।

पंचायत समिति भवन निर्माण

वर्ष 2014 में, राज्य में 47 पंचायत समितियों का गठन किया गया था। सभी 47 पंचायत समितियों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 36 पंचायत समिति के भवनों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 10 पंचायत समितियों के कार्य प्रगति पर हैं। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए भवन की सम्भावित लागत राशि ₹250 लाख है।

वर्ष 2019 में, राज्य में 57 पंचायत समितियों का गठन किया गया था। 48 पंचायत समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है। 2 पंचायत समितियां स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों/परिसर में संचालित हो रही हैं। 7 पंचायत समिति भवनों हेतु भूमि आवंटन की वित्तीय स्वीकृति प्रकियाधीन हैं।

अम्बेडकर भवन

बजट घोषणा, 2019–20 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। तद्नुसार कुल 140 पंचायत समिति मुख्यालयों पर पंचायत समितियों के माध्यम से अम्बेडकर भवन बनाया जायेगा। एक अम्बेडकर भवन की अनुमानित लागत राशि ₹50.00 लाख है। परियोजना की कुल लागत राशि ₹70.00 करोड़ होगी। माह दिसम्बर, 2021 तक 140 स्थलों मे से 138 स्थलों का चयन किया जाकर 12 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 4 कार्य प्रगतिरत है।

कोविड–19 की रोकथाम के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में किये गये विशिष्ट कार्य/प्रयास निम्नानुसार है:–

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर "कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट" एवं "कोविड स्वास्थ्य सहायक" को

राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय अनुदान राशि में से इनके मानदेय का भुगतान दिसम्बर, 2021 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

- कोविड महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 02 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर एवं 01 जनरेटर सैट का क्रय राजस्थान मेडिकल सोसायटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.) के समन्वय द्वारा किये जा रहे हैं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान के उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 प्रारंभ किया गया। इस अभियान का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है। अभियान की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा जिला कलक्टर स्तर पर की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत (नवसृजित पंचायतों सहित) मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर आयोजन की तिथि से पूर्व तैयारी हेतु प्री–केम्प का आयोजन एवं शिविर आयोजन के पश्चात लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु पोस्ट केम्प का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के व्यापक प्रचार एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग हेतु निर्देश जारी किये गये। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

अभियान में पंचायती राज विभाग की प्रगति निम्नानुसार है (दिसम्बर, 2021 तक) :

- अभियान में कुल 10 लाख पट्टे जारी किये गये।
- 23,384 नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन/पट्टों को पुनर्वैध/भूमि संपरिवर्तन किये गये।
- 11,354 आबादी विस्तार के प्रस्ताव पारित किये गये।
- पेयजल योजना की 17,212 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
- 4,24,933 जन्म–मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किये गये।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 86,760 परिवारों को शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया।

राजीव गाँधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.)

राजस्थान जल उपलब्धता की दृष्टि से काफी पिछड़ा राज्य है, जहाँ भू–जल उपलब्धता के गिरते स्तर एवं बारहमासी जलप्रवाह की कमी के कारण, स्थिति और विकट होती जा रही है। यहां के पर्यावरण, भौगोलिक स्थिति एवं बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता जल उपलब्धता की इस स्थिति को और अधिक विकट बना रही है। अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने, पानी की कमी के मुद्दे को हल करने और प्रभावी अभिसरण के माध्यम से राज्य में भू–जल और खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.) 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के 4,000 गांवों में किया गया है। प्रथम फेज की निर्धारित कार्य अवधि 2 वर्ष है। प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 1.75 लाख कार्य संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित किये गये हैं जिसकी लागत लगभग ₹2,233 करोड है। ₹1,100.00 करोड़ की लागत से लगभग 80,461 कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें ₹755.00 करोड़ की लागत से लगभग 59,385 कार्य दिसंबर, 2021 तक पूर्ण किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड कम्पोनेंट (पी.एम.के.एस.वाई.–डब्ल्यू.सी.)/इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई.डबल्यू.एम.पी.)

जलग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009–10 में इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई. डबल्यू.एम.पी.) शुरू किया गया था। आई.डबल्यू.एम.पी. के तहत स्वीकृत परियोजनाएं 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के तहत चल रहीं हैं। दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹4,474.73 करोड़ की राशि केन्द्र और राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई है, जो स्वीकृत राशि का 53.29 प्रतिशत है। दिसम्बर 2021, तक ₹4,351.27 करोड़ का व्यय कर कुल 37.76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना

ग्रामीण सडकें

सड़कें आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं एवं सामाजिक हितों की पूर्ति करती है। देश के विकास और उन्नति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क तंत्र रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गरीबी के विरूद्ध संघर्ष मे भी महत्वपूर्ण योगदान देता हैं।

सड़क तंत्र में एक्सप्रेस–वे के साथ पूरक स्थानीय सड़कें भी

होनी चाहिए, जिससे तेज गति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40 प्रतिशत की कमी लाती है। राज्य में ग्रामीण सडकों की लम्बाई तालिका–3.4 में दी गई है।

राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार 43,264 आबाद ग्राम हैं। वर्ष 2020–21 में तथा दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न आबादी–समूह के अनुसार डामर की सड़क से जुड़े गांवों का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.4 राज्य में 31 मार्च, 2021 तक ग्रामीण सडकों की लम्बाई (कि.मी.)

डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
142755.31	1484.24	35911.05	2935.42	183086.02

तालिका–3.5 गांवों का सड़क (डामर सड़क) संयोजन

क्र.सं.	आबादी समूह	कुल आबाद ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या मार्च, 2021 तक	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या दिसम्बर, 2021 तक (प्रावधानिक)	सड़कों से जुड़े ग्रामों का प्रतिशत
1	1000 व अधिक	17284	17215	17215	99.60
2	500-1000	12421	11847	11957	96.26
3	250-500	7638	6168	6168	80.75
4	100-250	3518	1783	1783	50.68
5	100 से कम	2403	888	888	36.95
	योग	**43264**	**37901**	**38011**	**87.86**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत सड़क विकास हेतु दिसम्बर 2021 तक अर्जित उपलब्धियाँ निम्न है :–

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत 1,123 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया।
- गांवो को सड़कों से जोड़ने की राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक आबादी के 110 गांवों को 374 किमी. लंबी डामर सड़कों से जोड़ा गया।
- 49 किमी विकास पथ का निर्माण 83 ग्राम पंचायतों में किया गया।
- 167 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ (सीसी रोड) का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुसार, आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। विकास पथ सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, ढकी हुई नालियां एवं यूटिलिटी सेवाओं इत्यादि के साथ बनाये जाने हैं। विकास पथ के ग्राम और एलाइनमेंट का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गए है और शेष ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगतिरत हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत 8,662.50 कि.मी. लम्बाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जिसके तहत पहले चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹3,122 करोड़ की लागत से 5,821 कि.मी. ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई है। जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 2021 तक 1,534 करोड़ रुपये का व्यय कर 4,292 कि.मी. सड़क उन्नयन का कार्य किया जा चुका है। पीएमजीएसवाई–III के तहत शेष लम्बाई के कार्य प्रस्तावों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 43,201 गांवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया एवं 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2021—22 के दौरान माह दिसम्बर, 2021 तक किसानों को 60,672 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना माह नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी। रूडा, स्थायी आजीविका के व्यवहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय, एकीकृत एवं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करता है, जिसमें कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से ऋण और बाजार सुविधा/सहायता शामिल है। इन गतिविधियों के द्वारा बड़ी संख्या में दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सूखा प्रभावी राज्य में भाग लेने वाले दस्तकारों की ऊन, चर्म, लघु खनिज आदि उपक्षेत्रों में स्वरोजगार द्वारा अतिरिक्त सतत् आय तथा क्षमताओं में बढोतरी के रूप में देखा जा सकता है। भारत में यह संस्था गैर कृषि क्षेत्र को विकसित करने के क्षेत्र में अनोखी है।

भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) पंजीकरणः— बौद्धिक सम्पदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोटरी, ब्ल्यू पोटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण प्राप्त किया है।

रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता हैः—

- चमड़ा
- ऊन एवं वस्त्र
- लघु खनिज (एस.सी.पी.)

राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए ₹175.00 लाख का वित्तीय प्रावधान कर 1,500 दस्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹93.10 लाख व्यय किए गए हैं।

*****

अध्याय **04**

औद्योगिक विकास

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र (2021–22)

औद्योगिक क्षेत्र

- ❖ प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 24.67%
- ❖ स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि दरः 15.37%

खनन क्षेत्र

- ❖ प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 2.78%
- ❖ स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि दरः 8.15%

विनिर्माण क्षेत्र

- ❖ प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 10.06%
- ❖ स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि दरः 23.75%

निर्माण क्षेत्र

- ❖ प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 8.68%
- ❖ स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि दरः 7.87%

विद्युत, गैस, जल एवं अन्य उपचारात्मक सेवाऐं

- ❖ प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 3.15%
- ❖ स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि दरः 6.81%

राजस्थान : अग्रणी उत्पादक राज्य

भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य

- ❖ द्वितीय सबसे बडा उत्पादक
- ❖ राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का 20%

प्रमुख खनिज

- ❖ खनन किये गये खनिजों की संख्या– 57
- ❖ प्रमुख खनिजों के लिये जारी किये गये खनन पट्टों की संख्या– 174

एकमात्र/अग्रणी उत्पादक

- ❖ सीसा और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, सिल्वर, केलेसाइट, जिप्सम, बाल क्ले, फॉस्फाराइट, गेरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, मार्बल, सेण्डस्टोन, ग्रेनाइट आदि

राज्य से सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुऐं एवं प्रतिशत अंश (2020–21)

- ❖ अभियांत्रिकी वस्तुएं (14.75%)
- ❖ हस्तकला (11.76%)
- ❖ कपड़ा (10.86%)
- ❖ धातु (11.01%)
- ❖ रासायनिक एवं सम्बद्ध (9.51%)

एमएसएमई (2021–22)

- ❖ पंजीकृत औद्योगिक इकाईयांः 2,02,947
- ❖ प्रत्यक्ष रोजगार के सृजित अवसरः 11,28,082 व्यक्ति

औद्योगिक परिदृश्य

सरकार द्वारा किए गए उद्योग आधारित अनेक सुधारात्मक पहलों के कारण राज्य के समग्र औद्योगिक परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशिष्टतः विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी की दो लहरों के दौरान पूर्ण लॉकडाउन का सामना करने के बावजूद उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021–22 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 15.37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है।

राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज सम्पदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से सम्पन्न है। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक (एम.एस.एम.ई.) इकाईयों के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास एम.एस.एम.ई. के लिए रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है।

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान दी गई है। राज्य से निर्यात की अत्यन्त सम्भावनाएँ हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, राज्य विभिन्न निर्यातोन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् और निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) का विकास ऐसा ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देगा। राज्य द्वारा निरंतर किए गए समस्त प्रयास राजस्थान को भारत में समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इको—सिस्टम के साथ सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केन्द्रित हैं।

राजस्थान में उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011—12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011—12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2021—22 में ₹1.78 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक 2.69 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जी.एस.वी.ए. वर्ष 2011—12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2021—22 में ₹2.75 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक 7.28 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित मूल्यों एवं स्थिर (2011—12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) के साथ वृद्धि दर को चित्र—4.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.1

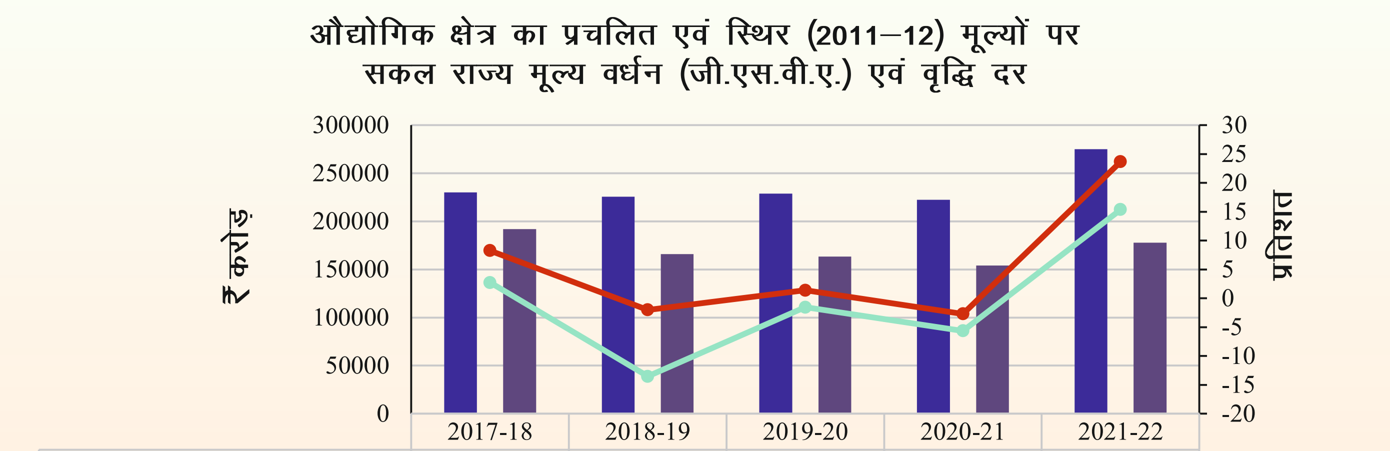

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जी.एस.वी.ए. प्रचलित मूल्यों पर	230230	225599	228721	222524	275163
जी.एस.वी.ए. स्थिर मूल्यों पर	191886	165912	163320	154115	177801
वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर	8.25	-2.01	1.38	-2.71	23.66
वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर	2.73	-13.54	-1.56	-5.64	15.37

नोटः— वर्ष 2019—20, संशोधित अनुमान—द्वितीय, वर्ष 2020—21, संशोधित अनुमान—प्रथम, वर्ष 2021—22, अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उद्योग क्षेत्र के उप—क्षेत्रों की संरचना

वित्तीय वर्ष 2021—22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 24.67 प्रतिशत रहा है। समानावधि में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण उप—क्षेत्र का योगदान 40.77 प्रतिशत होना अनुमानित है, इसके पश्चात् निर्माण उप—क्षेत्र का योगदान 35.19 प्रतिशत है। उद्योग क्षेत्र में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं उप—क्षेत्र का योगदान 12.78 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन उप—क्षेत्र का योगदान 11.26 प्रतिशत होना अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उप—क्षेत्रों के योगदान को चित्र 4.2 में दर्शाया गया है।

चित्र–4.2

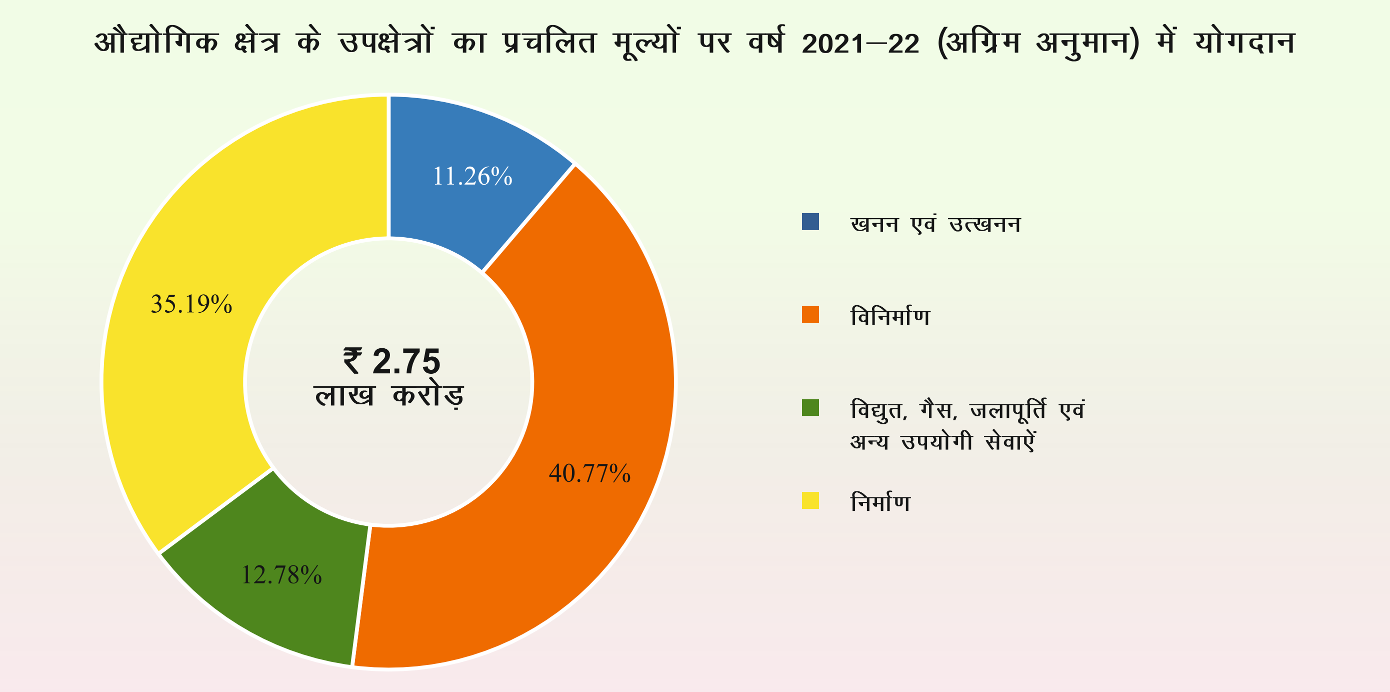

स्थिर (2011–12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में 2020–21 की तुलना में 2021–22 में 15.37 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2020–21 की तुलना में 2021–22 में खनन एवं उत्खनन में 8.15 प्रतिशत, विनिर्माण में 23.75 प्रतिशत, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 6.81 प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्र में 7.87 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2021–22 में उद्योग क्षेत्र के उप–क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) तथा 10 वर्षों की अवधि के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) को चित्र–4.3 में दर्शाया गया है।

चित्र–4.3

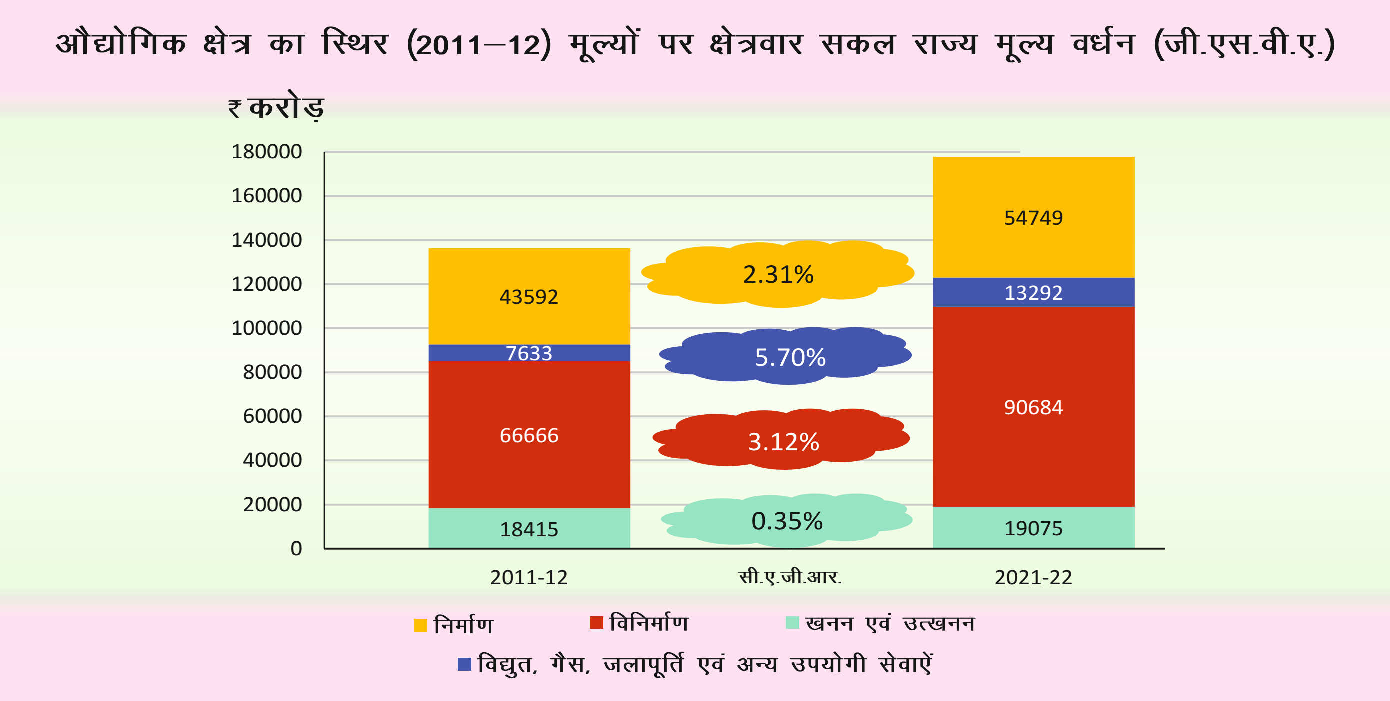

नोटः– वर्ष 2019–20, संशोधित अनुमान–द्वितीय, वर्ष 2020–21, संशोधित अनुमान–प्रथम, वर्ष 2021–22, अग्रिम अनुमान

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक समग्र संकेतक है, जो कि दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक शृंखला (आधार वर्ष 2011—12) तीन वृहद् समूहों यथा—विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017—18 से 2021—22 के लिए समग्र रूप से औद्योगिक निष्पादन को तालिका—4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका—4.1 राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011—12)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
विनिर्माण	134.71	143.39	125.93	122.95	133.91
खनन	132.85	134.76	125.60	119.43	123.71
विद्युत	124.96	137.70	135.15	126.10	135.77
सामान्य सूचकांक	133.08	140.37	126.90	122.34	131.33

*दिसम्बर, 2021 तक (प्रावधानिक)

राज्य की औद्योगिक स्थिति में कोरोना महामारी के उपरान्त वर्तमान में हो रहे सुधार को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मासिक विश्लेषण द्वारा स्पष्टतः देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रवृति के विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल, 2020 एवं मई, 2021 में सूचकांक सबसे निम्न स्तर का अंकित हुआ है। अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के सामान्य सूचकांक की प्रवृति को चित्र—4.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.4

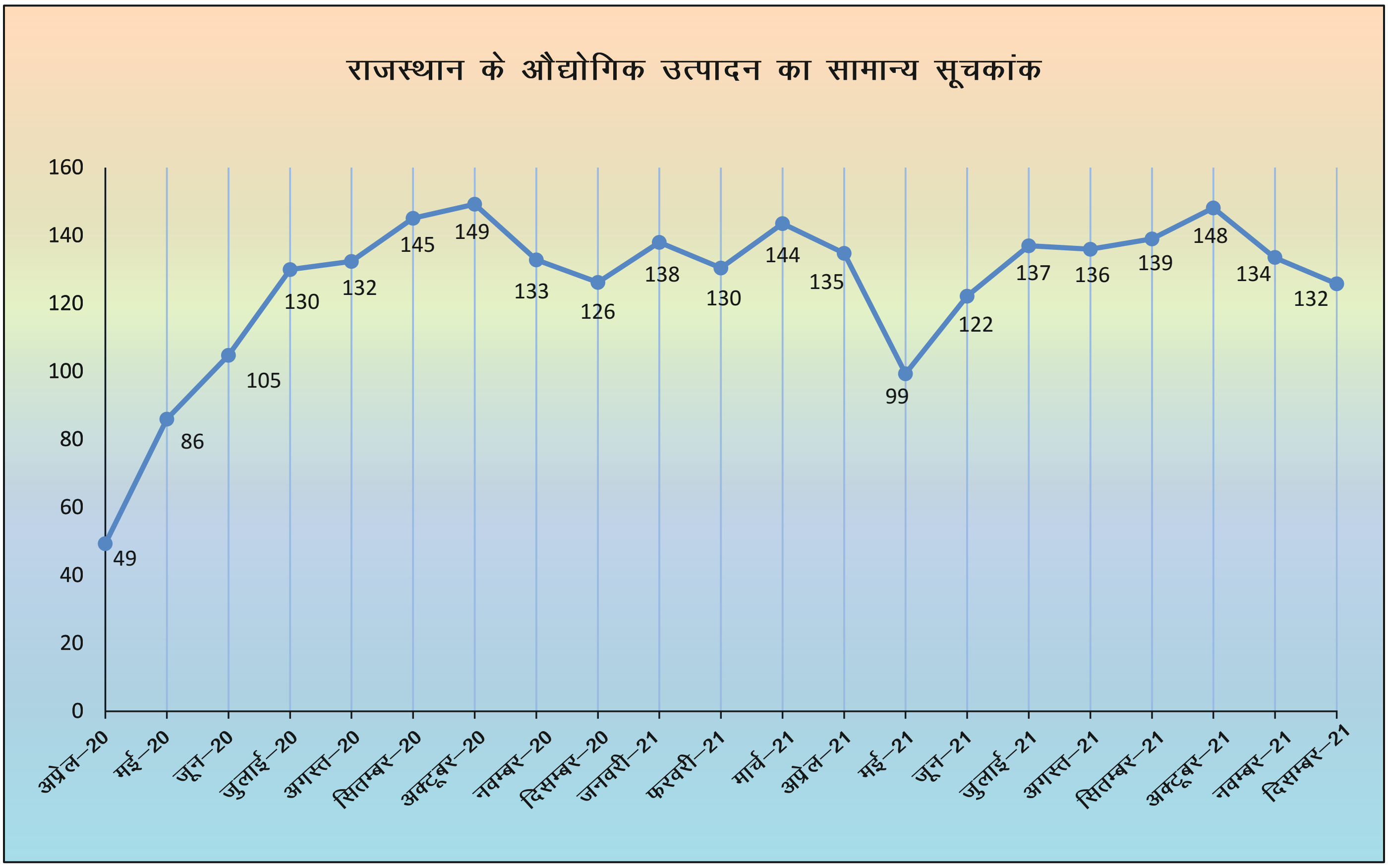

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

उद्यम वर्गीकरण के मानदण्डों में दिनांक 1 जुलाई, 2020 से परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक उद्यम को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, अर्थात:–

अ) सूक्ष्म उद्यम : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं हैं और कारोबार पांच करोड़ रूपये से अधिक नहीं है;

ब) लघु उद्यम : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश दस करोड़ रूपये से अधिक नहीं हैं और कारोबार पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं है;

स) मध्यम उद्यम : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं हैं और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयाँ राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में इसका योगदान व्यापक रूप से मान्य है। इस प्रकार, राज्य में एम.एस.एम.ई. उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार दिए गए हैं:–

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण:** संशोधित एम.एस.एम.ई. परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई., मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 को एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान कुल 2,02,947 औद्योगिक इकाईयों का उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीयन किया गया। इन इकाईयों में ₹7,699.46 करोड़ के निवेश से 11,28,082 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये हैं।

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.):** राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' को अधिसूचित कर 13 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ कर दी गई है। इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 1,601 उद्यमियों को ₹485.32 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रगति तालिका 4.2 में दर्शायी गई है।

तालिका–4.2 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रगति

क्रम संख्या	वर्ष	ऋण वितरण (संख्या)	ऋण वितरण (₹ करोड़)	ब्याज अनुदान (₹ करोड़)
1	2019–20	239	33.75	0.00
2	2020–21	8259	2016.13	2.98
3	2021–22*	1601	485.32	21.79
योग		**10099**	**2535.20**	**24.77**

*दिसम्बर, 2021 तक

- **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019:** राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 17 जुलाई, 2019 को ''राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम—2019'' लागू किया गया।

राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु, 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल "https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/" लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। इसमें एमएसएमई इकाई को, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से 'डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट' नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक 'पावती प्रमाण पत्र' (Acknowledgement Certificate) जारी किया जाता है, पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।

इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसंबर, 2021 तक) में 2,766 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए एवं उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 1,393 सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी, 811 लघु श्रेणी और 562 मध्यम श्रेणी के प्रमाण—पत्र जारी किए गए हैं।

निर्यात

राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे – बाजार के अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र, मशीनरी व विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीकी में उन्नयन तथा अधिक रोजगार के अवसर आदि के संदर्भ में भी है।

नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)—2020 जारी किया गया है, जिसमें 'लैंडलॉक्ड स्टेट्स' की श्रेणी में राजस्थान 62.55 सूचकांक के साथ एक शीर्षस्थ प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में उभरा है। निर्यात में वृद्धि दर एवं अभिविन्यास के अतिरिक्त, राज्य ने सभी स्तम्भों एवं उप—स्तम्भों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुएं और रासायनिक एवं सम्बद्ध हैं, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल निर्यात ₹52,764.31 करोड़ हुआ है।

राजस्थान से किए गए निर्यातों का विवरण तालिका—4.3 एवं वर्ष 2020—21 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान को चित्र—4.5 में दर्शाया गया है।

राज्य, निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरन्तर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारम्भ करने में प्रयासरत है, जो कि निम्नानुसार दिए गए हैः—

चित्र 4.5

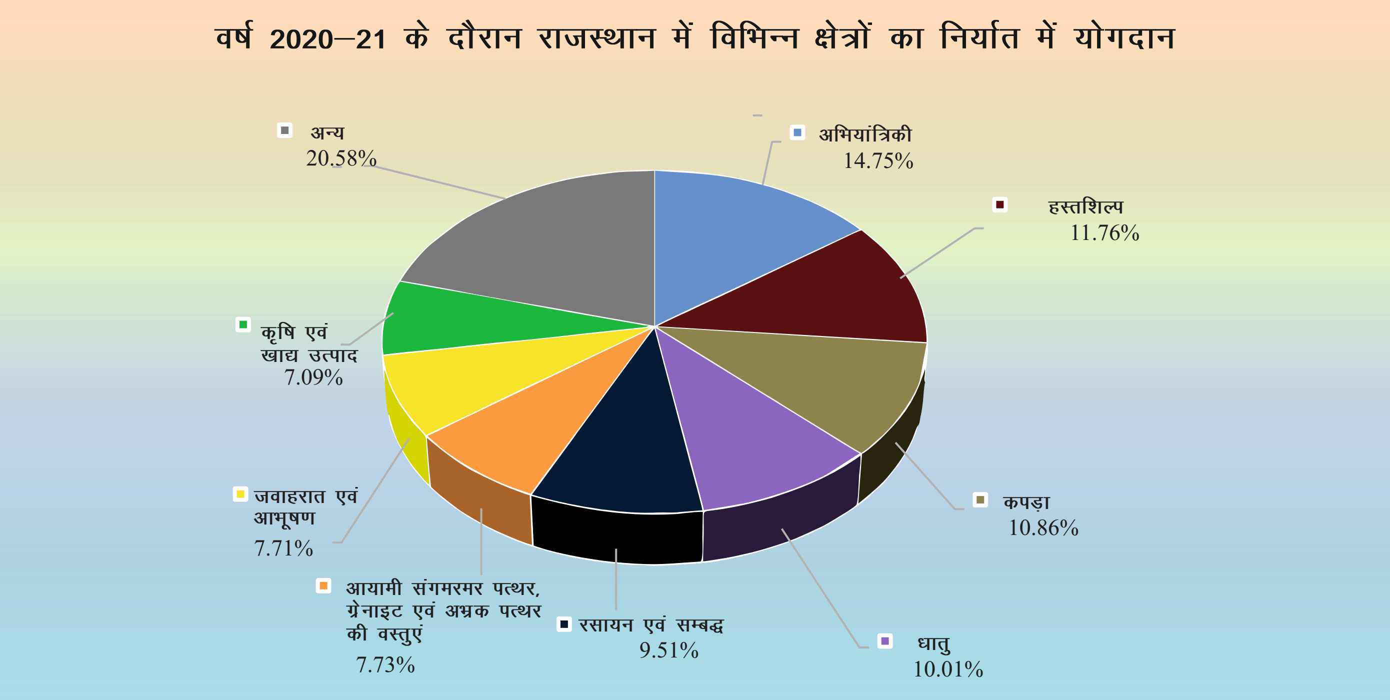

तालिका–4.3 राजस्थान से निर्यात

(₹करोड़)

क्र.सं.	उत्पाद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कपड़ा	5256.61	5667.30	6750.11	6165.79	5729.29
2	कृषि एवं खाद्य उत्पाद	3720.43	4204.84	4525.87	3708.96	3740.65
3	जवाहरात एवं आभूषण	5695.33	5264.38	5737.55	5109.60	4067.36
4	अभियांत्रिकी	5629.20	7350.17	7632.99	7674.76	7781.81
5	धातु					
	1. लौह	745.06	935.07	970.59	1216.60	1102.94
	2. अलौह	3129.20	4065.19	3343.21	3182.29	4180.75
6	आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं आदि	3102.51	3172.40	3354.58	3208.81	4080.22
7	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क, स्लैग एवं ऐश	13.40	138.96	168.96	871.39	842.34
8	इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2439.73	2531.42	2833.24	2729.70	3016.01
9	ऊन एवं ऊनी कपड़े	62.93	91.73	139.11	130.74	62.30
10	रासायनिक एवं सम्बद्ध	3404.74	4231.55	5901.94	4260.30	5016.53
11	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	469.28	604.64	1027.35	1899.69	2268.39
12	प्लास्टिक एवं लिनोलियम	701.94	922.87	896.85	1178.65	1337.58
13	हस्तशिल्प	3831.36	3701.55	4825.42	5219.48	6205.32
14	चमड़ा एवं चर्म उत्पाद	266.66	296.89	356.85	226.25	193.43
15	तैयार वस्त्र	1660.61	1831.51	2078.28	2073.20	1764.40
16	कालीन (ड्यूरीज)	626.84	1095.32	625.67	563.08	464.70
17	अन्य	20.28	371.13	9.84	526.81	910.28
योग		**40776.11**	**46476.92**	**51178.41**	**49946.09**	**52764.31**

मिशन निर्यातक बनो : राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2021 को एक अनूठी पहल ''मिशन निर्यातक बनो'' प्रारम्भ की गई है। उक्त मिशन के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है। कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। दिसम्बर, 2021 तक राज्य में 5,433 उद्यमियों को आयात–निर्यात कोड (आई.ई.सी.) जारी किये गये हैं और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया

जा रहा है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य से नवीन निर्यातकों को प्रथम निर्यात निर्गम तक की पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना : निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात पुरस्कार योजना—2019 लागू की गई है। योजनान्तर्गत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित अधिकतम 33 पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019—20 के लिए राज्य से 28 उत्कृष्ट निर्यातकों एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड पुरस्कार सहित कुल 29 निर्यातक इकाईयों का चयन पुरस्कार निर्धारण समिति द्वारा किया गया है।

निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन/दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

राज्य के ऐसे उद्यमी, जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ हैं और बिचौलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई थी। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य से 6—7 जिलों का चयन कर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रति जिले ₹75,000 दर से जिला उद्योग केन्द्र को बजट आवंटन किया जाता है। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगभग 35—40 निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाईयों के समाधान एवं उन्हे निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (आर.ई.पी.सी.) की स्थापना की गई है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कार्यशील विभिन्न विभागों की प्रगति अग्रगामी भाग में दर्शाई गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में कई संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नीतियां एवं सुधार क्रियान्वित किए जाते हैं। यह राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है। वर्तमान में, उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा 8 उप केन्द्र कार्यरत हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ.सी.) की स्थापना की गयी है, ताकि उद्यमियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने व नव उद्यम स्थापना में आने वाली कठिनाईयों को निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तन्त्र (डी.आर.एम.) के रूप में समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्णय सभी विभागों पर बाध्यकारी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 114 बैठकें आयोजित की गई है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के निस्तारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम—2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्थापित 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुर्नगठन कर राज्य स्तर पर 2 एवं संभाग स्तर पर 7 सूक्ष्म एवं लघु सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल 9 परिषदों का गठन किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 204 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैंः—

औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.)ः वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2021—22 (नवम्बर, 2021 तक) के दौरान ₹33,708 करोड़ निवेश के साथ 48 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)ः इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 898 इकाईयों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया एवं भारत सरकार द्वारा ₹27.57 करोड़ की मार्जिन मनी प्रदान की गई है।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरः औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने से सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 26 जिला स्तरीय एवं 92 पंचायत समिति स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं।

चर्म प्रशिक्षण उद्योग : चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने

के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 110 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण चमड़े की रंगाई/चर्म उत्पाद आधारित तकनीकी सुधार पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान योजनान्तर्गत ₹3.93 लाख का व्यय किया गया है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019: राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको–सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत सरंचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019 लागू की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019: राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी की गई है। इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षो के लिए एस.जी.एस.टी का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किए गये है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 3,268 आवेदकों को निवेश करने पर छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिसमें ₹54,254.84 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ बी.आर. अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। इस योजना को राज्य की फ्लेगशिप स्कीम में शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत प्रगति तालिका 4.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका–4.4 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के अन्तर्गत प्रगति

वर्ष	जारी पात्रता प्रमाण पत्र (इकाईयों की संख्या)	निवेश (₹ करोड़)
2019-20	524	12829.44
2020-21	3423	63392.01
2021-22*	3268	54254.84
योग	**7215**	**130476.29**

*दिसम्बर, 2021 तक

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.): कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 के अनुसार, ऐसी कम्पनियां, जिनकी वार्षिक कुल सम्पत्ति ₹500 करोड़ या अधिक हो अथवा टर्न ओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक हो अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो तो ऐसी कम्पनियों को सी.एस.आर. के तहत उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत के 2 प्रतिशत को अनुसूची–VII में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।

31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य में 122 कॉरपोरेट्स, 22 राजकीय विभागों, 261 क्रियान्वयन एजेन्सियों एवं 48 सेवा प्रदाताओं ने सी.एस.आर. पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। सम्पूर्ण राज्य में 149 सी.एस.आर. परियोजनाओं में ₹493.90 करोड़ राशि का व्यय अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) के प्रावधानों को उचित प्रकार से क्रियान्वयन करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन 6 नवम्बर, 2019 को किया गया है। यह नए प्रावधानों के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है और इस हेतु प्राप्त राशि से समुचित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करता है।

साझेदारी फर्मों का पंजीयन: कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन किया जाता है तथा सभी जिलों में भागीदारी फर्मों का पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान साझेदारी नियम, 2017 के तहत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रॉर ऑफ फर्म्स के रूप में किया जाता है। वर्ष 2021–22 माह दिसम्बर, 2021 तक 3,157 साझेदारी फर्मों का पंजीयन कर राशि ₹10.36 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ एवं 8 नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन कर राशि ₹8,000 का राजस्व प्राप्त हुआ।

दस्तकार परिचय पत्र: जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पहचान पत्र सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा भी हस्तशिल्पियों के लिए ''पहचान पत्र'' जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान विकास आयुक्त, हस्तशिल्प राजस्थान द्वारा कुल 1,485 दस्तकारों के परिचय पत्र जारी किए गए हैं।

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.)

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्द्धन एजेन्सी है, जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में अपनी स्थापना के समय से ही, सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु बी.आई.पी एक इन्टरफेस की तरह कार्य कर रहा है। बी.आई. पी. ₹10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति (स्टेट एम्पावर्ड कमेटी) के लिए नोडल एजेन्सी है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी अनुमति एवं विशेषीकृत पैकेज हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच करती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के दौरान ₹1,68,490 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 1,01,721 व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं से युक्त 16 प्रस्तावों की अनुशंषा की गई।

राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य की छवि को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करने हेतु संभावित निवेशकों एवं बड़े उद्यमियों से संवाद करने के लिए बी.आई.पी द्वारा निम्न आयोजनों में भाग लिया गयाः—

1. रीको द्वारा पेट्रोलियम, केमिकल एण्ड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) में निवेश संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 27 जनवरी, 2021 को आयोजित अधिवेशन ।
2. रीको द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग निवेशक सम्मेलन हेतु 26 फरवरी, 2021 को आयोजित वेबीनार।
3. 25—26 फरवरी, 2021 एवं 1—2 मार्च, 2021 को इंडिया फार्मा—2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस—2021 वर्चुअली आयोजित वेबीनार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत प्रयासों को प्रेरित करने हेतु 27 फरवरी, 2021 को आयोजित वेबीनार।
4. 17 से 19 मार्च, 2021 को आयोजित इंडिया केम—2021।
5. 17 से 19 मार्च, 2021 को आयोजित टेक्नोटेक्स — 2021।
6. 5 मार्च, 2021 को आयोजित ऑनलाइन वेबीनार — आत्मनिर्भर राजस्थान—एम्पावरिंग एमएसएमई।
7. अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ, जयपुर द्वारा 6 मार्च, 2021 को आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (ऑनलाइन 25 से 26 मार्च, 2021) निवेश अवसरों पर सत्र।
8. इंडियन चैंबर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस द्वारा भारत जापान भागीदारी शिखर सम्मेलन पर 16 मार्च, 2021 को आयोजित वेबीनार।
9. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, रीको और सीआईआई द्वारा 27 अप्रैल, 2021 को राजस्थान— अक्षय ऊर्जा उपकरणों हेतु उपयुक्त स्थल (राजस्थान डेस्टीनेशन रिन्यूवेबल एनर्जी इक्यूपमेंट) विषय पर आयोजित वेबीनार।
10. फिक्की और सिक्की द्वारा राजस्थान में व्यवसाय एवं निवेश के अवसरों पर 19 जुलाई, 2021 को आयोजित वेबीनार।
11. निवेश संवर्द्धन ब्यूरो द्वारा राजस्थान में निवेश के अवसरों पर 18 अगस्त, 2021 को आयोजित वेबीनार।

इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम : इन्वेस्ट राजस्थान समिट 24 व 25 जनवरी, 2022 को आयोजित करने का प्रस्ताव था। सम्मेलन से पहले इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम दिसंबर, 2021 में 7 शहरों (दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई) में आयोजित किए गए। 12—18 नवम्बर, 2021 को दुबई एक्सपो में राज्य के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भाग लिया गया और 16 दिसंबर, 2021 को यूएसए के साथ एक वर्चुअल इनवेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम (एकल खिड़की स्वीकृति/अनुमति प्रणाली) : सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम समयबद्ध विभिन्न लाईसेंस, अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 तक, 15 विभागों की 105 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमोदन/मंजूरी हेतु कुल 73,077 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 47,803 प्रस्तावों/आवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

वन स्टॉप शॉपः वर्तमान सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को सुदृढ़ बनाने, निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने और शीघ्र अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति/अनुमति एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से ''वन स्टॉप शॉप'' सुविधा की

स्थापना बी.आई.पी द्वारा की जा रही है। वन स्टॉप शॉप के तहत, निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक ''बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट'' का गठन किया गया है।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक–2020 हेतु गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को जारी किया गया है। वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत, आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल https://rajnivesh.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। रीको द्वारा की गई प्रमुख प्रगति निम्नानुसार है:–

आधारभूत विकासः रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक इकाई हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 3,816.51 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, 1,440.16 एकड़ भूमि का विकास एवं 1,524 भूखण्ड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य भूखण्ड सहित) आवंटित किए हैं। इसमें 1,271 भूखण्डों को आवंटन पत्र जारी किये गये हैं तथा 253 भूखण्डों पर ऑफर लैटर जारी किये गये हैं। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों पर व्यय ₹293.24 करोड़ तथा वसूली ₹809.11 करोड़ की रही।

वित्तीय सहायताः रीको राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों एवं अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रीको राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेक प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता/सेवाएं भी प्रदान करता है। रीको की एक मुख्य गतिविधि राज्य में स्थापित विविध परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान सावधि ऋण की स्वीकृति ₹20.59 करोड़, ऋण वितरण ₹25.21 करोड़ एवं वसूली ₹98.02 करोड़ रही है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

लघु विकास केन्द्रः लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिये लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में ₹96.16 करोड़ के अनुदान के साथ ₹206.85 करोड़ लागत की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा ₹64.06 करोड़ जारी किए गए हैं। 35 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान समस्त 35 परियोजनाओं पर कुल ₹150.21 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स/जोन

अ) **एग्रो फूड पार्क्सः** रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि पर ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र'' भी विकसित किया गया है।

ब) **जापानी क्षेत्र/जोनः** रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे निसीन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित है। वर्तमान में इस पार्क में 45 इकाईयां कार्यरत हैं। इन इकाईयों के द्वारा लगभग 16,719 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ ही ₹5,860 करोड़ का निवेश किया गया है।

एक अन्य जापानी क्षेत्र अलवर जिले के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

स) **विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज):** रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र) जेम्स एण्ड ज्वैलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान लगभग ₹1,375.81 करोड़ का निर्यात किया गया। दिसम्बर, 2021 तक कुल 11,131 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

द) महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) : महिन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) में ₹5,538.12 करोड़ निवेश के साथ एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान लगभग ₹1,502.50 करोड़ का निर्यात किया गया है। दिसम्बर, 2021 तक लगभग 52,000 व्यक्तियों हेतु रोजगार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सृजित किया गया है।

निगम की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका—4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5 रीको की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

विवरण	लक्ष्य 2021—22	उपलब्धियां 2021—22#
अ. वित्तीय सहायता (सावधि ऋण) (₹करोड़)		
अ) स्वीकृति	50.00	20.59
ब) वितरित	40.00	25.21
स) वसूली	120.00	98.02
ब. आधारभूत विकास		
अ) भूमि अवाप्त (एकड़)	*	3816.51
ब) भूमि विकसित (एकड़)	*	1440.16
स) भूखण्ड आवंटन (संख्या)	5000	1524**
स. अन्य (₹करोड़)		
अ) आधारभूत विकास पर व्यय	952.45	293.24
ब) आधारभूत देय राशि की वसूली	1322.00	809.11

#दिसम्बर, 2021 तक

*लक्ष्य तय नहीं

**1,271 भूखंडों के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए, 253 भूखंडों के लिए निविदा स्वीकृत एवं प्रस्ताव पत्र जारी किए गए, परन्तु आवंटन पत्र जारी नहीं किए गए।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून, 1961 में की गई। एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते यह बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने एवं नई तकनीक के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास कर रहा है। निगम राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान राजसीको का कारोबार (टर्न ओवर) ₹35.30 करोड़ का रहा है।

निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम जयपुर, जोधपुर व भीलवाड़ा में स्थित शुष्क बंदरगाहों (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/आयातकों को निर्यात आधारभूत सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात/निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात—निर्यात की सुविधाएं सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही भीलवाड़ा में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो प्रारम्भ किया जा रहा है।

राजसीको के अन्य कार्यों में लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करना और राजकीय विभागों को कांटेदार तार, डेज़र्ट कूलर, आर.सी.सी. पाइप, टेन्ट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलिथीन बैग्स, एंगल आयरन पोस्ट आदि जैसे लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करना है। वर्ष 2021—22 के दौरान लगभग 50 औद्योगिक इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है।

निगम, राजस्थान के शिल्पकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन करता है। सम्पूर्ण राजस्थान में 450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद की जाती है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021—22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कारोबार (टर्न ओवर) ₹264.93 लाख का रहा है।

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1955 में की गई। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ₹20 करोड़ तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराना है। आर.एफ.सी. की राजस्थान में औद्योगिकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका/अस्तित्व है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इसके प्रारम्भ से 31 मार्च, 2021 तक 83,999 इकाईयों को ₹8,565.01 करोड़ का ऋण वितरण

कर राज्य के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निगम द्वारा उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

निगम की योजनाएं

- सामान्य परियोजना ऋण योजना
- सेवा क्षेत्र हेतु योजना
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर हेतु योजना (सी.आर.ई.)
- एकल खिड़की योजना (₹200 लाख तक परियोजना लागत की लघु एवं एसएसआई इकाईयों के लिए)
- अर्हता प्राप्त पेशेवरों हेतु योजना
- फाइनेन्सिंग अगेंस्ट एसेट्स योजना
- स्विच ओवर ऋण योजना
- सरल योजना
- एम.एस.एम.ई. के वर्तमान ऋणियों हेतु टॉप–अप ऋण योजना
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना
- रीको द्वारा औद्योगिक इकाईयों, होटल एवं अस्पतालों के लिए आवंटित भूमि पर वित्त पोषण हेतु ऋण योजना
- आयात लाईसेंस वाली मार्बल प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विशेष ऋण योजना
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)
- निगम द्वारा परामर्श सेवाएं
- किराये के परिसर में स्थापित उद्योगों को ऋण योजना

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

- लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल)
- कार्यशील पूंजी ऋण योजना
- विशेष कार्य हेतु कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना
- गैर सहायता प्राप्त इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना
- गोल्ड कार्ड योजना
- प्लेटिनम कार्ड योजना
- गुड बॉरोअर्स स्कीम द्वारा प्रवर्तित इकाइयों हेतु ऋण योजना
- फ्लेक्सी ऋण योजना

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.): राज्य के औद्योगीकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 2013–14 में ''युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)'' के नाम से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1,000 इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर ₹1.50 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आर.एफ.सी. द्वारा योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 तक 511 इकाईयों को ₹515.15 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण तालिका–4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.6 राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

(₹करोड़)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2018-19	300	314.89	260	264.11	250	270.46
2019-20	250	228.60	200	190.00	300	311.53
2020-21	300	164.56	250	139.07	275	230.38
2021-22*	150	68.32	100	75.55	200	203.74

* दिसम्बर, 2021 तक

निगम द्वारा कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए ऋणियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित राहत प्रदान की गई है–

अ. माह जून, 2021 में देय समान तिमाही मूलधन किश्त (ई.क्यू.आई.) को स्थगित कर दिया गया है और पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि (एल.डी.आर.) के बाद पुनर्गठित (संशोधित) पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार वसूल किया जायेगा।

ब. माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2021 में देय मासिक मूलधन की किश्तों को स्थगित कर दिया गया है और पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि (एल.डी.आर.) के बाद पुनर्गठित (संशोधित) पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार वसूल किया जायेगा।

स. माह जून, 2021 में देय ब्याज का भुगतान 31 जुलाई, 2021 तक किया जा सकता है।

द. पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र की इकाईयों के संबंध में माह जून, 2021 में देय समान त्रैमासिक मूलधन की किश्त के साथ–साथ माह सितम्बर, 2021, दिसम्बर, 2021 एवं मार्च, 2022 में देय समान त्रैमासिक किश्तों को भी स्थगित कर दिया गया है और पुनर्गठित (संशोधित) पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार वसूल किया जायेगा, जिनका पुनर्भुगतान निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि के बाद त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा।

य. जिन इकाईयों की परियोजना का क्रियान्वयन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं उनकी मूलधन की किश्तों का पुनर्भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है, उनकी पुनर्भुगतान अवधि को छः माह बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)

दादरी (उत्तर प्रदेश) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1,504 किमी. है। जिसका लगभग 38 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किमी. के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) एवं जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) को विकसित किया जा रहा है। रीको एवं नेशनल इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर डेवलपमेंट एण्ड इम्पलीमेंशन ट्रस्ट (एन.आई.सी.डी.आई.टी.) द्वारा 29 सितम्बर, 2021 को स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एस.एस.ए.) एवं शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एस.एच.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन नोड्स के लिए एक संयुक्त एस.पी.वी. (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनाए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.):** खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी. का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के 42 गाँव सम्मिलित हैं। खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार कर अन्तिम रूप दिया गया है।

  इसके प्रथम चरण में 532.30 हैक्टेयर भूमि एवं 60 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड़ हेतु आवश्यक 26.65 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) को अब तक ₹82.46 करोड़ का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। रीको द्वारा मुआवजे की शेष राशि के भुगतान के लिए रीको बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। रीको ने मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को ₹62.00 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।

- **जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.):** जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) के रूप में अधिसूचित किया गया है। रीको को जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया। पाली जिले की 1,374.35 हेक्टेयर राजकीय भूमि जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निहित की गई है।

राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम–2016

राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम–2016'' के नाम से एक विशेष कानून

26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड'' का गठन किया गया है।

अलवर जिले की बहरोड़, मुण्डावर, नीमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र ''भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप (बी.आई.टी)'' के नाम से घोषित किया गया है तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ''भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण'' (बी.आई.डी.ए.) का भी गठन किया गया है।

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा, 42 ग्रामों को पृथक कर खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा। भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप के शेष 321 ग्रामों के लिए बी.आई.डी.ए. ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग (के.वी.आई.)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए की गई। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.): प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 262 ग्रामोद्योग इकाईयाँ स्वीकृत की गई एवं 1,917 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

छूट (रिबेट): वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने केवल राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 2 अक्टूबर, 2021 से जनवरी, 2022 तक 35 प्रतिशत की दर से छूट देने को मंजूरी दी गई है। एमडीए (मार्केटिंग डवलपमेंट असिस्टेंस) मद की 15 प्रतिशत छूट के साथ कुल 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।

बजट प्रावधान: राज्य बजट के अंतर्गत बोर्ड द्वारा मार्केटिंग डवलपमेंट असिसटेन्स, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ बोर्ड एण्ड सेन्टर्स, खादी एक नई पहल योजना एवं भण्डार नवीनीकरण आदि का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कुल स्वीकृत बजट राशि ₹515.00 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹106.30 लाख का व्यय किया गया है।

अभिनव योजनाएं

1. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जो कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गठित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 04 अक्टूबर, 2021 को बोर्ड परिसर में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
2. बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के तहत बोर्ड द्वारा जयपुर मे खादी प्लाजा का निर्माण किया जाना है।
3. राज्य की 144 खादी संस्थाओं/सहकारी समितियों के विक्रय भण्डारों के आधुनिकीकरण को सुदृढ़ करने के क्रम में उनके कम्प्यूटराईजेशन हेतु राशि ₹1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनका कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
4. बजट घोषणा वर्ष 2021–22 में 5,500 कत्तिनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु कत्तिनों को राशि ₹300 एवं बुनकरों को राशि ₹500 प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षणोपरान्त 500 कत्तिनों को अम्बर चरखे व 300 बुनकरों को करघे निःशुल्क वितरित किये जायेंगे जिसके लिए राशि ₹725.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2021–22 तक 172 खादी एवं ग्रामोद्योग भण्डारों का जीर्णोद्धार किया गया है और नवीनीकरण के प्रभाव से बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग भण्डारों के जीर्णोद्धार हेतु ₹170.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड दिशा निर्देशों में प्रदत्त छूट के दौरान 22 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2021 तक रामलीला मैदान, जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल बिक्री लगभग ₹4.34 करोड़ रही। दिसम्बर, 2021 तक बीकानेर संभाग मे एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल ₹45.67 लाख की बिक्री हुई है। संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का

आयोजन 11 से 27 दिसम्बर, 2021 तक संभाग उदयपुर में किया गया है, जिसमे कुल ₹1.83 करोड़ की बिक्री हुई है।

7. खादी बिक्री को प्रोत्साहन देने के तहत राष्ट्रीय स्तर की खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2021–22 में 11 दिसम्बर, 2021 को रामलीला मैदान, न्यू गेट जयपुर में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें खादी परिधानों का लाइव मॉडल्स पर प्रदर्शित (खादी शो) किए गए।

गत चार वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क्रमशः तालिका–4.7 तथा 4.8 में दी गई है।

तालिका–4.7 खादी एवं ग्रामोद्योग की वित्तीय प्रगति

(₹लाख)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2018-19	384	334
2019-20	442	315
2020-21	389	226
2021-22*	515	106

* दिसम्बर, 2021 तक

तालिका–4.8 खादी एवं ग्रामोद्योग की भौतिक प्रगति

वर्ष	स्वीकृत/वितरित इकाई				रोजगार (संख्या)				उत्पादन (₹लाख)	
	भौतिक		वित्तीय (₹लाख)		खादी		ग्रामोद्योग		खादी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2018-19	929	448	2322.00	1348.63	18860	16723	7432	3813	6651.90	6904.00
2019-20	1019	445	3058.26	1320.14	22767	13418	8129	2519	9867.16	3519.19
2020-21	806	545	2418.02	1999.69	22852	17045	6466	4181	9915.91	4966.51
2021-22*	1088	262	3156.36	1124.60	20382	18139	8631	1917	7280.00	6261.00

* दिसम्बर, 2021 तक

कारखाना एवं बॉयलर्स

इस विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम–1948, बॉयलर अधिनियम–1923 एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम–1936 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू करना है। उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों की अनुपालना हेतु समय–समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों का निरीक्षण किया जाता है एवं कारखाना प्रबन्धकों को दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 3,289 कारखाना एवं बॉयलर्स के निरीक्षण किए गए। इसी अवधि के दौरान विभाग द्वारा 434 नए कारखानों एवं 102 नए बॉयलर्स का पंजीयन किया गया, जिनमें लगभग 35,426 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है।

नए उद्यमियों को विभाग द्वारा लागू किए गए अधिनियमों व इसके मुख्य प्रावधानों की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा एक वेबसाइट www.rajfab.nic.in विकसित की गई है और उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण और नक्शों की स्वीकृति के लिए एक वेब एप्लीकेशन rajfab.rajasthan.gov.in को विकसित किया गया है।

कारखानों में सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और व्यवसाय–जनित रोगों की जाँच के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की गयी। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) में, 159 कारखानों से 713 नमूने एकत्र किए गए एवं उनका विश्लेषण किया गया। जिन कारखानों में वायु प्रदूषण निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया गया, उन्हें नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिए गए हैं।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कारखानों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसम्बर, 2021 तक 60 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,576 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान में खनन क्षेत्र

राजस्थान में खनिज संसाधन

राजस्थान राज्य का भूविज्ञान (जिओलॉजी) प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। यहां 82 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरू), स्टेटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा– संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाईट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेन्ट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। वर्तमान में खनन पट्टों को ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

राज्य में प्रधान खनिजों के 174 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,280 खनन पट्टे एवं 17,577 खदान लाईसेन्स विद्यमान हैं। खान एवं भू–विज्ञान विभाग को वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹7,100 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹4,159.13 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। गत वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹3,125.70 करोड़ राजस्व एकत्रित किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इसी अवधि के दौरान संकलित राजस्व ₹1,033.43 करोड़ अधिक है।

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (आई.पी.एस): वर्ष 2021–22 के लिए खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार 7 अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत भू–वैज्ञानिक जांच कार्यक्रमों के लिए कुल 46 परियोजनाएं रखी गईं थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान किए गए पूर्वेक्षण कार्य की लक्ष्यवार भौतिक उपलब्धियां तालिका–4.9 में दर्शाई गई है।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) के अर्न्तगत खनन उपागम सड़क: विभाग खनिजों के परिवहन के लिए खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाता है और डी.एम.एफ.टी. के अर्न्तगत वर्ष 2021–22 के लिए ₹3,984.08 करोड़ की मंजूरी दी गई।

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए विभाग द्वारा 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) में की गई कार्यवाही का विवरण तालिका–4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.9 खान एवं खनिज की प्रगति

कार्य की प्रकृति	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां
क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण (वर्ग किमी.)	950	725
क्षेत्रीय भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	429	301
विस्तृत भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	84	57.90
छिद्रण (मीटर)	9300	1917.50
भू–भौतिकी सर्वेक्षण (लाइन किमी.)	30	21

तालिका–4.10 विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों का विवरण

विवरण	2021-22*
अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	6640
दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की संख्या	598
जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	6723
अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि (₹करोड़ में)	52.05

* दिसम्बर, 2021 तक

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)

राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण/उत्खनन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड नाम से एक कम्पनी की स्थापना, कम्पनी अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत 30 अक्टूबर, 1974 को की गई थी।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के कार्यों में कार्यरत है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज सम्पदा का आधुनिक तकनीकों से

दोहन करना है। कम्पनी के पास स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के साथ अल्प–सिलिका लाइम स्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबन्ध है।

प्रारम्भ से ही आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा खनिज क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण/खुदाई के लिए नई दिशा में प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप कम्पनी उत्पादकता बढ़ाने तथा उच्च लाभ अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹916.91 करोड़ तथा ₹224.49 करोड़ (अनअंकेक्षित) थे। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,343.44 करोड़ तथा ₹448.21 करोड़ है।

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड अपने वैधानिक एवं अन्य देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है। कम्पनी द्वारा दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान सरकार को ₹217.15 करोड़ रॉयल्टी, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी.एम.एफ.) के बकाया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बकाया (एन.एम.ई.टी), वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी), लाभांश आदि राजकोष में जमा करवाये गए तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹312.07 करोड़ जमा कराए जाने की सम्भावना है।

कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (एस. बी. यू. एण्ड पी. सी.) कहा जाता है, जिस पर सीधा नियंत्रण उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है। उपर्युक्त चार एस. बी. यू. एवं पीसी. इस प्रकार हैं–

i. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–रॉकफॉस्फेट झामर कोटड़ा, उदयपुर।
ii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–जिप्सम, बीकानेर।
iii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लाईमस्टोन, जोधपुर।
iv. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लिग्नाईट, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) तक अर्जित परिचालन राजस्व के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति के आंकड़े तालिका–4.11 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–4.11 परिचालन राजस्व के सम्बन्ध में वित्तीय प्रगति

(₹करोड़)

विवरण	परिचालन राजस्व 2021-22*
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. रॉक फास्फेट	383.76
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लाइम स्टोन	193.28
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम	18.02
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लिग्नाइट	278.28
106.30 मेगावाट पवन ऊर्जा एवं 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयत्र	44.18

* दिसम्बर, 2021 तक

सामाजिक गतिविधियां

आर.एस.एम.एम.एल. अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में विभिन्न संस्थाओं के लिए निरन्तर योगदान दे रहा है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान सी.एस.आर गतिविधियों पर कुल ₹50.00 लाख एवं वानिकी एवं पौधारोपण पर ₹72.11 लाख व्यय किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5 प्रतिशत कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16 प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती हैं।

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (30 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) है और यह बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिले) क्षेत्र में विस्तृत है।

i. बाड़मेर–सांचोर बेसिन – (बाड़मेर एवं जालौर जिले)

ii. जैसलमेर बेसिन– (जैसलमेर जिला)

iii. बीकानेर – नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)

iv. विंध्ययन बेसिन – (कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

1. **कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन एवं विकास की गतिविधियांः–**

- मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा– मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य सेटेलाइट क्षेत्र से लगभग 1,16,000 बैरल्स खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान बाड़मेर–सांचौर बेसिन से कुल 44.68 लाख मैट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न वेदान्ता द्वारा किया गया तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन से लगभग 1,346.30 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का उत्पादन केयर्न वेदान्ता, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी.एल. एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 11 पेट्रोलियम खनन पट्टे स्वीकृत किए गए। 15 पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) ब्लॉक्स में अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स दिए गए हैं।

- बाड़मेर–सांचौर बेसिन में खोजे गए 38 क्षेत्रों में कुल लगभग 205 मिलियन बैरल तेल के प्रमाणित भण्डार का आंकलन किया गया है।

- जैसलमेर बेसिन एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन में ऑयल इण्डिया, ओ.एन.जी.सी., केयर्न वेदान्ता व फोकस एनर्जी द्वारा लगभग 13 बिलियन क्युबिक मीटर कम गहनता एवं समृद्ध गैस के भण्डार प्रमाणित किए गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान ₹2,903.14 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है।

- मैसर्स फोकस एनर्जी द्वारा 8 जुलाई, 2010 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन आरम्भ किया गया और वर्तमान में रामगढ़ विद्युत संयंत्र को आपूर्ति करने के लिए 3 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।

- जैसलमेर जिले के बाघेवाला क्षेत्र से लगभग 43,624 बैरल भारी तेल का दोहन किया गया है। वर्तमान में, 150 बैरल प्रतिदिन भारी तेल (बी.ओ.पी.डी.) का उत्पादन किया जा रहा है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण हेतु नवीन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाईसेन्सिंग नीति/ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एण्ड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एच.ई.एल.पी.) की खुला रकबा लाईसेन्सिंग नीति/ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओ.ए.एल.पी.)–पंचम के अर्न्तगत बीकानेर–नागौर बेसिन में दो नवीन ब्लॉक ऑयल इण्डिया लिमिटेड को 17 नवम्बर, 2020 को आवंटित किये गये और राज्य सरकार द्वारा 17 जून, 2021 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल) जारी किये गये हैं।

2. **राजस्थान रिफाईनरी परियोजनाः** एच.पी.सी.एल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड (एच.आर.आर.एल.) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74 प्रतिशत (₹10,638 करोड़) और 26 प्रतिशत (₹3,738 करोड़) की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाईनरी सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बाड़मेर में किया गया। परियोजना की लागत ₹43,129 करोड़ है और यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। यह रिफाइनरी बीएस–6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाईनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सम्मिश्रण है। दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु ₹13,170 करोड़ का व्यय किया गया है।

पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व तालिका–4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.12 पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व

वर्ष	क्रूड ऑयल			प्राकृतिक गैस		पी.ई.एल. फीस अनिवार्य किराया आदि (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़) (2+5+7)
	रॉयल्टी (₹ करोड़)	उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)	उत्पादन (मिलियन बैरल)	रॉयल्टी (₹ करोड़)	उत्पादन एम. एम.एस.सी.एम.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2018-19	3766.05	75.58	50.66	100.47	708.94	16.69	3883.22
2019-20	3183.41	66.29	47.88	126.21	1160.92	10.48	3320.10
2020-21	1784.32	58.83	42.62	112.42	1232.75	8.05	1904.79
2021-22*	2614.42	44.68	32.35	277.29	1346.30	9.43	2903.14

* दिसम्बर, 2021 तक

श्रम

राज्य में श्रम विभाग उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने और श्रमिकों को समय पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से रोजगार के नियमों एवं प्रावधानों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्रियाशील है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई, 2020 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः ₹252, ₹264, ₹276 व ₹326 प्रतिदिन कर दी गई है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं का वित्त पोषण नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण लागत पर लगाए गए 1 प्रतिशत उपकर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 8.16 लाख आवेदन लंबित है, जिनका अनुमानित दायित्व ₹2,373.17 करोड़ है। वर्तमान में भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल की देनदारियां उपलब्ध निधि से अधिक हैं। कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य भी कम हो गए हैं एवं उसके कारण उपकर संग्रह की दर भी न्यून रहना अपेक्षित है।

कोरोना महामारी के कारण राज्य में घोषित लॉकडाउन की स्थिति में श्रमिकों को तात्कालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की मांग पर मण्डल द्वारा ₹328.50 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 777 दावों का निस्तारण किया गया और ₹21.23 करोड़ अवार्ड राशि निर्धारित हुई।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान प्राप्त 926 औद्योगिक शिकायतों में से 873 का निस्तारण किया गया और 90 औद्योगिक विवादों में से 81 मामलों का निस्तारण किया गया है।

श्रमिक संघ अधिनियम–1926 के अन्तर्गत श्रमिकों तथा नियोजकों के संघ का पंजीयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 30 ट्रेड यूनियनों का पंजीयन किया गया, जिनमें सदस्य संख्या 1,978 थी।

श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 1,126 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

'भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (बी.ओ.सी. डब्ल्यू)' द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) में 2.40 लाख निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण किया गया तथा 0.96 लाख हिताधिकारियों को कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान 'भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम–1996' के अन्तर्गत ₹345.52 करोड़ उपकर राशि एकत्र की गई।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैः–

- **निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना :** इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से उच्चतर अध्ययन हेतु हिताधिकारी बच्चों को ₹8,000 से ₹25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है एवं मेधावी बच्चों को ₹4,000 से ₹35,000 (पात्रता के अनुसार) प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

- **हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना :** इस योजना के अन्तर्गत ₹2.00 लाख से ₹5.00 लाख तक की सहायता हिताधिकारियों/आश्रितों को दी जाती है।
- **प्रसूति सहायता योजना :** इस योजना के अन्तर्गत लड़के के जन्म पर ₹20,000 व लड़की के जन्म पर पर ₹21,000 की सहायता दी जाती है।
- **सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत सिलिकोसिस पीड़ित होने की स्थिति में हिताधिकारी को ₹3.00 लाख तथा मृत्यु होने पर आश्रित को ₹2.00 लाख सहायता राशि दी जाती है।
- **निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना :** इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी को औजार/टूलकिट की खरीद पर ₹2000 या वास्तविक लागत, जो भी कम हो के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।
- **निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी को स्वयं के आवास निर्माण हेतु अधिकतम ₹1.50 लाख का अनुदान दिया जाता है।
- **निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु हिताधिकारी द्वारा जमा कराये गये अंशदान पर बोर्ड द्वारा 50–100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।
- **शुभ शक्ति योजना :** इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को और उद्यमिता विकास के माध्यम से महिला लाभार्थियों को आत्म–निर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु ₹55,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम ₹5.00 लाख तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1.00 लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 दिए जाएंगें।
- **निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) पाठयक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को विदेश में नियोजन के उद्देश्य से वीजा हेतु किए गए व्यय के पुनर्भरण हेतु मण्डल स्तर से अधिकतम ₹5,000 की राशि पुनर्भरण किया जायेगा।
- **निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

  i. प्रतियोगिता में भाग लेने पर – ₹2.00 लाख
  ii. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – ₹5.00 लाख
  iii. रजत पदक प्राप्त करने पर – ₹8.00 लाख
  iv. स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – ₹11.00 लाख
- **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में संशोधनः** इस संशोधन के तहत, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा के निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को संबंधित बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने पर ₹1.00 लाख प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यह राशि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः ₹4,000 और ₹6,000 प्रदान की जा रही थी।

रोजगार विभाग

रोजगार कार्यालय, रोजगार तलाश करने वालों तथा नियोजकों को क्रमशः उपयुक्त रोजगार/नौकरी एवं कार्यबल प्राप्त करने में सहायता कर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर आशार्थी उपलब्ध करवाये जाते हैं।

वर्ष 2021 में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 1,63,840 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 80,166 महिलाएं, 28,142 अनुसूचित जाति, 15,005 अनुसूचित जनजाति तथा 83,685 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति थे। उक्त समानावधि में 1,101 रिक्तियों को ज्ञापित किया गया था, जिसके विरूद्ध 4,247 आशार्थी नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए।

विभाग उम्मीदवारों को रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन करता है। शिविरों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है और रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसरों की सुविधा के लिए उम्मीदवारों और नियोक्ताओं को एक मंच प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान, 163 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया और रोजगार के अवसरों के माध्यम से 7,101 रोजगार चाहने वालों को लाभान्वित किया गया है।

इसके अलावा, रोजगार निदेशालय द्वारा पाक्षिक रूप से ''राजस्थान रोजगार संदेश'' नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें रोजगार चाहने वालों के लिए रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं, छात्रवृति एवं विभिन्न तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्रसारित की जा रही है।

हाल के वर्षों में रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्रों (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र) के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार राज्य में रोजगार की स्थिति तालिका–4.13 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.13 संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी) में रोजगार

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)
2018	15011	9.69	6631	4.40	21642	14.08
2019	15146	9.72	6479	4.20	21625	13.92
2020	15399	9.88	6377	4.17	21776	14.05
2021*	15483	9.85	6461	4.26	21944	14.11

* सितम्बर, 2021

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना : राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था, योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता ₹3,000 पुरूषों के लिए तथा ₹3,500 महिलाओं, ट्रांसजेडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर दिसम्बर, 2021 तक कुल 3,53,915 उम्मीदवारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में ₹1,305.29 करोड़ की राशि वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹462.76 करोड़ बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, योजना के नवीन दिशा–निर्देश ''मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2021'' 27 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम तीन महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। इसके अतिरिक्त, भत्ता राशि में भी ₹1,000 (पुरूष आवेदकों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेडर आवेदकों के लिए ₹4,500) की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–2021 के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।

मॉडल कॅरियर सेंटर्स (एम.सी.सी.) की स्थापना: भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के ढाँचे को मॉडल कॅरियर सेंटर के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में 16 मॉडल कॅरियर सेंटर की अनुमति प्राप्त हुई है, जिसमें से 3 मॉडल कॅरियर सेंटर्स, बीकानेर, भरतपुर व कोटा ने कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं। शेष जिलों जयपुर, अलवर, दौसा, झालवाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालौर, बारां, बांसवाड़ा तथा गंगानगर में मॉडल कॅरियर सेंटर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज–कौशल पोर्टल: कोविड–19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध तथा जनशक्ति एवं नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री

महोदय द्वारा 5 जून, 2020 को राज–कौशल पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इसमें राज्य सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जनशक्ति (संनिर्माण, कोविड प्रवासी श्रमिक, पंजीकृत प्रशिक्षित श्रमिक, आर.एस.एल.डी.सी. प्रशिक्षित, आई.टी.आई. प्रशिक्षित इत्यादि) के डाटा को एक स्थान पर लाया गया है। इस पोर्टल पर 59.92 लाख कुल श्रमिक/जनशक्ति तथा 9.59 लाख कुल नियोक्ता उपलब्ध है। इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

राजस्थान मिशन ऑन लाइवलिहुड (आर.एम.ओ.एल.) राज्य के गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। देशभर के विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल करके राज्य में कौशल प्रशिक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) के अन्तर्गत 640 से अधिक भागीदार एजेंसियां सूचीबद्ध हैं। दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न क्षेत्रों में 4.92 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य में कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा हैः–

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न श्रेणियों के युवाओं की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर.एस.एल.डी.सी. की मौजूदा राज्य पोषित योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (आर.ए.जे.के.वी.आई.के.) के रूप में तथा समाज के विभिन्न वर्गों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन दो योजनाओं यथा सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महा–अभियान) एवं समर्थ के रूप में किया गया है। राज्य प्रायोजित सभी तीनों योजनाओं को ''मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (एम.एम.के.वी.वाई.)''नाम से अम्ब्रेला स्कीम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। उपर्युक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

i. **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजविक)** : इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट मनोनयन एवं रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (भर्ती–प्रशिक्षण–नियोजन) मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा उन उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है जो कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी मांग का पता लगाने एवं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ii. **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम)** : इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है।

iii. **समर्थ** : इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धनतम, हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन, बालगृह के निवासियों, कारागार बन्दियों को रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.): मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.) शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवम्बर, 2019 को शुरू की गई है। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केन्द्र, महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल/सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

इस योजना का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. एवं कॉलेज शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिये 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जो कॉलेज के युवाओं के लिए प्रासंगिक हैं। पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 350 घण्टे है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित है।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 (**एम.एम.वाई.के.वाई. 2.0**) : कोविड—19 स्थितियों को देखते हुये आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा राजकीय विद्यालयों के नियमित छात्रों के ऑनलाईन प्रशिक्षण के लिये एम.एम.वाई.के.वाई. 2.0 प्रारम्भ किया गया है।

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनाएं

- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.—जी.के.वाई.):** दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई पहल/योजना लाइफ एमजी—नरेगा को भी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में समाहित कर दिया गया है। परियोजना अवधि 2019—22 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹755.93 करोड़ के संशोधित बजट प्रावधानों के साथ आर.एस.एल.डी.सी. को कुल 1,22,800 के संयुक्त लक्ष्य के विरूद्ध 72,800 युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.):** भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अन्तर्गत ₹70.96 करोड़ का केंद्रीय वित्तीय बजट आवंटित किया गया है। योजनांतर्गत 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिसमें से 31,493 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मार्च, 2020 में पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 के पूर्ण होने के पश्चात् मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 लॉन्च किया है। इस योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक 3,513 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं 228 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **स्किल एक्यूजीशन एण्ड नोलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प):** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, गुणवत्तायुक्त—प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा समाज के सभी वर्गों हेतु हेतु समस्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण हेतु ''स्किल एक्यूजीशन एण्ड नोलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प)'' परियोजना प्रारम्भ की गई है। चूँकि राज्य में एक सुविकसित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र एवं विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है, अतः संकल्प परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया अनुदान आरएसएलडीसी को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता एवं बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा।

प्रवासन सहायता केन्द्र : आरएसएलडीसी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाये रखने में सहायता करने हेतु 5 प्रवासन सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा संकल्प प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

विशेष योजनाएं

i. **भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास (भोर) कार्यक्रम—भिक्षुक मुक्त शहर** : आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के समन्वय से रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।
   - ऐसे व्यक्ति, जो भिक्षावृति को त्याग कर सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं के लिए आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जयपुर में भिक्षुकों हेतु पुनर्वास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है।
   - प्रशिक्षण की कुल अवधि 840 घंटे (105 दिवस) निर्धारित की गई है, जिसमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग एवं काउन्सलिंग का प्रावधान है।
   - योजनान्तर्गत लाभार्थियों को ₹225 प्रतिदिन की दर से वेतन हानि क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
   - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 80 भिक्षुकों को प्रशिक्षित किया गया है और इनमें से 64 भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वर्तमान में 20 भिक्षुक प्रशिक्षणाधीन हैं।

ii. **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण–जल स्वच्छता सहायता संगठन :** राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के साथ संयुक्त प्रयासों से राज्य के समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत प्लम्बर/इलैक्ट्रिशियन/फिटर के क्षेत्र 39,193 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

iii. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) :** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री–दक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के युवाओं को लघु अवधि, दीर्घकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण (आर.पी.एल.) से लाभान्वित किया जाएगा।

iv. **आई एम शक्ति :** राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं आयुक्त महिला अधिकारिता, निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक नई योजना ''इन्दिरा महिला शक्ति–कौशल समृद्धि योजना (आई एम शक्ति)'' प्रारम्भ की है। यह योजना राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार से डिजाइन की गई है। योजना के तहत 499 बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति तालिका–4.14 में दी गई है।

तालिका 4.14 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति

योजना	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या (प्रारम्भ से दिसम्बर 2021 तक)	प्रशिक्षित युवा 2021–22*	क्रियाशील कौशल विकास केन्द्र	प्रशिक्षणरत युवाओं की संख्या
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	70953	3637	58	3947
ई.एल.एस.टी.पी.	274689	9266	6	684
एम.एम.वाई.के.वाई. 1.0	1515	835	0	0
एम.एम.वाई.के.वाई. 2.0	2556	2556	ऑन–लाइन	50
पी.एम.के.वी. वाई. 2.0	31493	240	0	0
पी.एम.के.वी. वाई. 3.0	3513	3483	1	228
आर.एस.टी.पी.	58730	5696	2	80
आर.पी.एल. पी.एम.के.वी. वाई. 3.0	6053	3735	0	0
आर.पी.एल. पी.एम.के.वी. वाई. 2.0	2781	0	0	0
डब्ल्यू.एस.एस.ओ.	39193	0	0	0
आई.एम. शक्ति	499	499	0	0
पी.एम. दक्ष	316	116	1	60
योग	**492291**	**30063**	**68**	**5049**

* दिसम्बर, 2021 तक

अभिसरण पहल

राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सभी कौशल विकास योजनाओं के अभिसरण (एकरूपता) के लिए आदेश जारी किया गया। आरएसएलडीसी अभिसरण के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत घटक कौशल के लिए नोडल एजेंसी है। कम्पनी ने राज्य सरकार के 10 विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसम्बर, 2021 तक 73,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, कम्पनी अभिसरण के तहत निम्नलिखित 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है:

1. राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (एससीडीसी)
2. जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग (टीएडी)
3. अल्पसंख्यक विभाग

'कौशल पूर्ण राजस्थान' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नवाचार–

I. सीएसआर पार्टनरशिप : राजस्थान कौशल विकास कोष में प्रत्यक्ष योगदान जुटाने, कॉरपोरेट कौशल केन्द्रों की स्थापना करने तथा भूमि, भवन एवं मशीनरी इत्यादि का दान प्राप्त करने के लिए आरएसएलडीसी द्वारा एक समर्पित सीएसआर सेल का गठन किया गया है। सीएसआर के तहत आरएसएलडीसी द्वारा कौशल पैकेज की योजना बनाई गई है, ताकि उद्योगों के पास पैकेज सूची में से चयन करने एवं सहयोग देने के विकल्प को चुन सके।

II. रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (आरटीडी):

आरएसएलडीसी ने सुस्थापित और प्रतिष्ठित उद्योग संघों के साथ काम करने के लिए रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (आरटीडी) की शुरूआत की है। इसके अन्तर्गत युवाओं को उद्योग/नियोक्ता सर्वप्रथम अस्थायी नौकरी की पेशकश करेंगे, तत्पश्चात उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एवं प्रशिक्षण उपरान्त उनका रोजगार नियोजन सुनिश्चित करेंगे।

III. पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईटीटी): राजस्थान सरकार ने पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु आईटीईईएस, सिंगापुर के साथ उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र सीईटीटी की स्थापना की है। वर्तमान में आतिथ्य क्षेत्र में 565 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं 115 प्रशिक्षणाधीन हैं।

IV. तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन: शत प्रतिशत तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए, आरएलडीसी 36 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी)/सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 2.41 लाख से अधिक युवाओं का मूल्यांकन एवं प्रमाणन किया गया है।

V. ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ: राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार ''ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो (ओ.पी.बी.) एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ (आर.पी.एस.के.पी.)'' की स्थापना की हैं। ओ.पी.बी. एवं आर.पी.एस.के.पी. के मुख्य कार्य विदेश में नौकरी हेतु जाने के इच्छुक युवाओं को सूचना, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाना, नियोजित किए जाने की सुविधा, विदेशों में नियोजन हेतु सम्पर्क शिविरों की स्थापना, सुरक्षित एवं वैध प्रवास हेतु जागरूकता शिविर, प्रस्थान से पूर्व आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करना हैं।

VI. प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम (पी.डी.ओ.टी.): विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य करने हेतु विदेश जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जयपुर को अनुमोदित केन्द्र के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है तथा 5 जिलों जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चुरू एवं नागौर में प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रों की मंजूरी दी है। आरएसएलडीसी ने जयपुर, सीकर एवं नागौर में पीडीओटी केन्द्रों की स्थापना की है एवं दिसम्बर, 2021 तक 3,254 उम्मीदवारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है।

VII. जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यागंजनों हेतु प्रशिक्षण: राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जयपुर केन्द्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है तथा नियमित कौशल

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 2,367 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों यथा– होटल एवं रेस्तरां में हाउसकीपिंग तथा कस्टमर रिलेशन, आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र, सिलाई, इलेक्ट्रिकल वायरमैन तथा कुर्सियों में कैनिंग आदि में दिया जा रहा है।

VIII. विश्व युवा कौशल दिवसः राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, 2015 को मनाया गया और तदुपरान्त निरन्तर 7वां विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मनाया गया है।

IX. स्किल आईकन ऑफ दी मंथः राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा मार्च, 2015 में 'स्किल आईकन ऑफ दी मंथ' नामक पहल की शुरूआत उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है और समाज की सभी पूर्वकल्पित धारणाओं को तोड़कर एक रोल मॉडल बन गए हैं। इस पहल के अन्तर्गत, स्किल आईकन को एक प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी के साथ ₹11,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षण भागीदार एवं नियोक्ता को भी प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना से लेकर दिसम्बर 2021 तक 72 'स्किल आईकन' पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

X. जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति (डी.एल.एस.डी.सी.): जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति जिलों में कौशल विकास परियोजनाओं की निगरानी एवं पहुँच बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है। अप्रैल 2019, से प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य भर में 199 डी.एल. एस.डी.सी. की बैठकें आयोजित की गई हैं।

पुरस्कार

इंडिया स्किल्स–2021 : इंडिया स्किल्स–2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को 8 स्वर्ण और 8 रजत पदक प्राप्त हुए हैं। इंडिया स्किल्स कॉम्पीटिशन भारत में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने एवं युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इंडिया स्किल्स–2021 के विजेताओं को वर्ष 2022 में चीन के शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इन्टरनेशनल कॉम्पीटिशन में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

*****

अध्याय **05**

आधारभूत संरचना का विकास

एक दृष्टि में

ऊर्जा
- ❖ अधिष्ठापित क्षमता (31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति में) : 23,321.40 मेगावॉट

सौर ऊर्जा
- ❖ क्षमताः 142 गीगावॉट
- ❖ अधिष्ठापित क्षमता (दिसम्बर, 2021 तक) : 9,228.70 मेगावॉट

पवन ऊर्जा
- ❖ क्षमता : 1,27,750 मेगावॉट
- ❖ अधिष्ठापित क्षमता (दिसम्बर, 2021 तक) : 4,338 मेगावॉट

बॉयोमास ऊर्जा
- ❖ अधिष्ठापित क्षमता (दिसम्बर, 2021 तक) : 120.45 मेगावॉट

सड़क
- ❖ कुल सड़कों की लम्बाई (मार्च, 2021 तक) : 2,72,959.28 कि.मी.
- ❖ सड़क घनत्व : 79.76 कि.मी./100 वर्ग कि.मी.

महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा (वर्ष 2021–22, दिसम्बर, 2021 तक)
- ❖ महिला दिवस पर : 7,17,475 महिलाएं
- ❖ रक्षाबन्धन पर : 7,45,792 महिलाएं

परिवहन एवं संचार
- ❖ कुल वाहन पंजीकरण (वर्ष 2021–22, दिसम्बर, 2021 तक) : 7,83,865
- ❖ रेलमार्गों की कुल लम्बाई (मार्च, 2020 तक) : 5,998 कि.मी.
- ❖ टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या (मार्च, 2021 तक) : 6.68 करोड़

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा
- ❖ राहत कार्यों के लिए आवंटित राशि (वर्ष 2021–22, दिसम्बर, 2021 तक) : ₹1,419.42 करोड़

आधारभूत संरचना

बुनियादी ढांचे के विकास को अक्सर आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं (विशेष रूप से सड़क और रेलवे), संचार सेवाओं (पोस्ट और दूरसंचार) और ऊर्जा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तम्भों मे से एक है, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देन एवं परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचे में किए गए प्रमुख विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

ऊर्जा

ऊर्जा सही रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों–कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को सम्भव बनाता है। इसके अलावा, यह लाखों घरों को रोशन करता है और जन साधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। राजस्थान का बिजली नेटवर्क देश की प्रमुख प्रणालियों में से एक है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों की पूर्ति करता है।

(अ) ऊर्जा उत्पादन

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत तापीय संयंत्र, पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमॉस, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं।

अधिष्ठापित क्षमता

राज्य में मार्च, 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,979 मेगावॉट थी। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,342.50 मेगावॉट की वृद्धि हुई। इस प्रकार दिसम्बर, 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 23,321.40 मेगावॉट हो गई है। वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता तालिका–5.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–5.1 वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएं						
(अ)	तापीय	5190.00	5850.00	6510.00	7170.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	603.50	603.50	603.50
	योग (1)	**6810.79**	**7470.79**	**8130.79**	**8790.79**	**9450.79**
2. केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित						
(अ)	तापीय	1793.50	1793.50	1870.46	1903.46	1903.46
(ब)	जल विद्युत	738.79	740.66	740.66	740.66	740.66
(स)	गैस	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	456.74
	योग (2)	**3210.13**	**3212.00**	**3288.96**	**3321.96**	**3321.96**
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	4137.20	4139.20	3734.10	3734.10	3734.10
(ब)	बायोमास	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
(स)	सौर ऊर्जा	1656.70	2411.70	2178.10	2288.10	2970.60
(द)	तापीय/जल विद्युत	3636.00	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00
	योग (3)	**9531.85**	**10394.85**	**9756.15**	**9866.15**	**10548.65**
	सकल योग (1+2+3)	**19552.77**	**21077.64**	**21175.90**	**21978.90**	**23321.40**

*दिसम्बर, 2021 तक

(ब) प्रसारण तंत्र

राज्य में मार्च, 2017 तक कुल अतिरिक्त उच्च वॉल्टेज प्रसारण नेटवर्क 36,079 सर्किट किमी. था, जो कि सार्वजनिक निजी सहभागिता सहित मार्च, 2021 तक बढ़कर 43,111 सर्किट किमी. हो गया है। वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) प्रसारण नेटवर्क में 243.12 सर्किट किमी. और जुड़ गए है। राज्य में वर्षवार प्रसारण नेटवर्क तालिका–5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.2 राज्य में प्रसारण नेटवर्क

(सर्किट किलोमीटर में)

क्रम संख्या	विवरण	प्रसारण नेटवर्क		
		31 मार्च, 2021 तक	वर्ष 2021–22 में प्रगति (दिसम्बर, 2021 तक)	कुल (दिसम्बर, 2021 तक)
1	765 केवी लाईन	425.498	0	425.498
2	400 केवी लाईन	7938.386	0	7938.386
3	220 केवी लाईन	16007.729	91.805	16099.534
4	132 केवी लाईन	18739.864	151.318	18891.182
योग		**43111.477**	**243.123**	**43354.60**

अतिरिक्त हाई वॉल्टेज (ईएचवी) प्रसारण के सब स्टेशनों की संख्या एवं क्षमता तालिका–5.3 में दर्शाई गई है।

तालिका–5.3 ईएचवी सब स्टेशनों की पीपीपी सहित संख्या और क्षमता

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	ईएचवी ग्रिड सब स्टेशन		
			31 मार्च, 2021 तक	वर्ष 2021–22 में प्रगति (दिसम्बर, 2021 तक)	कुल (दिसम्बर, 2021 तक)
1	765 केवी जीएसएस	संख्या	2	0	2
	क्षमता	एमवीए	7500	0	7500
2	400 केवी जीएसएस	संख्या	18	0	18
	क्षमता	एमवीए	14570	1000	15570
3	220 केवी जीएसएस	संख्या	127	0	127
	क्षमता	एमवीए	32495	300	32795
4	132 केवी जीएसएस	संख्या	467	1	468
	क्षमता	एमवीए	34189	655	34844
कुल ईएचवी जीएसएस		**संख्या**	**614**	**1**	**615**
कुल क्षमता		**एमवीए**	**88754**	**1955**	**90709**

राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग

राज्य में मार्च, 2017 तक ऊर्जा की उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़कर मार्च, 2021 तक 8,561 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 23.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में 27.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्षवार ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग चित्र 5.1 में दर्शाया गया है।

चित्र–5.1

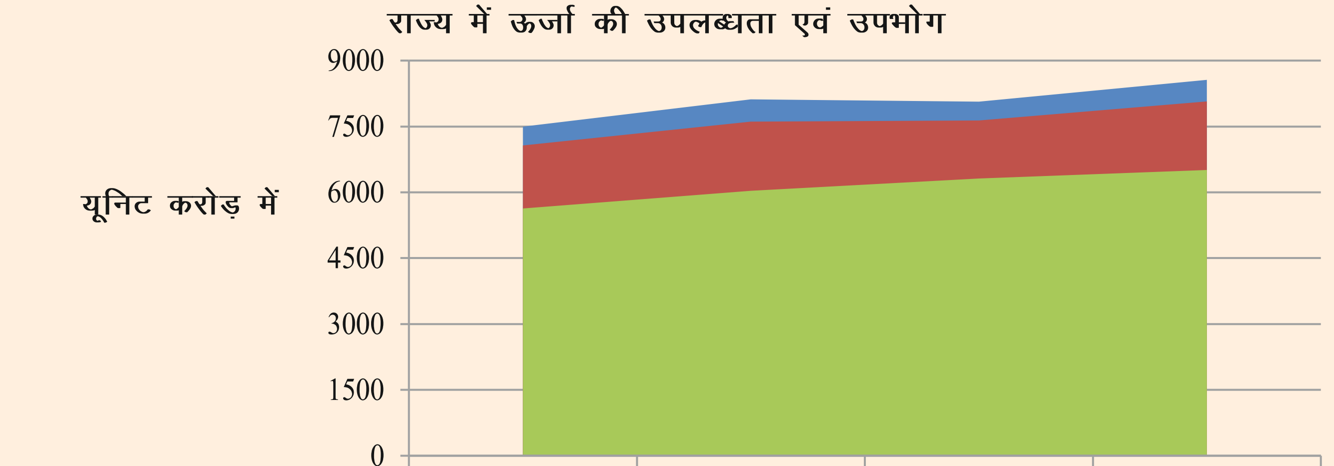

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ऊर्जा की उपलब्धता (उत्पादक से खरीद सहित)	7500.01	8116.73	8068.66	8561.36
शुद्ध उपलब्धता (वितरण तंत्र पर उपलब्ध)	7065.92	7609.60	7631.47	8069.97
उपभोक्ताओं को विक्रय की गई ऊर्जा	5635.27	6032.61	6316.75	6508.39

अभिनव योजना

स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन (एस.टी.एन.ए.एम.एस.)

प्रसारण निगम ने स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान में प्रसारण तंत्र की निगरानी एवं नियंत्रण सम्भव होने के साथ–साथ ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रिएक्टिव पावर एवं प्रबन्धन हेतु आंकलन किया जा सकेगा। इस तरह प्रसारण तंत्र का बेहतर संचालन करने के लिए समय पर मूल्यांकन कर कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना

राज्य में प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों को गति दी जा रही है।

प्रसारण परियोजना

- राज्य में 132 के.वी. के 183 सब–स्टेशनों के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है, इससे प्रति सब–स्टेशन लगभग ₹30 लाख वार्षिक बचत हो रही है।
- राज्य में 400 के.वी. के दो जी.एस.एस. अलवर एवं डीडवाना में पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- दो प्रसारण परियोजनाएं, सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रणाली के आधार पर वाईब्लिटी गैप फंडिंग योजना के अन्तर्गत ली गई हैं।
    - ➢ 400 के.वी. डी/सी बीकानेर–सीकर प्रसारण लाइन पी.पी.पी.–6 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाइन चालू की जा चुकी है।
    - ➢ 400 के.वी. डी/सी सूरतगढ़–बीकानेर प्रसारण लाइन पी.पी.पी.–7 का कार्य पूर्ण कर लाइन चालू की जा चुकी है।
- राज्य में 220 के.वी. का 1 जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के 15 जी.एस.एस. सम्बन्धित लाईन सहित पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार के काम्पीटेटिंग बीडिंग दिशा–निर्देशों को अपनाया है, जिसमें से 765 के.वी. की एक लाईन एवं 400 के.वी. का एक ग्रिड सब स्टेशन सम्बन्धित 400 के.वी लाईन टेरिफ बेस्ड काम्पीटेटिंग बीडिंग (टी.बी.सी.बी.) प्रणाली पर विकसित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(स) वितरण प्रणाली

1. उपभोक्ता

राजस्थान में मार्च, 2021 तक उपभोक्ताओं की संख्या 169.85 लाख थी, जो 2.09 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवम्बर, 2021 तक 173.40 लाख तक पहुँच गई है। विद्युत कम्पनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका–5.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–5.4 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	31 मार्च, 2021 को उपभोक्ताओं की संख्या	2021–22 के दौरान जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या नवम्बर, 2021 तक (प्रावधानिक)	नवम्बर, 2021 को उपभोक्ताओं की संख्या (प्रावधानिक)*
1	घरेलू आपूर्ति	13457202	257693	13714895
2	अघरेलू आपूर्ति	1477485	44736	1522221
3	औद्योगिक	276884	7416	284300
4	कृषि	1641367	43008	1684375
5	जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	79227	1759	80986
6	पथ–प्रकाश	25042	443	25485
7	मिश्रित भार	27520	0	27520
8	ई.वी	0	23	23
	योग	**16984727**	**355078**	**17339805**

* 4.13 लाख पीडीसी उपभोक्ताओं को जयपुर डिस्कॉम द्वारा शून्य बकाया के कारण बिलिंग सिस्टम से हटा दिया है।

2. ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2021 तक 1.14 लाख ढाणियों एवं 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों का भी विद्युतीकरण किया गया है।

3. कृषि कनेक्शन

- वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 60,672 कृषि कनेक्शन किसानों को जारी किये गये है।
- राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से किसानों को ₹43,046.62 करोड़ का टैरिफ अनुदान दिया जा चुका है।

4. पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पम्प और ग्रिड से जुडे सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने के लिए ''किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम)'' योजना को स्वीकृत किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्रलिखित घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं –

- **कुसुम घटक–ए** : पीएम कुसुम योजना के (घटक–ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलोवॉट सब स्टेशनों के 5 किमी. की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु 8 जुलाई, 2020 तक कुल क्षमता 722 मेगावॉट हेतु 623 सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जा चुके है। उक्त 623 सफल आवेदकों में से, अब तक कुल 226 सौर ऊर्जा उत्पादकों द्वारा परियोजना सुरक्षा राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जमा करा कर विद्युत क्रय अनुबंध प्रस्तुत किया गया है, अब तक 190 पीपीए के साथ विद्युत क्रय अनुबंध तथा 12.5 मेगावॉट क्षमता के 11 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

- **कुसुम घटक–बी** : ऑफ ग्रिड कृषि पम्प–सेट आवेदकों को सौर पम्प–सेट उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा 23,884 पम्प सेट सौर ऊर्जाकृत किए जा चुके हैं।

- **कुसुम घटक–सी** : ग्रिड से जुड़े 7.5 एच.पी. तक की क्षमता वाले कृषि पम्प–सेटों को सौर ऊर्जीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। कुसुम–सी के तहत 12,500 पम्प सेट के लक्ष्य के अंर्तगत 194 फीडर पर चिन्हित 10,764 पम्पों को सौर ऊर्जीकरण हेतु कार्यादेश जारी कर 1,026 पम्पसैट सौर ऊर्जीकृत किए जा चुके है।

- **फीडर सोलराईज़ेशनः** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए 11 केवी फीडर स्तर पर ग्रिड से जुडे पम्पसैटों को सौर ऊर्जीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए फीडर स्तर पर 25,000 पम्प सेटों को (7.5 एच.पी) सौर ऊर्जीकृत करने का कार्य एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत किया गया है। जयपुर डिस्कॉम द्वारा फीडर स्तर सोलराइजेशन कार्य को सम्पादित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोंक वृत के 33/11 केवी दातावास सब–स्टेशन पर स्थित 4 फीडरों (656 पंप) को चयनित कर रेस्को में 4.24 मेगावॉट का संयंत्र लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

5. फ्लेगशिप योजना

- **मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021–22 में पूर्व में संचालित डी.बी.टी. योजना को और अधिक बेहतर बनाते हुए सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12,000 तक की राशि दिये जाने की घोषणा की गई।

उक्त योजना के अनुसरण में "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" के तहत सामान्य श्रेणी–ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ–साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह ₹1,000 तक (अधिकतम ₹12,000 प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 9.39 लाख किसानों को ₹324.09 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है।

- **प्रशासन गाँवों/शहरों के संग अभियानः** राज्य में प्रशासन गाँवों/शहरों के संग अभियान दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बंधित विभिन्न समस्याओं का केम्पों में पंजीकरण कर तुरन्त निस्तारण हेतु प्रयास किया जा रहा है।

  - **प्रशासन शहरों के संग अभियानः** इस अभियान के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक आयोजित 5,723 केम्पों में 17,304 उपभोक्ताओं की समस्याओं का पंजीकरण कर 16,142 (93.28 प्रतिशत) समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है।

  - **प्रशासन गाँवों के संग अभियानः** इस अभियान के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक आयोजित 10,990 केम्पों में 2,15,348 उपभोक्ताओं की समस्याओं का पंजीकरण कर 1,98,564 (92.20 प्रतिशत) समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है।

6. कोविड–19 के प्रभाव

- कोविड–19 के कारण विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के बकाया जमा में बिना विलम्ब शुल्क/ब्याज की शिथिलता दी गई, इस पर राज्य सरकार द्वारा ₹310 करोड़ का भार वहन किया गया।

- कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं, जिनकी बिलिंग माह अप्रैल एवं मई, 2021 में जारी विद्युत बिलों के विरूद्ध बकाया राशि ₹20,000 प्रति बिल तक है, द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि 25 जून, 2021 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर बिलिंग माह अप्रैल एवं मई, 2021 के विद्युत उपभोग बिलों की बकाया राशि पर विलम्ब भुगतान प्रभार की शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

- कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि 25 जून, 2021 तक एकमुश्त जमा करवाने पर बिलिंग माह अप्रैल एवं मई 2021 के विद्युत उपभोग बिलों की बकाया राशि पर विलम्ब भुगतान प्रभार की शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

अक्षय ऊर्जा

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एक नोडल एजेन्सी है एवं ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बी.ई.ई.) राज्य की नामित एजेन्सी है।

दिसम्बर, 2021 तक लागू विभिन्न योजनाओं के राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड़ द्वारा, क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:–

क. सौर ऊर्जा उत्पादन

राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6–7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/प्रतिदिन, अधिकतम सौर दिवस (एक वर्ष में 325 दिवस से अधिक) एवं बहुत कम औसत वर्षा के कारण सौर ऊर्जा में समृद्ध है। राजस्थान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आंकलन के अनुसार सौर स्रोत से 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अब तेजी से हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केन्द्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसम्बर, 2021 तक नेट मीटरिंग रेग्युलेशन के तहत स्थापित रुफटॉप संयंत्रों सहित 9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।

राज्य में गीगावाट स्तर के पार्क व परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु जे.एस.डबल्यू., अडानी, ग्रीनको को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत किए गए है, जिससे राज्य में लगभग ₹1.50 लाख करोड के निवेश की संभावना है।

ख. सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स का विकास

भड़ला सोलर पार्क: भड़ला जोधपुर में 2,245 मेगावॉट क्षमता का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत तीन निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण निम्नानुसार है:–

- फलौदी–पोकरण सोलर पार्क (750 मेगावाट) का विकास मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान, जो कि राज्य सरकार एवं एसेल इन्फ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कम्पनी है, के द्वारा किया जा रहा है। उक्त पार्क में 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके है।
- फतेहगढ़ फेज–1बी (1,500 मेगावाट) का विकास संयुक्त उपक्रम मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है।
- नोखा (925 मेगावॉट) सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (आर.एस.डी.सी.एल.) के द्वारा किया जा रहा है।

ग. रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय 30 प्रतिशत अनुदान का लाभ लेते हुए मार्च, 2019 तक तीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। फेज 1 के अन्तर्गत लगभग 36 मेगावाट क्षमता के रुफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के वितरण निगमों को कुल 45 मेगावाट क्षमता (जेवीवीएनएल 25 मेगावाट, जेडीवीवीएनएल 15 मेगावाट, तथा ऐवीवीएनएल 5 मेगावाट) की स्वीकृति जारी की है। ऊर्जा विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप सयंत्रों की स्थापना हेतु निविदा प्रक्रिया के द्वारा चयनित 119 सफल आपूर्तिकर्ताओं को रेट कॉन्ट्रेक्ट जारी किए जा कर दिसम्बर, 2021 तक 35 मेगावाट क्षमता के संयत्र स्थापित किए जा चुके है।
- राज्य में दिसम्बर, 2021 तक नेट मीटरिंग रेग्युलेशन के अन्तर्गत (सब्सिडी प्रोजेक्ट्स सहित) कुल 668 मेगावॉट क्षमता के रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

घ. अक्षय ऊर्जा सर्विस कम्पनी (RESCO) मोड सोलर रूफटॉप योजना

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में सभी राजकीय भवनों पर नेटमीटरिंग प्रणाली के अन्तर्गत आर.ई.एस.सी.ओ. मोड में रूपटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का कार्य शुरू किया है। निगम द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से 2 क्रियान्वयन भागीदारों का चयन किया गया है और ₹4.15 प्रति यूनिट (25 वर्ष निर्धारित) की दर निर्धारित की है। इन दो फर्मो को कुल 14 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2021 तक 2.60 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

ङ. पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एण्ड हाईब्रिड एनर्जी पॉलिसी–2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इस्टीटूयट ऑफ विण्ड एनर्जी (एनआईडब्ल्युई) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 4,338 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

च. बॉयोमास ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोंतों में बायोमॉस ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राज्य में बॉयोमास ऊर्जा के प्रमुख स्त्रोत सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा है। राज्य में दिसम्बर, 2021 तक 120.45 मेगावॉट क्षमता के 13 बॉयोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बन्द हैं। वर्तमान मे कुल 66.7 मेगावॉट क्षमता के 6 बायोमास संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

छ. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा बढ़ावा देने हेतु और पायलट प्रोजेक्ट्स से राज्य में ऊर्जा की बचत की सम्भावनाओं को दर्शाने हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किये गये प्रयासों की पहचान के लिए वर्ष 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष 14 दिसम्बर को ''ऊर्जा संरक्षण दिवस'' आयोजित करता है जिसमें ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग, सरकारी भवन, अस्पताल, ऊर्जा अंकेक्षक/प्रबंधक, व्यक्तिगत, संस्था इत्यादि श्रेणियों के अन्तर्गत ''राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरुस्कार'' प्रदान किए जाते हैं।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिऐंशी द्वारा स्टेट परफोरमेन्स श्रेणी में नेशनल एनर्जी कन्जरवेशन अवार्ड 2021 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सड़क

अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा रीढ़ है तो सडकें जीवन रेखा है। एक उचित सड़क तंत्र आर्थिक विकास के सबसे महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक है। परिवहन के सबसे सुलभ, सुविधाजनक एवं दूरगामी पहुँच के रूप में, सड़कें भौगोलिक बाधाओं को कम करती है और ग्रामीण–शहरी, अमीर–गरीब के विभाजन और अन्य असमानताओं को बहुत कम करने की क्षमता रखती है। सड़कों के माध्यम से रोजगार, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक व अन्य सभी प्रकार की सेवाओं तक पहुँच संभव हुई है। राज्य में वाहनों का तेज गति से निर्बाध आवाजाही हो, इसके लिए सड़क तंत्र में पूरक स्थानीय सड़कों के साथ एक्सप्रेस–वे भी होने चाहिए। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40 प्रतिशत की कमी लाती है, यह वर्तमान में चल रहे ऊर्जा संकट और सतत् विकल्पों की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

गत अनेक वर्षों से राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहें है, फिर भी बड़ा फासला रह गया है, जिस पर अगली योजना अवधियों में विचार करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आगामी वर्षो में **"जन घोषणा पत्र"** को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयत्नशील है।

- छोटे गांवो के लिए सड़क सम्पर्क – इसके अंतर्गत सड़कों से वंचित गांवो को सड़को से जोड़ने की योजना तैयार करना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गांवो को सड़को से जोड़ने का निश्चय किया गया है।
- जनजाति एवं रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए विशेष पैकेज।
- रेलवे क्रॉसिंग के कारण जिन राजमार्गों पर यातायात बाधित होता है, वहां पर रोड ओवर ब्रिज एवं रोड़ अण्डर ब्रिज बनाने के प्रयास किए जाऐंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रो में मिसिंग लिंक के निर्माण को प्राथमिकता।
- राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने की सिफारिश।
- धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों तक सड़क सुविधा का विस्तार।

क्रियान्विति

➢ प्रथम चरण में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक आबादी वाले 330 गांवों को सड़को से जोड़नें का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2021 तक 254 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा

शेष गांव जिन्हे सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, को आगामी वर्षों में जोड़ा जाना है।

- अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल विकास पथ का निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतो में कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं। 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर हैं।
- 2021—22 की बजट घोषणा के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹5 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन—पेचेबल सड़कों का कार्य किया जाना है। मिसिंग लिंक और नॉन—पेचेबल सड़कों के निर्माण की कुल लागत ₹995 करोड़ है। इन कार्यों के विरूद्व, 2,336 किमी मिसिंग लिंक्स और 370 किमी. नॉन—पेचेबल सड़कों का विकास किया जाना है। सभी सड़क कार्य प्रारम्भ किए जा चुके है।
- इस वर्ष प्रथम बार प्रत्येक जिले में 3 सड़कों के विकास कार्य स्वीकृत किये गए हैं। कुल 99 कार्यों की लागत ₹1,947 करोड़ है, जिनमें से 1,926 किमी लम्बाई की राज्य सड़कों का विकास किया जाना है। स्वीकृत राशि में आरओबी व उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण भी सम्मिलित है। ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जा चुके है।
- आरओबी के अन्तर्गत 20 निर्माण कार्य प्रगति पर है, 8 कार्य पूर्ण हो चुके है और अन्य 18 निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य प्रगति पर है। आरयूबी के अन्तर्गत 25 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, 32 कार्य प्रगति पर और 7 निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने है।
- 41 धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जा रहा है।

गत तीन वर्षो के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँः—

पिछले तीन वर्ष के दौरान सड़क विकास पर ₹16,935.30 करोड़ खर्च हुये है। 5,507 किमी. लम्बाई की नई सड़कों और 859 किमी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। कुल 4,562 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का विकास किया गया। 27,510 किमी. लम्बाई की अन्य जिला सड़को एवं ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण किया गया। कुल 404 नवीन गांवों एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़ा गया।

पिछले वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए गए है, फिर भी बहुत बडा अन्तराल है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1949 में सड़को की 13,553 किलोमीटर लम्बाई थी, जो मार्च, 2021 तक बढ़कर 2,72,959.28 किलोमीटर हो गयी है। 31 मार्च, 2021 तक राज्य मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़को का घनत्व 79.76 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 161.71 किमी. है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। राज्य में कुल सड़को की लम्बाई का वर्गीकरण तालिका संख्या 5.5 में वर्णित है।

कुल 2,72,959.28 किलोमीटर सड़को में से 1,70,394.09 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99 प्रतिशत सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रो में एवं 1 प्रतिशत (1,704 किमी.) सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे है।

तालिका—5.5 राज्य में 31 मार्च, 2021 तक सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

क्र. सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	9604.26	0.00	5.00	1008.83	10618.09
2	राज्य राजमार्ग	15504.70	4.20	0.00	36.05	15544.95
3	मुख्य जिला सड़क	8779.99	2.00	64.65	117.91	8964.55
4	अन्य जिला सड़क	46679.56	3085.12	282.68	4698.31	54745.67
5	ग्रामीण सड़क	142755.31	1484.24	35911.05	2935.42	183086.02
महायोग		**223323.82**	**4575.56**	**36263.38**	**8796.52**	**272959.28**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत सड़क विकास हेतु दिसम्बर, 2021 तक अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नांकित है:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत 1,123 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया।
- राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 व अधिक आबादी के 110 गांवों को 374 किमी. लम्बाई की डामर सड़कों का निर्माण कर जोड़ा गया।
- 83 ग्राम पंचायतों में 49 कि.मी. विकास पथ का निर्माण किया गया।
- 167 कि.मी. ग्रामीण गौरव पथ (सीसी रोड) का निर्माण किया गया।
- केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नाबार्ड एवं पीपीपी के अंतर्गत 812 कि.मी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।
- राज्य सड़क निधि, ग्रामीण सड़क, नाबार्ड, शहरी सड़कों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III व एफआई एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 7,181 कि.मी. लम्बाई में अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों के सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए।

वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुसार निम्न नई स्वीकृतियां जारी की गई:–

- **राज्य सड़क निधि:**–वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹5 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक/नॉन–पेचेबल सड़कों का निर्माण कार्य, 33 जिलों में 99 कार्य (प्रत्येक जिले में 3 सड़कों का कार्य) एवं बजट घोषणा की अनुपालना में 5,387.89 किमी लम्बाई एवं ₹3,566.75 करोड़ लागत के 1,549 सड़क निर्माण व विकास कार्य जिनमें 9 आरओबी/उच्च स्तरीय पुल भी शामिल हैं।
- **आरएसएचडीपी–एडीबी ट्रेंच–2 और 3 और विश्व बैंक ट्रेंच 1 और 2 परियोजनाएं: (बजट घोषणा –2021–22)**
  - ➢ एशियाई विकास बैंक की सहायता से ₹1,189.03 करोड़ की अनुमानित लागत से 280.53 कि.मी. लम्बाई के 5 राज्य मार्गों का विकास। **(एच.ए.एम. मोड–ट्रेंच–2)**
  - ➢ विश्व बैंक की सहायता से ₹1,429.33 करोड़ की अनुमानित लागत से 5 राज्य राजमार्गों का 331.25 किमी. लम्बाई में विकास। **(एच.ए.एम. मोड–ट्रेंच–1)**
  - ➢ एशियाई विकास बैंक की सहायता से ₹973.61 करोड़ की अनुमानित लागत से 4 राज्य राजमार्गों का 294.23 किमी. लम्बाई में विकास। **(ईपीसी मोड ट्रेंच–3)**
  - ➢ विश्व बैंक की सहायता से ₹2,201 करोड़ की अनुमानित लागत से 13 राज्य राजमार्गों का 677.43 किमी. लम्बाई में विकास। **(ईपीसी मोड ट्रेंच–2)**
- **राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का विकास–सीआरआईएफ (72 कार्य–बजट घोषणा–2021–22) :** 1,600.06 कि.मी. में ₹2,031.83 करोड़ की लागत में 80 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई।
- **गांव की सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण-नाबार्ड-आरआईडीएफ- 27:** 3,572.27 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के ₹561.05 करोड़, की लागत से नवीनीकरण के लिए 1,230 कार्य की स्वीकृति जारी की गई।
- **शहरी सड़कें :** ₹67.86 करोड़ की लागत से 152.82 किमी लम्बाई की शहरी सड़कों के विकास कार्य ।

वार्षिक योजना 2021–22

वर्ष 2021–22 की वार्षिक योजना के तहत सड़क क्षेत्र के लिए ₹7,446.78 करोड़ का बजट प्रावधित किया गया था। इसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹3,797.74 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि 51 प्रतिशत है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना–

- **राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-1 (आर.एस.एच.आई.पी.)–ए.डी.बी. ट्रेंच–I :** परियोजना की लागत ₹2,452 करोड़ है, जिसमें ₹1,430 करोड़ (220 मिलियन यूएस डॉलर) एडीबी

का ऋण भाग है। परियोजना नवम्बर, 2017 से प्रभावी है और सितंबर, 2022 तक पूरा होना निर्धारित है। इस परियोजना के तहत, 980 किलोमीटर लंबाई के 16 राजमार्ग आवंटित किए गए, जिनमें से 971 किलोमीटर लंबाई दिसम्बर, 2021 तक पूरी की जा चुकी है। 12 राजमार्गों पर टोल संचालित है और शेष 4 राजमार्गों पर फरवरी, 2022 में शुरू होने की संभावना है। आरम्भ से दिसम्बर, 2021 तक, ₹2,077 करोड़ के कुल व्यय के मुकाबले ₹1,295 करोड़ का संवितरण प्राप्त हुआ है।

- **राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना II—(आर.एस.एच.आई.पी.—II)—ए. डी.बी. ट्रेंच—II:** इस परियोजना की लागत ₹2,617 करोड़ है, जिसमें से ₹1,311 करोड़ (190 मिलियन यूएस डॉलर) एडीबी का ऋण भाग है। यह परियोजना दिसंबर, 2019 से प्रभावी है और मार्च, 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत, 754 किमी लंबाई के 11 राजमार्गों को विकसित करने का प्रस्ताव है। 6 राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है तथा दिसंबर, 2021 तक 332 किमी. लंबाई का कार्य पूरा हो गया है। 120 किमी. लंबाई के 2 राजमार्गों के लिए रियायत समझौता निष्पादित किया गया है। 161 किलोमीटर लंबे 3 हाईवे के लिए पुनः बोली आमंत्रित की गई है। आरम्भ से दिसंबर, 2021 तक कुल व्यय ₹721 करोड़ के विरुद्ध एडीबी से ₹462 करोड़ का संवितरण प्राप्त हुआ है।

- **राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम II परियोजना (आर.एस.एच.डी.पी.) विश्व बैंक:** इस परियोजना की लागत ₹3,120 करोड़ है, जिसमें ₹1,779 करोड़ (250 मिलियन यू.एस. डॉलर) विश्व बैंक का ऋण भाग है। यह परियोजना अक्टूबर, 2019 से प्रभावी है और मार्च, 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत, 816 कि.मी. लंबाई के 11 राजमार्गों को विकसित करने का प्रस्ताव है। ईपीसी मोड पर 471 किमी लंबाई के 6 राजमार्ग विकास के लिए प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 2,37,123 किमी लंबाई की दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 2,25,344 किमी लंबाई की 45 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। दिसम्बर, 2021 के अंत तक 341 किमी. की लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है। 130 किमी. लंबाई के 2 राजमार्गों के लिए रियायत समझौता किया गया है और 93 किमी लंबाई के 1 राजमार्ग के लिए एलओए जारी किया गया है और 109 किमी लंबाई के 2 राजमार्गों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गई हैं। आरम्भ से दिसंबर, 2021 तक कुल व्यय राशि ₹593 करोड़ की तुलना में विश्व बैंक से ₹327 करोड़ का संवितरण प्राप्त हुआ है।

पीपीपी — राष्ट्रीय राजमार्ग— पी.डब्ल्यू.डी.

पीपीपी मोड पर 598.51 कि.मी.लम्बाई के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का ₹1,995.83 करोड़ की लागत से विकास किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पी.डब्ल्यू.डी. के तहत

इंजिनियरिंग प्रोक्यूरमेन्ट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड़ पर ₹4,730.74 करोड़ लागत की 36 परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया था, इनमें से 10 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

₹36,235.50 करोड़ की लागत से 1,686.381 किमी लम्बाई के 42 कार्य प्रारम्भ किए गए, इनमें से—

- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, 1,93,523 किमी. लम्बाई का एक कार्य ₹873.51 करोड़ की लागत से 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

- **दिल्ली—वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे** — राजस्थान में कुल 374 कि.मी.लंबाई में ₹15,867.53 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जाना है। जिसमें सभी 13 पैकेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 4 पैकेजों में, 135.46 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 90—95 प्रतिशत कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण कर लिए गये है और मार्च, 2022 तक काम पूरा होने की संभावना है। शेष 9 पैकेजों (239 किमी की लंबाई) के कार्य वित्त वर्ष 2022—23 में पूर्ण होने की संभावना है।

- **संगरिया—सांचोर—संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे** राजस्थान में 637 किमी लंबाई में ₹13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जाना है, जिसमें सभी 23 पैकेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2 पैकेजों में, 57 किलोमीटर की लंबाई तक लगभग 98 प्रतिशत कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण कर लिया गया है और मार्च, 2022 तक कार्य पूरा होने की संभावना है। शेष 21 पैकेज (580 किमी की लंबाई) का कार्य वित्त वर्ष 2022—23 में पूरा होने की संभावना है।

- 1,112.628 किलोमीटर लम्बाई के कुल परियोजना लागत ₹8,431.27 करोड़ से 7 कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की स्थापना 1 अक्टूबर, 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन की गई थी। वर्तमान मे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) द्वारा 4,364 स्वयं की एवं अनुबन्ध पर लिए गये निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा दिसम्बर, 2021 मे प्रति दिवस 1,812 मार्गों पर 3,242 बसों का संचालन कर 13.05 लाख कि.मी. चलकर 6.92 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) तक वाहन बेड़े और वास्तविक परिचालन की स्थिति क्रमशः तालिका 5.6 एवं 5.7 में दर्शाई गई है।

तालिका–5.6 वर्षवार वाहन बेड़ों की स्थिति

(संख्या)

विवरण / वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021–22**
निगम वाहन	4528	4270	3751	4179	3502
अनुबन्धित वाहन	916	1025	959	908	862
योग	**5444**	**5295**	**4710**	**5087**	**4364**
बेड़े की औसत आयु (वर्षों में)	5.43	6.31	6.00	5.68	6.17
बेड़े में सम्मिलित नए वाहन	260*	NIL	534	341	NIL
नकारा किए गए वाहन	277	411	526	673	343

*मिडी बसों सहित।
** माह दिसम्बर, 2021 तक।

तालिका–5.7 वर्षवार वास्तविक परिचालन परिणाम

विवरण / वर्ष	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21* (प्रावधानिक)	2021-22 **	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
किमी (करोड़ में)	65.87	61.85	61.51	54.38#	57.44	52.19	26.49	29.65	28.06
वाहन उपयोगिता (किमी / बस / दिन)	400	388	360	392	385	389	364	385	388
बेड़ा उपयोगिता (प्रतिशत)	90	77	89	68	78	74	43	75	60
संचालन आय प्रति किमी (₹ में)	35.10	29.84	35.15	31.72	34.49	33.75	33.60	34.75	36.15

23 दिन की कर्मचारी हड़ताल के कारण संचालन प्रभावित रहा।
*कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशन (Guideline) के अनुसार धीरे–धीरे संचालन प्रारम्भ किया गया एवं लक्ष्य निर्धारित नही किया गया।
** दिसम्बर, 2021 तक।

निगम के अभिनव प्रयास

- निगम के 5 बस स्टैण्ड़ों पर यात्रियों को बसों की जानकारी देने हेतु एलईडी डिस्पले सिस्टम लगाकर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।
- अधिक से अधिक ऑनलाईन टिकिट बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिये ऑनलाइन टिकिट बुक करवाने पर कैश बैक सुविधा प्रारम्भ की गई।
- निगम के द्वारा राजस्थान पुलिस को राज्य की सीमा में द्रुतगामी एंव साधारण बसों में यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- निगम द्वारा महिला दिवस एवं रक्षा बन्धन पर क्रमशः 7,17,475 एवं 7,45,792 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- निगम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा के प्रतिभागियों को द्रुतगामी एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान में 2,13,769 रेडियो फ्रिक्यूएनसी आईडेंटीफिकेशन (आर.एफ.आई.डी.) कार्डों का पंजीकरण एवं 2,11,100 आर.एफ.आई.डी. कार्डों का वितरण किया गया।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए आर.एफ.आई.डी. स्मार्ट कार्डो को यात्रियों के घर तक पहुँचाने की सेवाऐं प्रारम्भ की गई है।

परिवहन

मोटर वाहन पंजीयन

मजबूत परिवहन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास में शक्तिशाली इंजन की तरह है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि राज्य में परिवहन सुविधाओं की प्रगतिशील संरचना को दर्शाता है।

- वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 7,83,865 मोटर वाहन पंजीकृत हुए।
- राज्य में वर्ष 2017—18 से 2021—22 तक विभिन्न श्रेणी के वाहनों के वर्षवार पंजीकरण का विवरण तालिका—5.8 में दर्शाया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹2,837.80 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। इसी अवधि में गत वर्ष ₹2,506.32 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था, जो 13.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- ट्रोमा सेंटर, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से ₹14.29 करोड़ की लागत से गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) एवं स्किल लैब एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। राज्य के 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राईमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए चिकित्सा विभाग को ₹24.85 करोड़ उपलब्ध करवाए गए।
- राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलैक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को एस.जी.एस.टी. राशि का पुनर्भरण एवं वर्ष 2021—22 में वाहन क्रय करने एवं दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत किए गए वाहनों पर एकमुश्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एस.जी.एस.टी. राशि का पुनर्भरण समस्त प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों पर एवं एकमुश्त अनुदान राशि दोपहिया व तिपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार देय है। एकमुश्त अनुदान दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 से ₹10,000 तक एवं तिपहिया वाहनों पर ₹10,000 से ₹20,000 तक देय है।
- 10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (कोटा, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं बीकानेर) तथा 2 जिला परिवहन कार्यालयों (झालावाड़ एवं डीडवाना) में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड़ ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक पर चालक क्षमता परीक्षण लिया जा रहा है।

कोरोना—19 की द्वितीय लहर में प्रबंधन हेतु विभाग के प्रयास

- यात्री वाहनों को राहत प्रदान करते हुए माह मई—जून, 2021 में मोटर वाहन कर में शत—प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
- कोविड़—19 की द्वितीय लहर के दौरान ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों की संख्या विभिन्न स्त्रोतों से अधिग्रहण कर 54 तक पहुँचायी जिसकी संख्या दिनांक 10 अप्रैल, 2021 को 6 थी तथा ऑक्सीजन टैंकर्स के परिवहन के लिए 50 हैजार्डस गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।
- ऑक्सीजन सप्लाई केन्द्र भिवाड़ी, जामनगर, हजीरा, कलिंगनगर से टैंकरों को विभाग के उडनदस्तों द्वारा ग्रीन कोरिडोर बनाकर 24x7 एस्कॉर्ट कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया।

तालिका–5.8 वर्षवार पंजीकृत मोटर वाहन

(संख्या)

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	वर्षवार				
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22*
1	दुपहिया	1072182	1141986	1188722	721659	568235
2	ई–रिक्शा	4502	2850	4317	2986	6195
3	ई–कार्ट	395	203	364	708	1224
4	तिपहिया (यात्री वाहक)	9498	11164	16476	3828	4093
5	तिपहिया (भार वाहक)	2643	2967	4500	1875	1765
6	मोटर कैब/ मैक्सी कैब	8610	8357	6588	2198	1849
7	मोटर कार	156719	163411	155454	135062	102857
8	बस/ ओमनी बस	3550	1672	2442	757	366
9	एम्बुलेंस	565	262	417	242	1032
10	स्कूल बस	960	2122	2752	197	99
11	कृषि ट्रेक्टर	63044	64504	71289	89240	64407
12	ट्रेक्टर–ट्रॉली (व्यावसायिक)	4288	835	1067	747	314
13	अर्टिकुलेटेड/डम्पर/ ट्रेलर	17963	16158	10480	3858	5663
14	माल वाहक	38859	40245	41593	22843	21611
15	कंसट्रक्शन/अर्थ मूविंग ईक्यूपमेन्ट	3678	4814	4034	5007	3143
16	अन्य	1574	1884	1659	1749	1012
योग		**1389030**	**1463434**	**1512154**	**992956**	**783865**

* दिसम्बर, 2021 तक

रेलवे

मार्च, 2019 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 5,937 किलोमीटर थी, जो कि मार्च, 2020 के अन्त तक 5,998 किलोमीटर (भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 2019–20 के अनुसार) हो गई है। राज्य में रेलमार्ग 67,956 किलोमीटर लम्बाई के भारतीय रेलमार्ग का 8.83 प्रतिशत है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में यह प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास एवं अर्थव्यवस्था पर इसके सार्थक प्रभाव के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं अर्थव्यवस्था को विकसित करने का एक साधन है तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, खण्डों एवं समुदायों को जोड़ने का कार्य भी करता है। मार्च, 2021 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 10,287 और टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 6.68 करोड़ थी। राज्य में डाकघरों तथा टेलीकॉम उपभोक्ताओं की वर्ष 2021 तक की स्थिति तालिका–5.9 में दर्शाई गई है।

तालिका—5.9 राज्य में डाकघरों एवं टेलीकॉम उपभोक्ताओं की स्थिति

क्र.सं.	मद	इकाई	2021
1.	डाकघर	संख्या	10287*
(अ)	ग्रामीण	संख्या	9674
(ब)	शहरी	संख्या	613
2.	टेलीकॉम उपभोक्ता (तार रहित + तार सहित)	करोड़	6.68**
(अ)	तार रहित उपभोक्ता	करोड़	6.63
(ब)	तार सहित उपभोक्ता	करोड़	0.047

* दिसम्बर, 2021 तक
**मार्च, 2021 तक

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) में वित्तीय वर्ष 2021—22 के प्रारम्भ में 1 अप्रैल, 2021 को ₹2,979.44 करोड़ शेष के रूप में उपलब्ध था। वित्तीय वर्ष 2021—22 में ₹1,975.00 करोड़ की राशि के विरूद्ध प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में ₹1,580.00 करोड़ प्राप्त हुए। किस्तों में भारत सरकार का अशंदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अशंदान 25 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2021—22 के लिए प्रारम्भिक शेष सहित कुल ₹4,559.44 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ₹1,419.42 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण तालिका—5.10 में दर्शाया गया है।

तालिका—5.10 वर्ष 2021—22 में विभिन्न गतिविधियों में आवंटित राशि का विवरण (दिसम्बर, 2021 तक)

(₹करोड़)

क्र.सं.	गतिविधि	राशि
1.	अकाल राहत गतिविधियाँ	18.89
	(अ) पेयजल	3.86
	(ब) पशु संरक्षण गतिविधियाँ	15.03
2.	कृषि आदान अनुदान	387.14
3.	कोविड—19	775.20
4.	अन्य मद	238.19
योग		**1419.42**

- संवत् 2077 में सूखे से प्रभावित 06 जिलों में राहत गतिविधियाँ यथा कृषि आदान अनुदान का वितरण, पशु संरक्षण, पेयजल परिवहन का संचालन किया गया।
- खरीफ संवत—2078 में 10 जिलों की 64 तहसीलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा सूखे के संबंध में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता प्राप्ति हेतु ₹2,668.55 करोड़ का ज्ञापन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- खरीफ संवत—2078 में, 7 जिलों के 3,704 गांवों को बाढ़ से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा बाढ के संबंध में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता प्राप्ति हेतु ₹757.00 करोड़ का ज्ञापन भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- कोविड—19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न विभागों एवं जिलों को ₹730.64 करोड़ एसडीआरएफ मद से आवंटित किए गए।

*****

अध्याय **06**

सेवा क्षेत्र

2021–22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र

- प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 45.10 %
- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धिः 11.89 %

व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं

- प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 17.56 %
- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि : 14.45 %

वित्तीय, स्थावर सम्पदा, पेशेवर सेवाएं

- प्रचलित मूल्यों पर योगदान : 14.27 %
- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि : 9.43 %

लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं

- प्रचलित मूल्यों पर योगदानः 13.27 %
- स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वृद्धि : 11.38 %

एक दृष्टि में

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

- भारत सरकार (यूआईडीएआई) द्वारा जनआधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों के पते/ संबंध/पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

साख–जमा अनुपात (सितम्बर, 2021)

- भारत : 70.01%
- राजस्थान : 75.53%

ई–मित्र@होम सर्विस का जयपुर एवं जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में शुभारम्भ किया गया।

राज्य में एस्ट्रो नाईट स्काई टूरिज्म प्रारम्भ किया गया है।

राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों से लेकर प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवा तक की गतिविधियां सम्मिलित हैं। इसमें विविध प्रकार की गतिविधियों के सम्मिलित होने के कारण सेवा क्षेत्र की कोई एक विशिष्ट परिभाषा नही है। राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित हैं।

सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2017–18 में ₹2.49 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹3.02 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 4.93 प्रतिशत (सी.ए. जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2017–18 में ₹3. 52 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹5.03 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 9.38 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं वद्धि–दर के साथ में चित्र–6.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.1

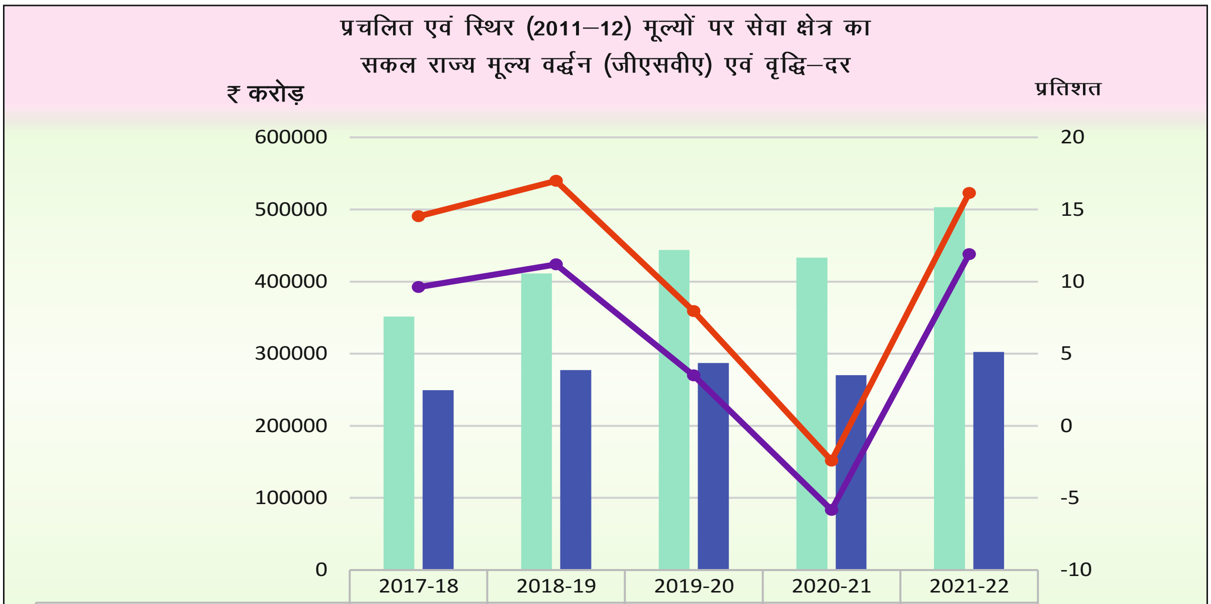

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जीएसवीए प्रचलित मूल्यों पर	351566	411269	443979	433244	503180
जीएसवीए स्थिर मूल्यों पर	249430	277350	287035	270284	302418
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर	14.53	16.98	7.95	-2.42	16.14
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर	9.62	11.19	3.49	-5.84	11.89

नोटः–वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2020–21 संशोधित अनुमान–I, वर्ष 2021–22 अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में सेवा क्षेत्र का योगदानः

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021–22 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 45.10 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) की क्षेत्रीय संरचना में थोड़ा बदलाव कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण हुआ, वर्ष 2019–20 में सेवा क्षेत्र का योगदान 47.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 45.10 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021–22 में चित्र–6.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.2

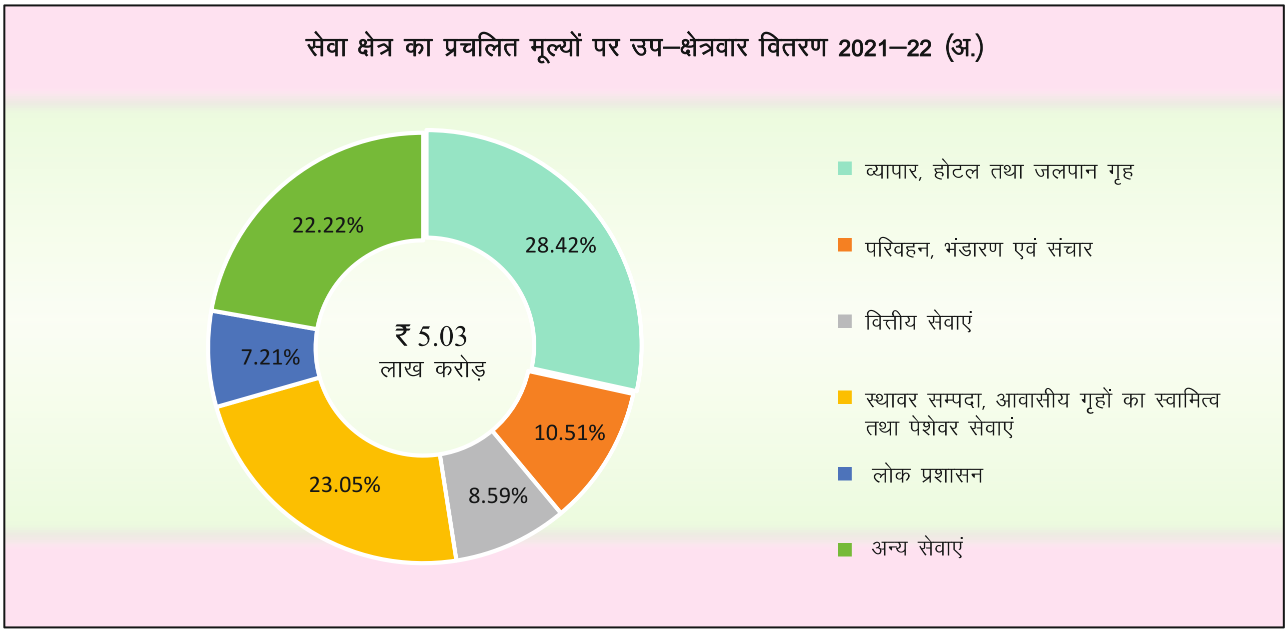

नोटः– अ. = अग्रिम अनुमान

राजस्थान राज्य के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2021–22 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. में 28.42 प्रतिशत, इसके बाद स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 23.05 प्रतिशत योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत जी.एस.वी.ए. में अन्य सेवाओं का योगदान 22.22 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का योगदान 10.51 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय सेवाओं का 8.59 प्रतिशत और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 7.21 प्रतिशत रहा।

सेवा क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 में 3.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020–21 में –5.84 प्रतिशत की तेज गिरावट के साथ अस्थिर रही है, जो कि कोविड–19 महामारी से उपजे आर्थिक आपदा के कारण थी। अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021–22 में वृद्धि–दर 11.89 प्रतिशत हो गयी है। व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाओं, अन्य सेवाओं के बढ़ने का अनुमान क्रमशः 17.53 प्रतिशत, 7.42 प्रतिशत, 4.00 प्रतिशत, 11.93 प्रतिशत, 8.54 प्रतिशत और 12.41 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय सीएजीआर स्थिर एवं प्रचलित वर्ष के लिए 10 वर्षों की अवधि में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन को चित्र–6.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.3

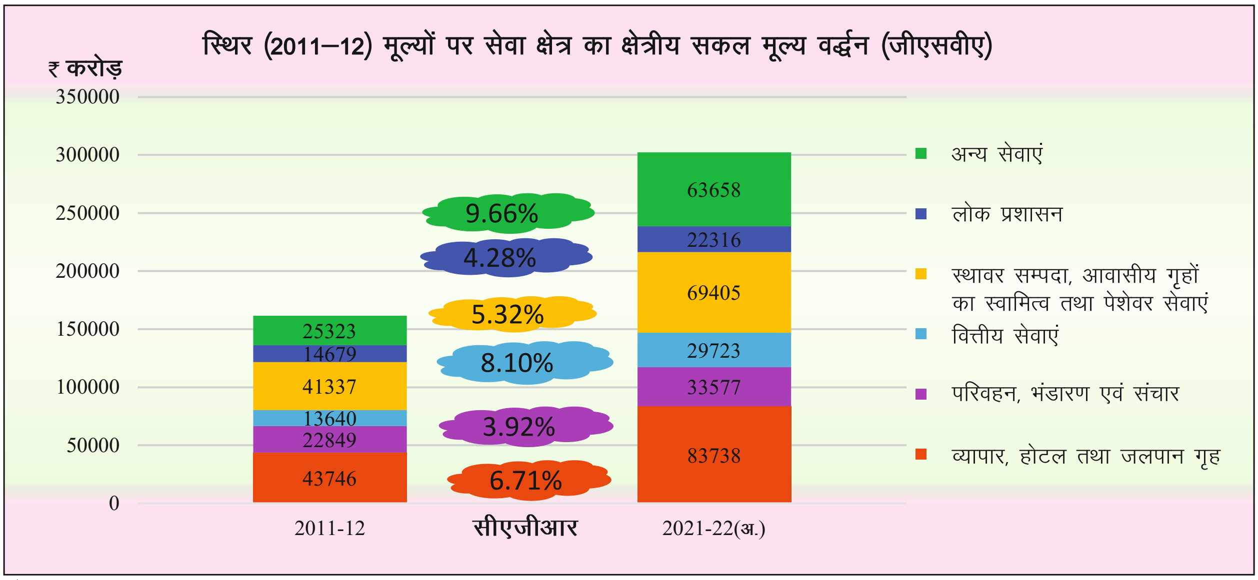

नोटः– अ.= अग्रिम अनुमान

इसके उत्तरवर्ती वाले भाग में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न घटकों की प्रगति पर एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। इनमें पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी शामिल है।

पर्यटन

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र हैं। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केन्द्र शाही रेलगाडी (पैलेस–ऑन–व्हील्स), किले, महल एवं हवेलियां, मेले एवं त्यौहार, हस्तकलाएं, हैरिटेज होटल, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर ट्यूरिज्म), ग्रामीण एवं ईको–ट्यूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा मन्दिर स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत एवं लोक–नृत्य इत्यादि हैं, जो कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं।

राज्य में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम सम्भावनाएं रखता है। कलैण्ड़र वर्ष 2021 के दौरान 220.24 लाख (219.89 लाख स्वदेशी एवं 0.35 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:—

पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दर्शाई गयी है:—

- राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की अनुपालना में 16 अप्रैल, 2021 से गेस्ट हाउस स्कीम, 2021 लागू की गई।
- 1 जुलाई, 2021 को हैरिटेज सम्पत्तियों को हैरिटेज प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए संशोधित गाइडलाइन्स जारी की गई।
- राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की अनुपालना में 21 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2021 लागू की गई।
- पर्यटक सूचना ब्यूरो, सीकर को पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर में क्रमोन्नत किया गया।
- विभाग द्वारा अहमदाबाद में नया पर्यटक सूचना ब्यूरो खोला गया ।
- राजस्थान आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितम्बर, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ''राजस्थान टूरिज्म मोबाइल—ऐप'' का लोकार्पण किया गया।
- विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितम्बर, 2021 को राज्य स्तरीय समारोह के वर्चुअल आयोजन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नलिखित का लोकार्पण/विमोचन किया गया—
  - ➢ मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना का उद्घाटन।
  - ➢ क्विजीन ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान की शिल्प एवं अमूर्त विरासत पुस्तकों का विमोचन।
  - ➢ प्रयोगात्मक पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु योजना का विमोचन।
  - ➢ नीतियों, योजनाओं एवं दिशा—निर्देशों के संग्रह का विमोचन।
  - ➢ राजस्थान पर्यटन की थीम पर 9 पोस्टल आवरणों एवं 11 पोस्टरों का विमोचन।
- पर्यटन विभाग की वेबसाईट व सोशल मीडिया पर प्रचार—प्रसार अभियान – फोटो—प्रतियोगिताएं, एक्सपिरियन्स राजस्थान फ्रॉम होम, रंग राजस्थान के, अनदेखा राजस्थान, राजस्थान डायरीज आदि संचालित किए गए हैं।
- व्यापार को आसानी से संचालित करने के तहत फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रैवल/टूर ऑपरेटर पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी, 2021 से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है।
- बजट घोषणा 2021—22 में, प्रमुख हिन्दू, जैन, सिख व मुस्लिम तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी व गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के विकास हेतु राशि ₹149.72 लाख की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- फरवरी—मार्च 2021 में निम्न 5 मेलों का आयोजन किया—

  (1) मरू महोत्सव, जैसलमेर

  (2) ब्रज होली उत्सव, भरतपुर

  (3) चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव

  (4) शेखावाटी उत्सव, लक्ष्मणगढ़

  (5) नागौर मेला
- कैलेण्डर वर्ष 2021 में 24 ट्रैवल एजेंसियों का पंजीयन एवं 11 ट्रैवल एजेंसियों का नवीनीकरण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में (दिसम्बर, 2021 तक) निवेश राशि ₹590.97 करोड़ के 71 पर्यटन इकाइयों के प्रोजेक्ट अनुमोदित किये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में (दिसम्बर, 2021 तक) 14 हेरिटेज सम्पत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में (दिसम्बर, 2021 तक) 42 फिल्मों/डोक्यूमेन्ट्रीज/विज्ञापनों के शूटिंग की अनुमति जारी की गई।
- 1,000 राज्य स्तरीय एवं 5,000 स्थानीय स्तरीय गाइडों के चयन एवं प्रशिक्षण को सुगम बनाने के लिए राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010 में वांछित संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई।
- 27 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मचकुण्ड (धौलपुर), चित्तौड़गढ़ किला, जय निवास उद्यान (जयपुर) और मीरा स्मारक (मेड़तासिटी—नागौर) पर साउण्ड एण्ड लाइट शो तथा गड़सीसर लेक (जैसलमेर) पर लेजर वाटर शो

कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक आवंटित राशि ₹45,644.46 लाख के विरूद्ध ₹11,596.81 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

कोरोना प्रबंधन हेतु किये गये निर्णय/नवाचार एवं उपलब्धियां:

- 22 सितम्बर, 2021 को ''मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना'' को मंजूरी दी गई, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।
- आबकारी नीति 2021–22 में पर्यटन उद्योग को बार लाइसेंस फीस में कमी की गई।
- वातानुकूलित लक्जरी कोचों को जुलाई, 2020 से जून, 2021 तक मासिक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी गई।
- विभाग द्वारा पर्यटकों की आवश्यकता एवं पर्यटकों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुये वेब पोर्टल www. tourism. rajasthan. gov.in पर पर्यटक स्थलों, मेले, त्यौहार इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।
- राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया तथा जनसम्पर्क एजेंसियों के माध्यम से भी समुचित प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वर्ष 2021 में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार:–

- ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), कोलकाता में, सेफ टूरिज्म डेस्टीनेशन अवॉर्ड।
- ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), अहमदाबाद में बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड।
- नई दिल्ली में फेयर एण्ड फेस्टीवल के लिए 7th (आईटीसीटीए) - बी2बी इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो & कान्क्लेव बेस्ट अवार्ड
- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.), बैंगलोर में डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन कैंम्पेन एवं बेस्ट प्रजेन्टेशन अवार्ड।
- इण्डिया टुडे टूरिज्म अवार्डस–2021, नई दिल्ली में गरडिया महादेव (कोटा) के लिए बेस्ट आइकोनिक लैंडस्केप डेस्टीनेशन अवार्ड।
- इण्डिया टुडे टूरिज्म अवार्डस–2021, नई दिल्ली में डेजर्ट फेस्टिवल (जैसलमेर) के लिए बेस्ट फेस्टीवल डेस्टीनेशन अवार्ड।
- ट्रेवल एवं लीजर मैगज़ीन द्वारा ''बेस्ट स्टेट इन इण्डिया अवार्ड''।
- ट्रेवल एवं लीजर मैगज़ीन द्वारा ''बेस्ट वेडिंग डेस्टीनेशन अवार्ड''।

संस्कृति

जवाहर कला केन्द्र

जवाहर कला केन्द्र (जे.के.के.) दृश्यकला, प्रदर्शनकला (संगीत, नृत्य और नाट्य) तथा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु उत्कृष्ठता का केन्द्र है। जवाहर कला केन्द्र के पुर्नरूद्धार के साथ, जवाहर कला केन्द्र पर कार्यक्रमों का उद्देश्य नियमित उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम, जिसमें शास्त्रीय एवं समसामयिक दोनो विधाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त कला रूपों की सभी शैलियों के कार्यक्रम को प्रेरित करना है।

कोविड–19 महामारी के कारण जवाहर कला केन्द्र द्वारा गतिविधियों का अप्रैल से अक्टूबर, 2021 तक ऑनलाईन आयोजन किया गया।

कला और संस्कृति के आतंरिक एवं बाहरी पहलुओं को प्रचारित एवं बढ़ावा देने के लिए जनवरी से दिसम्बर, 2021 तक आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित है:–

दृश्यकला एवं फिल्म

प्रर्दशनी:– चित्रम, शक्ति, सोनो राजस्थान, विहंगम राजस्थान, पेंटिंग और मूर्तिकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी, कार्टिस्ट, स्पेश इन स्पेश, अग्नि कला, वैशाख उत्सव

नाटक:– एक अभिनेता की मौत

शिविर:– शक्ति, आजादी @75, मिट्टी की मूर्तिकला

पेंटिंग:– फड़, मांडना, पिछवाई, आदिम चित्रकला, राजस्थानी लघु चित्रकला,

अन्य:– आजादी का अमृत महोत्सव, दांडी मार्च और स्वतंत्रता 2.0, जो सुख को चाहे सदा (गुरु तेग बहादुरजी का संदेश), व्यंग चित्र, भारतीय लघु कला, साफा बांधना, रंगो का दर्शन, टाई एंड डाई, सुलेख, चूड़ी बनाना, मीनाकारी, रचनात्मक लेखन, मथेरण, तस्वीर बनाना, उस्ता कला, कला संरक्षण, शिल्प एवं रचनात्मक उद्यमियों के साथ समूह चर्चा, कावड़ कला, मोलेला कला, मंथन क्विज़, फाइबर टू फैब्रिक कार्यशाला, थेवा कला, मूर्ति शिल्प, कोफ्तगरी, मेहंदी, रजा पर्व, जयपुर मीनाकारी एवं लाख प्रशिक्षण सत्र, नाइट स्काई टूरिज्म।

कलाओं का प्रस्तुतिकरण (नाट्य, संगीत और नृत्य)

- **नाट्य (रंगमंच)**

कठपुतली बनाना, पटकथा–लेखन कार्यशाला, फिल्म प्रशंसा कार्यशाला, फिल्म निर्माण, माइम, देशभक्ति गीतों एवं पंखुडी की प्रस्तुति आदि।

- **संगीत और नृत्य**

कत्थक नृत्य की एक आभासी श्रृंखला, लोक अनुरंजन के नाम से लोक और सूफी प्रदर्शन, नाद निनाद के नाम से ए वर्चूअल सिरीज ऑफ म्युजिकल परफोरमेन्स, अली गनी ब्रदर्स द्वारा मांड प्रदर्शन (तेजरासर– बीकानेर), डॉ मधु भट्ट तैलंग और समूह द्वारा देशभक्ति संगीत रचना का प्रदर्शन, अभिव्यंजक कला चिकित्सा, योग सत्र, कूल बॉयज द्वारा लाइव बैंड, कत्थक अमृत, चकरी नृत्य, भरतनाट्यम, मांगनियार का संगीत, ताल वाद्य कचेरी, बारिश बैंड, कत्थक, श्रीमति मंजिरी महाजनी द्वारा कत्थक नृत्य प्रस्तुति, शबद कीर्तन, श्री इकबाल शाद द्वारा शाम–ए–कव्वाली की प्रस्तुति, विशेषयोग्यजन कलाकारों की नृत्य प्रस्तुतियां, केन्द्र द्वारा लोकरंग समारोह एवं हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया।

साहित्य

महिला कवियों द्वारा कविता पाठ, विजुवल स्टोरी टेलिंग, चंद्रशेखर आजाद टॉक, एक रचनात्मक शुरुआत कैसे करें, बुक लवर्स मीटअप, बुक डिशर्कशन और पॉडकास्ट एपिसोड (I से X) जवाहर कला केन्द्र के द्वारा आयोजित किये गये हैं। कला और साहित्य के विभिन्न विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए ओपन माइक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, (दिसम्बर, 2021) तक आवंटित राशि ₹853.50 लाख के विरूद्व ₹198.80 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा कला एवं वास्तुकला के विभिन्न रूपों में समाविष्ट सांस्कृतिक विरासत की खोज, सुरक्षित, सरंक्षण, प्रदर्शन और विवेचन आदि के सम्बन्ध में ठोस प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) विभाग द्वारा प्रगतिरत कार्यों पर कुल स्वीकृत राशि ₹3,719.82 लाख के विरूद्व ₹1,740.22 लाख व्यय किये जा चुके है। वर्ष 2021–22 के दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य किए गएः–

- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से स्वीकृत निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित संरक्षण जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य प्रगतिरत है– भवानी नाट्यशाला (झालावाड़), फतेहगढ़ किला (अजमेर), शिव–मंदिर ओसियां (जोधपुर), फलोदी फोर्ट (जोधपुर), शाहबाद किला (बारां), शेरगढ़ किला अटरू (बारां), डीग किला (भरतपुर), सज्जनगढ़ किला (उदयपुर), तालाब–ए–शाही बाड़ी (धौलपुर), राव बीकाजी की टेकरी (बीकानेर), बीकानेर शहर के प्राचीन दरवाजे, सुखमहल (बून्दी), चौरासी खम्भों की छतरी (बून्दी), चौपडा महादेव मन्दिर के सामने के भग्नावशेष दमापुर (धौलपुर), पुरास्थल धूलकोट (उदयपुर), पन्ना लाल शाह का तालाब, खेतडी (झुन्झुनू), होल्कर की छतरी, गागरसोली (भरतपुर), चांदसिंह की छतरी, गनेडी (सीकर), खेतडी किला (झुन्झुनू), महल व मन्दिर पुरानी छावनी (धौलपुर), बाला किला (अलवर), मचकुण्ड (धौलपुर), प्राचीन प्रासाद कुम्हेर (भरतपुर), पटवों की हवेली (जैसलमेर), भृर्तहरी गुम्बद, तिजारा (अलवर), पुरास्थल चन्द्रावती (सिरोही), सरवाड किला (अजमेर), सिवाना दुर्ग (बाड़मेर), शिव मन्दिर बावडी (जोधपुर), साहवा का तालाब, तारानगर (चूरू), रूठी रानी का मन्दिर, घौड (भीलवाडा), देवताओं की साल, मण्डोर (जोधपुर) एवं राजकीय संग्रहालय माउण्ट आबू (सिरोही)।

- सितम्बर, 2021 में विभागीय शोध पत्रिका ''पुरासम्पदा'' 2020 का प्रकाशन किया गया।

देवस्थान विभाग

देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन का विभाग है। 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार और 203 राज्य आत्मनिर्भर मन्दिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबन्धन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैः–

- **मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यः–** 7 मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों में से 1 कार्य पूर्ण हो चुका एवं 6 कार्य प्रगति पर हैं जो कि राज्य प्रयत्क्ष प्रभार से सम्बन्धित है। 21 मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य प्रगति पर हैं जो कि अशासकीय मंदिरों से सम्बन्धित हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) स्वीकृत

₹347.01 लाख के विरूद्ध ₹86.05 लाख का व्यय किया गया है।

- **ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों को सहायताः–** वर्ष 2020–21 में 8 पूंजीगत सम्पत्ति को चिन्हित किया गया जिनमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 6 कार्य प्रगति पर है।

- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन योजना :** इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों यथा– ''रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरूपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण–बेलगोला, सम्मेदशिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ इत्यादि'' की मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹1,230 लाख की राशि का प्रावधान किया गया। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण इस योजना का क्रियान्वयन लंबित है।

- **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजनाः** इस योजना के तहत, राज्य के तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रत्येक तीर्थयात्री को ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में राशि ₹100 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण इस योजना का क्रियान्वयन लंबित है।

- **मोक्ष कलश योजनाः** कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण गरीब परिवारों के मृत प्रियजनों की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हेतु अस्थि कलश के साथ परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा करवाई गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इस योजना का कार्यकारी विभाग है। इस योजना के समस्त व्यय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किये गये एवं पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2021 तक 125 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया एवं ₹2,29,500 का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) को किया गया।

वित्तीय सेवाएं

बैंकिंग

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं को प्रोत्साहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण कर राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जा रही है। नियोजित वित्त पोषण प्रदान करने के क्रम में राज्य में विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण की जरूरत के मद्देनजर सरकार द्वारा बैंकों एवं अन्य आवधिक उधार देने वाली संस्थाओं से अधिकाधिक संस्थागत वित्त लेने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सहायता को प्रभावशाली ढंग से उपयोग किये जाने की आवश्यकता है ताकि इससे अधिकतम लाभ हो तथा यह लाभ जनसंख्या के व्यापक वर्ग को मिले।

राज्य के विकास हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण, विनियोग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न ऋण आधारित कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाई.), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास की योजनाएं एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कमजोर वर्गों के विकास हेतु बैंकों की सहायता से चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक विशेषतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण सहायता देकर कमजोर वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं।

राजस्थान व राष्ट्रीय स्तर पर बैंक शाखाओं, जमाओं एवं ऋण वितरण की सितम्बर, 2020 व सितम्बर, 2021 तक की तुलनात्मक स्थिति तालिका–6.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.1 से विदित होता है कि राजस्थान में सितम्बर, 2021 में गत वर्ष सितम्बर, 2020 की तुलना में कुल जमाओं एवं ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। राजस्थान में जमाओं में सितम्बर, 2021 में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 09.03 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जबकि इसी समयावधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 10.08 प्रतिशत रही है। राजस्थान में सितम्बर, 2021 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का साख–जमा अनुपात 75.53 प्रतिशत एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 70.01 प्रतिशत रहा, जबकि सितम्बर, 2020 में यह अनुपात राजस्थान व अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 75.41 प्रतिशत एवं 72.04 प्रतिशत था। राजस्थान में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में सितम्बर, 2021 में कुल ऋण वितरण में 9.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 6.97 प्रतिशत रही है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 824 लाख (वर्ष 2021) के अनुसार राजस्थान में औसतन 10,576 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा तथा औसतन 43.92 वर्ग किमी. पर एक बैंक शाखा कार्यरत है।

तालिका 6.1 बैंक शाखाओं, जमाओं एवं ऋण के तुलनात्मक समंक

क्र.सं.	मद	राजस्थान		भारत	
		सितम्बर, 2020	सितम्बर, 2021	सितम्बर, 2020	सितम्बर, 2021
1.	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	1566	1575	21936	21937
	(ब) जमा (₹करोड़)	32123	35863	494013	519446
	(स) ऋण (₹करोड़)	23109	26251	312818	348058
2.	**विदेशी बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	7	9	307	872
	(ब) जमा (₹करोड़)	1060	985	694197	787928
	(स) ऋण (₹करोड़)	1070	1286	388722	460910
3.	**निजी क्षेत्र के बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	1489	1560	34818	36265
	(ब) जमा (₹करोड़)	95028	109885	4213854	4864061
	(स) ऋण (₹करोड़)	99209	114972	3654804	4033268
4.	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक***				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	4272	4219	88612	86203
	(ब) जमा (₹करोड़)	317555	336907	9004012	9667061
	(स) ऋण (₹करोड़)	204876	213552	5978321	6198056
5.	**लघु वित्त बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	351	393	4479	5184
	(ब) जमा (₹करोड़)	9629	12719	74708	94453
	(स) ऋण (₹करोड़)	15142	18969	97360	119500
6	**पेमेंट बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	0	35	0	696
	(ब) जमा (₹करोड़)	0	151	0	7497
	(स) ऋण (₹करोड़)	0	0	0	0
कुल	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**				
	(अ) कार्यालयों / शाखाओं की संख्या	**7685**	**7791**	**150152**	**151157**
	(ब) जमा (₹करोड़)	**455395**	**496510**	**14480784**	**15940446**
	(स) ऋण (₹करोड़)	**343406**	**375030**	**10432025**	**11159792**

*भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित।

डिजिटल भुगतान

नीति आयोग, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान के 5 प्रकार सुझाए हैं जो कि यूएसएसडी (*99#बैकिंग), आधार सक्षम भुगतान, वॉलेट, रूपे/डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड और एकीकृत भुगतान इटंरफेस (यूपीआई) हैं।

भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राजस्थान में करौली जिले को 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के लिए चिह्नित किया गया था। एसएलबीसी की उप–समिति की बैठक 4 अगस्त, 2021 में आशान्वित जिले अजमेर व धौलपुर को राज्य में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के उद्देश्य के लिए चुना गया है।

राज्य में जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत स्तर पर नकद/वित्तीय लेन–देन की सेवाओं के लिए सेवा केन्द्र उपलब्ध है। ऐसे लेनदेनों को करने हेतु 85,000 से अधिक (सितम्बर, 2021 तक) कियोस्क/ई–मित्र कियोस्क/माइक्रो ए.टी.एम. स्थापित किए गए है।

ई–मित्र नागरिकों को सरकारी सूचनाओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु–सेवा, एकल–खिड़की नेटवर्क के रूप में कार्यरत है, इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को मोबाईल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाईल वॉलेट जैसे– पेटीएम, एम–पैसा से भी इसे एकीकृत किया गया है।

व्यवसायिक संवाददाता (बिजनेस कोरेस्पोन्डेंट)

वित्तीय समावेशन समाज के जरूरतमंद एवं वंचित समूहों यथा– कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन बैंक खाता खोलने तथा वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने तक सीमित नहीं होकर इसके आगे औपचारिक वित्तीय सेवाएं यथा– ऋण, बचत, बीमा, धन प्रेषण सुविधाएं, वित्तीय परामर्श तथा सलाहकारात्मक सेवाएं गरीब के द्वार तक उपलब्ध करवाये जाने तक है।

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत बैंक द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट्स एवं व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे है। वर्तमान में राज्य में 31 दिसम्बर, 2021 तक 23,571 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।

स्टैण्ड अप इंडिया योजना

स्टैण्ड अप इंडिया योजना की शुरूआत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ की गई है। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।

इस योजना के परिचालन की सुविधा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया ने योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने एवं योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न की पूछताछ के लिए एक बेवपोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है। इस योजनान्तर्गत (1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक) 765 लाभार्थियों को कुल ₹19,696 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

अन्य

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अन्तर्गत राजस्थान में 31 दिसम्बर, 2021 तक 3.08 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 89.36 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।

- राज्य में ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत कुल 41.77 लाख व्यक्तियों और ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के अन्तर्गत कुल 124.13 लाख व्यक्तियों का नामांकन 31 दिसम्बर, 2021 तक किया जा चुका है।

- अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत योग्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारण्टेड ₹1,000 न्यूनतम एवं ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2021 तक 15.82 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।

- "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" (पी.एम.एम.वाई.) के तहत राजस्थान में बैंकों, गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनी (एन.बी.एफ.सी.) लघु वित्त संस्थानों और गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से वर्ष 2021–22 के दौरान, 31 दिसम्बर, 2021 तक की संवितरण की प्रगति नीचे तालिका–6.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 6.2 वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति

(31 दिसम्बर, 2021 तक)

श्रेणी	स्वीकृतियों की संख्या	वितरण राशि (₹करोड़)
शिशु	1324075	3949.15
किशोर	286505	3574.17
तरूण	30731	2377.86
योग	**1641311**	**9901.18**

राज्य में बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाएं :

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपीवाई)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)
- विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (आईएमएसयूपीवाई)
- मुख्यमंत्री लघु–उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई)
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
- **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (आईजीएससीसीवाई):** राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख रेहड़ी–पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना में लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

  ऋण राशि को लाभार्थी द्वारा डेबिट कार्ड के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में 31 मार्च, 2022 तक निकाला जा सकता है। ऋण राशि का भुगतान चतुर्थ से 15वें/21वें महीने तक 12/18 समान किश्तों में किया जाएगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाः–

राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड

भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 5 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है–

- डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान और उनकी ऑन–बोर्डिंग।
- आधार अधिनियम की धारा 7 या धारा 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना।
- सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण।
- डीबीटी योजनाओं की नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल ऐप उमंग पर उनका एकीकरण।

डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति

यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो केंद्र के साथ–साथ राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का समग्र रीयल टाईम व्यू प्रदान करता है और समेकित डैशबोर्ड की जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में 79 राज्य और 71 सीएसएस डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।

- राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार ₹1,145.51 करोड़ अनुमानित बचत/लाभ और 49.21 लाख डुप्लिकेट लाभार्थियों को हटाया गया (31 मार्च, 2021 तक संचयी)।
- 23 दिसम्बर, 2021 को राजस्थान के डीबीटी भारत पोर्टल पर सीएसएस की स्थिति के अनुसारः–
  - नागरिकों के बैंक खाते का कुल डीबीटी (संचयी)– आधार लिंकिंग– ₹27,494.33 करोड़।
  - 7.43 करोड़ लाभार्थियों को कुल ₹25,230.42 करोड़ रुपये का डीबीटी (वर्ष 2021–22 के दौरान)।

- वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग 18 है और डीबीटी भारत पोर्टल पर स्कोर 57.5 दर्शाया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

जन सूचना पोर्टलः– नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए वर्तमान में संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जनसूचना पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा। वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

यू.आई.डी (आधार) : भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत एक 12 अंकों की संख्या, सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या कहा जाता है। इस विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यूआईडीएआई ने राज्य के लिए लगभग 7 करोड़ आधार आईडी कार्ड जारी कर दिये है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पास 2,200 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर है, जो राज्य भर में आधार डेटाबेस का पंजीकरण और अद्यतन कर रहे हैं। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रति व्यक्ति मशीनों/ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेट–रजिस्ट्रारों में से एक है। दिसम्बर, 2021 तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 53,95,32,058 से अधिक अधिप्रमाणन किए और औसतन प्रति माह 4,49,61,004 से अधिक अधिप्रमाणन किए है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आधार का बुनियादी ढॉचा राज्य में नकद और गैर–नकद लाभों के वितरण में प्रमुख उत्प्रेरक/मुख्य–स्त्रोत की भूमिका निभा रहा है और जनआधार जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की सफलता में प्रमुख घटक रहा है।

राजस्थान स्टार्टअपः राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के क्रम में स्टार्टअप योजना में बिना किसी शर्त के केवल परियोजना मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को ₹5 लाख की सहायता सीड मनी के रूप में देने का प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए किया गया है वित्त विभाग द्वारा ₹20.03 करोड़ खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। जिसकी अनुपालना में 6 से 9 दिसम्बर, 2021 को मूल्यांकन समिति की बैठक हुई जिसमें 28 स्टार्टअप्स का चयन किया गया।

22 दिसम्बर, 2021 को महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा नीति आयोग के सहयोग से टेक्नो–हब में वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स–2021 के 5वें संस्करण के प्रचार के लिए एक रोड़ शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिला संस्थापकों के अलावा सीईओ सहित 100 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। 19 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भरतपुर इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया। कोटा और अजमेर इनक्यूबेटर सेन्टर (अब अभय कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर में स्थापित है) का कार्य निर्माणाधीन है।

आई स्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विण्डो की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, चैलेन्ज फोर चेन्ज, राजस्थान स्टैक, क्यू–रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आई.स्टार्ट नेस्ट (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर) भी राज्य के स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टलः राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का उपयोग केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। एड–ऑन मॉड्यूल्स यथा मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जी.आई.एस. एकीकरण और एप्लीकेशन्स यथा एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। 'स्वतः भाषण मान्यता' (ए.एस.आर.) की कार्यक्षमता के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर–181 प्रारम्भ किया गया है। 31 दिसम्बर, 2021 तक 89.16 लाख से अधिक शिकायतें/समस्याएं वार–रूम में प्राप्त हुई तथा लगभग 88.04 लाख शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया गया।

- **वीडियो वॉलः** राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में निवासियों के लिए विभिन्न सरकारी नवाचारों और लाइव ईवेन्ट्स की ऑडियो–वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिए वीडियोवॉल की स्थापना की गई है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी):** कोविड़–19 वायरस के संक्रमण काल में अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों का आवागमन प्रतिबंधित रहा था अतः आमने–सामने संवाद के लिए विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग का पंचायत स्तर तक व्यापक रूप में उपयोग किया गया।
- **राजनेटः** राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक

कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत, जिला कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक कार्यालय स्तर पर रूम आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.रूम) सुविधा प्रदान की गई। लो–बेन्डविथ सक्षम सॉफ्टवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध करवायी जा रही है।

- **वाई–फाई सुविधा**: राज्य की कुल 11,341 ग्राम पंचायतों (9,892 पुरानी ग्राम पंचायतों एवं 1,449 नई ग्राम पंचायतों) में से 9,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन उपलब्ध है। पुरानी 9,400 ग्राम पंचायतों में से 8,710 ग्राम पंचायतों में कुल 9,960 वाई–फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से वाई–फाई की सुविधा प्रदान की गई है। शेष ग्राम पंचायतों में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य में मुक्त इंटरनेट के लिए 13,771 वाई–फाई हॉटस्पॉट (9,960 ग्रामीण क्षेत्र 3,811 शहरी क्षेत्र) उपलब्ध करवाये गये हैं।

- **भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.)**: जी.आई.एस. आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही जी.आई.एस. बेस्ड एप्लीकेशन्स को होस्ट किया गया है, जयपुर के लिए 3–डी जी.आई.एस. मॉडल का कार्य शुरू किया गया है। 3–डी सिटी प्लेटफॉर्म को डाटा सेन्टर में विकसित किया गया है।

- **ई–मित्र**: वर्तमान में सरकारी विभागों/निजी संगठनों की 500 से अधिक सेवाएं राज्य के नागरिकों को 85,595 ई–मित्र कियोस्कों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगिता बिलों के भुगतान की सुविधा का एकीकरण भी शुरू किया गया है। नागरिकों के लिए ई–मित्र सेवाएं ई–मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और ई–मित्र प्लस मशीन के माध्यम से उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 19 दिसम्बर, 2021 को ई–मित्र@होम सर्विस शुरू की गई है। जोधपुर एवं जयपुर के शहरी क्षेत्रों में इसका शुभारम्भ किया गया है।

- **ई–मित्र प्लस**: ई–मित्र प्लस, ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। यह ए.टी.एम. की भाँति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे सेवाएं प्रदान करता है। ई–मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों जैसे– जन्म प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा इसके अन्दर लगे प्रिन्टर के माध्यम से प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की विभिन्न सुविधाएं हैं। इसके अलावा ग्राम–पंचायत स्तर तक वीडियो कांफ्रेन्सिंग, जनसुनवाई, सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार और राज्य के कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य में ये कियोस्क शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। 14,891 ई–मित्र प्लस कियोस्क (5,000 शहरी क्षेत्र एवं 9,891 ग्रामीण क्षेत्र) स्थापित किए गए हैं।

- **राज–पेमेंट**: यह व्यक्तिगत/फर्मों के लिए भुगतान की एक सुविधा है, जिसे भुगतान के वितरण के लिए किसी भी संगठन द्वारा प्लग–इन कर उपयोग किया जा सकता है।

- **राज ई–साइन**: डिजिटल हस्ताक्षर कार्य आर.आई.एस.एल. के माध्यम से शुरू किया गया है। अब विभागों को किसी भी निजी कम्पनी से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न विभागीय अनुप्रयोगों में ई–साइन का एकीकरण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस सुविधा के माध्यम से जाति, आय, शोधन–क्षमता प्रमाण–पत्र जारी किए जा रहे हैं।

- **स्टेट पोर्टल**: यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपयोगकर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी/व्यवहार का एकल स्त्रोत है। यह पोर्टल सभी विभागों के वेबपोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

- **ई–संचार एवं आई–फैक्ट**: ई–संचार एप्लीकेशन नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को एस.एम.एस./वॉइस मैसेज के माध्यम से सूचना भिजवाए जाने के लिए विभिन्न ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन को अनेक सेवाएं प्रदान करता है एवं एस.एम.एस. के माध्यम से नागरिकों से सूचना प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। वेब आधारित एपीआई का उपयोग करके इसे किसी भी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आई–फैक्ट/रियलिटी चेक मॉडयूल का उपयोग आई.वी.आर.एस. आधारित कॉलों के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवाओं/आवेदन के सर्वे करने हेतु किया जा सकता है।

- **स्टेट मास्टर सैन्ट्रलाइज्ड डेटा हब:** मास्टर डेटा हब विभिन्न विभागों के क्लाईंट्स एप्लीकेशन्स हेतु आवश्यक सभी प्रकार के मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इसमें भौगोलिक पदानुक्रम से विभागीय अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा शामिल हैं।

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण:**

  ➢ सरकारी विभागों की आई.टी. सक्षमता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रशिक्षित जन–शक्ति की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

  ➢ **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण** : राजकीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्मिकों द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं आर.के.सी.एल. का सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार शुल्क का पुनर्भरण करने का निश्चय किया गया।

  ➢ **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.)** : आर.के.सी.एल. की स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है, जिससे डिजिटल भिन्नता में सेतू का काम करने एवं अन्तिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। आर.के.सी.एल. का आर.एस.सी.आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाण–पत्र) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा राजकीय अनुमोदन उपरान्त राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता हैं। इसके माध्यम से लगभग 6,604 ज्ञान केन्द्र खोले गये है जिनमें लगभग 59.65 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। कोविड–19 के कारण जनवरी, 2021 से लगभग 2.89 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **स्टेट डाटा सेन्टर (एस.डी.सी.):** स्टेट डाटा सेन्टर विभिन्न सेवाओं की प्रभावी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदान करता है। यह राज्य के विभिन्न विभागों और उद्यमों के सेवाओं/एप्लीकेशन्स को एक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हॉस्ट करने में सक्षम है। जयपुर में स्थापित आरएसडीसी के 4 डेटा सेन्टर में कुल 800 रेक की क्षमता है एवं जोधपुर में 1 डीआर साइट है। आरएसडीसी पी–4 में 600 रैक प्रमाणित अपटाईम टीयर–4 डिजाइन हैं, जो 99.99 प्रतिशत अपटाईम सुनिश्चित करता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है।

- **डाटा एनालिटिक्स:** करदाताओं की पहचान कर एवं कर राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य में यह प्रोजेक्ट राजस्व विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान विभाग में लागू कर दिया गया है। प्राजेक्ट में डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न तकनीकों के उपयोग से डाटा संचालित नीति निर्माण एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने के लिए दैनिक रिपोर्ट भी तैयार की गई।

- **सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.):** यह सभी विभागीय एप्लीकेशन्स के लिए एकल उपयोगकर्ता प्रबन्धक है। इसमें समस्त उपयोगकर्ताओं द्वारा केवल एक बार साइन–इन करने के उपरान्त विभिन्न एप्लीकेशन्स पर कार्य किया जा सकता है। सभी विभागीय एप्लीकेशन्स को एस.एस.ओ. से जोड़ा जा सकता है।

- **राज–काज:** सरकारी कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, अनापत्ति प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए), राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन और आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आदि के मापदंड राज–काज प्राजेक्ट के तहत सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के साथ लागू किए जा रहे है। इस मापदंड को सभी सरकारी विभागों में प्रभावी और अनिवार्य बनाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा राज्यव्यापी दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

- **कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (अभय):** एकीकृत समाधान हेतु जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किए गए हैं। अब तक 6,719 ऑनलाईन एवं 719 ऑफलाइन कैमरे लगाये गये है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न सम्मिलित हैं:–

- वीडियो निगरानी तंत्र
- डायल 100 नियंत्रण तंत्र
- फारेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- दक्ष यातायात प्रबन्धन तंत्र
- वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- भौगोलिक सूचना तंत्र

कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमः

- **कोविड–19 महामारी से संबंधित वेबसाइट का संचालनः** कोविड–19 से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कर प्रसारण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। जिससे समस्त स्तरों से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है।
- **कोविड–19 सांख्यिकी एप्लिकेशन और बीआई डैशबोर्ड/रिपोर्टः** राज्य भर में व्यापक रूप से कोविड–19 महामारी से संबंधित विभिन्न ऑकड़ों को कैप्चर करने की आवश्यकता को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की हाउस टीम ने केवल 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में एक केन्द्रीकृत वेब–आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन ''कोविड–19 सांख्यिकी'' विकसित किया और समय–समय पर राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें और अधिक पहलुओं/विशेषताओं को शामिल करने के लिए इसे धीरे–धीरे अपग्रेड किया गया है।
- **ई–औषधी–कोविड़–19ः** ई–औषधी–कोविड–19 डैशबोर्ड के माध्यम से महामारी में काम में आने वाली 57 प्रकार की महत्वपूर्ण औषधियों व अन्य आइटमों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है।
- **राजकोविड़ इनफो ऐपः** राज्य में भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत कोविड–19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए ऊष्णता आधारित/विषयगत नक्शों का उपयोग करके एक प्रणाली विकसित की गयी। इस एप्लिकेशन के माध्यम से चिकित्सा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और उपयोग के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है।
- **मोबिलिटी पासः** राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं यातायात विभाग आदि से व्यक्तियों और वाहनों के आपातकालीन आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई–पास के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- **मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐपः** कोविड–19 के दौरान आमजन के लिए खाद्य, औषधि, आवास सुविधा इत्यादि के प्रबंधन हेतु भामाशाहों व सक्षम व्यक्तियों को सहयोग देने हेतु एक ऑनलाईन प्लेटफॉर्म www.cmrf.rajasthan.gov.in तथा एक ऐप का संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान जन आधार योजना

परिचय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट वर्ष 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'राजस्थान जन आधार प्राधिकरण' के गठन की घोषणा की गई। इसके साथ ही राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की गई। उक्त बजट घोषणा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को **''राजस्थान जन आधार योजना, 2019''** का शुभारम्भ निम्न उद्देश्यों के साथ किया गया है:–

- राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक –आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'' प्रदान करना, जो कि परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पता तथा संबंध के प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान करे।
- पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में तथा गैर–नकद लाभ, आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
- ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का विस्तार राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
- ई–मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।

- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व बजट घोषणानुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से ही **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020** प्रदेश में प्रवृत हो चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन तथा कार्यकारिणी समिति से संबंधी अधिसूचनाएं प्रकाशित की जा चुकी है ।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 संबंधी अधिसूचना का दिनांक 4 अगस्त, 2021 को राजपत्र में प्रकाशन हो गया है एवं अन्ततः विनियमों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

जन आधार कार्ड व प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण का क्रियान्वयन, जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से :–

- **जन आधार कार्ड** –
  - ➢ राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
  - ➢ नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है।
  - ➢ भारत सरकार (यूआईडीएआई) के परिपत्र दिनांक 9 मई, 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये सूचीबद्ध किया गया।
- **जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण** –
  - ➢ जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ हस्तांतरण किए जा रहे हैं।
  - ➢ जन आधार योजनान्तर्गत 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक हस्तांतरित किये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन, सामाजिक अंकेक्षण के उद्‌देश्य से जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार है:–

- **राज्य स्तर पर**– आयोजना विभाग, राजस्थान जन आधार योजना का प्रशासनिक विभाग है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन के पश्चात निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बजट नियंत्रण एवं प्राधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक हैं। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी है।

- **जिला स्तर पर**– जिला कलेक्टर जिला जन आधार योजना अधिकारी है, उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी और उप निदेशक (ए.सी.पी.), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी) हैं।

- **ब्लॉक स्तर पर**– उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी है। ब्लॉक विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी –अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी एवं प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी) हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2020–21 में ''आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ, जन आधार के कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे'' की घोषणा की गई।

उपरोक्त घोषणा की पालना में जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जन आधार डेटा का मिलान राशन कार्ड से चरणबद्व रूप से अभियान चलाकर किया जा रहा है।

योजना की वर्तमान स्थिति तालिका–6.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका–6.3 राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति

(31 दिसम्बर, 2021 तक)

क्र.सं.	कार्य	उपलब्धि
1.	नामांकित परिवारों की संख्या	1.87 करोड़
2.	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	7.15 करोड़
3.	कुल ट्रांजेक्शन (नकद व गैर–नकद)	105.47 करोड़
4.	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण	₹44997 करोड़

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने तथा जनता की सामाजिक–आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ–साथ राज्य की नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करता है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों को अजमेर (मुख्यालय–जयपुर), बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर स्थित सुस्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (एस.आर.एस.ए.सी.), जोधपुर द्वारा सुदूर संवेदन गतिविधियां की जा रही हैं।

प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं

राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (एस.आर.एस.ए.सी), जोधपुरः यह केन्द्र राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक एवं स्थानिक समंकों के आधार पर सूचना प्रणाली बनाने का काम कर रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा– मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिजों आदि के मानचित्र को चिन्हित कर खनन/दोहन एवं प्रबन्धन करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घकालिक प्रायोगिक तथा परिचालन सम्बन्धी सुदूर संवेदी अध्ययन भी किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास प्रभागः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य योजनाएं–अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, कार्यशालाओं/सेमीनारों/कॉन्फ्रेंसों, यात्रा अनुदान और विद्यार्थी परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान करना है।

विज्ञान एवं समाज प्रभागः विज्ञान एवं समाज प्रभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का व्यापक उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिक क्षेत्रों को, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रभाग की प्रमुख योजनाएं–उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट/विशेष परियोजनाएं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी दिवस मनाना तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

उद्यमिता विकास प्रभागः इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं उद्यमिता जागरूकता शिविर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम हैं। विद्यालय स्तर पर भी उद्यमिता गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने के प्रयास प्रगति पर हैं। विद्यालय स्तर पर नवाचारों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप बूट क्लब, राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रारम्भ किए गए हैं साथ ही ग्रामीण और बायोटेक क्षेत्र में टीबीआई की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभागः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनारों और जागरूकता कार्यक्रमों, वृहद् और लघु परियोजनाओं के संवर्द्धन एवं निष्पादन के माध्यम से सम्बन्धित बायोटेक क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डी.एस.टी. का दृष्टिकोण, बी.टी. (बायोटेक) आधारित अर्थव्यवस्था निर्मित करना, समाज के सभी वर्गों को जैव प्रौद्योगिकी के लाभ को सुनिश्चित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा राज्य में जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के निर्माण मे सहायता करना है। बायोटेक नीति के तहत एकीकृत कार्यक्रमों के लिए केन्द्र की स्थापना की गई है।

विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभागः राजस्थान में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं– विज्ञान लोकप्रियकरण हेतु कार्यक्रम एवं गतिविधियां, प्रतियोगिता कार्यक्रम, विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, विद्यालय विज्ञान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क हैं।

पेटेन्ट सूचना केन्द्रः पेटेन्ट सूचना केन्द्र (पी.आई.सी.) की स्थापना प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बौद्धिक सम्पदा (आई.पी.आर.) अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं क्षेत्र में पेटेन्ट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना के रूप में 1998 में की गई। स्टार्टअप, राजकीय मॉडल विद्यालयों में टेक्नॉलोजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.) के माध्यम से ग्रामीण एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिज़निस आइडिया पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2021—22 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संपादित की गई हैं—

- विभाग द्वारा राज्य में भौगोलिक संकेत (जी.आई.) को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना एवं गाइडलाइन्स का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- राज्य के युवा वैज्ञानिक पत्रकारिता एवं युवा वैज्ञानिकों को बढावा देने के लिए भारत की साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन डिज़ाइन इंटरप्रन्योरशिप (एस.टी.आर.आई.डी.ई.) अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसमें ₹8.25 लाख के पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिये जायेगें।
- राज्य के विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान विषय में रूचि जाग्रत करने एवं अवसर प्रदान करने हेतु एस्ट्रोड खोज अभियान विभाग द्वारा शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के विद्यार्थियों द्वारा 600 से अधिक प्रारंभिक खगोलीय खोजें की गई।
- विभाग द्वारा विज्ञान क्षेत्र में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सोजत मेहंदी को 14 सितम्बर, 2021 में भौगोलिक संकेत (जी.आई.) टैग प्राप्त हो गया है, इससे सोजत क्षेत्र के किसानों को मेहंदी की उपज में, आर्थिक सम्बलन एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी।
- विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग की सहभागिता से 21 जनवरी, 2021 से एस्ट्रो नाईट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम प्रारम्भ किया। आमजन एवं पर्यटकों में इस कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख टाइम पत्रिका में किया गया था एवं वर्ष 2021 के लिए जयपुर एस्ट्रोनोमी हेवन से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर सरिस्का (अलवर) और नैनीताल (उत्तराखंड) ने भी इस तरह की गतिविधि शुरू की है।
- विभाग द्वारा राज्य के 6 से 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डीएसटी होम स्कूलिंग पोडकास्ट प्रारम्भ करने की कार्ययोजना बनायी गई, यह राज्य के 15 लाख से अधिक स्कूल विद्यार्थियों को विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ने में सुविधा प्रदान करेगा।

वर्ष 2021—22 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹995.19 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक ₹437.56 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन

राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। राजस्थान फाउण्ड़ेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन भारत तथा विदेशों के विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ घनिष्ठ एवं लगातार सम्पर्क कर रहा है और सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन ने विभिन्न शहरों नामतः चैन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, सूरत, मुम्बई, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन्दौर, लंदन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू में चैप्टर्स खोले हैं। चैप्टर्स, कार्यकारी समिति के साथ नियमित बैठकों का आयोजन एवं नए सदस्यों का नामांकन करते है।

राजस्थान फाउण्डेशन त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कर रहा है, जो देश के भीतर और बाहर प्रवासी राजस्थानी/प्रवासी भारतीयों को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। इस प्रकाशन के माध्यम से राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक कदमों से प्रवासी राजस्थानियों को अवगत कराया जाता है। राजस्थान फाउण्डेशन के न्यूज लेटर का नवीनतम संस्करण ''माटी रो संदेश'' सितम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया है।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः—

- प्रवासी राजस्थानियों से लगातार सम्पर्क बनाये रखने एवं राजस्थान फाउण्डेशन को और अधिक विजिबल बनाने हेतु सिम्पली जयपुर के साथ ''हम राजस्थानी'' प्रोग्राम आयोजित करने हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) हस्ताक्षरित किया गया। इस श्रृंखला की कडी में

कुछ प्रबुद्ध राजस्थानियों का परिचय उनके संबंधित क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए कराया गया। इन सभी कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया।

- दीपावली के उपलक्ष्य में ''दीपोत्सव कार्यक्रम'' का आयोजन बीकानेर हाउस, नई दिल्ली एवं दुबई में किया गया। इस कार्यक्रम में, राजस्थान के मशहूर कलाकार एवं ओपेरा क्वीन सिंगर रितिषा रेवाड़िया, अनयना सिंघवी अन्तर्राष्ट्रीय भवई नृत्यांगना, भुंगर खान व डेजर्ट सिम्फनी ग्रुप के कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई। सम्पूर्ण विश्व के प्रवासी राजस्थानियों ने ऑनलाइन भाग लेकर एकजुटता का संदेश फैलाने के लिए एक साथ दीप जलाए।
- राजस्थान फाउण्डेशन एवं पर्यटन विभाग द्वारा पंतगोत्सव व सांस्कृतिक संगीत समारोह ''धुन'' का आयोजन दिल्ली के बीकानेर हाउस में मकर सक्रांति पर्व के अवसर (14 जनवरी, 2021) पर किया गया । इस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों ने ऑनलाईन भाग लिया।
- पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित ''पंचदशम प्रांतीय अधिवेशन, धरोहर –नई चुनौती, नया संकल्प'' कार्यक्रम 26 से 28 फरवरी, 2021 तक गुवाहाटी में आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा भाग लिया गया।
- 25 मार्च, 2021 को राजस्थानी मित्र मण्डल, नई दिल्ली के साथ राजस्थान दिवस मनाया गया।
- वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान अप्रैल व मई, 2021 में राजस्थान फाउण्डेशन के सहयोग से लगभग 3,000 आक्सीजन कन्सनट्रेटर एवं अन्य राहत सामग्री प्रवासी राजस्थानियों द्वारा सीधे ही राज्य के विभिन्न जिलों के पीएचसी/सीएचसी को भेजी गई थी।
- प्रवासी राजस्थानियों की मदद से 8 आपातकाल लंग वेंटीलेटर के साथ–साथ अन्य चिकित्सकीय उपकरण अस्पतालों को उपलब्ध करवाये गये।
- 15 अगस्त, 2021 को राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों ने इस देश भक्ति के कार्यक्रम में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर ऑनलाईन प्रचार–प्रसार भी किया गया।
- राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2021 को "मिलिये सरकार से" एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला की शुरुआत की गई, जिसमें प्रवासी राजस्थानी, राजस्थान के मंत्रियों और सांसदों से सीधी वार्तालाप कर सकेंगे। प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में चल रही सरकारी योजनाओं और निवेश के अवसरों के बारे में जान पाएंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगें। इसी की प्रथम श्रृंखला में "मिलिये सरकार से" के तहत शहरी विकास एवं आवासीय मंत्री ने प्रवासियों से वार्तालाप की।
- राजस्थान फाउण्डेशन और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सहयोग से राजस्थान मूल की यू.के. निवासी डॉ कुसुम नाथावत ने कक्षा 9वीं से 12वी कक्षा तक के छात्र जो कि मेडिकल में केरियर बनाने के इच्छुक हैं उनके लिए जयपुर जिले के कुछ चुनिन्दा सरकारी और निजी स्कूलों में ''लाईफ ए डॉक्टर'' कार्यशाला 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित की। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य उन छात्र–छात्राओं मे जागरूकता एवं चुनौतियाँ फैलाना था जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में भागीदार बनना चाहते है। इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 18 अक्टूबर, 2021 को किया गया।
- जनवरी माह में प्रस्तावित इनवेस्टर्स राजस्थान -2022 के मद्देनजर प्री–कनेक्ट इनवेस्टर्स मीटिंग का आयोजन अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली, कोलकाता में किया गया। नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई आदि में रोड़ शो का आयोजन किया गया जिसमें आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोटेन्शियल इनवेस्टर्स और प्रवासी राजस्थानियों के साथ वन टू वन संवाद किया।
- 12 से 18 नवम्बर, 2021 को आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ दुबई एक्सपो, दुबई में भाग लिया तथा दुबई के प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद किया। निवेश की दृष्टि से इस एक्सपो में ₹45,930 करोड़ के 33 एमओयू एवं 25 एलओआई पर हस्ताक्षर हुए।
- आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन ने ₹15.32 लाख का चैक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा। यह राशि

कोविड–19 के दौरान प्रवासी राजस्थानियों द्वारा राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से दान दी गई।

- 4 मई, 2021 को आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, लन्दन द्वारा सम्मानित किया गया और वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता का प्रमाण–पत्र दिया गया।
- विश्वभर में चिकित्सा क्षेत्रों में किये जा रहे नवीनतम उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रवासी राजस्थानी डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग पर चर्चा की गई।
- राजस्थान पत्रिका के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक का राजस्थानियों (NRRs/NRIs) के साथ बातचीत करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
- 16 अप्रैल, 2021 को राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति प्रचार मण्ड़ल, अहमदाबाद द्वारा बनाए गए राजस्थानी भाषा में प्रथम कैलेंडर का विमोचन वर्चुअल संवाद द्वारा आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से किया।
- 30 अप्रैल, 2021 को राजस्थान बिजनेस प्रोफेशनल ग्रुप (आरबीपीजी) के साथ एक शिक्षा वेबिनार का आयोजन किया गया।
- 6 अगस्त, 2021 को स्किल डवलपमेन्ट, केपेसिटी बिल्डिंग एवं पब्लिक हैल्थ एवं सोलर सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावों पर वी.सी. के माध्यम से चर्चा की गई।
- राज्य में पब्लिक हैल्थ कॉलेजों की स्थापना की दिशा में विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई।
- 22 मई, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ प्रवासी राजस्थानियों की वी.सी. विषम परिस्थितियों में कुशलक्षेम के बारे में पूछने के लिए आयोजित करवाई गई। प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर्स को निःशुल्क परामर्श हेतु "कॉल डोरी" मोबाईल एप लॉन्च किया गया।
- 19 जून, 2021 को डॉ. सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक "रिडिजाइन द वर्ल्ड" पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आयोजना (जनशक्ति) विभाग

आयोजना (जनशक्ति) विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों के जिला गजेटियर्स का अद्यतन/तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2020–21 की अनुपालना में द्वितीय चरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। द्वितीय चरण में 6 जिलों में जिनके नाम क्रमशः चूरू, भरतपुर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के पुराने जिला गजेटियर्स का अद्यतन का कार्य आरम्भ कर दिया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹218.60 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक ₹142.97 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

मूल्यांकन संगठन

मूल्यांकन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं विफलता का आंकलन कर आवश्यक सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक), 11 मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं और 19 विभिन्न योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्टो का प्रकाशन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

*****

अध्याय **07**

शहरीकरण और शहरी विकास

एक दृष्टि में

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर तक)

रियल एस्टेट

- ❖ रेरा के अन्तर्गत 1,733 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण
- ❖ विधायकों हेतु 160 बहुमंजिला आवासीय इकाईयां (जी+8) निर्माणाधीन
- ❖ 70,000 छात्रों की क्षमता का कोचिंग हब सेंटर प्रतापनगर, जयपुर में विकसित किया जा रहा है
- ❖ ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव में कुल 6,471 आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससें ₹908.42 करोड़ प्राप्त
- ❖ 52.42 एकड़ भूमि पर मानसरोवर, जयपुर में एशिया का सबसे बड़ा ''सिटी पार्क'' विकसित किया जा रहा है।

इंदिरा रसोई योजना

- ❖ ₹8 प्रति प्लेट में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध करवाना
- ❖ कुल 4.79 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित

मुख्यमंत्री भोजन योजना

- ❖ जरूरतमंद व्यक्तियों को 4 करोड़ भोजन पैकेटों का वितरण

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021

- ❖ शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा 1,71,582 पट्टे जारी
- ❖ नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन/भवन निर्माण अनुज्ञा आदि जारी: 65,054
- ❖ राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न सेवाओं के आवेदनों का निस्तारण : 4,707

परिचय

शहरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण, ''शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि'' तथा प्रत्येक समाज के द्वारा इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने से है। शहरी क्षेत्र उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों, जैसे सेवाओं और उद्योगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो निवासियों की उच्च आय और क्रय शक्ति, कौशल की उपलब्धता और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट, 2019 के अनुसार वर्ष 2007 से विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है, और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 60 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2019) में लगभग 60 प्रतिशत योगदान है। शहरी

बस्तियां विकास की धुरी के रूप में काम करती हैं, जहां सरकार द्वारा वाणिज्य और परिवहन की परस्पर क्रिया से ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने, नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है।

राजस्थान में शहरीकरण

शहरीकरण की प्रवृत्ति राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर के समान बढ़ रही है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 17.97 से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती हैं, जो वर्ष 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 33.43 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में 37.54 प्रतिशत अनुमानित है। जबकि राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 26.36 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में 27.75 प्रतिशत अनुमानित है, जैसा कि चित्र– 7.1 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 565 लाख थी, जिसमें पुरुष जनसंख्या 294 लाख और महिला जनसंख्या 271 लाख थी जिसके वर्ष 2031 में 872 लाख, जिसमें पुरुष जनसंख्या 444 लाख और महिला जनसंख्या 428 लाख होने की संभावना है, जैसा कि चित्र– 7.2 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2001 में राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या 132 लाख थी, जिसमें 70 लाख पुरुष और 62 लाख महिलाएं थी। जो वर्ष 2031 में 242 लाख, जिसमें पुरुष जनसंख्या 126 लाख और महिला जनसंख्या 116 लाख होने की संभावना है, जैसा कि चित्र– 7.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.1

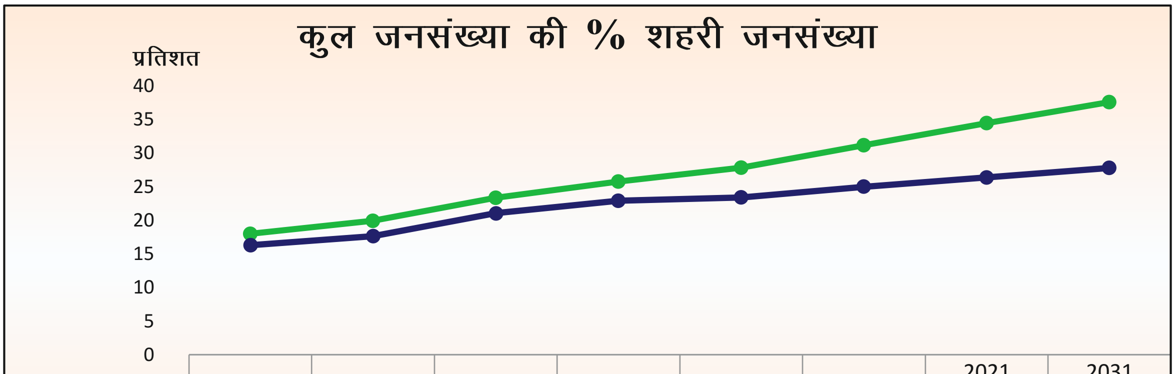

	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
भारत	17.97%	19.91%	23.31%	25.73%	27.81%	31.14%	33.43%	37.54%
राजस्थान	16.28%	17.63%	21.05%	22.88%	23.39%	24.87%	26.36%	27.75%

चित्र 7.2

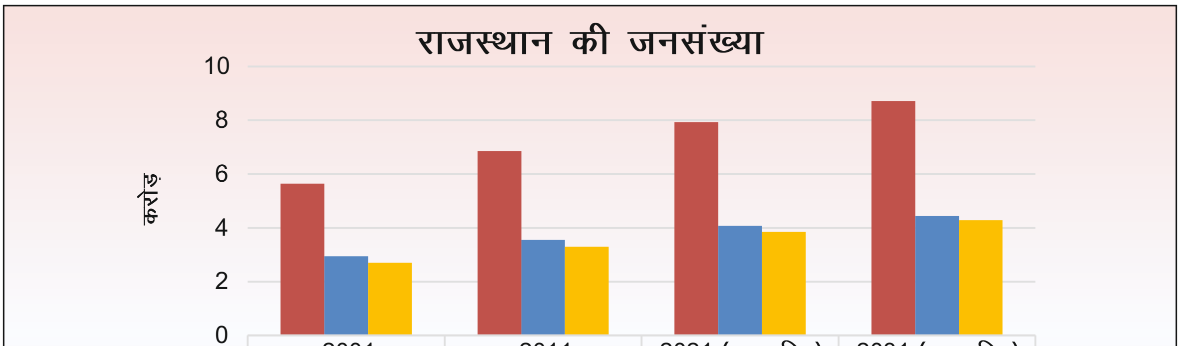

	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
कुल जनसंख्या	5.65	6.85	7.93	8.72
पुरूष जनसंख्या	2.94	3.55	4.08	4.44
महिला जनसंख्या	2.71	3.30	3.85	4.28

कुल जनसंख्या पुरूष जनसंख्या महिला जनसंख्या

चित्र 7.3

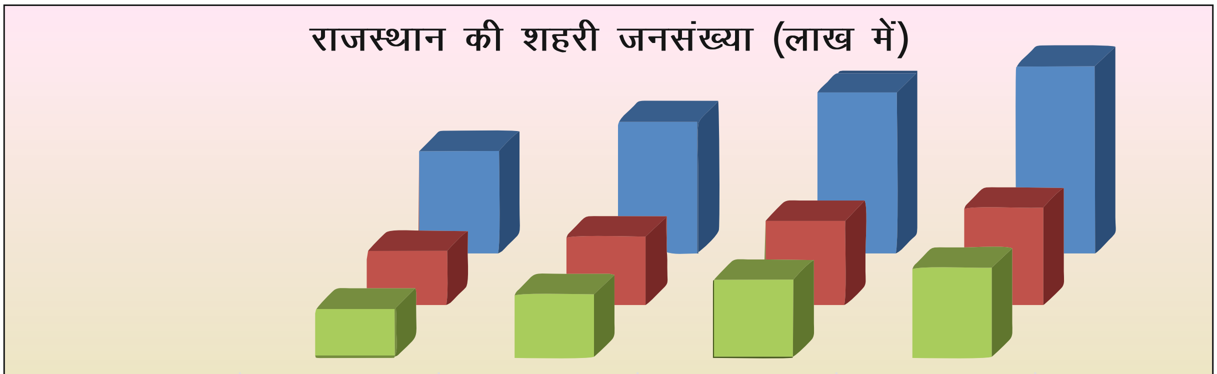

	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
महिला	62	81	100	116
पुरूष	70	89	109	126
कुल	132	170	209	242

0—6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या

राजस्थान में, 0—6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 और 2011 के बीच लगभग समान रही है, जैसा कि चित्र—7.4 में दर्शाया गया है। इसके बावजूद, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या का आकार वर्ष 2001 में 20.64 लाख से बढ़कर वर्ष 2011 में 22.35 लाख हो गया है, जो चित्र—7.5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में, बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में 53.37 प्रतिशत लड़के और 46.63 प्रतिशत लड़कियां थीं, जबकि वर्ष 2001 में 52.98 प्रतिशत लड़के और 47.02 प्रतिशत लड़कियां थी।

चित्र 7.4

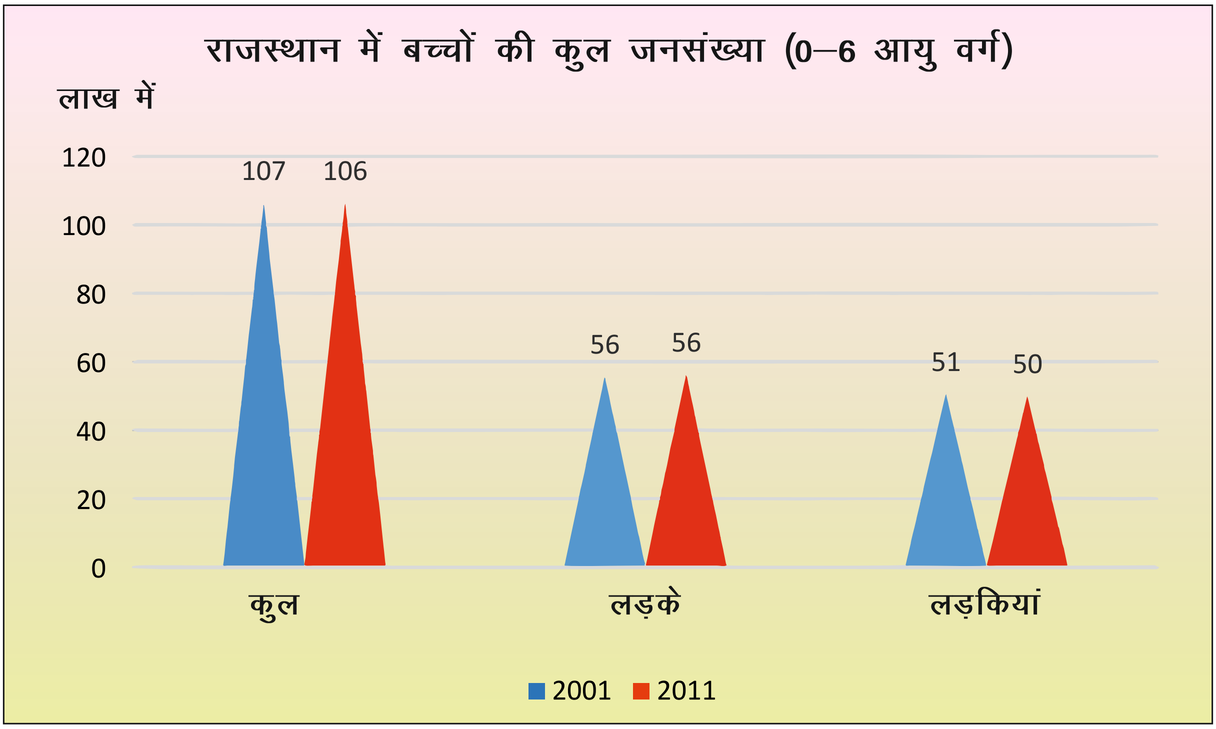

चित्र 7.5

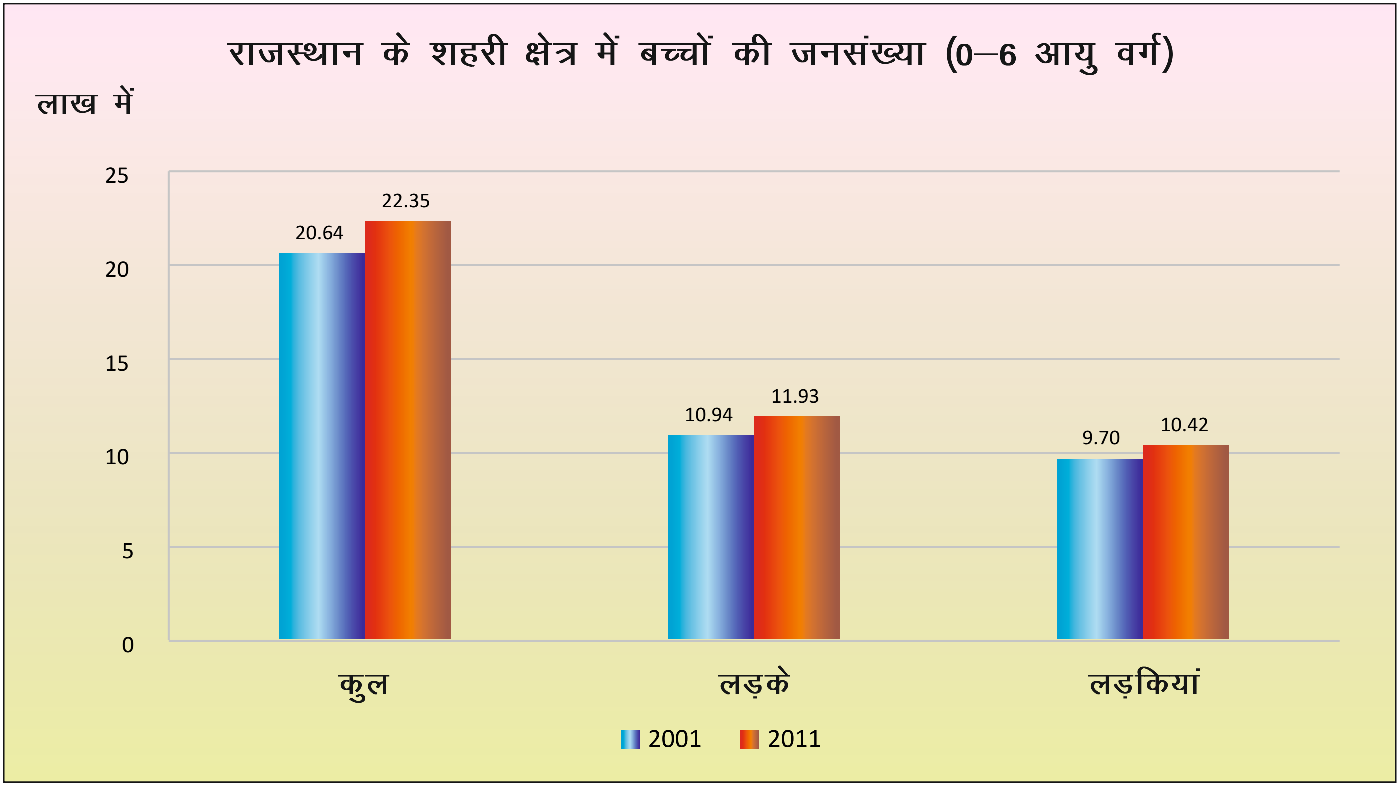

लिंगानुपात

वर्ष 2011 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 914 महिलाओं का था, जबकि वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर 890 महिलायें थी, जिससे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में प्रति हजार पुरुषों पर 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक है। वर्ष 2001 में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 930 महिलाओं का था, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण तालिका 7.1 में दर्शाया गया हैं।

तालिकाः 7.1 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	टोंक	985
2.	बांसवाड़ा	964
3.	प्रतापगढ	963
4.	डूंगरपुर	951
5.	राजसमंद	948

न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	जैसलमेर	807
2.	धौलपुर	864
3.	अलवर	872
4.	गंगानगर	878
5.	भरतपुर	887

स्त्रोतः जनगणना 2011

बाल लिंगानुपात

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में इसी प्रकार की समान प्रवृति देखी जा सकती है। ग्रामीण राजस्थान ने शहरी राजस्थान की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में ही वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। वर्ष 2001 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात प्रति हजार लड़कों पर 887 लड़कियों का रहा, जबकि ग्रामीण राजस्थान में बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियों का था। वर्ष 2011 में, शहरी राजस्थान में बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 874 लड़कियों तक घट गया, जबकि ग्रामीण राजस्थान में यह घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियों का हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका: 7.2 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले			न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात
1.	नागौर	907	1.	धौलपुर	841
2.	बीकानेर	906	2.	गंगानगर	842
3.	भीलवाड़ा	904	3.	दौसा	847
4.	बारां	901	4.	अलवर	851
5.	चूरू	899	5.	भरतपुर, हनुमानगढ़	852

स्त्रोत: जनगणना 2011

साक्षरता दर

विगत वर्षों से, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर में वर्ष 1961 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11 प्रतिशत हो गई। क्षेत्र–वार प्रदर्शन के संदर्भ में, राजस्थान में शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40 प्रतिशत थी जैसा कि चित्र 7.6 में दर्शाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का विवरण तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका: 7.3 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले

(प्रतिशत में)

सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले			न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर	क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर
1.	उदयपुर	87.5	1.	नागौर	70.6
2.	बांसवाड़ा	85.2	2.	जालौर	71.1
3.	प्रतापगढ़	84.8	3.	चूरू	72.6
4.	डूंगरपुर	84.4	4.	धौलपुर	72.7
5.	अजमेर	83.9	5.	करौली	72.8

स्त्रोत: जनगणना 2011

चित्र 7.6

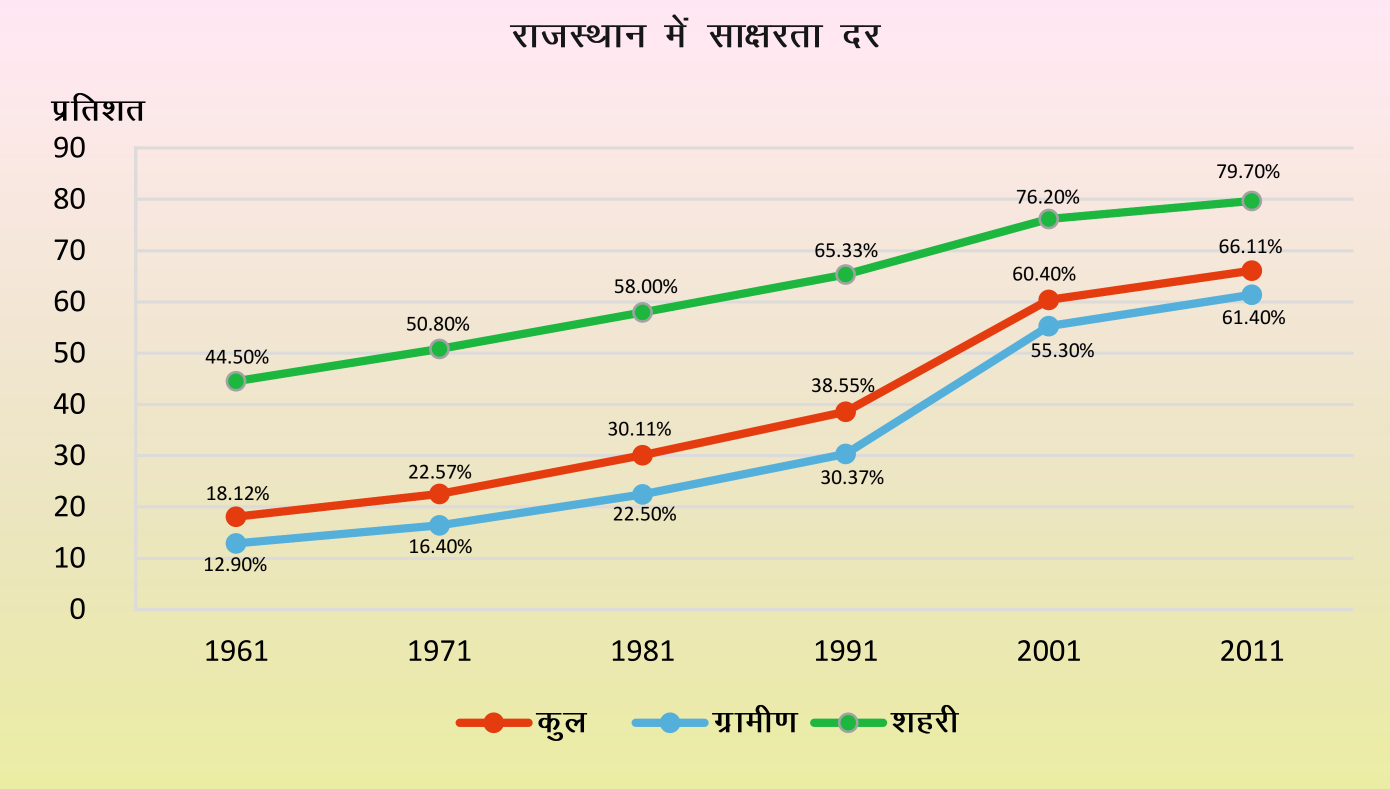

एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह

चित्र– 7.7 में, जनगणना– 2011 के अनुसार एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों/शहरी समूह को दर्शाया गया है। जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या के संदर्भ में राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसके बाद जोधपुर, कोटा और बीकानेर है। बांसवाड़ा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

चित्र 7.7

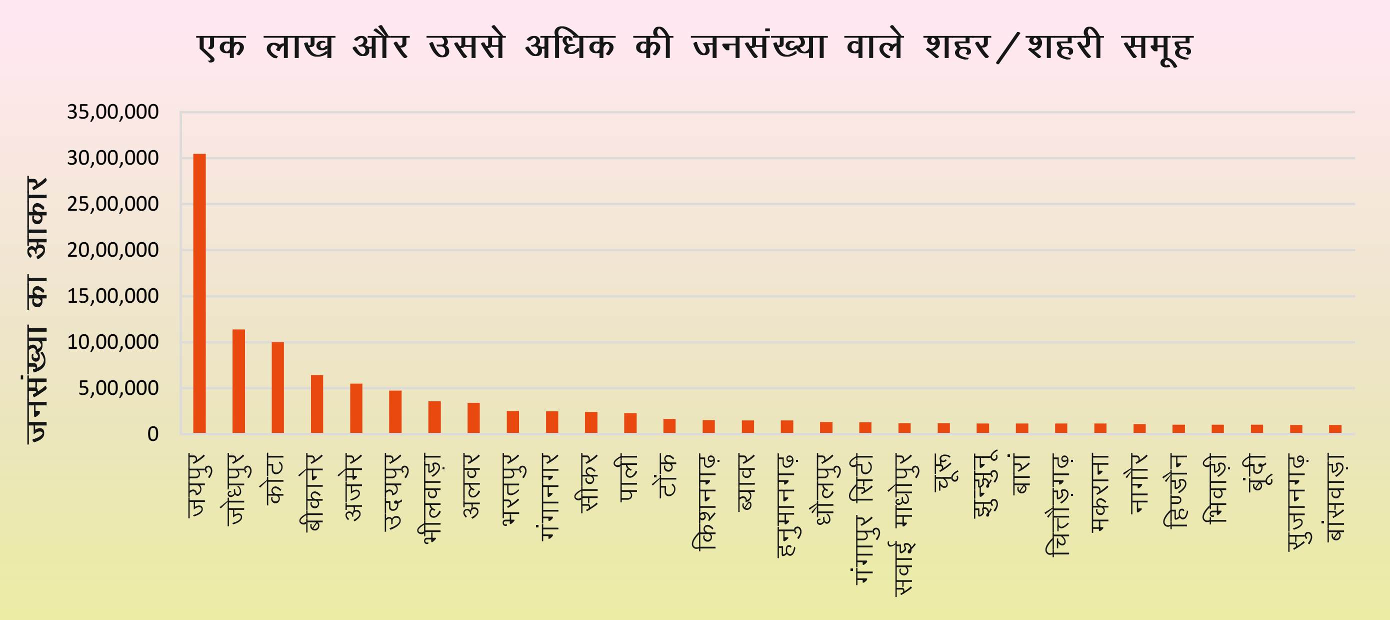

शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन

शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सम्मिलित हैं, जबकि जालौर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाड़मेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। जनसंख्या के संदर्भ में शहरीकरण के स्तरों में स्थानिक परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण चित्र– 7.8 में है।

चित्र 7.8

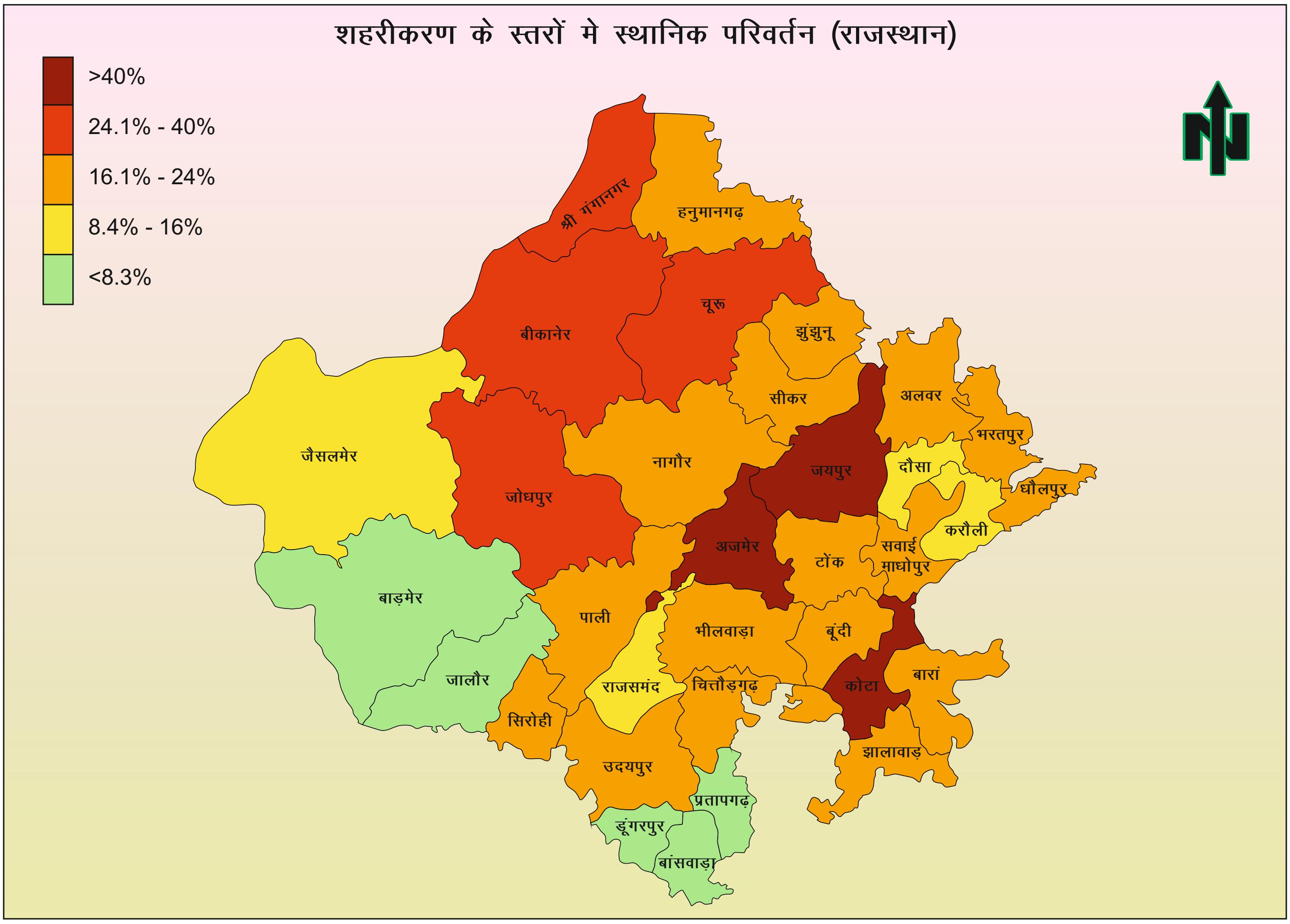

स्त्रोत : जनगणना 2011

राजस्थान में माइग्रेशन (ग्रामीण से शहरी)

जनगणना–2011 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरूष मुख्यतः रोजगार के अवसरों के लिए तथा महिलाएं मुख्यतः वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। जनगणना–2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत है। चित्र 7.9 में दर्शाया गया है कि कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 49.16 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 59.11 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 45.06 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 51.80 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का समान कारण रहा है।

चित्र 7.9

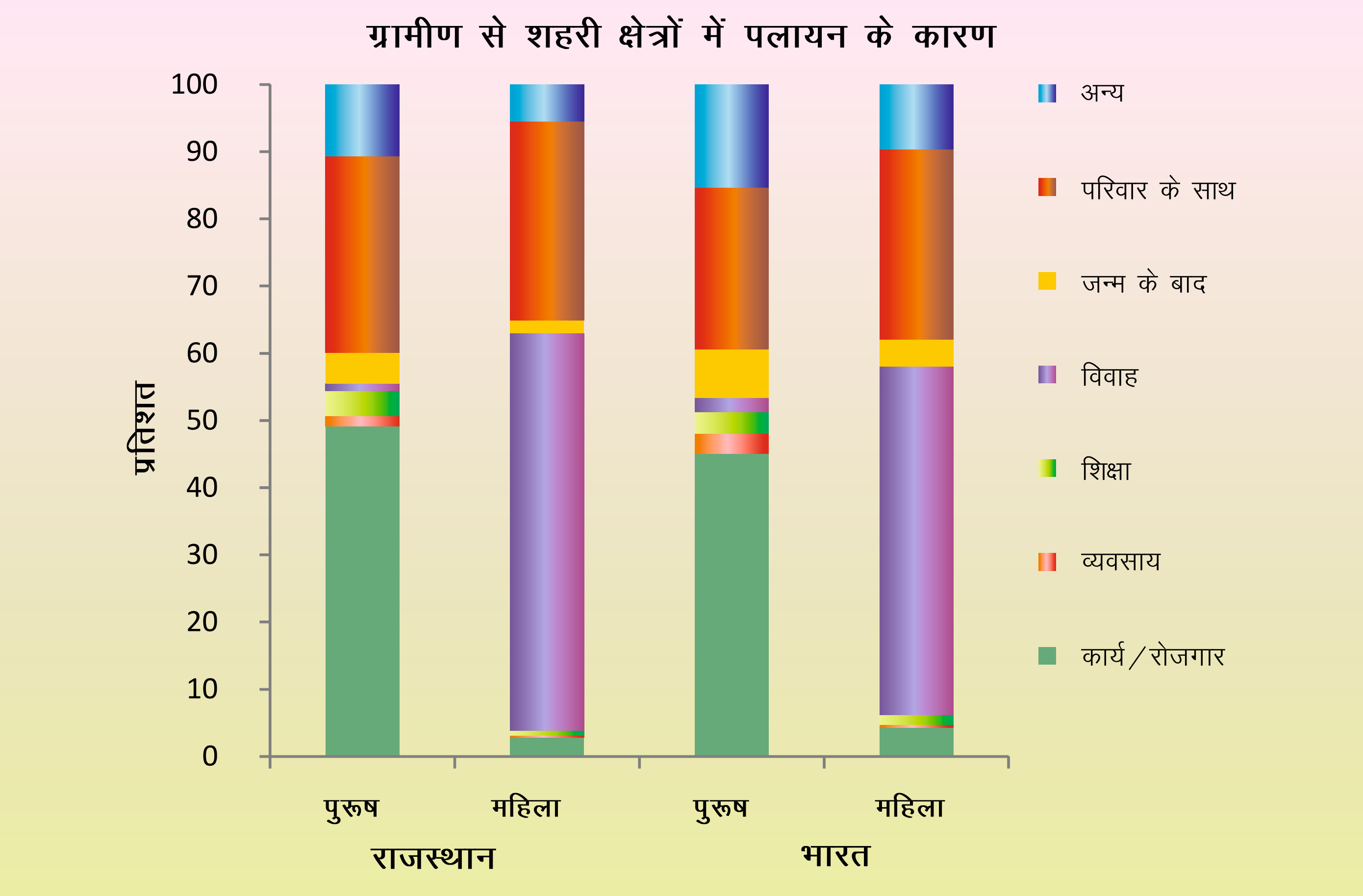

स्त्रोतः जनगणना, 2011

राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

राष्ट्रीय स्तर पर 68.4 प्रतिशत की तुलना में शहरी राजस्थान में लगभग 68.9 प्रतिशत घर 'अच्छी' स्थिति में हैं। भारत की जनगणना 2011 में घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: अच्छी, रहने–योग्य और जीर्ण–शीर्ण। चित्र 7.10 दर्शाता है कि राजस्थान में आधे से अधिक शहरी घरों को 'अच्छी' स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 29.3 प्रतिशत को 'रहने–योग्य' घरों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 1.8 प्रतिशत शहरी परिवार उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना 'जीर्ण–शीर्ण' अवस्था में हैं, इसलिए इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 7.10

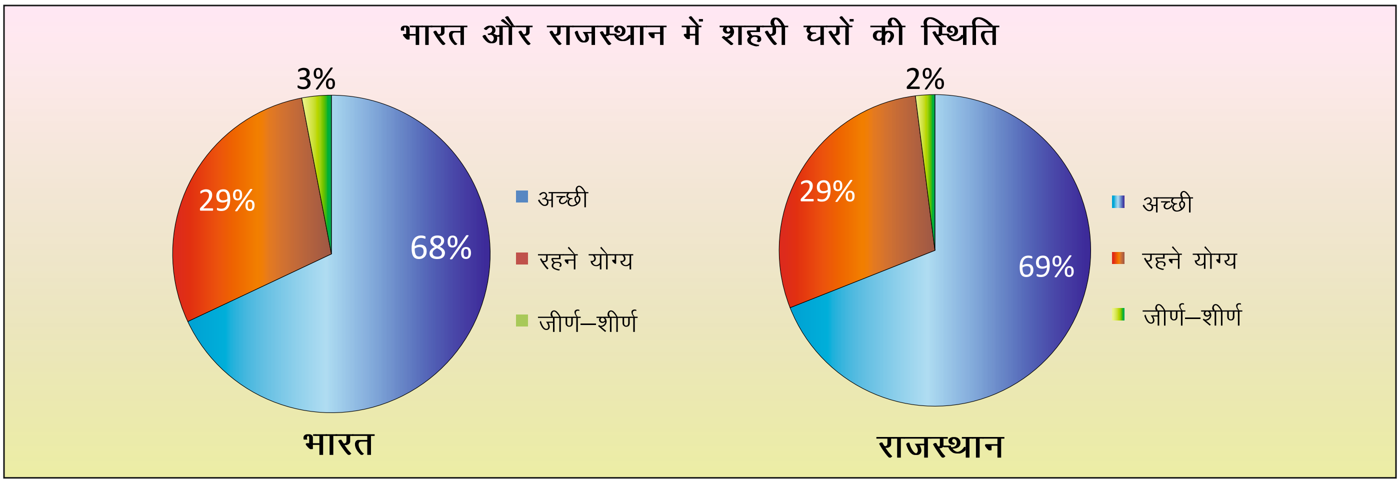

स्त्रोतः जनगणना, 2011

राजस्थान में शहरी विकास

राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में विकास प्राधिकरणों, शहरी न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि का गठन किया गया। राज्य में तीन विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर और जोधपुर), 14 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है।

"प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021" : माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 को अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को राहत प्रदान करने हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2021 में अभियान अवधि हेतु विभिन्न सेवाओं की प्रीमियम दरों/शुल्कों (कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम दर, राजकीय भूमि की आवंटन दर, कृषि भूमि की कॉलोनियों में पट्टे जारी करने की दर, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन दर, उपविभाजन/पुनर्गठन, नामान्तरण में लगने वाले शुल्क, आवासीय भूखण्डों के ब्याज की राशि आदि) में जनहित में संशोधन/कमी कर राहत प्रदान की गयी। इस अभियान के माध्यम से नगरीय विकास विभाग के 3 प्राधिकरण व 14 न्यासों द्वारा दिसम्बर, 2021 तक 59,741 लीज डीड/पट्टे जारी किये गये तथा अन्य विभिन्न सेवाओं (भवन निर्माण अनुज्ञा, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, लीज आदि) के 65,054 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका हैं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न सेवाओं के कुल 4,707 आवेदनों का निस्तारण किया गया है।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

सुविधाजनक, द्रुतगामी, पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल सेवा का संचालन 3 जून, 2015 से फेज–1ए के तहत मानसरोवर से चाँदपोल तक किया जा रहा है।

फेज–1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड): जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ लगभग 2.01 किलोमीटर का कार्य जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुये पूर्ण किया गया। यह परियोजना छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ में दो स्टेशनों के साथ पूर्णतः भूमिगत है। टनल बोरिंग मशीन की सहायता से चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच दो सुरंगों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹1,126 करोड़ है, जिसमें से एशियाई विकास बैंक से ₹969 करोड़ का ऋण और शेष राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन की गई है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज–1बी का कार्य पूर्ण हो चुका है और व्यावसायिक संचालन 23 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ हुआ है।

फेज–1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर): माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर मेट्रो फेज–1बी के विस्तार जो कि फेज–1सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार करवाई जा चुकी है। इस परियोजना (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) की कुल लम्बाई 2.85 किलोमीटर है एवं अनुमानित लागत ₹870 करोड़ है।

फेज–2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी): जयपुर मेट्रो फेज–2 सीतापुरा से अंबाबाड़ी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 23.5 किलोमीटर प्रस्तावित अलाइनमेंट के साथ तैयार की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹4,600 करोड़ है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर : जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), जयपुर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण कार्य कराता है। यह प्राधिकरण वाणिज्यिक परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। यह आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर उनके विकास में मदद करता है। जेडीए के अन्य कार्यों में कच्ची बस्तियों का विकास और पुनर्वास, पर्यावरण विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान जेडीए द्वारा 303.52 किलोमीटर सड़कें, 6.50 किलोमीटर नालियां, 13.10 किलोमीटर सीवरेज और 30.23 किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान, जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹698.71 करोड़ है, जिसमें ₹56.62 करोड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से प्राप्त ऋण शामिल है। वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान ₹818.06 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹446.46 करोड़ पूंजीगत व्यय था।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर : वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹145.49 करोड़ की है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान सड़क फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण, रखरखाव, पार्कों के विकास, अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्यों पर ₹87.15 करोड़ का व्यय किया है।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर : वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण ने ₹142.12 करोड़ प्राप्त किये और ₹98.70 करोड़ के व्यय किये। भूखण्डों की बिक्री, नियमन एवं अन्य मदों से प्राप्त राशि का उपयोग विद्युत, पानी, सड़क, खेल मैदान, सीवरेज रख–रखाव एवं स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौन्दर्यीकरण पर किया जा रहा है।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा)

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया था तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई, 2017 से प्रभावी हो गये। 1 मई, 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेन्टों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्द्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया हैं। रेरा का एक वेब पोर्टल rera.rajasthan.gov.in है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं/एजेंटों और शिकायतों के लिए सभी आवेदन ऑन–लाइन किये जाते हैं। रेरा द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक की संचयी प्रगति निम्नानुसार दी गई हैः–

- कुल 1,733 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 2,651 रियल एस्टेट एजेन्टों का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 2,533 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 1,370 का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतों में सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.)

राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी, 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई। राजस्थान आवासन मण्डल का ध्येय मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय गतिविधियां राज्य के केवल 7 शहरों से प्रारम्भ करते हुए 51 वर्षों के दौरान 67 शहरों तक विस्तृत की है। दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 2,56,780 आवासीय इकाइयां बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 2,50,131 इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 2,48,275 आवासीय इकाइयां आवंटित की गई हैं तथा 2,35,707 इकाइयों का कब्जा आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवा दिया गया है। उपरोक्त आवासों में 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 में, (दिसम्बर, 2021 तक) राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां तालिका– 7.4 में दी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जा रहे कुछ नवाचार निम्न प्रकार हैः–

- **ई–बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सवः** 10 जून, 2020 से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आमजन के लिए ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक की छूट के साथ 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना ''10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए'' प्रारम्भ की गई। आर.एच.बी. द्वारा दिसम्बर, 2021 तक नीलामी के माध्यम से कुल 6,471 आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया, जिससें ₹908.42 करोड़ प्राप्त हुये।
- **अपनी दुकान अपना व्यवसायः** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ''अपनी दुकान अपना व्यवसाय'' नामक योजना 7 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत आवासन मण्डल द्वारा ई–बिड सबमिशन के माध्यम से 27 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के कुल 771 व्यावसायिक भूखण्ड/ दुकानों का निस्तारण किया गया, जिसका मूल्य ₹86.96 करोड़ है। साथ ही दिसम्बर, 2021 तक ई–नीलामी के माध्यम से 27 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के कुल 106 व्यावसायिक भूखण्ड/दुकानों का निस्तारण किया गया जिनका मूल्य ₹56.00 करोड़ है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को 25 प्रतिशत छूट के साथ विक्रय किया जा रहा है।

तालिका–7.4 वर्ष 2021–22 में राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां

क्र.सं.	कार्य	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां *
1.	नये आवासों का निर्माण प्रारम्भ करना	संख्या	5624	2708
2.	आवास पूर्ण करना	संख्या	4148	184
3.	आवासों का आवंटन	संख्या	10578	1761
4.	आवासों का कब्जा दिया जाना	संख्या	16355	2115
5.	निर्माण कार्यों पर व्यय	₹करोड़ में	965.65	290.11
6.	प्राप्तियां	₹करोड़ में	985.50	578.87

*दिसम्बर, 2021 तक

- **प्रीमियम सम्पत्तिः** आर.एच.बी द्वारा ई–नीलामी (खुली नीलामी) के माध्यम से सभी डिस्पोजेबल आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को चिह्नित कर, प्रीमियम संपत्तियों के रूप में बिना किसी छूट के पृथक से बेचा जा रहा है। दिसम्बर, 2021 तक 288 आवासीय प्रीमियम सम्पत्तियों की बिक्री से ₹192.71 करोड़ एवं 1,058 व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री से ₹836.36 करोड़ की राशि अर्जित की गई ।

- **प्रतापनगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकासः** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रतापनगर, सांगानेर योजना अन्तर्गत पन्नाधाय सर्किल के पास वृहद कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 5 संस्थानिक ब्लॉकों, 90 दुकानों का व्यावसायिक परिसर एवं अन्य विकास कार्य यथा चारदीवारी, आंतरिक सड़क आदि का निर्माण किया जा रहा है। द्वितीय चरण में शेष संस्थानिक ब्लॉक एवं अन्य सुविधाएं यथा ऑड़िटोरियम, पुस्तकालय इत्यादि निर्माण कार्य किये जायेंगे। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान योजना लागत ₹228 करोड़ के विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹73.96 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इस परियोजना से आवासन मण्डल को लगभग ₹400 करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्ति अपेक्षित है। माह जून, 2023 तक कोचिंग हब योजना के पूर्ण होने पर लगभग 70,000 छात्रों को शैक्षणिक सुविधा तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नवीन रोजगार सृजन होना अपेक्षित है जिससे स्थानीय निवासी भी लाभांवित होंगे। योजना में केन्द्रीयकृत पुस्तकालय, साइबर लैब, मनोरंजन केन्द्र, जिम, हैल्थ क्लब, फूडकोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स की सुविधाओं के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं, शिक्षकों हेतु पृथक–पृथक हॉस्टल भी विकसित किये जायेंगे।

- **मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजनाः** राज्य के सरकारी शिक्षकों और पुलिस कर्मचारियों को सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए, आरएचबी द्वारा दो योजनाएं शुरू की गईं। इस योजना के तहत, 20,925 वर्ग मीटर के भूखंड पर सेक्टर 26 प्रताप नगर, जयपुर में ₹85 करोड़ की लागत से छह टावरों में 576 मल्टी स्टोरी फ्लैटों (बी+एस+12) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस योजना में दिसम्बर, 2021 तक ₹70 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 45 प्रहरियों और 501 शिक्षकों को लॉटरी द्वारा 546 फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है।

- **महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजनाः** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दस्तकार नगर योजना में ₹81.03 करोड़ का व्यय किया जाकर 750 आवासीय मय कार्यशाला इकाइयों का निर्माण कराया गया। योजना के प्रति आम जनता में रुचि बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए मसाला चौक, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रदर्शनी हॉल आदि की तर्ज पर एक नई चौपाटी शुरू की गई है। 1 सितंबर, 2020 से 597 इकाइयों के लिए नये अवतार के साथ ''वीकेण्ड होम नामक'' पंजीकरण योजना ₹14.99 लाख की लागत के साथ प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत 15 अक्टूबर, 2020 तक 166 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और 7 दिसम्बर, 2020 को लॉटरी द्वारा 156 इकाइयां आवंटित की गई हैं। अधिकांश आवंटियों ने अपना पंजीकरण रद्द कर दिया। शेष आवासों के निस्तारण हेतु मण्डल प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 566 आवासों का निस्तारण बुधवार नीलामी

''ई–बिड सबमिशन'' द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2021 से आवासों के पूर्व में तय किये गये विक्रय मूल्य ₹14.99 लाख पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रारम्भ किया गया। दिसम्बर, 2021 तक कुल 102 आवासों का विक्रय किया जा चुका है।

- **महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजनाः** जोधपुर में ग्राम बड़ली में एक आवासीय योजना ''महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली'' का निर्माण किया गया है। इस योजना में 832.78 बीघा भूमि का आवंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ₹71.50 करोड़ पर किया गया है।

- **''एआईएस रेजीडेन्सी'' आवासीय योजनाः** 2 अक्टूबर, 2020 को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सैक्टर–17, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर स्थित समूह आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड पर ''एआईएस रेजीडेन्सी'' के तहत उच्च आय वर्ग के बहुमंजिले 180 फ्लैट्स (बी1+बी2+12) नियोजित कर पंजीकरण प्रारम्भ किये गए हैं। योजना में अधिकाधिक राजकीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी पंजीकरण हेतु पात्रता प्रदान की गई है। योजना में 149 योग्य आवेदकों हेतु दिनांक 29 जून, 2021 को फ्लेट आवंटन लॉटरी सम्पन्न की गयी। योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 को किया गया। योजना की कुल लागत ₹125.00 करोड़ है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 31 आवासों हेतु दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को पुनः पंजीकरण प्रारम्भ कर दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 तक आवेदन मांगे गये जिसमें 150 आवेदन प्राप्त हुए है। इस योजना में दिसम्बर, 2021 तक ₹25.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- राजकीय विधिक सेवाओं की अत्यधिक मांग पर विचार करते हुए उपरोक्त योजना से सटे हुये भूखण्ड पर विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों हेतु ''एस.एस. रेजीडेन्सी'' बहुमंजिला आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है।

- **विधायकों हेतु आवासः** इस योजना के अनुसार, प्रत्येक फ्लैट के 3,200 स्क्वायर फीट के प्रस्तावित बिल्ट अप एरिया के साथ 160 बहुमंजिला इकाइयों (जी+8) की योजना बनाई गई है और ₹250 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से जारी की गई। ई.पी.सी. मोड पर क्रियान्वयन किये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त मैसर्स एन.जी.गडिया को राशि ₹266.20 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का पुनर्भरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। जयपुर विकास प्राधिकरण से राजस्थान आवासन मण्डल को दिसम्बर, 2021 तक ₹100.00 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 को किया जा चुका है। परियोजना का निर्माण कार्य मई, 2023 तक पूर्ण होना अपेक्षित है दिसम्बर, 2021 तक ₹70.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उक्त योजना में निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है।

- **मानसरोवर, जयपुर में ''सिटी पार्क'' का विकासः** एशिया की सबसे बड़ी आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क ''सिटी पार्क'' को विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 52.42 एकड़ भूमि पर नियोजित की जाकर कार्य प्रारम्भ किया गया है। योजना की कुल लागत ₹110 करोड़ संभावित है। योजना में ₹17.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- **जयपुर चौपाटीः** जयपुर में प्रतापनगर, मानसरोवर एवं दस्तकार नगर नायला योजनाओं में ''जयपुर चौपाटी'' विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रताप नगर व मानसरोवर चौपाटी का जनोपयोग हेतु लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2021 को किया गया है। उक्त दोनों चौपाटी को जयपुरवासियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोधपुर तथा कोटा में भी चौपाटी निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **तिब्बती शरणार्थियों को मानसरोवर के झूलेलाल मार्केट में दुकानों का आवंटन :** 17 नवम्बर, 2021 को झूलेलाल तिब्बती मार्केट का शुभारम्भ किया गया। झूलेलाल मार्केट में 266 दुकानों का वर्ष 2014–15 की आरक्षित दरों पर 5 वर्ष की मासिक किश्तों पर आवंटन किया जाकर माह अक्टूबर, 2021 में कब्जा सौंपा गया है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ''सजग'' मोबाईल ऐपः** आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 22 अगस्त, 2020 को एक मोबाईल ऐप ''सजग'' विकसित की गई है। जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है।

- **''आरएचबी ग्रीन'' मोबाईल ऐप एवं वेबसाईटः** आवासन मंडल द्वारा विकसित किये गये मोबाईल ऐप ''आरएचबी ग्रीन'' एवं इसी नाम से विकसित की गयी वेबसाईट के माध्यम से राज्य सरकार के निर्देशानुसार

इस वर्ष भी 'सिटी पार्क' मानसरोवर एवं प्रदेश मे आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में जनभागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- **"आरएचबी आवास" मोबाईल ऐप** : आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाईल ऐप ''आरएचबी आवास'' विकसित किया गया है जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 को शुभारम्भ किया गया।

- **प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021** : 2 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ हुए "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021'' के तहत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप राजस्थान आवासन मण्डल की 19 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है एवं तदनुरूप आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु सभी वृत्त/ स्वतंत्र खण्ड़ कार्यालयों में पृथक से हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं। दिसम्बर, 2021 तक कुल 5,556 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 4,707 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है व शेष निस्तारण की प्रक्रिया में हैं।

- **कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर** : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021–22 में विधानसभा सदस्यों के लिये नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, जयपुर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के विकास हेतु राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। 4,949 वर्गमीटर के भूखण्ड पर नियोजन अनुसार 1.80 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल का निर्माण राशि लगभग ₹90 करोड़ में किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि ₹90.00 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

- **ओपन एयर जिम की स्थापना** : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आवासन मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दिये गये निर्देशानुसार मंडल योजनाओं में स्थित पार्कों में 61 ओपन एयर जिम स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

- **अतिक्रमणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही:** राज्य के विभिन्न शहरों में अतिक्रमियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 1,04,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी जिसका अनुमानित बाजार मूल्य ₹800 करोड़ है।

- **राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में विकसित नये बाजार** : आरएचबी आतिश मार्केट, मानसरोवर, आयुष मार्केट, प्रताप नगर, राणा सांगा मार्केट, प्रताप नगर एवं झूलेलाल तिब्बती मार्केट, मानसरोवर।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने एवं प्रबंधन हेतु लिए गए निर्णय/नवाचार:–

- इस अवधि में, नीलामी की राशि के भुगतान की अवधि को एक वर्ष तक बढाया गया है। अब ई–नीलामी (ओपन ऑक्शन) में शुरू में न्यूनतम बोली मूल्य में अमानत राशि के रूप में संपत्ति के 2 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। अमानत राशि को समायोजित करके संपत्ति मूल्य का 15 प्रतिशत 3 दिन में जमा किया जाना है। शेष राशि का 35 प्रतिशत 240 दिवस में तथा 50 प्रतिशत 365 दिवस में आवंटन पत्र के बाद दो किश्तों में जमा कराना होता है। सम्पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर सफल बोलीदाता को 2 प्रतिशत की छूट देय होती है।

- आवासन मण्डल के समस्त कार्यालयों के मुख्य द्वार पर 'नो मास्क–नो एंट्री' के स्वागत द्वार बनाये गये।

- राजस्थान आवासन मंडल को अपने अनूठे प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित "स्कॉच अवार्ड 2021'' से हाउसिंग सेक्टर की ''गोल्ड श्रेणी'' में दिनांक 13 नवम्बर, 2021 को सम्मानित किया गया।

राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर स्थित उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट (बी+एस+13) के अरावली अपार्टमेन्ट आवासीय परियोजना को इंडियन बिल्डिंग कॉंग्रेस, नई दिल्ली द्वारा ''रेजिडेंसियल यूनिट्स एण्ड हाउसिंग कॉम्पलेक्स'' की श्रेणी में अवार्ड ऑफ ट्रॉफी प्रदान की गई।

नगर नियोजन विभाग

विभाग का मुख्य कार्य शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा प्रदान करना तथा विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों एवं अन्य राजकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता करता है।

मास्टर प्लान

मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओ के अन्तर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राज्य के कुल 211 नगरपालिका शहरों/कस्बों में से 184 नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जाकर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए) द्वारा तैयार तीन नगरपालिका/नगर निगम शहरों यथा–जयपुर, चौमूं और बगरू के मास्टर प्लान शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष घोषित 9 नगरपालिका कस्बों के भी मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि जोधपुर एवं अजमेर का मास्टर प्लान इनके स्वयं के द्वारा नगर नियोजन विभाग के निर्देशन में बनाया जा रहा है तथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित भी किया गया है। दिसम्बर, 2021 तक पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी व सुजानगढ़ के नये मास्टर प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है। कोटा शहरी क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त डूंगरपुर एवं सरदारशहर के नये मास्टर प्लान बनाये जा चुके है, आपत्तियां/सुझावों को समाहित कर मास्टर प्लान अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। डेगाना (नागौर), ईटावा (कोटा), महुआ, रूपवास, परतापुर–गढी, नसीराबाद, किशनगढबास, खाटूश्यामजी एवं थानागाजी के नवीन मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी है तथा इनके मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2021 में बस्सी, पावटा, लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), बानसूर, मण्डावरी, भोपालगढ़, जावल, सिकरी, उच्चैन, सरमथुरा, बसेड़ी, सपोटरा, सुल्तानपुर, अटरू, लालगढ़–जाटान, बामनवास व बोरावड नवीन नगरपालिकाएं गठित की गई हैं तथा मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप क्षेत्र में अलवर एवं भरतपुर जिले सम्मिलित हैं और दोनों जिलों के लिए परिप्रेक्ष्य वर्ष 2021 के लिए उप–क्षेत्रीय योजनाऐं तैयार की गई हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।

- राजस्थान उप क्षेत्र की एनसीआर सैल, एनसीआरपीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं यथा – जल आपूर्ति उन्नयन योजना को 6 कस्बों (अलवर, तिजारा, भिवाडी, बहरोड, राजगढ तथा खैरथल), सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जिला अलवर की 38 सडकों का चौड़ीकरण और उन्नयन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 2 परियोजनाऐं क्रमशः अलवर (कारोली) एवं भरतपुर (सीकरी) में जयपुर विकास प्राधिकरण की अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) कायाकल्प योजना तथा 7 परियोजनाएं आरओबी, आरयूबी, एलिवेटेड रोड आदि से संबंधित परियोजनाओं की नियमित निगरानी करता है।

- एनसीआर सेल अलवर और भरतपुर जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन मामलों में तकनीकी सुझाव/सहायता भी प्रदान करता है।

स्वायत्त शासन विभाग

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एन.यू.एल.एम)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का पुनर्गठन कर उसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.) कर दिया गया है। राजस्थान में यह योजना 196 नगरीय निकायों में लागू है। डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम. के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:–

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)
- सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस.एम. एवं आई.डी.)
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट (ई.एस.टी. एवं पी.)
- स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)
- शहरी पथ वेन्डर के लिए समर्थन (एस.यू.एस.वी.)
- शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना (एस.यू.एच.)
- अभिनव और विशेष परियोजनाएं

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में बजट अनुमान ₹54.04 करोड़ के विरूद्ध, ₹40.53 करोड़ प्राप्त हुए हैं और ₹30.03 करोड़ दिसम्बर, 2021 तक व्यय किए गए हैं।

शहरी जन सहभागी योजना (एस.जे.एस.वाई.)

शहरी विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह योजना आरम्भ की गई। इस योजना के दो प्रमुख घटक– जन चेतना व विकास कार्य हैं। शिविरों, सेमिनारों और

कार्यशालाओं (स्वच्छता, जन–स्वास्थ्य, जल भण्डारण, सड़क, विद्यालय/अस्पताल व ऑफिस के निर्माण हेतु) के माध्यम से सामान्य जन जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। योजनान्तर्गत किसी भी परियोजना की लागत राज्य, जन सहयोग और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रमशः 50, 30 और 20 प्रतिशत के अनुपात में साझा की जाती है। योजनान्तर्गत श्मशान एवं कब्रिस्तान की चार दिवारी निर्माण कार्य हेतु 10 प्रतिशत जन सहयोग प्राप्त होने पर 90 प्रतिशत राज्यांश राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

छोटे एवं मध्यम कस्बों में केन्द्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) में चयनित शहरों/कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों पर लागू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं मे हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्रःराज्यःयू.एल.बी.) कर दी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस. आई.सी.ओ.) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं और 1 जल आपूर्ति परियोजना सहित राशि ₹646.24 करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 11 सीवरेज परियोजनाओं का संचालन चिड़ावा, नवलगढ़, सूरतगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, जैतारण, रामगढ़ शेखावाटी, निम्बाहेड़ा, बडी सादड़ी, फतेहनगर सनवाड और कुशलगढ़ एवं जलापूर्ति परियोजना का संचालन केकड़ी में किया जा रहा है। स्वीकृतियों के विरूद्ध कुल ₹513.05 करोड़ का व्यय हुआ है।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

योजनान्तर्गत अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है एवं जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और उदयपुर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से 16 शहरों के लिए ₹903.15 करोड़ की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें कुल 16,132 आवासों का निर्माण करने के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत 16,132 आवासों में से इस योजना के अन्तर्गत 7,065 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 3,666 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा ''सबके लिये आवास'' में सम्मिलित किया जा चुका है।

राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड– द्वितीय (आर.यू.डी.एफ.।।)

राजस्थान शहरी विकास निधि–द्वितीय का गठन दिनांक 25 अगस्त, 2021 को वित्तीय संस्थाओं, हुडको/बैंको से ऋण तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विशेष/अतिरिक्त अनुदान एवं नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है।

सात सीवरेज परियोजनाएं

राजस्थान सरकार द्वारा 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर लाईन एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु ₹472.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध ₹466.38 करोड़ का व्यय अब तक हो चुका है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत मुख्य बुनियादी सुविधा वाले शहरों में नागरिकों को अच्छी गुणवता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत् पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिये स्मार्ट सोल्यूशन उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है। भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर के लिए ₹100 करोड़ एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा पाँच वर्ष के लिए दी जाएगी। राजस्थान के 4 शहरों– जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए सूची में सम्मिलित किया गया। दिसम्बर, 2021 तक, योजनान्तर्गत कुल प्राप्त राशि ₹3,136.93 करोड़ के विरूद्ध ₹2,350.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विकास, पार्को का विकास, ओपन एयर जिम, फायर रेस्क्यू जीप और बाइक, स्मार्ट रोड, स्मार्ट टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पार्किंग स्पेस की स्थापना की जा रही है। कोष की स्थिति (प्राप्त और स्थानांतरित) और व्यय के विवरण तालिका– 7.5 में दिए गए हैं।

तालिका 7.5: कोष की स्थिति (प्राप्त और स्थानांतरित) और व्यय (₹करोड़)

शहर	कुल अंश					प्राप्त/जारी राशि *					व्यय
	केन्द्र सरकार (50 प्रतिशत)	राज्य सरकार (30 प्रतिशत)	संबंधित स्थानीय निकाय (10 प्रतिशत)	संबंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण (10 प्रतिशत)	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबंधित स्थानीय निकाय	नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण	कुल प्राप्तियां	
जयपुर	500	300	100	100	1000	392	240	40.50	50.00	722.50	493.00
उदयपुर	500	300	100	100	1000	490	300	50.43	70.00	910.43	768.00
अजमेर	500	300	100	100	1000	392	240	50.00	60.00	742.00	539.00
कोटा	500	300	100	100	1000	392	240	50.00	80.00	762.00	550.00
कुल	**2000**	**1200**	**400**	**400**	**4000**	**1666**	**1020**	**190.93**	**260.00**	**3136.93**	**2350.00**

*दिसम्बर, 2021 तक

अमृत मिशन

केन्द्र सरकार द्वारा माह जून, 2015 में अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत) योजना आरम्भ की गई। अमृत योजना का फोकस आधारभूत ढांचे के निर्माण पर था, जिसका नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं के प्रावधान से प्रत्यक्ष संबंध है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए चयनित 500 भारतीय शहरों में जल आपूर्ति सुविधायें, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवॉटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले और हरे–भरे स्थानों का प्रावधान इस योजना में शामिल है।

अमृत योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 29 शहरों यथा– अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बून्दी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनूं, बारां, किशनगढ़, हिण्डौनसिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, नालियां, परिवहन सुविधाएं एवं हरित स्थलों की इस मिशन के अन्तर्गत पहचान की गई हैं। दूसरी किश्त तक, ₹1,395.07 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं और यह राशि संबंधित निकायों/पेरास्टेटल एजेंसियों को जारी की जा चुकी हैं। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग से अनुदान के रूप में स्थानीय निकाय हिस्सा राशि ₹98.06 करोड़ भी प्राप्त हुये है जो संबंधित स्थानीय निकाय को अंतरित किये जा चुके है।

भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त के रूप में कुल राशि ₹586.54 करोड़ अमृत योजनान्तर्गत जारी की गई है, जिसमें से ₹553.65 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है जो कि संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों को स्थानांतरित किये जा चुके है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी तृतीय किश्त के विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा भी दिसम्बर, 2021 तक समान रूप से ₹351.92 करोड़ जारी किये गये हैं।

एल.ई.डी. लाईट परियोजना

राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट'' प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि तथा विद्युत उपभोग मे कमी करना है। 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाईट लगाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और एक स्थानीय निकाय में कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान में 11.55 लाख एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक/

सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। 3.49 लाख शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्व 3.46 लाख घरेलू शौचालयों तथा सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों हेतु 22,547 सीट्स का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से दिसम्बर, 2021 तक ₹611.34 करोड़ और राजस्थान सरकार की ओर से ₹314.61 करोड़ जारी किये जा चुके है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारम्भ किया गया, जिसकी अवधि 2 अक्टूबर 2026 तक होगी तथा राज्य के लिए आवंटित राशि ₹1,765.80 करोड़ है।

इंदिरा रसोई योजना

''कोई भूखा ना सोये'' की संकल्पना को साकार रूप देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से ''इंदिरा रसोई योजना'' का शुभारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत आमजन को ₹8 प्रति थाली में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है व राज्य सरकार द्वारा ₹17 प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक कुल 4.79 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

गौरव–पथ

181 नगरीय निकायों में कुल 303.04 किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथ निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिनमें ₹336.02 करोड़ व्यय कर 287.07 किलोमीटर लम्बाई के 180 गौरव पथों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है तथा एक गौरव पथ के निर्माण कार्य को निरस्त किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 लाख) व अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 से ₹6.00 लाख) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 4.00 लाख आवासों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ''अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) ''घटक में 33,548 आवास तथा ''व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि'' घटक के तहत 71,660 आवास, कुल 1,05,208 आवास केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 92,325 आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के तहत निजी विकासकर्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास/नगर निकाय/आवासन मण्डल द्वारा ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,97,533 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवासों में से 26,688 आवास निर्माणाधीन है तथा 98,781 आवास पूर्ण किये जा चुके है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आर.टी.आई.डी.एफ.) का गठन किया गया था। उक्त निधि में उपलब्ध कुल राशि का उपयोग यातायात प्रबंधन से जुडे विभाग/निकाय/कंपनी एवं निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु किया जा रहा है। उक्त निधि में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2021–22 (30 सितम्बर, 2021) तक कुल राशि ₹3,914.95 करोड़ संग्रहित की गई है, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक ₹2,887.98 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी):

कुल लागत ₹1750.59 करोड़ (राज्यांश ₹1082.34 करोड़ एवं रेलवे अंशदान ₹668.25 करोड़) के 59 आरओबी/आरयूबी अनुमोदित किये गये है जिनमें से दिसम्बर, 2021 तक 39 आरओबी/आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किये गये नवाचार:

- **प्रशासन शहरो के संग अभियान** : आम नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरो के संग अभियान का शुभारम्भ किया गया है। अभियान में दिसम्बर, 2021 तक 1,11,841 पट्टे (कृषि भूमि पर 47,089, 69–ए के 30,321, कच्ची बस्ती नियमन 1839, स्टेट ग्राण्ट एक्ट के 25,604, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के 730, पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुनः पट्टे 6,258) वितरित किये गये हैं।

- अभियान में सभी शहरों के गैर कृषि, आबादी भूमि पर 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्मित सम्पत्तियों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के तहत राशि ₹501 में पट्टा, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पट्टे देने

की दर पर 75 प्रतिशत तक की छूट एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, उपविभाजन /पुनर्गठन शुल्क, नाम हस्तांतरण शुल्क में भारी छूट दी गई है।

- **इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनाः** योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को ₹50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दिसम्बर, 2021 तक 1,77,386 लाख लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किये गये।

- **कोविड–19 के दौरान उपलब्धियां:** स्वीकृत किये गये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स साइट पर प्राप्त हुये एवं 57 प्लांट्स का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य के शहरी नागरिकों को ऑनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही है, जो निम्नानुसार हैं:–

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य में आम जन की सुविधा हेतु विभाग से सम्बन्धित सेवाओं यथा ट्रेड लाईसेंस, ऑटो रिन्युवल यू.डी.टैक्स, फायर एन.ओ.सी., भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन, मोबाईल टॉवर, साईनेज लाईसेन्स, 90–ए भू–रूपान्तरण, प्रौपर्टी आईडी, नाम हस्तानान्तरण, लीज डीड (पट्टा), उप विभाजन एवं पुनर्गठन, लीज राशि जमा आदि के ऑनलाइन पोर्टल तैयार किये जाकर उक्त समस्त सेवायें विभाग द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रदान की जा रही है।

आरयूआईडीपी तृतीय चरण : 12 शहरों यथा पाली, झुन्झुनू, श्रीगंगानगर, टोंक (सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य) एवं भीलवाडा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, माउन्टआबू, झालावाड–पाटन, कोटा (सीवरेज) तथा बांसवाडा में ₹3,490 करोड़ के ड्रेनेज कार्य करवाये जा रहे है जिसमें से पाली में जलप्रदाय, झुन्झुनू में सीवरेज एवं जलप्रदाय, बीकानेर में सीवरेज कार्य तथा बांसवाडा में ड्रेनेज कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजना पर दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹2,321.21 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच–I : 14 शहरों यथा सिरोही, आबूरोड, सरदारशहर, बांसवाडा, खेतडी, मण्डावा, कुचामन (सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य) एवं रतनगढ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनूं, डीडवाना, मकराना (सीवरेज कार्य) तथा लक्ष्मणगढ़ में ₹3,076.63 करोड़ के जलप्रदाय कार्य प्रगतिरत है। परियोजना पर दिसम्बर, 2021 तक राशि ₹425.40 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच–II : एशियन विकास बैंक से 200 मिलियन डॉलर ऋण एवं राज्यांश 85.7 मिलियन डॉलर, कुल 285.70 मिलियन डॉलर (राशि लगभग ₹2,100 करोड़) से 36 शहरों में, शहर द्वारा चयनित आधारभूत आवश्यकता के अनुसार, सीवरेज, जलप्रदाय, शहरी सौंदर्यीकरण एवं फीकल स्लज एण्ड सैप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) आदि के कार्य कराये जायेंगे। आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सम्बन्धित नगर निकायों के माध्यम से 33 शहरों हेतु डीपीआर तैयार कर एशियन विकास बैंक को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है जिसमे से 18 शहरों के निविदा प्रपत्र एडीबी के स्वीकृति प्रक्रिया में है। चतुर्थ चरण ट्रेंच–II हेतु एशियन विकास बैंक से 200 मिलियन डॉलर ऋण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति आर्थिक मामलात विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है एवं भारत सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक से ऋण अनुमोदन हेतु सिफारिश की जा चुकी है।

शहरी जल आपूर्ति

राज्य में 33 जिला मुख्यालयों सहित 222 शहर/कस्बे हैं। राजस्थान के सभी 222 शहरी कस्बों को पाईप पेयजल आपूर्ति प्रणाली (जिनमें घरेलू जल कनेक्शन दिए हुए हैं) द्वारा कवर किया गया है। इन सभी शहर/कस्बों में से 28 प्रतिशत शहर/कस्बे सतही जल स्रोत एवं 50 प्रतिशत शहर/कस्बे भूगर्भीय जलस्रोत पर आधारित हैं शेष 22 प्रतिशत शहर/कस्बे सतही एवं भूगर्भीय दोनों जलस्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सात प्रमुख शहर यथा– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थाई सतही जलस्रोत से पेजयल आपूर्ति की जा रही है। राज्य के अन्य शहरों/कस्बों में अत्यधिक भू–जल दोहन एवं भू–जल के कम संरक्षण होने से स्थानीय पेयजल स्रोतों में कमी होने के कारण पेयजल की समस्या है। इसके अलावा, सरकार ने भूगर्भीय जलस्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए भूगर्भीय जलस्रोत से सतही जल स्रोतों में जल आपूर्ति योजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है।

वृहद् पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में शहरी क्षेत्र में पेयजल के दीर्घकालीन स्थाई समाधान हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत, क्रियान्वित एवं प्रस्तावित भी की जा रही हैं। सीमित पेयजल के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रत्येक वर्ष गर्मियों की अवधि में उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया जाता है, जो जल आपूर्ति योजनाओं में सम्मिलित नहीं है या सुदूर क्षेत्रों, जहां ग्रीष्मकाल में जलापूर्ति घट जाती है। शहरी क्षेत्रों में किए गए पेयजल परिवहन का वर्षवार विवरण तालिका– 7.6 में दर्शाया गया है।

तालिकाः 7.6 शहरी क्षेत्र में पेयजल परिवहन

वर्ष	पेयजल परिवहन किए गए शहरों/कस्बों की संख्या
2018-19	61
2019-20	60
2020-21	52
2021-22*	56

*दिसम्बर, 2021 तक

राजस्थान में, जल की आपूर्ति के लिए कई एजेंसियां/सरकारी विभाग उत्तरदायी हैं। इनमें यूएलबी, यूडीएच, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), विकास प्राधिकरण/यूआईटी और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी) शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र में नल कूप एवं हैंडपम्प निर्माणः

राज्य के अधिकांश कस्बे पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल पर निर्भर हैं। पिछले 4 वर्षों में स्थापित नलकूपों और हैंड पंपों की स्थिति तालिका–7.7 में दर्शाई गई है।

तालिकाः 7.7 नलकूप एवं हैंडपम्प की स्थापना

वर्ष	नलकूपों की संख्या	हैंडपम्पों की संख्या
2018-19	847	716
2019-20	1275	609
2020-21	658	438
2021-22*	342	117

*10 जनवरी, 2022 तक

शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया गया है। वर्ष 2021–22 (10 जनवरी, 2022 तक) में 24,339 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण (वृहद् पेयजल परियोजनाओं सहित)

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभाग की वार्षिक योजना के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया गया है। वर्षवार बजट उपलब्धता एवं किए गए व्यय का विवरण तालिका–7.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–7.8 बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण (₹करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध कुल बजट राशि	कुल व्यय
2018-19	844.80	807.63
2019-20	1010.84	556.92
2020-21	771.72	742.47
2021-22*	1095.22	399.30

*दिसम्बर, 2021 तक

*****

अध्याय **08**

बुनियादी सामाजिक सेवाएं–शिक्षा एवं स्वास्थ्य

राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था एक नजर में

शिक्षा अवसंरचना (दिसम्बर, 2021 तक)

राजकीय विद्यालय

- प्राथमिक: 36,264
- उच्च प्राथमिक:19,532
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक:15,449

❖ कुल संस्कृत शिक्षण संस्थाए: 2,203

❖ कुल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय: 133

❖ कुल चिकित्सा महाविद्यालय: 26

❖ कुल उच्च शिक्षण संस्थाए: 2,413

राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था एक नजर में

चिकित्सा अवसंरचना (दिसम्बर, 2021 तक)

❖ उपकेन्द्र :14,423

❖ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :
- ग्रामीण: 2,170
- शहरी: 51

❖ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: 693

❖ अस्पताल:129

स्वास्थ्य सूचकांक (एसआरएस बुलेटिन 2019)

❖ जन्म दर: 23.7

❖ मृत्यु दर : 5.7

❖ शिशु मृत्यु दर : 35

सामाजिक क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार वांछित प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक गतिविधियों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा

शिक्षा कई माध्यम से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करने में योगदान करती है। हर दृष्टि से, शिक्षा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। कोई भी देश मानवीय संसाधनों में सतत् निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा, स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से व्यक्तियों व समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को बढ़ाती है, साथ ही उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर विकास एवं शैक्षिक आधारभूत संरचना प्रदान करके लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत् है।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में 36,264 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,532 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 15,333 प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। डाईस रिपोर्ट, 2020–21 के अनुसार कुल 64.64 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गत पाँच वर्षों की नामांकन एवं शिक्षकों की संख्या की (राजकीय विद्यालयों) स्थिति तालिका–8.1, 8.2 एवं 8.3 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2016-17	40.93	1.08
2017-18	41.27	1.09
2018-19	41.70	1.45
2019-20	41.57	1.52
2020-21	42.13	1.49

तालिका–8.2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2016-17	21.96	1.38
2017-18	22.14	1.39
2018-19	21.20	1.08
2019-20	20.91	1.16
2020-21	22.51	1.17

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही हैं। सत्र 2020–21 में वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹64.80 करोड़ के बजट आवंटन में से, दिसम्बर, 2021 तक पाठ्य पुस्तक बोर्ड को ₹64.40 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका हैं।

तालिका–8.3 राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2016-17	19.67	0.89
2017-18	21.16	1.00
2018-19	22.85	1.26
2019-20	23.47	1.29
2020-21	25.59	1.34

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाः यह योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा–1 से 8 तक विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बीमा योजना के नवीनीकरण के लिए कुल राशि ₹565.51 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्तिः एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, इस योजना के अन्तर्गत ₹2,650 लाख आवंटन राशि के विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक ₹170.51 लाख खर्च किए गए है।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजनाः इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन (डी.एल.ए.डी.) का अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ₹9,000 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।

भामाशाह सम्मान समारोहः यह योजना 1 जनवरी, 1995 से स्कूल के शैक्षिक, सह–शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।

राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष (यूनिसेफ) द्वारा किशोरी आयु की बालिकाओं (10–19 आयु वर्ग) के लिए एनिमिया नियंत्रण का एक अलग कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। योजना के मुख्य उद्देश्य, नीचे दिए गए हैं ।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना।
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तर को कम करना।
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना।
- स्कूली शिक्षा में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता को बढावा देना।
- बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम–2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहयोग करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेन्सियों के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी)/राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य क्रियान्वयन समिति (एस.आई.एस.) के रूप में राज्य में 'समग्र शिक्षा' लागू की जा रही है। योजना में केन्द्र व राज्य की वित्त सहभागिता 60:40 है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों/बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश (राज्य के नियमों के आधार) की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण के लिए एक वेबपोर्टल (www. raj.psp.nic.in) विकसित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(सी) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख की गई है। वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को ₹125.66 करोड़ राशि पुनर्भरण की गई है।

शिक्षा को बढ़ावा देने की पहलः

- 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं और इन विद्यालयों में 38,501 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस योजना में ₹13,316.82 लाख की स्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹9,489.14 लाख (71.26 प्रतिशत) जिलों को आवंटित किया गया है।
- कभी भी नामांकित नहीं हुई एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयो में नामांकित होने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इन बालिकाओं को ब्रिज कोर्स शिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे छठी कक्षा की बुनियादी दक्षता हासिल कर सकें।
- कोविड–19 के दौरान सीखने में निरंतरता हेतु ऑनलाइन अध्ययन का प्रावधान किया गया हैं।
- राज्य में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। ये आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए हैं जो शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा हैं। अलवर जिले में इन मेवात छात्रावासों का निर्माण मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान इन छात्रावासों में 390 बालिकाओं का नामांकन है, जबकि कुल प्रवेश क्षमता 500 बालिकाओं की है। वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ₹304.75 लाख के विरूद्ध, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ₹304.55 लाख आवंटित किए गए हैं।

किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रमः– उक्त गतिविधि के लिए परिषद स्तर से जिलों को ₹763.00 लाख जारी किए गए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई –

- **मीना राजू एवं गार्गी मंचः** समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना यथा– बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी, अनियमित एवं अनामांकित छात्राओं के माता–पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए, कक्षा 6–8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को

शामिल कर 19,284 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना –राजू मंच का गठन किया गया है और कक्षा 9—12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 14,961 माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच का गठन किया गया हैं।

- **अध्यापिका मंचः** बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत् वातावरण स्थापित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 301 अध्यापिका मंच (अधिकतम 100 शिक्षकों का समूह) की स्थापना की गई है। वर्ष 2021—22 में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से मास्टर ट्रेनर चयन कर मीना राजू, गार्गी एवं अध्यापिका मंच का राज्य स्तरीय ऑनलाइन आमुखीकरण किया गया।

- **शैक्षणिक किशोरी मेलाः** विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने एवं रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पीईईओ, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेला का आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25—30 शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए हैं। सत्र 2021—22 के दौरान माह सितम्बर में सभी पीईईओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया और पीईईओ स्तर पर ₹4,500 का बजट आवंटित किया गया। 11 अक्टूबर, 2021 को सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। ''मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम'' के तहत राज्य भर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, कोविड जागरूकता एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि और रोल मॉडल वाली 3,300 बेटियों को सम्मानित किया गया।

- **बालिका शिक्षा हेतु नवाचारः** रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण "सक्षम" (लड़कियों के लिए आत्म—रक्षात्मक प्रशिक्षण), योजना बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। सत्र 2021—22 में राजस्थान पुलिस अकादमी में केआरपी प्रशिक्षण अन्तर्गत जिलों से कुल 71 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (केआरपी) का चयन किया गया है। माह दिसम्बर, 2021 में 1,204 मास्टर प्रशिक्षकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण तथा 30,000 प्रशिक्षुओं के लिए ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पीईईओ स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्म वाहिनी दल के गठन हेतु वाद्य्य यंत्र एवं अन्य सामग्री के लिए सत्र 2021—22 में ₹9,000 प्रति पीईईओ की दर से राशि प्रदान की जा रही है।

- **सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माणः** सभी राजकीय विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सत्र 2021—22 के लिए ₹1,500 प्रति विद्यालय की दर से ₹1,010.38 लाख की राशि आंवटित की गई है। इस कोष का उपयोग ''सुरक्षित स्पर्श एवं असुरक्षित स्पर्श'' एवं ''बाल अपराध'' जैसे विषयों पर आईईसी प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा पर विद्यालयों के लिए दिशा—निर्देशों को छापने और तैयार करने के लिए कार्य आदेश जारी किए गए है।

- **ऑनलाईन सेफ्टी एवं डिजिटल लर्निंग कौशलः** यूनिसेफ के माध्यम से साईबर पीस फाउन्डेशन के सहयोग से पहली बार बालिकाओं के लिए ऑनलाईन सुरक्षा और डिजिटल लर्निंग कौशल विषय पर हैंडबुक, पोस्टर और फ्लायर्स तैयार किए गए हैं। छपाई के लिए सुरक्षा नियमावली और आईईसी सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किए गए है। राज्य स्तर पर साईबर सुरक्षा पर 155 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराया जा चुका है। इसके लिए सभी जिलों को आईईसी सामग्री के उपयोग और विद्यार्थियों के लिए सामग्री की फोटो कॉपी/मुद्रण के लिए दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं और इसके लिए ₹623.94 लाख की राशि आवंटित की गई है।

- **जेण्डर ऑडिटः** 11 आकांक्षी जिलों और उच्च लिंगानुपात अंतर वाले जिलों में जेंडर ऑडिट के लिए शाला दर्पण के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ के द्वारा प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य किया जा रहा है। जेंडर ऑडिट विश्लेषण के बाद जेंडर गैप के कारणों का नैदानिक प्रयास किए जा सकते हैं। विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड के प्रदर्शन, आईईसी सामग्री के प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ स्कूल प्रमाणन पुरस्कार के लिए जिलों को ₹13.88 लाख जारी किए गए है।

- **उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः** राज्य में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट विद्यालय योजना को संबंधित ''आदर्श विद्यालय'' के परामर्श में उत्कृष्ट केंन्द्र के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 8,549 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामित किया गया है, जिन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में नई पंचायतों के परिसीमन या स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 11,021 विद्यालयों को नए सिरे से चिह्नित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन हैं।

- **आदर्श विद्यालयः** राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 9,886 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों और शहरी क्षेत्रों में 289 विद्यालयों (कुल 10,175 विद्यालयों) को चिह्नित किया गया हैं और ''आदर्श विद्यालय'' के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। राज्य में नई पंचायतों के पुनगर्ठन/नवसृजन को ध्यान में रखते हुए इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 10,424 विद्यालयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है।

- **मॉडल विद्यालयः** राज्य के 186 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में 59,417 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है। मॉडल विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वेतन आदि का भुगतान समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रावधित राशि में से किया जाता है। इस हेतु सत्र 2021–22 में ₹286 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- **स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण):** राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्कूलों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित बुनियादी जानकारी एवं सांख्यिकीय समंक एकत्र करने के लिए स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एस.एम.आई.एस) लागू की गई है। वर्तमान में शाला दर्पण पर 48,770 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक शिक्षा), 15,697 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (माध्यमिक शिक्षा) एवं 2,000 अन्य विद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा के 60.49 लाख एवं प्रारम्भिक शिक्षा के 36.63 लाख छात्रों का डेटा संकलित किया जाता है।

- **शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रमः** शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान सत्र में कुल 3,02,313 अध्यापकों और 83,918 प्रधानाध्यापकों ने जनवरी से जून, 2021 के दौरान अपना शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रपत्र भरा है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः** विद्यालयों में अध्यापन की उत्कृष्टता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विभाग बेहतर शिक्षण क्षमताओं, शिक्षक की विचार प्रक्रिया में बेहतर बदलाव और शिक्षण क्षेत्र में सुधार और नवाचारों के बारें में जागरूकता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 एवं कक्षा 1–5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 के तहत ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 46,641 माध्यमिक शिक्षकों तथा कक्षा 1–5 के 1,43,700 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 31 दिसम्बर, 2021 तक 43,473 माध्यमिक शिक्षकों तथा प्रारम्भिक शिक्षा के 1,01,522 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गतिविधियां (सी. डबल्यू.एस.एन.): कक्षा 1 से 12 तक के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में लाने, समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने, भेदभाव को रोकने और उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं एवं उनके अधिकारों को बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में एक समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित की गई है। उनमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करके उन्हें चिकित्सा, कार्यात्मक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती हैं।

सामुदायिक गतिशीलता

- **एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणः** स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)/स्कूल विकास और प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना और क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी/एसडीएमसी (5 अभिभावक सदस्यों व प्रत्येक विद्यालय में 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 67,359 विद्यालयों के लिए ₹3,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹2,020.67 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹1,237.32 लाख व्यय किए जा चुके है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) योजनाः

- **क्लिक योजनाः** राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को क्लिक (व्यापक ज्ञान हेतु कम्प्यूटर साक्षरता पहल) योजना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **दीक्षा राईज पोर्टलः** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के तत्वावधान में दीक्षा राईज पोर्टल का गठन किया गया हैं। इस पोर्टल एवं दीक्षा ऐप के माध्यम से 2,252 क्यूआर कोड पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और 652 ई—सामग्री वेब पोर्टल पर बनाकर प्रकाशित की गई हैं।

- **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.ए.ए.):** राज्य में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गतिविधियों के तहत् वर्ष 2021—22 के दौरान विज्ञान एवं गणित क्लबों के गठन और विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला जैसी गतिविधियों के आयोजन के लिए जिलों को ₹23.10 लाख हस्तांतरित किए गए हैं। इस अभियान से 19,532 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 15,403 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान सत्र में राज्य के 3,010 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 4,434 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग ₹9 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।

वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठः

- **कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधाएंः** स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों, जिनके पास अध्ययन के लिए 1 किमी के भीतर प्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों जिनके पास अध्ययन के लिए 2 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, को परिवहन वाउचर के रूप में परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में 4,48,852 छात्रों के लिए ₹6,732.78 लाख का प्रावधान है।

- **कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएंः** स्कूल विकास प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 9 से 12 तक ग्रामीण क्षेत्र की उन छात्राओं को टांसपोर्ट वाउचर दिया जा रहा है जिनके पास अध्ययन के लिए 5 किमी क्षेत्र के भीतर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नही हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 11 से 12 की छात्राएं जिनको गॉवों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नही हो रही है और 5 किमी से अधिक की दूरी वाले शहरी विद्यालयों में अध्ययन कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में 58,536 छात्राओं के लिए ₹1,580.47 लाख का प्रावधान है।

- **पुस्तकालय अनुदानः** ''पढ़े भारत बढ़े भारत'' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में सभी आयु वर्ग के छात्रों में पढ़ने की आदत डालने और किताबों की खरीद के माध्यम से स्कूल पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 52,341 प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹4,160.57 लाख तथा 15,018 माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹2,817.70 लाख वित्तीय प्रावधान है।

- **खेल अनुदानः** सभी आयु वर्ग छात्रों में खेल की भावना जागृत करने के लिए ''खेले इंडिया खिले इंडिया'' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों को खेल अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह अनुदान खेल उपकरण की खरीद और रखरखाव के लिए दिया जाता है। 52,341 प्राथमिक विद्यालयों हेतु ₹3,388.81 लाख एवं 15,018 माध्यमिक विद्यालयों हेतु ₹3,754.50 लाख का वित्तीय प्रावधान है।

- **कम्पोजिट स्कूल अनुदानः** सभी राजकीय विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बिजली शुल्क, पानी, रखरखाव, स्वच्छता सुविधाओं और अन्य आवर्ती खर्चों जैसे उपभोग्य सामग्रियों, खेल सामग्री, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट तथा शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए कम्पोजिट स्कूल अनुदान दिया जा रहा है। 52,341 प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹13,815.85 लाख एवं 15,018 माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹9,799.10 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

- **ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र अनुदान (बी.आर.सी. अनुदान) :** सत्र 2021—22 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों के लिए ₹174.58 लाख का वित्तीय प्रावधान ब्लॉक

आकस्मिकता, बैठक, भत्ता, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रभावी संचालन/निगरानी के लिए रखा गया है।

- **संकुल सन्दर्भ केन्द्र अनुदान (सी.आर.सी. अनुदान):** संकुल सन्दर्भ केन्द्र, राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध विद्यालयों और शिक्षकों को उनके कार्य स्थल पर ही सहायता प्रदान करने के लिए सबसे उपयोगी इकाई है। यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नोडल केन्द्र है। सत्र 2021–22 में शिक्षक शिक्षण सामग्री, यात्रा भत्ता, आकस्मिक एवं मोबिलिटी सहायता तथा पी.ई.ई.ओ. और शहरी नोडल के सुदृढ़ीकरण हेतु 10,259 संकुल सन्दर्भ केन्द्रों के लिए ₹2,677.80 लाख का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर: प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, के.जी.बी.वी. भवन निर्माण, के.जी.बी.वी. सुदृढ़ीकरण और चारदीवारी कार्य, वृहद मरम्मत आदि कार्यों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.), द्वारा समग्र शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वर्ष 2021–22 में ₹238.01 करोड़ की मंजूरी दी हैं। दिसम्बर, 2021 तक ₹67.94 (प्रबंध पोर्टल के अनुसार) करोड़ का व्यय किया गया है।

इसी तरह, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.), ने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन निर्माण, भवन विहीन/जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन, माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला मय उपकरण, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, वृहद मरम्मत शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, सीडब्लूएसएन शौचालय एवं महाराव शेखाजी अकादमी आदि के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2021–22 में ₹524.41 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। दिसम्बर, 2021 तक ₹81.86 (प्रबंध पोर्टल के अनुसार) करोड़ का व्यय किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य एक सुसंगत, सेतु की कड़ी है। विद्यार्थी को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने के लिए वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 15,449 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से 474 माध्यमिक एवं 766 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए चल रहे हैं और इनमें से 128 विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप पिछले शैक्षणिक सत्र 2020–21 की तुलना में सत्र 2021–22 में 17.41 प्रतिशत नामांकन यानी 8.97 लाख नामांकन की वृद्धि हुई हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक 60.51 लाख का नामांकन हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय:

- सत्र 2021–22 में 631 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों तथा 240 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्त किया गया।
- वर्ष 2021–22 में माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक संवर्ग में 3,361 नवीन नियुक्तियां एवं 2,317 पदौन्नति हुई हैं।
- वर्ष 2020–21 में 82,675 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं 74,919 बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से राशि ₹6,226.20 लाख व्यय कर लाभान्वित किया गया।
- **ज्ञान संकल्प पोर्टल:** वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न दानदाताओं/भामाशाहों/सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा राजकीय विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ₹27.96 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार:** वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा–12 की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की 1,016 बालिकाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ₹945.40 लाख की राशि खर्च की गई है।
- **इन्सपायर अवार्ड मानक योजना:** वर्ष 2021–22 में राजस्थान राज्य ने इन्सपायर अवार्ड मानक योजना

के अन्तर्गत कुल 10,019 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो कि पिछले वर्ष के कुल चयन 8,027 बाल वैज्ञानिकों के चयन से 24.81 प्रतिशत (कुल चयन 1,992) अधिक है। राजस्थान के 3 जिलें देश के टॉप 10 जिलों में है। 993 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ जयपुर ने सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अलवर ने 621 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ चौथा स्थान और 561 बाल वैज्ञानिकों के चयन से साथ झुंझुनू ने छठा स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार प्रति छात्र ₹10,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करती हैं।

- **महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना:** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने सत्र 2019—20 से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2021—22 में बजट घोषणा अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गावों और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1,200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित करना प्रस्तावित किया गया हैं। इसी क्रम में 346 राजकीय विद्यालयों को सत्र 2021—22 में परिवर्तित किया गया है। इन विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया जारी हैं। इस प्रकार राज्य में कुल 551 (सत्र 2019—20 में 33 विद्यालय, सत्र 2020—21 में 172 विद्यालय एवं सत्र 2021—22 में 346 विद्यालय) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं।

- **निःशुल्क पाठ्य पुस्तिका वितरण:** राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा—1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, कक्षा—9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों, उन छात्रों को, जिनके माता—पिता आयकर दाता नहीं है एवं राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में कक्षा—6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों, को निःशुल्क पाठ्य—पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वर्ष 2021—22 में (दिसम्बर, 2021 तक) 5.01 करोड़ पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की गई हैं।

- **निःशुल्क साईकिल वितरण योजना:** वित्तीय वर्ष 2021—22 में (शैक्षणिक सत्र 2020—21 एवं 2021—22 की) पात्र छात्राओं को 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 4,20,081 साईकिलों का वितरण किया जा चुका है।

- **काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना:** इस योजना के अन्तर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से हैं और उनके माता—पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम है और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 वीं, 12 वीं की विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं, स्कूटी के लिए पात्र है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में कुल 737 स्कूटियां वितरित का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **नो बैग डे:** विद्यार्थियों के सर्वागींण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधियों हेतु "नो बैग डे" मनाया जाता है।

- **ई—कक्षा:** कोविड—19 के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए विभाग द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुठी पहल की गई है।

विभाग की लक्षित योजनाओं/कार्यक्रमों पर कोविड—19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए किए गए प्रयास:

- अप्रेल, 2021 से विद्यार्थियों/अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई है।

- स्माइल—2 कार्यक्रम के तहत कक्षा अध्यापक/संस्थाप्रधान, पीईईओ, सीबीईओ, डीईओ माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय) तथा सीडीईओ को विशेष निर्देश जारी किए गए।

- कक्षा 1—5, 6—8 और 9—12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को निष्ठा मॉड्यूल एवं दीक्षा राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिकाएं वितरित की गई हैं।
- मिड डे मील योजनान्तर्गत कोविड—19 के कारण राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता—पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेंहू/चावल) और साथ ही कॉम्बो पैकिट (मसाले, दाल एवं तेल) को चरणबद्ध रूप से विद्यार्थियों के अभिभावकों को खाना पकाने की रूपांतरण लागत की मद से वितरण किया जा रहा है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

राज्य के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को क्रियाशील साक्षरता प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय एकता, परिवार कल्याण, लिंग समानता, भावी विकास एवं व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा एवं सामाजिक बुराईयों यथा—बाल विवाह आदि पर समुचित जोर देना है।

महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षः बजट घोषणा वर्ष 2021—22 के बिन्दू संख्या 42 के क्रम में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन—जन तक पहुंचाने तथा जनता में पढ़ने की रूचि को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से 8,869 महात्मा गांधी पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14,970 किया जाना है।

वर्तमान में इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का प्रभार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पास है। पुस्तकालयों को एकमुश्त पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुस्तकालय अनुदान से ₹6.80 करोड़ का व्यय स्वीकृत किया गया है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में उपलब्ध निधि से समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर ₹8.98 करोड़ का आवर्ती व्यय उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला शिक्षण विहारः महिला शिक्षण विहार 15—30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए दसवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। इन महिलाओं को उनके जीवन स्तर को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। वर्तमान में यह शिक्षण विहार कार्यक्रम जिला झालावाड़ में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 महिलाओं का पंजीकरण किया गया और वर्ष 2021—22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक ₹1.97 लाख व्यय किए गए।

पढना लिखना अभियानः भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्वित योजना "पढ़ना लिखना अभियान" लागू किया गया हैं। इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं की साक्षरता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह पूर्ण रूप से स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है।

योजना को वर्ष 2020—21 के लिये स्वीकृत किया गया था, जिसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2020—21 में भारत सरकार ने 4.20 लाख (3.15 लाख महिलाएं तथा 1.05 लाख पुरूषों) को साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं। कोविड—19 के कारण निरक्षरों का मूल्यांकन 28 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक किया गया, जिसमें 4.35 लाख शिक्षार्थी उपस्थित हुए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), नोएडा से परिणाम अपेक्षित है।

नवाचारः

- **परिवार साक्षरताः** इस योजना के अन्तर्गत, परिवार के बड़े व्यक्तियों यथा माता/पिता/दादा/दादी आदि को, उनके परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चों के माध्यम से साक्षर करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- **निरक्षर महिलाओं की विशेष कक्षाऐंः** जिन जिलों में महिला साक्षरता दर 40 प्रतिशत से कम है, उन जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। कोविड—19 महामारी को देखते हुए 15 से 20 महिलाओं को स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से उनकी सुविधानुसार स्थान एवं समय पर साक्षर किया गया है।
- आर के सी एल के डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से प्रति जिले 53 निरक्षरों (कुल 1,749 निरक्षर) को साक्षर किया जा रहा है।
- 15 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं में शैक्षिक स्तर बढ़ाने, एकाग्रता विकसित करने एवं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए संकल्प इण्डिया फाउण्डेशन के समन्वय से फागी जिला जयपुर एवं बारां जिले में शतरंज बोर्ड खेल

के उपयोग की पहल की गई है।

- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अशिक्षित व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ—साथ कृषि संबंधित नवीनतम एवं आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है।
- **ईच वन टीच वनः** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, एनसीसी कैडेट/स्काउट गाईड एवं नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यक्ति को साक्षर बनाने की पहल की गई है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता है। आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 2,413 हो गई है। जिनमें से राज्य में 356 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 2,033 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। विभाग द्वारा 1,479 शिक्षक—प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय तथा 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

वर्ष 2021—22 के दौरान प्रमुख गतिविधियां/पहलः

- 36 नवीन राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए।
- 5 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।
- 7 राजकीय महाविद्यालयों में 9 नवीन संकाय शुरू किए गए है।
- 05 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 9 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- 13 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 21 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- विद्या संबल योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिला नोडल राजकीय महाविद्यालयों द्वारा आंवटित ₹5,050.00 लाख में से दिसम्बर, 2021 तक ₹1,214.16 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- विभिन्न योजनाओं के लिए ₹37,758.83 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹23,548.00 लाख व्यय किए गए हैं।
- राज्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना के अंतर्गत ₹8,589 लाख का आवंटन किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹2,175 लाख व्यय किए गए हैं।
- बजट घोषणा 2021—22 के अनुसार महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एण्ड सोशल साइंसेज (MGIGSS) का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 02.10.2021 को किया गया है। इसके अंतर्गत डिग्री पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य कराए जाने है। वर्तमान में यह संस्थान सेन्ट्रल पार्क के परिसर में कनक भवन, जयपुर में संचालित किया जा रहा है।
- जिन विद्यार्थियों ने कोविड—19 के कारण अपने माता/पिता/पति को खो दिया है, उन्हें सत्र 2021—22 में निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रावास की सुविधा प्रदान की गई है।

संस्कृत शिक्षा

संस्कृत को देव वाणी, देवताओं की भाषा के रूप में जाना जाता है। यह न केवल भारतीय संस्कृति का पोषण करती है, बल्कि ज्ञान एवं विज्ञान का एक स्रोत भी है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है और आज भी उसी रूप और संरचना को बरकरार रखी हुई है जैसे हजारों वर्ष पहले थी। यह शब्द गठन की अद्भुत क्षमता के साथ सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहां वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है और वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अपनी संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है।

वर्ष 2021—22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) विभिन्न योजनाओं पर ₹9,986.16 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021—22 के दौरान शिक्षण संस्थानों की स्थिति तालिका—8.4 में दर्शाई गई है —

तालिका–8.4 राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के संस्थानों की संख्या

स्तर	राजकीय	निजी	कुल
प्राथमिक	423	14	437
उच्च प्राथमिक	925	259	1184
प्रवेशिका	228	75	303
वरिष्ठ उपाध्याय	194	27	221
शास्त्री (स्नातक स्तर)	18	13	31
आचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	13	14	27
कुल	**1801**	**402**	**2203**

इन संस्थानों में कुल 1.98 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान एक राजकीय एवं 15 निजी एस.टी.सी. महाविद्यालय कार्यरत हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय संचालित हैं।

राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में ''राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'' (SSIERT) महापुरा, जयपुर में संचालित है। SSIERT के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं–

- संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों की कक्षा 1–8 के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदंडों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा करना और सिफारिशों एवं पाठ्यपुस्तकों के लेखन की तैयारी में सहयोग करना।
- द्विवर्षीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों लेखन की समय–सारणी एवं समीक्षा।
- सेवारत शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य के लिए तैयार करना।
- संस्कृत भाषा को आम बोल–चाल की भाषा के रूप में विकसित करना और संचार कौशल का विकास करना तथा प्रचार–प्रसार की दिशा में प्रयास करना।

विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं:

- **गार्गी पुरस्कारः** गार्गी पुरस्कार वरिष्ठ उपाध्याय व प्रवेशिका कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को दिया जाता है। जिन छात्राओं ने 75 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन छात्राओं को बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर द्वारा वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा को पांच हजार रूपये व प्रवेशिका की छात्रा को तीन–तीन हजार रूपये दो किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाती है।
- **इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कारः** इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका व कक्षा 8 की छात्राओं को दिया जाता है। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सातों संवर्ग की छात्राओं व एक दिव्यांग छात्रा को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा को ₹1,00,000 व स्कूटी, प्रवेशिका की छात्रा को ₹75,000 व कक्षा 8 की छात्रा को ₹40,000 सीधे छात्रा के खाते में जमा कराये जाते हैं।
- **लैपटॉपः** वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका व कक्षा 8 परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा आवंटित लैपटॉप में से संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ उपाध्याय व प्रवेशिका के विद्यार्थियों को दो प्रतिशत तथा कक्षा 8 वीं के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत पुरस्कार का प्रावधान है। यह पुरस्कार निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा दिया जाता है।
- **आपकी बेटी योजनाः** आपकी बेटी योजना में कक्षा 1 से 8 व कक्षा 9 से 12 तक की उन छात्राओं को पुरस्कार दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके माता–पिता में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को ₹2,100 व कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को ₹2,500 दिये जाते हैं।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा और पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में, यहां 323 पुस्तकालय है जिनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 07 सम्भाग स्तरीय पुस्तकालय, 33 जिला स्तरीय पुस्तकालय, 06 पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय (भाषा और पुस्तकालय विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में), 276 पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालय

(माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) संचालित हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक ₹3.75 लाख के आंवटित बजट के विरूद्व ₹1.68 लाख का व्यय किया गया है।

पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रमः पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। पुस्तकालय सेवाएं सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिला पाठकों को प्रदान की जा रही हैं। चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गॉधी कॉर्नर एवं नेत्रहीनों के लिए नियो–लिटरेट कॉर्नर सुविधा भी उपलब्ध है।

पुस्तकालयों में कुल पुस्तकें एवं पाठकों की संख्याः विभाग द्वारा संचालित 47 पुस्तकालयों में वर्तमान में 21.76 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इन पुस्तकालयों में कुल 7,159 सदस्य पंजीकृत है। पुस्तकालयों में हर महीने औसतन 42,599 पाठक आते है।

तकनीकी शिक्षा

भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग का साक्षी है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा की भारी मांग है। तकनीकी शिक्षा विशिष्ट व्यापार, हस्तकला अथवा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करती है।

अभियांत्रिकी/प्रबन्धन शिक्षा

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य में कुल 87 (जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल) अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 1 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के 17 घटक कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त 69 निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेज हैं जिनकी कुल वार्षिक 29,087 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता है। इसी तरह, प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 48 एम.बी.ए. संस्थान (6 राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त एवं 42 निजी संस्थान) आरएमएपी 2021 में पंजीकरण के अनुसार लगभग 3,282 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के घटक/निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय/एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर में एक भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.), आईआईआईटी कोटा (एमएनआईटी कैंपस जयपुर), एमएनआईटी जयपुर तथा एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) उदयपुर राज्य में संचालित हैं।

पॉलिटेक्निकः राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 27,846 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले कुल 133 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। इनमें से 7,004 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले 41 राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, 8 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, सांगानेर एवं भरतपुर) है, जिनकी प्रवेश क्षमता 1,090 है तथा 84 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों 19,752 प्रवेश क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा (पॉलिटेक्निक) के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न योजनाओं पर ₹3,325.42 लाख व्यय किया गया है। गत पाँच वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की भौतिक प्रगति तालिका–8.5 में दर्शायी गई है।

तालिका–8.5 गत 5 वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की प्रगति

वर्ष	कुल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय			कुल प्रवेश क्षमता		
	राजकीय	निजी	योग	राजकीय	निजी	योग
2017-18	42	140	182	6450	40195	46645
2018-19	43	108	151	6480	29415	35895
2019-20	44	92	136	7215	22781	29996
2020-21	44	86	130	7561	20678	28239
2021-22*	49	84	133	8094	19752	27846

*दिसम्बर, 2021 तक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.): राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार और उद्यमिता (एसईई) विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे है। राज्य में वर्ष 2021–22 के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण की सुविधा 273 स्वीकृत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिनकी कुल स्वीकृत सीटें 1,00,588 हैं। जिनमें से 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में स्वीकृत हैं। वर्तमान में 270 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2,74,882 प्रवेश क्षमता के साथ 1,503 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। दस्तकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अन्तर्गत 51 अभियांत्रिकी व 42 गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में एक से दो वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विभिन्न योजनाओं में ₹11,675.73 लाख व्यय किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा

राज्य में 31 दिसम्बर, 2021 तक 26 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक झालावाड हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 07 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व 9 निजी क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर मेडिकल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 15 नये मेड़िकल कॉलेज यथा अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य द्वारा प्रति कॉलेज ₹325.00 करोड़ (₹195 करोड़ केन्द्रीय अंश व ₹130 करोड़ राज्यांश) की दर से कुल ₹4,875.00 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को जारी की गई, इनकी स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 2,830 स्नातक, 1,475 स्नातकोत्तर व 125 अति विशिष्ट दक्षता वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है। निजी मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,650 स्नातक व 427 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है।

इसी प्रकार राज्य में 16 दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज व 15 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। राजकीय दन्त चिकित्सा कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता स्नातक 50 विद्यार्थी एवं 22 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की हैं। निजी दन्त चिकित्सा कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,460 स्नातक व 331 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है। राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत सात चिकित्सा महाविद्यालयों यथा (भरतपुर, बाडमेर, भीलवाडा, चूरू, पाली, डूंगरपुर व सीकर) मे से 5 मेडिकल कॉलेजों यथा (भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली तथा भीलवाड़ा) में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में, बाड़मेर में 2019–20 में एवं सीकर में 2020–21 से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जा चुका हैं। मेडिकल कॉलेजों से संबधित अस्पतालों द्वारा अन्तरंग व बहिरंग रोगियों की देखभाल की जा रही है तथा प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, इसके साथ ही पडौसी राज्यों (हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि) के रोगियों की देखभाल की जा रही है।

विगत तीन वर्ष (2019–20 से 2021–22) की महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां:

- 15 नए मेड़िकल कॉलेज (अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर) खोलने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रति मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट ₹325 करोड रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है।
- समस्त 15 चिकित्सा महाविद्यालयों की सीपीआर एवं डीपीआर अनुमोदित की जा चुकी हैं। 5 स्थानों पर (श्रीगंगानगर, चितौडगढ़, सिरोही, दौसा एवं हनुमानगढ़) निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हैं, 8 स्थानों के लिए (झुन्झुनूं, नागौर, करौली, अलवर, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर एवं टोंक) निविदा खोली जाकर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जैसलमेर में कार्यों की निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है। बांसवाडा में पुनः निविदा आमन्त्रित की गई है।
- वर्तमान में 1,255 पीजी एवं 117 सुपर स्पेशियलिटी सीट राजकीय मेडिकल कॉलेजों में है। राजकीय मेडिकल कालेजों में पीजी सीटों की बढोतरी के लिये

सघन प्रयास कर भारत सरकार से 950 पीजी सीट एवं 11 सुपर स्पेशियलिटी सीटों की बढ़ोतरी की स्वीकृति वर्ष 2019–20 में प्राप्त की गई। 806 सीटों के लिये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति हेतु विभाग के द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

- वर्ष 2019–20 में बाडमेर और वर्ष 2020–21 में सीकर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस सीटों मे वर्ष 2019–20 में 650 एवं वर्ष 2020–21 में 230 सीटों की बढ़ोतरी की गयी, इस प्रकार कुल 880 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जो वर्ष 2018 तक की कुल 1,950 एमबीबीएस सीटों की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राज्य में कुल 2,830 एमबीबीएस सीट स्वीकृत है।
- राजमेस के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न श्रेणी के 210 नवीन पदों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों के सुदृढीकरण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु 336 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।
- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में 8 पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ किये गये हैं। यह डिप्लोमा कोर्स प्रतिवर्ष 8 क्लीनिकल विभागों (एनेस्थीसिया, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, नाक–कान व गला, टी.बी. व चेस्ट, रेडियोडायग्नोसिस एवं फैमिली मेडिसिन) में संचालित होंगे। कोर्स की अवधि 2 वर्ष होगी। इसके लिए 29 जिला अस्पतालों द्वारा 733 सीटों के लिए आवेदन किया जा चुका है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा इनका निरीक्षण किया जा चुका है एवं 28 जिलों में 494 सीटों की अनुमति प्रदान की गई हैं। इससे राज्य में विभिन्न विशिष्टताओं के चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी एवं जिला चिकित्सालयों में रेजिडेन्ट डॉक्टर उपलब्ध होने से वहां चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
- राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को 269 पदों के लिए अभ्यर्थनाएं भिजवाई गई, जिस पर आरपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित कर 243 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। 243 पदों में से 240 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
- राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के तहत रिक्त पदों को भरने के लिए तीन चरणों में विज्ञप्ति जारी कर 212 चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें से दिसम्बर, 2021 तक 167 द्वारा कार्यग्रहण किया गया। अब चतुर्थ चरण में चिकित्सक शिक्षकों के 203 रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई एवं 80 चिकित्सक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अन्तर्गत ₹150.00 करोड़ रूपये (प्रति कॉलेज) की लागत से कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
- जयपुर में ₹200.00 करोड़ की लागत से निर्मित किए जा रहे सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसे आगामी माह में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के संभाग मुख्यालयों (भरतपुर को छोड़कर) पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राशि ₹455.00 लाख की लागत से कुल सात 4डी सोनोग्राफी मशीनों की स्थापना कर कार्यशील कर दी गई है।
- राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में जीवन–रक्षक उपकरणों से युक्त 22 एड़वांस्ड़ लाईफ सर्पोट (ALS) क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लिवर प्रत्यारोपण के लिए हिपेटो पैनक्रिएटोबिलरी सर्जरी विभाग के लिए 04 पदों को परिवर्तित किया जा चुका है। गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग एवं यूरीनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरोओकोलोजी विभाग की स्थापना के लिए कुल 10 नवीन पदों का सृजन किया गया है।
- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आईपीडी टॉवर का निर्माण ₹431 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इस टॉवर की कुल बैड क्षमता 1,200 होगी एवं 10 ऑपरेशन थियेटर तैयार किये जाएंगे।

- जयपुर में टर्शरी केयर कैंसर सेन्टर का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परिसर मे ओपीडी तथा ओटी का कार्य शुरू किया गया है। यहां लीनियर एक्सीलेटर एवं अन्य उपकरण स्थापित किए जाकर आगामी वित्तीय वर्ष में कैंसर रोगियों को महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही स्थल पर उपलब्ध करवाई जाऐगी।

- राज्य में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयास किए गए हैं। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में राज्य मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) की स्थापना की गई है तथा कॉर्डियो थोरासिक हृदय प्रत्यारोपण ओटी एवं गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी क्रम में अन्य मेडिकल कॉलेज जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर, न्यू हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कोटा, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर एवं पी.बी.एम. हॉस्पिटल बीकानेर को Organ/Tissue Retrieval Performing के लिए प्रमाण–पत्र जारी कर दिए गए है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पिछले तीन वर्षो में 53 किडनी प्रत्यारोपण, 7 लीवर प्रत्यारोपण एवं 3 हृदय प्रत्यारोपण किए गए है।

- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ₹10 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों वाली उन्नत चिकित्सा आईसीयू और ₹2 करोड की लागत से 10 बिस्तरों वाली स्ट्रोक आईसीयू का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बिस्तरों वाला नया चिकित्सालय शुरू गया हैं। यह चिकित्सालय वर्तमान में राज्य के समर्पित कोविड–19 अस्पताल के रूप में कार्य कर रहा है।

- एस.आर. गोयल अस्पताल सेठी कॉलोनी, जयपुर में रोगी शैय्याओं की संख्या 50 से बढ़ाकर 125 कर दी गई हैं।

- श्वास की बीमारी से पीड़ित बच्चों की सुविधा के लिए सर पदमपत इंस्टीट्यूट ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक हेल्थ (जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर) में 30 जनवरी, 2020 से ब्रोंको स्कोपी सुविधा शुरू की गई है।

- सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर) में एक पंजीकरण काउंटर, प्रतीक्षालय तथा ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। दुर्लभ रोगों के उत्कृष्टता केन्द्र के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जेनजाइम के साथ एक एमओयू किया गया है एवं मिल्क बैंक के लिए क्षेत्रीय संदर्भ केन्द्र स्थापित किया गया है एवं शिशु शल्य विभाग में लेप्रोस्कोपी सिमुलेशन लैब प्रक्रियाधीन है।

- मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में राशि ₹2.86 करोड़ की लागत से दन्त चिकित्सालय एवं मेडिकल आईसीयू का निर्माण किया गया है।

- पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में प्रसूताओं को दर्द रहित प्रसव सुविधा शुरू की गई है।

- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में ₹442.50 लाख की लागत से 4 ऑपरेशन थियेटर का नवीनीकरण और उन्नत मॉड्यूलर ओ.टी. का निर्माण पूरा हो गया है। ₹261.00 लाख की लागत से आपातकालीन ईकाई के निर्माण के लिए व दानदाता के सहयोग से ₹240.50 लाख की लागत से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए एक ब्रेंकीथेरेपी मशीन की स्थापना की गई है।

- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में राशि रूपये ₹5 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया हैं।

- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में 4 ऑपरेशन थियेटर, 10 बिस्तरों वाले आईसोलेशन वार्ड एवं 17 बिस्तरों वाले आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- जोधपुर में मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु शैय्याओं को 50 से बढ़ाकर 150 करने की स्वीकृति जारी कर इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त 38 पद सृजित किए गए हैं।

- प्रताप नगर चिकित्सालय, जोधपुर को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु शैय्याओं को 50 से बढ़ाकर 150 करने की स्वीकृति जारी कर इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त 60 पद सृजित किए गए हैं।

- मेडिकल कॉलेज कोटा में ₹1,209.95 लाख की लागत से सेन्ट्रल लाईब्रेरी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

- मेडिकल कॉलेज, कोटा में ₹1,025.14 लाख की

लागत से 150 छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

- मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में जूनियर बॉयज हॉस्टल, लेक्चर थियेटर ब्लॉक, ओपीडी और इन्वेस्टिगेशन एकीकृत ब्लॉक एवं सीनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर में सीएसएस के तहत 300 बिस्तरों वाले नवनिर्मित भवन, रेजिडेन्ट हॉस्टल एवं नर्सेज छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- मेडिकल कॉलेज, भरतपुर में सुपर स्पेशियलिटी–न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी विभाग शुरू करने के लिए कुल 24 नए पद सृजित किए गए है।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी (भर्ती और पदोन्नति) नियम, 2020 तैयार किया गया है।

कोविड–19 महामारी के प्रबंधन हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कोविड–19 आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 36 राजकीय संस्थानों में राजकीय लैब संचालित है, जिनकी कुल जाँच क्षमता 1.45 लाख टेस्ट प्रतिदिन है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 5,909 थी जिसे अब बढ़ाकर 14,111 कर दिया गया है। इस प्रकार, आक्सीजन बिस्तरों की कुल संख्या में 8,202 (139 प्रतिशत) बिस्तरों की बढ़ोतरी हुई।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध आईसीयू बिस्तरों की कुल क्षमता 1,211 थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,581 कर दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त आईसीयू बिस्तरों का कार्य चल रहा है जिससे कुल आईसीयू बिस्तरों की संख्या 2,631 हो जाएगी। इस प्रकार आईसीयू बिस्तरों की संख्या में कुल 1,420 (117 प्रतिशत) बिस्तरों की बढ़ोतरी हुई।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध बच्चों के आईसीयू बिस्तरों की कुल क्षमता 665 थी जिसे अब बढ़ाकर 1,594 कर दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पीडियाट्रिक आईसीयू बिस्तरों का कार्य चल रहा है, इसके बाद बच्चों के आईसीयू बिस्तरों की कुल संख्या बढ़कर 2,657 हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों के आईसीयू बिस्तरों में 1,992 (300 प्रतिशत) की बढ़ोतरी होगी।
- वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े विभिन्न अस्पतालों में कुल 119 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए है, जिनकी उत्पादन क्षमता 15,837 सिलेंडर प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त कुल 3,712 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता के 27 ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का कार्य प्रगति पर है।
- वर्तमान में, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 31,900 सिलेण्डर प्रतिदिन की क्षमता वाले 15 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एल.एम.ओ.) प्लान्ट स्थापित है। अब 6,600 सिलेण्डर प्रतिदिन की क्षमता वाले अतिरिक्त 3 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) प्लान्ट स्थापित किये जा रहे है।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं।
- राज्य में कोविड–19 रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधा को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ–साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियन्त्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इण्डिया के हेल्थ इंडेक्स राउण्ड–4 वर्ष 2019–20 में समग्र स्वास्थ्य सूचकांक के अन्तर्गत राजस्थान को 16 वां स्थान मिला है।

राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर एक

सुनियोजित तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं (स्वास्थ्य महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त) की दिसम्बर, 2021 के अन्त तक की स्थिति तालिका–8.6 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.6 चिकित्सा संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	चिकित्सा संस्थानों की संख्या (31 दिसम्बर, 2021 तक)	एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत	
			स्वीकृत	संचालित
1.	चिकित्सालय	129	-	-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	693	13	9
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2170	-	-
4.	डिस्पेंसरी	190	-	-
5.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118	-	-
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	51	140	139
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	14423	-	-
8.	शैय्याएं *	57030	390	390

*स्वास्थ्य महाविद्यालय चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्तरंग रोगी शैय्याएं।

वर्ष 2021–22 में नवीन गतिविधियां:

- 07 जिला अस्पतालो का हस्तान्तरण चिकित्सा शिक्षा विभाग को किया गया।
- निदेशालय खाद्य सुरक्षा की स्थापना की गई।
- 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
- 01 सैटेलाईट चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
- 10 अस्पतालों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।
- कोटा एवं सवाईमाधोपुर जिले में नए जिला चिकित्सालय की स्थापना की गई।
- राजकीय चिकित्सालय औसियां, जोधपुर में मदर एवं चाइल्ड केयर सेन्टर की स्थापना की गई।

निरोगी राजस्थान अभियान

राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया था। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:–

- जनसंख्या नियंत्रण (परिवार कल्याण कार्यक्रम)।
- वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याएं और देखभाल।
- महिला स्वास्थ्य (एनीमिया, कुष्ठ और स्तन केन्सर)।
- मौसमी संचारी रोग।
- किशोरावस्था स्वास्थ्य (एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी एवं स्वच्छता)।
- असंचारी रोग (जीवन शैली आधारित मोटापा, मधुमेह, बी.पी., मनोरोग, ह्रदयरोग, पक्षाघात, कैंसर तथा फेफड़े संबंधी रोग)।
- टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण (सम्पूर्ण टीकाकरण)।
- ड्रग की लत और बीमारी (शराब, ड्रग्स व तम्बाकू)।
- खाद्य मिलावट।
- प्रदूषण इत्यादि।

स्वास्थ्य मित्र

राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 79,731 स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) और शहरी क्षेत्र में 14,373 स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) का चयन किया गया हैं। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवी व्यक्तियों को बिना किसी पारिश्रमिक के स्वास्थ्य मित्र के रूप में कार्य करना होता है। ये स्वास्थ्य मित्र जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए प्रेरित करेंगे।

जनता क्लिनिक

राज्य के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्रों, सघन बस्तियाँ, जहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, क्षेत्र के पास ''जनता क्लिनिक'' खोले गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 13 जनता क्लिनिक संचालित हैं। जनता क्लिनिक में मरीजों को 325 प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है एवं 8 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। जिसमें माह दिसम्बर, 2021 तक 2,80,511, रोगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

2 अक्टूबर, 2011 को 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आर.एस.एम.सी.) का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाईयां, शल्य चिकित्सा औजार और टांके की खरीद के लिए एक केन्द्रीय खरीद एजेन्सी के रूप में किया गया है। आर.एस.एम.सी. राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित जिला ड्रग वेयर हाउस (डी.डी.डबल्यू.एच.) के माध्यम से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2021–22 में आवश्यक दवा सूची में 2 नई औषधियों को शामिल किया गया हैं एवं 4 औषधियों को विलोपित किया गया हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 6 दवाईयों की श्रेणियों में परिवर्तन किया गया हैं। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 711 औषधियां, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सूचीबद्ध हैं। आपूर्ति की जा रही दवाईयों की गुणवत्ता पैनलबद्ध दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में दवाओं के परीक्षण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दवाईयों की सूची राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रदर्शित की गई है। बहिरंग रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र के समयानुसार तथा अन्तरंग एवं आपातकालीन रोगियों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है। इस योजना में जटिल एवं गम्भीर बीमारी के लिए भी दवाईयां उपलब्ध हैं। कोविड–19 से संबंधित दवाईयों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ऑन लाईन पोर्टल डीवीडीएमएस के माध्यम से सभी राज्यों की निःशुल्क दवा वितरण योजना की अप्रैल, 2019 से प्रतिमाह रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें राजस्थान की ''मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना'' अप्रैल, 2019 से प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक योजना के अन्तर्गत ₹760.00 करोड़ का व्यय किया गया एवं 8.58 करोड़ मरीज लाभान्वित हुऐं है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

यह योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूदा प्रयोगशालाओं और अन्य जांच सुविधाओं को मजबूत करने और राजकीय अस्पतालों मे आने वाले रोगियों को मुफ्त में आवश्यक जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। गुणवत्ता जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त रूप से सुसज्जित जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 40.00 करोड़ जांचें की जाकर 17.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 1.25 से 1.50 लाख जांचे निःशुल्क की जा रही हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.)

इस योजना के अन्तर्गत 1,43,399 नए ओपीडी रोगियों एवं 2,11,975 फॉलोअप रोगियों को चिकित्सा जांच की गई। एन.एम.एच.पी. के अन्तर्गत 505 शिविर आयोजित किए गए और शिविरों में 8,916 रोगियों का उपचार किया गया। एन.एम.एच.पी. की क्षमता निर्माण पहल के तहत 208 चिकित्सा अधिकारियों एवं 1,818 स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹95.22 लाख खर्च किए गए हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम

राजस्थान के सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। वर्तमान में 30 जिलों में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रेल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 32,979 सम्भावित मरीजों की पहचान की गई है। माह अप्रेल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक

2,943 सम्भावित मरीजों के मूत्र की जांच की गयी है, जिनमें से 1,974 मरीजों में फ्लोराईड का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया है। 1,494 पानी के स्रोत की जांच की गयी है।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य मुख स्वास्थ्य में सुधार एवं ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 728 केम्प लगाये गये जिसमें 23,272 मरीजों के मुख की जांच की गई एवं कुल 6,97,789 मरीजों का राजकीय दन्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज किया गया। वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से ₹115.20 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 'आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में कुल 2,170 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 810 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विभिन्न चरणों में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप मे विकसित किया गया है।

सभी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिमाह लगभग 8.50 लाख रोगियो को उपचारित किया जा रहा है तथा लगभग 8 हजार प्रसव कराए जा रहे हैं। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में 199 मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर लिया गया हैं। चयनित मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु अवसंरचनात्मक अन्तराल विश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण कर संसाधनों के खरीदने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

सार्वजनिक–निजी सहभागिता

आम जनता को बेहतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। समस्त राजकीय जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलेसिस यूनिट स्थापित कर डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एवं 29 राजकीय जिला चिकित्सालयों एवं 1 उप जिला चिकित्सालय, में पीपीपी मोड पर सीटी स्केन मशीन संचालित की जा रही हैं। निःसंतान दम्पती को सस्ती आईवीएफ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 राजकीय जिला चिकित्सालयों मे आईवीएफ केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

आमजन एवं गरीब तबके के मरीजों को सस्ती एम.आर.आई. जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 राजकीय चिकित्सालयों यथा कांवटिया जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, एवं सीकर में एम.आर.आई. मशीनें पीपीपी मोड पर संचालित की जा रही है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। जिसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया हैं। इस अभियान के अंतर्गत, वर्ष 2021–22 में माह अप्रेल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 5,040 निरीक्षण करने के बाद 4,549 नमूने लिए गए, जिनमें से 530 घटिया, 219 गलत और 119 असुरक्षित पाए गए।

वर्ष 2021–22 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 1,000 लक्ष्य के विरूद्व 549 नए कुष्ठ रोगियों की खोज की गई तथा 579 रोगियों को उपचार कर ठीक किया गया हैं।
- कलेण्डर वर्ष 2021 में ''राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 2,25,000 रोगियों की खोज के लक्ष्य के विरूद्व 1,48,276 क्षय रोगियों का उपचार किया गया है।
- ''राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 3,30,000 नेत्र ऑपरेशन लक्ष्य के विरूद्व 1,30,287 नेत्र ऑपरेशन किए गए हैं।
- ''राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)'' के अन्तर्गत 83.31 लाख के लक्ष्य के विरूद्व 65.38 लाख रक्त स्लाइडें संग्रहित कर जांच की गई।
- ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 17,41,507 व्यक्तियों के खून की जांच की गई है, जिनमें से 3,596 रक्त के नमूने एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए हैं।

- राज्य में 56 राज्य सरकार, 6 केन्द्र सरकार एवं 132 निजी क्षेत्र सहित कुल 194 रक्तदान केन्द्र जरूरतमंदों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करा रहे हैं।
- ''आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 1,66,835 नमूने लिए गए हैं।
- भारत सरकार के सहयोग से गैर–संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियन्त्रण करने के लिए राजस्थान के 33 जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियन्त्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग की पहचान के लिए स्क्रीनिंग की जाती है और जरूरतमंदों के लिए उपचार प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹4,986.54 लाख स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से ₹2,067.80 लाख व्यय किए जा चुके हैं।
- भारत सरकार ने राजस्थान के सभी जिलों में 34 ''राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम'' (एन.टी.सी.पी.) शुरू किया है। तम्बाकू उपभोग छोड़ने के लिए कुल 15,653 तंबाकू उपयोगकर्ताओ को परामर्श सहायता की गई है। तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को लागू किया जा रहा है और कुल 9,463 चालान किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹618.01 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से ₹324.68 लाख दिसम्बर, 2021 तक खर्च किए जा चुके हैं।
- राजस्थान के समस्त 33 जिलों में समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹507.22 लाख की राशि खर्च की गई हैं।

कोविड–19 की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रबंधन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा कोविड–19 को एक अंतर्राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मध्यनजर एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले महामारी से संबंधित दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य में बचाव, नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय, उपचार, जांच (संपर्क ट्रेसिंग) और सूचना का प्रसार किया गया। घर–घर सर्वे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में रोगग्रस्त यात्रियों की पहचान, आईसोलेशन वार्डों में संक्रमित यात्रियों की स्क्रीनिंग और प्रवेश एवं देश के सभी हिस्सों से आने वाले यात्रियों की जानकारी एकत्र करने जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में कोविड– 19 की पहली घटना 2 मार्च, 2020 को जयपुर में एक इटली नागरिक में पाई गई थी।

स्थिति एवं गतिविधियाँः

जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 6,47,984 कोविड संक्रमित रोगी पाए गए है, जिनमें से 6,268 मरीज अपनी जान खो चुके है। शुरूआत मार्च, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 9,56,227 मरीज कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सें 8,964 मरीज अपनी जान खो चुके हैं।

- **सक्रिय निगरानी (घर–घर सर्वे):** राज्य में करीब 25,000 चिकित्सा टीमें घर–घर जाकर सर्वे कर रही है। जिसमें प्रत्येक टीम 50 घरों में जाती है।
- **पैसिव सर्विलांसः** संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए अस्पतालों में अलग से ओपीडी कार्य कर रही है।
- **मिशन लिसाः**–मिशन लिसा द्वारा राज्य में उच्च जोखिम समूह वर्ग के व्यक्तियों की निगरानी के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण कर जागरूकता एवं स्थिति के अनुसार जांच का कार्य किया जा रहा है। दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 1,40,35,878 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 13,84,794 उच्च जोखिम वाले समूह के पाए गए।
- **क्वारंनटाईन/आईसोलेशन सेन्टरः** राज्य में संदिग्ध कोरोना रोगियों/व्यक्तियों की निगरानी अथवा उपचार के लिए 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,14,288 क्वारंटाईन बिस्तरों एवं 36,834 आईसोलेशन बिस्तरों की पहचान की गई है।
- **संसाधनः** राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (आरएमएससीएल) के माध्यम से पीपीई किट, एन–95, ट्रीपल लेयर मास्क व वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम) आदि की खरीद की जा रही है, साथ ही आपदा प्रबन्धन विभाग के समन्वय से आपूर्ति की जा रही है।
- **जांच सुविधा एवं परिणामः** राज्य के सभी जिलों में 72 केन्द्रों पर कोरोना वायरस के लिए जांच सुविधा उपलब्ध है और जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,09,44,243 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से कुल 6,47,984 पॉजिटिव पाए गए हैं।
- **कॉन्टैक्ट ट्रेसिंगः** दिसम्बर 2021 तक 9,56,227

पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए 19,65,372 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करते हुए लक्षण के आधार पर संपर्क में आये 7,35,827 व्यक्तियों के नमूने लिए गए हैं।

- **अन्य विशेषः** जिला कलेक्टर को कोविड–19 हेतु जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, राजस्थान महामारी अधिनियम–1957 के अन्तर्गत कोविड–19 को अधिसूचित रोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान समाचार पत्रो/फ्लैक्स/बेनर/पैंम्प्लेट/रेडियो/ व्यक्तिगत रूप से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, पॉजिटिव केस क्षेत्र में कंटेन्मेट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमसीएसबीवाई)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए और विनाशकारी कोरोना महामारी को देखते हुए, जो तबाही मचा रहा है, राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की है और राजस्थान में 1 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमसीएसबीवाई) शुरू की है।

इस वर्ष की शुरूआत में, ''आयुष्मान भारत–महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना'' का नवीन चरण 30 जनवरी, 2021 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत पहचाने गए 1.10 करोड़ परिवार और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के तहत पहचाने गए सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण (एसईसीसी - 2011) के अभाव एवं व्यावसायिक मानदंडों के अन्तर्गत कवर किए गए परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए कवर किया गया था।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएंः

- योजना के तहत परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है जो एक राज्य विशिष्ट परिवार पहचान कार्ड है जिसका उपयोग राज्य की विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की अन्य नकद या गैर नकद योजनाओं में किया जाता है। जन आधार और चिरंजीवी योजना में पंजीकरण और पॉलिसी दस्तावेज की छपाई का खर्च बताई गई श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मुफ्त है और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना में उम्र, आय और परिवार सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- वर्तमान में लगभग 1.33 करोड़ परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं।
- एमएमसीएसबीवाई राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना करता हैं। योजना के तहत एनएफएसए, एसईसीसी के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड–19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। शेष आबादी प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹850 की एक छोटी राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती हैं जो कि सरकार की प्रीमियम लागत का 50 प्रतिशत है। शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन कर रही है।
- फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 (सामान्य बीमारियों के लिए) प्रीमियम राशि तथा ₹4.50 लाख (गंभीर बीमारियों के लिए) का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- योजना के अन्तर्गत कुल 1,597 रोग पैकेज है, जिसमें 465 द्वितीयक पैकेज और 1,132 तृतीयक पैकेज शामिल हैं। कुल पैकेज में से 51 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित है।
- पैनल में सम्मिलित अस्पतालों में कैशलेस आई.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- योजना के अन्तर्गत 634 निजी व 788 सरकारी पैनलबद्ध चिकित्सालय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात् का खर्च शामिल हैं।
- इससे पहले, कोविड–19, म्यूकोर्मिकोसिस एवं डायलिसिस के पैकेज योजना की पैकेज सूची में शामिल नहीं थे। बाद में इन बीमारियों के महगें उपचार को देखते हुए राज्य ने इन पैकेजों को ट्रस्ट मोड पर शामिल करने का निर्णय लिया ताकि परिवार को सामर्थ्य से अधिक व्यय न करना पड़े। साथ ही सरकार ने मौजूदा पैकेजों की दरों को संशोधित करने और किडनी प्रत्यारोपण जैसे 18 नए महत्वपूर्ण पैकेजों को योजना तहत शामिल करने का निर्णय

लिया है। इस प्रकार कुल 25 पैकेज ट्रस्ट मोड पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- टोटल नी आर्थोप्लास्टी (टीकेआर) और टोटल हिप रिप्लेशमेन्ट (टीएचआर) के पैकेज का डी—आरक्षणः— घुटने के प्रत्यारोण एवं कुल्हे के प्रत्यारोण के पैकेज नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त (पूरी तरह से और प्री—एंट्री लेवल) निजी अस्पतालों के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है, जो पहले राजकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित थे।
- आयुष्मान भारत—महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 जनवरी, 2021 से 30 अप्रेल, 2021 तक 1,39,678 दावों पर ₹110.11 करोड़ खर्च किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 01 मई, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक 11,68,283 दावों पर ₹785.33 करोड़ व्यय किए गए हैं।

आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियां

राज्य में 122 आयुर्वेद चिकित्सालय (एक बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में स्थापित है) व 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय हैं। इसके अतिरिक्त राज्य मे 3,578 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 3 योग एवं प्राकृतिक औषधालय, एक शल्य चल चिकित्सा इकाई और 13 चल चिकित्सा इकाईयां भी कार्यरत हैं। राजस्थान के आयुर्वेद संस्थानों में 35 आँचल प्रसूता केन्द्र, 33 जरावस्था जन्य व्याधि निवारण केन्द्र, 36 पंचकर्म केन्द्र, 10 क्षारसूत्र केन्द्र एवं 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भी शामिल हैं। राज्य में संचालित आयुर्वेद और अन्य संस्थानों की स्थिति तालिका 8.7 में दी गई है।

तालिका—8.7 आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की संस्थाओ का विवरण

चिकित्सा पद्धतियों के नाम	जिला चिकित्सालय	चिकित्सालय		औषधालय		चल चिकित्सा इकाई	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र	कुल संस्थाएं
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी			
आयुर्वेदिक	33	42	47	3383	195	14	-	3714
योग एवं प्राकृतिक	-	-	3	1	2	-	33	39

उपलब्धियांः

- कोविड—19 महामारी के कारण, 21 जून, 2021 को सम्पूर्ण राज्य में "स्वास्थ्य के लिये योग" विषय पर घरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऑनलाइन आयोजन किया गया।
- आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सलाहकार समितियों का पुनर्गठन तथा राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
- राज्य आयुष नीति—2021 को मंजूरी दी गई और आयुर्वेद औषध निर्देशिका—2021 जारी की गई।
- आयुर्वेद विभाग और आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के मध्य चिकित्सा शोध एवं अनुसंधान पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ।
- राजकीय आयुर्वेद औषधालय नोखा— बीकानेर को क्रमोन्नत कर चिकित्सालय बनाया गया है तथा हाथीराम का ओडा, जोधपुर में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोला गया है एवं राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सावर—अजमेर में नवीन पंचकर्म केन्द्र खोला गया है।
- विभाग में 595 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

कोविड—19 महामारी के दौरान गतिविधियाँः

- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 'हेल्पलाईन परामर्श

केन्द्रों' की स्थापना कर कोविड की रोकथाम एवं उपचार के लिए परामर्श दिया गया।

- जयपुर जिले के कोविड केयर सेंटर बीलवा में 596 रोगियों को 11,920 आयुष–64 कैप्सूल दिए गए हैं, 33,070 रोगी काढ़ा वितरण से लाभान्वित एवं 5,689 रोगी योग से लाभान्वित हुए हैं।
- इस दौरान 57.21 लाख लोगों को काढा एवं 15.37 लाख लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दवा दी गई।
- विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित कोविड की गतिविधियों की जानकारी यू–टयूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर अपलोड की गई है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (आयुष)

राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी का गठन मार्च, 2015 को किया गया था और राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग अैर प्राकृतिक चिकित्सा के पूर्ण विकास के लिए स्थापित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुष मिशन परियोजना के तहत किए जाने वाले दो प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

मुख्य गतिविधियांः राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आवश्यक गतिविधियों में शामिल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सह–स्थान, मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन, सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों, 50 बिस्तरों तक की स्थापना, आकस्मिक व्यय, आयुष औषधालयों एवं चिकित्सालयों के लिए फर्नीचर और उपकरण, केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयाँ, आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, आयुष अस्पतालों एवं आयुष रसायनशालाओं का सुदृढीकरण, राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता वाहन सहायता, व्यवहार परिर्वतन, संचार/सूचना शिक्षा और संचार, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी गुणवत्ता नियंत्रण, आयुष शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण और आयुष औषधीय पादपों का संरक्षण तथा आशा/एएनएम प्रशिक्षण।

परिवर्तनशील प्रकोष्ठ के अन्तर्गत गतिविधियांः राष्ट्रीय आयुष मिशन के लचीले पूल के तहत गतिविधियों में आयुष के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य आउटरीच गतिविधियां, टेली मेडिसिन और खेल मेडिसिन, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केन्द्रों का आयुष ग्राम विकास और आयुष की मुख्य धारा पर नवाचार शामिल हैं।

आयुष चिकित्सा घटक के तहत 5,211 आयुष औषधालयों एवं अस्पतालों को आयुर्वेद/होम्यो/यूनानी दवाओं की आपूर्ति की गई है। 531 औषधालयों, 50 बिस्तर वाले 5 अस्पताल, 6 रसायनशाला एवं 7 क्षारसूत्र ईकाइयों में सिविल कार्य गतिविधियों के तहत नवीनीकरण/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 56 कार्य प्रगति पर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹31,907.81 लाख व्यय किए गए हैं।

अन्य गतिविधियांः

- मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए बहिरंग विभाग, अतंरग विभाग, अनुसंधान केन्द्र एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों में फर्नीचर, उपकरण एवं शैय्याएं आदि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य में औषधी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्थापित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर को कम्प्यूटर, अन्य उपकरण, फर्नीचर तथा रसायनों की आपूर्ति कर सुदृढ़ किया गया है।
- 2,834 हैक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती की गई और ₹924.59 लाख राशि से 6 लघु पौधशाला, 6 भण्डार गोदाम, 3 ड्राई शेड, 1 ग्रामीण संग्रहण केन्द, 1 जिला संग्रहण केन्द्र, 3 मॉडल नर्सरी तथा 1 मूल्य संवर्धन और पैकिंग केन्द्र की स्थापना की गई।
- औषधीय पौधों के घटक के तहत 4,300 किसान लाभाविन्त हुए और 3,15,820 पौधों का छोटी नर्सरियों के माध्यम से वितरण किया गया।

अभिनव योजनाऐं :

- 5,211 आयुष औषधालयों/चिकित्सालयों को अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति करना।
- निर्माण/नवीनीकरण, फर्नीचर और उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से आयुष औषधालयों एवं चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण करना।
- आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य की स्थिति सुदृढ़ करना।
- आयुष शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
- स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।

- औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण के लिए छोटी नर्सरी, मॉडल नर्सरी एवं ड्राईंग शेड की स्थापना।

होम्योपैथी

होम्योपैथिक चिकित्सा मानव जाति के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान, हानिरहित उपचार पद्धति है। वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत राज्य में 6 चिकित्सालय, 186 औषधालय, 61 एकल डॉक्टर इकाई (5 जिला अस्पताल, 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) तथा 2 मोबाईल इकाईयां कार्यरत हैं। वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) 10.24 लाख मरीज होम्योपैथिक संस्थानों और 23,164 रोगियों को मोबाईल इकाईयों के माध्यम से उपचार देकर लाभान्वित किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान के अन्तर्गत 518 शिवरों में 36,248 मरीजों को लाभान्वित किया गया।

यूनानी

यूनानी चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरूआत आज से 2,500 वर्ष पहले ग्रीस (यूनान) से हुई थी। वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत राज्य में 11 चिकित्सालय, 67 ग्रामीण व 195 शहरी औषधालय इकाईयां कार्यरत हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 2,77,483 पुरूष एवं 2,13,175 महिला रोगियों का योजना के तहत उपचार किया गया हैं। कोविड–19 गतिविधियों के अन्तर्गत 1,24,435 व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला जोशंदा काढ़ा वितरण किया गया। 401 प्रशासन गॉवों के संग अभियान शिविरों में 29,549 व्यक्तियों को उपचार देकर लाभान्वित किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत, उपरोक्त संस्थानों में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनकी वेतन सीमा ₹21,000 प्रति माह तक है, उन्हें चिकित्सा सुविधा लाभ दिया जाता है। इनके साथ–साथ उनके पति/पत्नी, बीमित व्यक्ति पर आश्रित (21 वर्ष की आयु तक) पुत्र, अविवाहित पुत्री, शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्तजन बच्चों तथा आश्रित माता–पिता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

- राजस्थान में इस योजना से कुल 14.36 लाख बीमित कर्मचारी एवं लगभग 41.36 लाख आश्रित परिवारों को चिकित्सा लाभ मिल रहा हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं राज्य सरकार द्वारा 7/8:1/8 के अनुपात में वित्तीय लाभ दिया जाता है। वेतन का 3.25 प्रतिशत योगदान नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी द्वारा 0.75 प्रतिशत योगदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भुगतान किया जाता है।
- वर्तमान में 4 चिकित्सालय (जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली) तथा 74 औषधालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को औषधालय स्तर पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं एवं रैफरल सेवाएं तथा चिकित्सालय स्तर पर सैकन्डरी चिकित्सा सुविधाएं एवं रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के तहत चयनित टाई–अप अस्पतालों के माध्यम से रेफरल या आपातकालीन स्थितियों के बाद कैशलेस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।
- ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।
- लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
- दंत चिकित्सकों द्वारा 52 अस्पतालों/औषधालयों में दंत चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं।

परिवार कल्याण

राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने उद्देश्य से परिवार कल्याण एवं जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक प्रोविजनल) में 1,47,329 नसबन्दी ऑपरेशन में सें 72,567 (दो बच्चों पर) किए गए एवं 4,06,085 लूप व 1,95,981 पी.पी.आई. लूप लगाई गई। इसके अतिरिक्त 3,10,134 ओ.पी.यूज़र्स एवं 4,42,606 सी.सी. यूज़र्स को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) 164 प्रति लाख जीवित जन्म (एस.आर.एस.

2016–18) तथा शिशु मृत्यु दर 35 प्रति हजार जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2019) है। शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को कम करने और गम्भीर बीमारियों से शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पूरे राज्य में एक सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में हुई प्रगति को तालिका–8.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8.8 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति 2021–22

क्र.सं.	मद	उपलब्धि लाख में (दिसम्बर, 2021 तक)
1.	पेन्टा–3	9.26
2.	बी.सी.जी. टीकाकरण	9.75
3.	खसरा–1 टीकाकरण	10.58
4.	टिटनेस इंजेक्शन (गर्भवती महिला) टी.डी.	10.71
5.	ओ.पी.वी.–3	9.24

कोविड वैक्सीनेशन

प्रदेश में टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी, 2021 से शुरू किया गया था। राज्य में 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 8.16 करोड़ कोविड वैक्सीन से पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (आर.जे.एस.एस.वाई.)

शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में ''राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना'' संचालित की जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाऐं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधाएं तथा यातायात की सुविधाएं आदि प्रदान जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक प्रोविजनल) में 25.08 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.67 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, 6.71 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क गरम भोजन, 4.67 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल निःशुल्क परिवहन, 31,151 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान पर निःशुल्क परिवहन, 5.21 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक निःशुल्क परिवहन एवं 60,328 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई है। निःशुल्क दवा, प्रयोगशाला परीक्षण, रक्त संचार सेवाएं एवं परिवहन सेवा वाले बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 3,25,312, 1,35,589, 5,241 एवं 96,940 हैं (दिसम्बर, 2021 तक प्रावधानिक)।

खसरा–रूबेला अभियान

भारत सरकार वर्ष 2023 तक रूबेला/जन्मजात रूबेला सिंड्रोम खसरा के उन्मूलन और नियंत्रण के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राजस्थान में 22 जुलाई, 2019 से ''खसरा–रूबेला अभियान'' शुरू किया गया था, जिसमें राज्य के सभी 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। इस विशाल अभियान में 1.90 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस

टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए, मातृ व शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस नियमित रूप से मनाए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक 5.97 लाख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को सुनियोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है। मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ–साथ शहरी स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के उप मिशन के रूप मे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:–

आशा सहयोगिनी

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की स्थापना के बाद से, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) ने एन.आर.एच.एम.

गतिविधियों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप के एक प्रमुख घटक के रूप में पेश किया गया था और 16 वर्ष की अवधि में, यह कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है और इसे स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है, जिसकी की भूमिका स्वास्थ्य के बिन्दुओं पर जागरूकता पैदा करना है तथा यह समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक कड़ी भी है। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी के नाम से जाना जाता है। वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में दिसम्बर, 2021 तक राज्य में 52,772 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

इस योजना के अन्तर्गत आँगनबाडी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय मदरसों पर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की Four D's-Defects at birth-Disease, Deficiencies, Developmental Delays and Disabilities (40 चिह्नित बीमारियों) जांच एक समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जा रही है। यदि बच्चे को 40 चिह्नित बीमारियों में से कोई बीमारी जांच के दौरान पाई जाती है तो, उसे निःशुल्क रैफरल, फॉलोअप, और यदि आवश्यक हो तो शल्य चिकित्सा उपचार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,48,253 बच्चों का इलाज किया गया है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (आरकेएसके)

राज्य के 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बून्दी, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, बाडमेर एवं जालौर) में किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत 314 किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लीनिक– ''उजाला क्लीनिक'' स्थापित किए गए हैं, जो कि सभी संचालित है। चयनित स्वास्थ्य सुविधाओं में 2 (बारां एवं सिरोही) जिलों में 18 नए क्लीनिक स्थापित किए गए। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल 1,88,364 किशोर, किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसीएस) के माध्यम से लाभान्वित हुए है।

जननी एक्सप्रेस

रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवा को सुदृढ़ करने के 600 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। इन वाहनों माध्यम से वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक 33,215 गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल एवं 2,79,876 को अस्पताल से घर तक एवं 18,013 नसबंदी केसेज को रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,078 नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल एवं 2,786 नवजात शिशुओं को अस्पताल से घर तक रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। साथ ही वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक 727 गर्भवती महिलाओं एवं 124 बीमार नवजातों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर रैफर किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत जांच किए गए लगभग 98 बच्चों को इस सेवा के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थानों पर रैफर किया गया। जननी एक्सप्रेस की सेवाएं ''104'' व ''108'' सुविधा पर कॉल कर प्राप्त की जा रही है।

''108'' टोल फ्री एम्बुलेन्स सेवा योजना

राज्य के लोगों के लिए निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं सितम्बर, 2008 से शुरू हुई। वर्तमान में 845 एम्बुलेंस, राज्य के सभी जिलों में कार्यरत हैं। वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 1,68,705 व्यक्तियों को चिकित्सा, 26,652 व्यक्तियों को पुलिस सहायता एवं 1,14,871 गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु रैफरल सेवा 845 एम्बुलेंस द्वारा प्रदान की गई है।

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वी.एच.एस.सी.)

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य को जन आन्दोलन बनाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन का पहला कदम है। पंचायत के निर्वाचित सदस्य– जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में 43,440 गाँवों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और एन.जी.ओ., एस.एच.जी. तथा महिला स्वास्थ्य संघ के प्रतिनिधि हैं। आशा सहयोगिनी वीएचएससी की संयोजक है। जब उपकेन्द्र की ए.एन.एम. पहले से ही गांव का दौरा कर रही होती हैं तब एमसीएचएन के दिनों में उनकी बैठकें होती है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 1,35,579 बैठकें आयोजित हो चुकी है।

आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथिक (आयुष) को मुख्य धारा में लाना

स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करना और आयुष को मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य में से एक है। एन.एच.एम. के अन्तर्गत वर्तमान में 621 आयुष चिकित्सक एवं 17 आयुष नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आयुष कार्मिकों को कुशल जन्म सहायक (एस.बी.ए.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक आयुष चिकित्सकों द्वारा कुल 10.51 लाख ओ.पी.डी. मरीज देखे गए है एवं 189 संस्थागत प्रसव करवाए गए हैं।

राजस्थान में आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और कल्याण केंन्द्र)

भारत सरकार ने आयुष्मान भारत की शुरूआत की है। इसके दो प्रमुख घटक हैं एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और दूसरा घटक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी) है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी) का उद्देश्य

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल(सीपीएचसी) सेवा उपलब्ध कराना है। इसमें प्रजनन मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं (आर.एम.एन.सी.एच. +ए.)संचारी रोगों, गैर–संचारी रोगों, उपचारात्मक देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य, ई.एन.टी. देखभाल और बुनियादी आपातकालीन सेवाएं शामिल है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में सेवाएं एचडब्लूसी–एसएचसी में स्थित एक मध्य–स्तरीय देखभाल प्रदाता (एमएलएचपी)/ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण/शहरी) में चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की उपलब्धियां:

- **कुल संचालित एचडब्ल्यूसी:** 2,789 (उप केन्द्र–521, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–1,977 एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र–291)
- 12,225 ए.एन.एम., 37,675 आशाओं, 2,341 चिकित्सा अधिकारियों एवं 3,779 स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित किया गया है।
- उच्च रक्तचाप की कुल 10,422 जांच, मधुमेह की कुल 10,301 जांच, ओरल कैंसर की कुल 10,265 जांच, स्तन कैंसर की कुल 10,252 जांच और सर्वाइकल कैंसर की कुल 873 की जांच की गई है।
- 26.90 लाख लाभार्थियों ने 7.70 लाख कल्याण और योग सत्रों में भाग लिया है।
- 10,446 संस्थानों (8,070 एसएचसी, 2,080 पीएचसी, तथा 296 यूपीएचसी) पर दवाओं की उपलब्धता है।
- पोर्टल के अनुसार कुल 10,361 संस्थानों (7,987 एसएचसी, 2,078 पीएचसी तथा 296 यूपीएचसी) पर डायग्नोस्टिक सेवाऐं उपलब्ध है।
- 8,022 संस्थानों (5,672 एसएचसी, 2,058 पीएचसी तथा 292 यूपीएचसी) पर सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- 2,775 (2,018 पीएचसी, 295 यूपीएचसी तथा 462 एसएचसी) संस्थाओं ने मानव संसाधनों की सूचना दी है।

राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य संकेतक प्रवृतियां तालिका 8.9ए एवं 8.9बी में दिए गए हैं।

नवाचार

मोबाईल ओपीडी

- राजस्थान के दूर–दराज, मरूस्थलीय क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य संस्थानों और सुविधाओं की कमी है वहां रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, एनएचएम के तहत 210 वाहनों के बेड़े के माध्यम से मोबाइल चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है।
- मोबाइल ओपीडी वाहनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना।
- वर्तमान में 295 मोबाईल ओ.पी.डी वाहन संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में चल रहे हैं।
- मोबाइल ओपीडी इकाई/मोबाइल ओपीडी वैन और चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टॅाफ और आवश्यक दवाईयां एवं प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों के साथ किराए पर लिए गए वाहन

तालिका 8.9ए राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतक प्रवृत्तियां

क्र. स.	सूचकांक	राजस्थान		भारत	
		एनएफएचएस—4 (2015—16)	एनएफएचएस—5 (2019—21)	एनएफएचएस—4 (2015—16)	एनएफएचएस—5 (2019—21)
1	नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	29.8	20.2	29.5	24.9
2	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	41.3	30.3	40.7	35.2
3	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (U5MR)(प्रति 1,000 जीवित जन्म)	50.7	37.6	49.7	41.9
4	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला बच्चे)	2.4	2.0	2.2	2.0
5	संस्थागत जन्म(%)	84.0	94.9	78.9	88.6
6	पूर्ण टीकाकरण *(%)	54.8	80.4	62.0	76.4

*12—23 महिने की आयु के बच्चों को टीकाकरण कार्ड या मां के स्मरण के आधार पर पूर्ण टीकाकरण किया जाता है।

एनएफएचएस—राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

तालिका 8.9बी मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) संकेतक

क्र.स.	सूचकांक	राजस्थान		भारत	
		एसआरएस (2015—17)	एसआरएस (2016—18)	एसआरएस (2015—17)	एसआरएस (2016—18)
1	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति लाख जीवित जन्म)	186	164	122	113

एसआरएस—सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम

मोबाइल ओपीडी वाहनों के दल में शामिल हैं जो कोविड—19 प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं।

- वर्तमान में मोबाईल ओपीडी वाहनों के माध्यम से गुर्दे की बीमारियों, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, खांसी, जुकाम, बुखार आदि के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को उनके दरवाजे पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक मोबाईल ओ.पी.डी वाहनों के माध्यम से कुल 23,18,156 लाभार्थियों को लाभांवित किया गया हैं।

टेलिकन्सलटेशन (ई—संजीवनी)

राष्ट्रीय टैली—परामर्श सेवा मंच को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और सी—डैक मोहाली/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा डिजायन और विकसित किया गया है। esanjeevaniopd.in पोर्टल को माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा 04 मई, 2020 को लॉन्च किया गया। राज्य में 13 अप्रैल, 2020 से टेलिमेडिसिन के स्थान पर e-Sanjeevani Tele Consultation को आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक कुल 88,700 टेलिकन्सलटेशन आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजस्थान के अनुमानित जनसांख्यिकीय संकेतक वर्ष 2011—2035 तालिका 8.10 में दर्शाए गए है।

तालिका 8.10 राजस्थान के जनसांख्यिकीय संकेतकः 2011—2035 (अनुमानित)

संकेतक	2011—15	2016—20	2021—25	2026—30	2031—35
1	2	3	4	5	6
जनसंख्या वृद्धि दर	16.0	13.1	10.7	8.3	7.6
अशोधित जन्म दर (सीबीआर)	24.3	21.4	18.8	16.5	14.9
अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर)	7.8	7.7	7.5	7.6	6.8
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	53	49	44	40	36
अंडर—5 मृत्यु दर (क्यू 5)	73	67	60	55	50
कुल प्रजनन दर (टीएफआर)	2.95	2.51	2.20	1.99	1.87
पुरूषों की जीवन प्रत्याशा	65.70	67.20	68.70	69.70	70.70
महिला की जीवन प्रत्याशा	70.40	71.60	72.80	73.80	74.80

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

*****

अध्याय **09**

अन्य सामाजिक सेवाएं / कार्यक्रम

एक दृष्टि में

जल जीवन मिशन में ग्रामीण परिवारो को नल कनेक्शन

- नये नल कनेक्शन प्रदान किये गयेः 2.54 लाख (2021–22 के दौरान, दिसम्बर, 2021 तक)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 14.51 लाख मैट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों को (मई–नवम्बर, 2021 तक) उपलब्ध करवाया गया
- रबी 2021–22 में 23.40 लाख मैट्रिक टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

- राज्य में टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर एक कॉल सेंटर की शुरूआत

इन्द्रा महिला शक्ति उड़ान योजना

- राज्य में प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण

राज्य सरकार अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने की दिशा में विभिन्न विभागीय सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने और समुदायों में समानता और अवसर को बढ़ावा देने में मदद करना है।

इस अध्याय में दिव्यांग बच्चों का विकास, वयस्कों के लिए सामाजिक सेवा कार्यक्रम, राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की सेवाएं, विशिष्ट आबादी के लिए सामुदायिक सेवा और अल्पसंख्यक मामलों, महिला सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार के कार्यक्रमों / सेवाओं के अवसर का लाभ प्रदान करने से संबंधित योजनाएं तथा सेवाओं की सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

जलापूर्ति

राज्य में भूगर्भीय जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की समस्या है। राज्य में पिछले दो दशकों से भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यन्त जटिल है। पेयजल आपूर्ति के सतही स्त्रोत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से 3 पेयजल आपूर्ति योजनाओं यथा ईसरदा बाँध (दौसा), बत्तीसा नाला (सिरोही), परवन अकावाड़ (झालावाड़) को क्रियान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है। राज्य में 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,877 बस्तियों / ढाणियों में से 53,062 को पूर्ण रूप से 56,636 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 12,179 बस्तियां / ढाणियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है। इसलिये अब विभाग का लक्ष्य प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,702 बस्तियों को सम्मिलित किया गया है।

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन –

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक ₹53,979 करोड की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 8,361 एकल जल प्रदाय योजनाएं एवं 122 वृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 80 लाख परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। 21.84 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

31 मार्च, 2021 तक 19.57 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) 2.54 लाख नये कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) एवं राज्य आयोजना मद से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट उपलब्ध कराया गया है। विगत चार वर्षों में की गई वित्तीय प्रगति की स्थिति तालिका–9.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.1 ग्रामीण पेयजल योजना की वित्तीय प्रगति

(₹करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय प्रगति	
	उपलब्ध बजट	व्यय
2018-19	3515.92	3336.14
2019-20	3735.03	2632.49
2020-21	3382.79	3208.08
2021-22*	5321.97	2288.70

*दिसम्बर, 2021 तक

आर.ओ.प्लांट्स स्थापित करने हेतु परियोजना

इस परियोजना के तहत पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराईड की समस्याओं सहित बहु–गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ढ़ाणियों में आर.ओ. प्लांट्स लगाने का कार्य जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इस प्रकार अब तक, 4,169 आर.ओ. प्लांट्स स्वीकृत कर 3,943 प्लांट्स दिसम्बर, 2021 तक चालू किये गये है।

सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम

राज्य में पानी की कमी और अनियमित बिजली की आपूर्ति वाले दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रो में सौर उर्जा आधारित 2,781 बोरवैल पंपिंग प्रणाली चालू करने के लिए परियोजना प्रारम्भ की गई और कुल 2,286 संयंत्र दिसम्बर, 2021 तक स्थापित किये जा चुके है।

सौर ऊर्जा आधारित डी–फ्लोरिडेशन संयंत्र परियोजना

गुणवत्ता प्रभावित ग्राम एवं ढ़ाणियों में जहॉ केवल फ्लोराइड की समस्या हैं, उनमें प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छः चरणों में अब तक 3,624 सौर ऊर्जा आधारित डी–फ्लोरीडेशन संयंत्र के लक्ष्य के विरूद्ध 10 जनवरी, 2022 तक 3,417 सौर ऊर्जा आधारित डी–फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके है ।

ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप एवं हैण्डपम्प निर्माण

राज्य के अधिकांश गाँवो में पेयजल व्यवस्था भू–जल आधारित है। विगत चार वर्षों में निर्मित नलकूप एवं हैण्डपम्पों का विवरण चित्र 9.1 में दर्शाया गया है।

पेयजल परिवहन

राज्य में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में, उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया गया है, जो या तो पेयजल योजनाओं से लाभान्वित नहीं हैं अथवा जहाँ सुदूर छोर के क्षेत्रों में ग्रीष्म समय में पेयजल आपूर्ति में कमी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार पेयजल परिवहन का विवरण चित्र 9.2 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है। वर्ष 2021–22 में (10 जनवरी, 2022 तक), 1,67,568 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

चित्रः 9.1

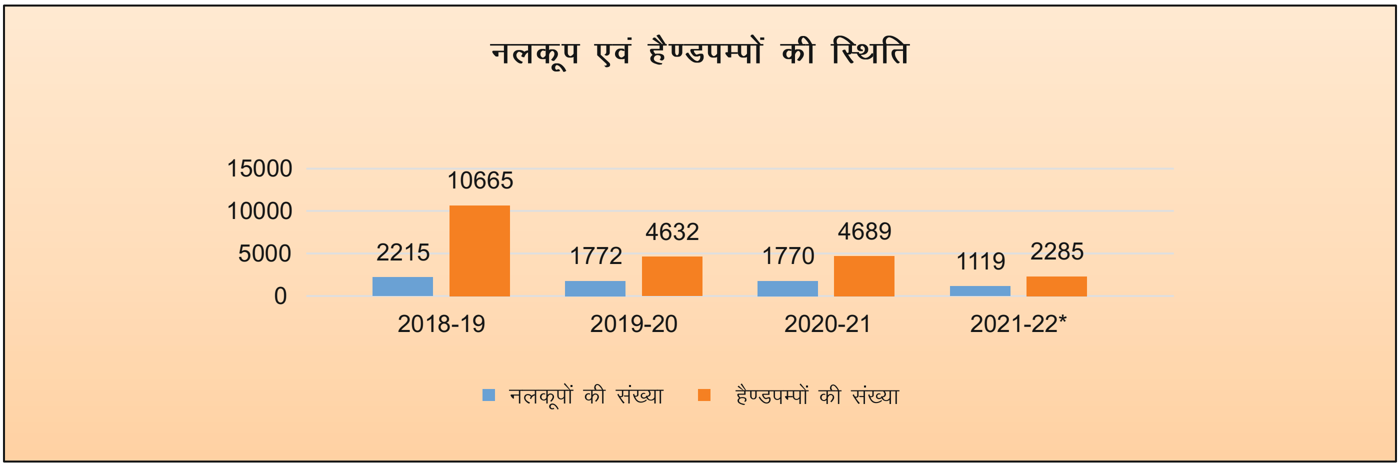

*दिसम्बर, 2021 तक

चित्रः 9.2

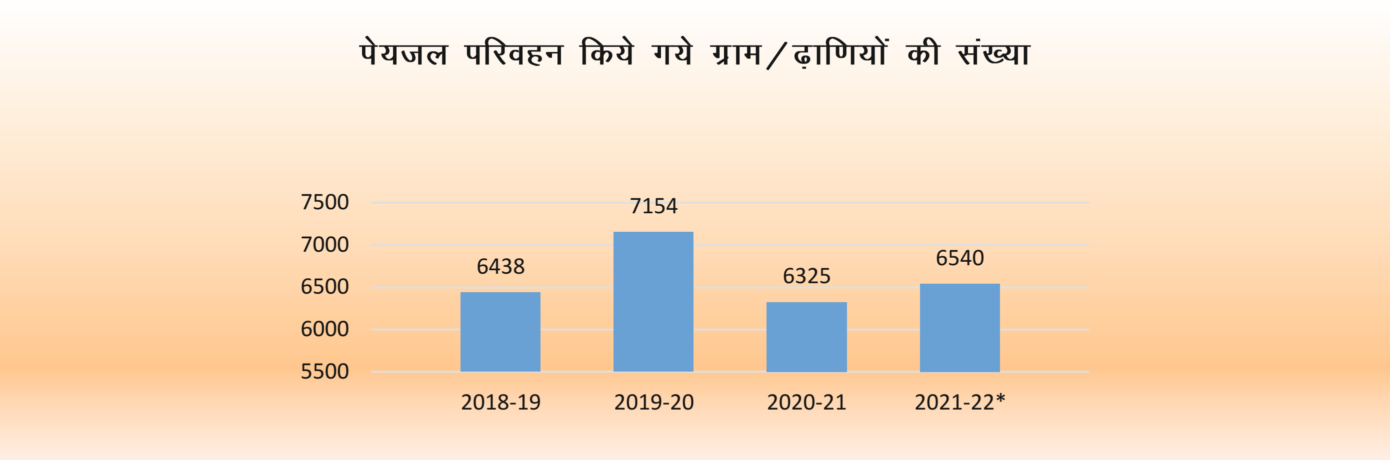

*दिसम्बर, 2021 तक

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

राज्य की दीर्घकालिक पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य में उपलब्ध कुछ सतही स्रोत जैसे– इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5,485 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी (5,334 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे), बीसलपुर बांध (3,067 ग्राम, 21 कस्बे) तथा जवाई बांध (785 ग्राम, 10 कस्बे) इत्यादि हैं। 127 वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए राशि ₹39,034.04 करोड़ लागत की स्वीकृत की गई है, जिससे 104 कस्बे, 17,628 ग्राम तथा 12,646 ढ़ाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति कर लाभान्वित किया जाना है।

इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2021 तक ₹30,130.81 करोड़ व्यय कर 98 कस्बों, 13,301 गाँवो तथा 12,135 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक 88 वृहद् पेयजल परियोजनाएं, जिनकी लागत राशि ₹17,769.82 करोड़ है, को पूर्ण कर 65 कस्बों, 8,260 ग्रामों तथा 9,862 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया गया तथा इन परियोजनाओं पर राशि ₹15,863.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में ₹18,082.31 करोड़ लागत राशि की 26 वृहद् पेयजल परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिसमें 33 कस्बे, 5,041 ग्राम तथा 2,273 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं पर राशि ₹13,824.20 करोड़ का व्यय किया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा ₹1,366.90 करोड़ की 3 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिसके विरूद्ध ₹428.59 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। ₹1,804.94 करोड़ लागत की 6 परियोजनाएं प्रारम्भ करना प्रक्रियाधीन है।

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के क्रम में, सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन तथा 811 अनुसूचित जाति एवं 1,051 अनुसूचित जनजाति बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है।

मिड–डे–मील योजना (एम.डी.एम.एस.)

इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय,

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (वैकल्पिक नवीन शिक्षा केन्द्रों–शिक्षा कर्म मण्डल) और मदरसों में कक्षा–1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना ने नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम 67,159 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। इसमें कक्षा–1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 60.80 लाख (कक्षा–1 से 5 में 39.36 लाख और कक्षा–6 से 8 में 21.44 लाख) विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत, कक्षा–1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन (गेहूँ/चावल) प्रदान किया जा रहा है।

मिड–डे–मील के तहत वितरण किये जाने वाले भोजन में कक्षा–1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है और कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। वितरण किये जाने वाले भोजन की विविधता को व्यापक रूप से सराहा गया है और यह विद्यार्थियों के लिए भी रूचिकर है। कक्षा–1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹4.97 प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹7.45 प्रतिदिन है।

मिड–डे–मील में "तिथि भोज" योजना: इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अवसरों यथा– जन्म दिवस, जन्म उत्सव, शादी की वर्षगांठ आदि पर पूर्ण भोजन, मिठाईयां, कच्चा माल, उपकरण और बर्तन प्रदान कर सकता है। वर्तमान में, राज्य में मिड–डे–मील योजना के माध्यम से 67,159 विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड–डे–मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान, मिड–डे–मील योजना के तहत बजट प्रावधान ₹1,061.95 करोड़ के विरूद्ध ₹961.15 करोड़ का व्यय किया गया है।

14 मार्च, 2020 से छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में दाल, तेल, मसाले और सूखे राशन (गेहूं/चावल) के कॉम्बो पैकेट वितरित किये जा रहे है।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 2 अक्टूबर, 1975 को बाँसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में समेकित सेवाएं प्रारम्भ की गई।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 37 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 245 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल 62,020 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 55,816 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 6,204 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र हैं। इनमें दिसम्बर, 2021 तक 55,671 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 5,954 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील है। शेष केन्द्रों को भी क्रियाशील बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

लक्षित लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची तालिका–9.2 में दर्शाई गयी है। तीन सेवाएं (क्रम संख्या–4 से 6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।

तालिका–9.2 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेवाएं

क्र. सं.	सेवाएं	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं (विद्यालय नही जाने वाली)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष तक की आयु के बच्चे
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जाँच	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती –धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

लक्षित समूहों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राज्य में 53,394 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5,834 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, 52,983 सहायिकाएं और 52,087 आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को कुल ₹5,000 की राशि तीन किश्तों (क्रमशः ₹1,000, ₹2,000 तथा ₹2,000) में दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक/डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2021 तक दिए गए 15,68,330 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 16,01,753 (102.13 प्रतिशत) लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

किशोरियों के लिए योजना (एस.ए.जी.): किशोरी बालिकाओं के आत्म–विकास के लिये सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से 11–14 आयु वर्ग की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषणीय एवं गैर–पोषणीय सेवाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में 1 जून, 2018 से किशोरी बालिकाओं के लिये योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में राज्य में कुल 0.37 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभाविन्त किया गया। वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) राज्य में कुल 0.34 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभाविन्त किया गया है।

पोषण अभियानः पोषण अभियान का उद्देश्य आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए उनके सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इनके माध्यम से गर्भ धारण, गोद भराई, अन्नप्राशन एवं शालापूर्व शिक्षा की शुरूआत जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावी रियल टाईम मॉनिटरिंग किये जाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।

महिला कल्याण कोषः राज्य सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों यथा–आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के कल्याण हेतु यह कोष स्थापित किया गया है। इस कोष का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2006–07 से निरन्तर किया जा रहा है। इस कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छःमाही आधार पर अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ₹750 वार्षिक एवं शेष सभी कार्मिकों के लिए ₹376 वार्षिक अंशदान नियत किया गया है। कोष के माध्यम से ₹10,000 की बीमा की सुविधा भी सदस्य को उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना से जुड़ने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति की बीमा धन की राशि ₹10,000 के साथ जमा बचत राशि मय ब्याज जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जा रहा है। सदस्य के सेवा विमुक्ति पर बचत राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में वर्ष 2021–22 के लिए ₹620.17 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आई.जी.एम.पी. वाई.): इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ–साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति **'सुपोषित राजस्थान– विजन 2022'** का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना भी हैं।

प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवम्बर, 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को पाँच चरणों में ₹6,000 सीधे खाते में हस्तान्तरित किये जाते है।

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की गई हैं।

इस योजना के तहत दिसम्बर, 2021 तक 10,179 लाभार्थियों को पहली किश्त, 12 लाभार्थियों को दूसरी किश्त और 1 लाभार्थी को तीसरी किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।

अन्य

समेकित बाल विकास सेवाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ''नन्द घर योजना'' प्रारम्भ की गई हैं। वर्तमान में नन्द घर योजना के अन्तर्गत 1,549 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/नवीनीकरण का कार्य किया गया है। सुविधा संवर्धन कार्यक्रम के तहत, 515 आँगनबाड़ी केन्द्रों को टी.वी. और सोलर पेनल, 1,577 आँगनबाड़ी केन्द्रों को यूनिफॉर्म के साथ झूला, बर्तन, दरी वितरित किये गये। 1,984 केन्द्रों को दीवार घड़ी भी वितरित की गयी। 187 केन्द्रों में, 15 निर्धुम चूल्हे, अलमारी, वजन मशीन, लोहे के रैक, ट्राईसाईकिल भी दिये गये है।

कोविड–19 के संकट के कारण 46.61 लाख लाभार्थियों को पूर्ण खाद्य सामग्री में गेहूं, चावल, चना दाल आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पोषाहार के स्थान पर स्वच्छ वायरस मुक्त राशन घर ले जाने के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की सामग्री: 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ईसीसीई सामग्री (आयु अनुसार वर्कबुक व आंकलन प्रपत्र तथा टेक्सट्बुक–मेरी फुलवारी) का आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से घर–घर जाकर 12 लाख पंजीकृत लाभान्वितों को आपूर्ति करने का निर्णय कर आपूर्ति की गई। वर्ष 2021–22 में 14.15 लाख बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में समस्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व प्राथमिक शिक्षक व पर्यवेक्षको को प्रशिक्षण दिया जाकर इनके माध्यम से साप्ताहिक रूप से ई–लर्निंग सामग्री (साप्ताहिक कलेण्डर, ऑडियो–वीडियो) बच्चो के अभिभावकों को भिजवायी जा रही है तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर–घर सम्पर्क के दौरान गतिविधियों का संचालन व मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) यूट्यूब चैनल: अधिक से अधिक ईसीसीई गतिविधियों की पहुंच हेतु समेकित बाल विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में अपना यूट्यूब चैनल/ऑडियो बैंक निर्माण किया गया, जिसका विधिवत आरम्भ 24 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया गया।

कोविड–19 के अन्तर्गत समस्त जिलों में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी द्वारा ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड में संभावित कोरोना संक्रमितों की पहचान के संबंध में घर–घर जाकर सर्वे कार्य किया गया तथा सामुदायिक जागरुकता संबंधी सेवायें प्रदान करते हुये कोरोना वारियर्स के रूप में भी सेवाएं प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवाचार अंतर्गत चयनित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 7,686 पोषण वाटिकाएं विकसित की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में 6,465 पोषण वाटिकाएं आँगनबाड़ी केन्द्रों पर विकसित की जा रही है।

बाल अधिकारिता

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु वर्ष 2013 में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:–

बाल संरक्षण योजना (सी.पी.एस.): बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में बालकों/बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर क्षमताओं की वृद्वि हेतु साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन डाटा बेस तथा ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण और परिवार एवं समुदाय स्तर पर सुदृढ़ीकरण में गुणवत्ता प्राप्त करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹6,630 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से (माह दिसम्बर, 2021 तक) राशि ₹3,316 लाख का व्यय किया गया।

कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम: भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) को डे–केयर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्रावधान ₹250 लाख है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

राज्य में सार्वजनिक वितरण के बहुउद्देश्यों की प्राप्ति जैसे– कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरुरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार में निहित है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल एवं चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के मापदण्डों की समीक्षा कर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में 27 सितम्बर, 2018 को नवीनतम अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं। एनएफएसए के तहत

भारत सरकार से प्रति माह 2,30,870 मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा प्राप्त की जा रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी. एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम के बजाय ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल 6.95 लाख मीट्रिक टन गेहूँ 1.37 करोड़ व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2021 तक 4.40 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह मई, 2021 से नवम्बर, 2021 तक 14.72 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा का उठाव करके 14.51 लाख मैट्रिक टन गेहूं का वितरण लाभार्थियों को करवाया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाः इस योजना में, जिला रसद अधिकारी एवं जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करवाकर आधार सीडिंग कार्य पूर्ण करवाया जा रहा है। अभियान के तहत 31 दिसम्बर, 2021 तक 4.21 करोड लाभार्थियों की आधार सीडिंग की जा चुकी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केन्द्र द्वारा स्थापित मापदण्डानुसार चयनित लाभार्थियों की 95 प्रतिशत आधार सीडिंग करवाने पर राजस्थान राज्य को ₹2,700 करोड़ अतिरिक्त वित्त उधार प्राप्त हुआ है।

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा

राज्य के बारां जिले के 30,651 सहरिया एवं 2,303 खैरवा तथा उदयपुर जिले के 754 कथौड़ी जनजाति के परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

"गेहूं के हर दाने पर नजर" के लिए जी.ए.आर.डी.एस. (अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली): राज्य के 4.46 करोड लोगों तक खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जी.ए.आर.डी.एस. प्रणाली लागू किया जाना प्रकियाधीन है, जिसके अन्तर्गतः

- गार्ड्स सिस्टम के तहत 25,333 उचित मूल्य दुकानदारों की जिओ टैगिंग की जा चुकी है।
- "हैंड हेल्ड डिवाइस" के माध्यम से एफसीआई से उठने वाले खाद्यान्न के रियल टाईम चालान जेनरेशन से उचित मूल्य दुकानों द्वारा वास्तविक समय पर खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
- जिओ टेगिंग से भारतीय खाद्य निगम डिपो और उचित मूल्य दुकान के बीच वास्तविक दूरी के आधार पर परिवहन शुल्क का भुगतान करने एवं समय पर्यवेक्षण कर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जमा राशि की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। बैंकिंग पार्टनर की तकनीकी सहायता से भुगतान प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है।
- राज्य मे भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर उचित मूल्य दुकान मे आपूर्ति किये गये खाद्यान्न की पॉस मशीन मे 48 घण्टे मे अनिवार्य अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदः

- रबी विपणन वर्ष 2021–22 में 23.40 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 2.27 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा 16 वर्ष पश्चात खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 के दौरान प्रदेश के हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों में 11 क्रय केन्द्र स्थापित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रारम्भ कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।

एन.एफ.एस.ए. के तहत खाद्यान्न आवंटन का वर्षवार आवंटन और उठाव मात्रा का विवरण तालिका–9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका–9.3 वर्षवार विभिन्न योजना में खाद्यान्न का आवंटन

(मै.टन)

वर्ष	आवंटन मात्रा	उठाव मात्रा
2018-19	2610851	2556092
2019-20	2691862	2671217
2020-21	2754126	2747338
2021-22*	1927814	1898677

*दिसम्बर, 2021 तक

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापनाः

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से की गई हैं और उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पॉस (PoS) मशीन से होने वाले वितरण का सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॅाक का भौतिक सत्यापन सम्भव है। पॉस (PoS) मशीन द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात् राशन सामग्री के वितरण से

न केवल पी.डी.एस. सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक पी.डी.एस. सामग्री की पहुँच सुनिश्चित हो सकी है।

किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान (फिंगर प्रिन्ट) मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बायपास सिस्टम एक्टिवेट करवाकर राशन प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। विभाग द्वारा 'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी' के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिलें में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

राज्य में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी और अन्तर राज्यीय पोर्टेबिलिटी पहले से ही लागू की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 में पॉस (PoS) मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरण के 11.69 करोड़ लेनदेन किए गए हैं, जबकि वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक कुल 8.68 करोड़ लेनदेन हुआ।

उपभोक्ता मामलात् विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला मंच एवं 7 सर्किट बैंच (सम्भागीय मुख्यालय) कार्यरत हैं। राज्य आयोग की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2021 तक 78,071 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 74,249 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। जिला आयोगों में कुल 4,99,820 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 4,52,044 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसका कार्य लगभग 90.50 प्रतिशत रहा है। दिसम्बर, 2021 तक राज्य आयोग एवं जिला मंचों में 5,77,891 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 5,26,293 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। राज्य आयोग के समक्ष 1 अप्रेल, 2021 से 30 दिसम्बर, 2021 तक 1,010 प्रकरण दर्ज हुए और 1,421 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, उक्त अवधि में जिला आयोगों के समक्ष 9,967 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 6,985 प्रकरणो का निस्तारण किया गया है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800–180–6030) का संचालन मार्च, 2011 से किया जा रहा है। वर्तमान में (दिसम्बर, 2021 तक) हेल्पलाइन द्वारा 52,993 शिकायतों का निस्तारण किया गया हैं। विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है। जून, 2020 से बाट एवं माप के सत्यापन और मुद्रांकन से संबंधित समस्त कार्य ई–तुलामान आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। "मैट्रोलॉजी एप्लिकेशन" के वेब मॉड्यूल द्वारा निर्माताओं, डीलरों, वजन और माप की मरम्मत करने वालों और वजन या माप के सत्यापन से संबंधित 11 सेवाएं प्रदान की जा रही है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ की स्थापना की गई थी, जिसने 27, दिसम्बर, 2010 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

चीनी के वितरण के लिए यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेन्सी हैं। राज्य में अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड / प्रति परिवार के अनुसार वितरित की जा रही है। निगम द्वारा खुले बाजार से चीनी खरीद कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को चीनी का वितरण किया जाता हैं। खाद्य विभाग के अनुसार राज्य में 6,83,963 ए.ए.वाई. परिवार हैं। ए.ए.वाई. परिवारों को चीनी जी.एस.टी. सहित ₹18 प्रति किलो की दर से वितरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नवम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान, अन्त्योदय परिवारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों से 308.86 मीट्रिक टन चीनी प्राप्त की गई है।

निगम द्वारा राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गये महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों का विवरण:

- वर्ष 2019–20 में लगभग 26.80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 17.65 लाख मैट्रिक टन गेहूं, आत्मनिर्भर भारत योजना में 44,600 मैट्रिक टन गेहूं, सी.एम.जी.के.ए.वाई. में 33,993.69 मैट्रिक टन गेहूं और राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों में 18,741 मैट्रिक टन गेहूं सहित आर.एस.एफ.सी.एस.सी. द्वारा कुल 39.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गई हैं।
- वर्ष 2020–21 में एन.एफ.एस.ए. योजना के अन्तर्गत लगभग 27.45 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2021–22 में माह अप्रेल, 2021 से जनवरी, 2022 तक एन.एफ.एस.ए. योजना के अन्तर्गत लगभग 20.46 लाख मैट्रिक टन एवं पी.एम.जी.के.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत 16.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव कर माह मई, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक आपूर्ति की जा चुकी है।
- वर्ष 2020–21 में नवम्बर, 2020 तक पी.एम.जी.के.ए.वाई. प्रथम के अन्तर्गत 33,501.39 मैट्रिक टन दाल, पी.एम.जी.के.ए.वाई. द्वितीय के अन्तर्गत 44,203.58

मैट्रिक टन साबुत चना, आत्मनिर्भर भारत योजना में 2,234.53 मैट्रिक टन साबुत चना, और राज्य सरकार की अन्य श्रेणियों में 1,474.25 मैट्रिक टन चना आर. एस.एफ.सी.एस.सी. द्वारा कुल 81,413.74 मैट्रिक टन चना/दाल आपूर्ति की गई हैं।

- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अन्तर्गत, माह मई, 2020 से सितम्बर, 2021 तक कुल 1,63,680.333 मैट्रिक टन चना दाल का उठाव किया जा चुका है। 1,56,382.698 मैट्रिक टन चना दाल की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2020—21 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु देय गेहूं 54,282.606 मैट्रिक टन एवं चावल 42,790.872 मैट्रिक टन की आपूर्ति की गई है, तथा वर्ष 2021—22 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास हेतु गेहूं 54,027.335 मैट्रिक टन एवं चावल 52,794.735 मैट्रिक टन का उठाव कर आपूर्ति की जा रही है।

- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. द्वारा आमजन को माह सितम्बर, 2021 से उचित मूल्य दुकानों से राज ब्राण्ड चाय उपलब्ध करायी जा रही है। निगम द्वारा चाय राशि ₹173.25 प्रति किग्रा. से खरीद कर आमजन को ₹200 प्रति किग्रा.. की दर से 250 ग्राम पैकिंग में ₹50 प्रति नग उपलब्ध करायी जा रही है। निगम द्वारा माह दिसम्बर, 2021 तक फर्मो को लगभग 60,083 किग्रा. चाय आपूर्ति के आदेश दिए गए है।

- निगम द्वारा राज ब्राण्ड नमक मैसर्स सांभर सॉल्टस लि0 से राशि ₹7.85 प्रति किग्रा. की दर से क्रय कर आमजन को ₹10 प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम द्वारा माह दिसम्बर, 2021 तक लगभग 1,73,725 किग्रा. नमक आपूर्ति के आदेश जारी किये गये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

सामाजिक विकास/सामाजिक कल्याण एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, जिसे भारत के संविधान में राज्य की नीतियों के निदेशक सिद्धांतों में भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है "राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।''

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियांः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1.5 लाख तक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1 लाख तक और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक है, को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 4,08,798 विद्यार्थियों को ₹54,600.24 लाख की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। वर्षवार प्रगति तालिका—9.4 में दर्शाई गई है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाः मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यथा यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, आर.पी. एस.सी. द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाऐं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ठ सहायक व उक्त लेवल की अन्य परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा, इन्जीनियर/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट, सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी की परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वर्ष 2021—22 से प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछडा वर्ग व विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से कम या माता— पिता राजकीय सेवा में हो तो पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, पात्र हैं। योजनान्तर्गत बजट प्रावधान ₹25 करोड़ एवं 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

छात्रावास सुविधाः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, पोशाक, स्टेशनरी, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (दिसम्बर, 2021 तक) ₹6,290.62 लाख की राशि व्यय की गयी है।

तालिका–9.4 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों की वर्षवार प्रगति

योजना	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2018-19	566883	69710.52
	2019-20	744567	84026.57
	2020-21	413393	46893.67
	2021-22*	350402	45386.61
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2018-19	54890	7390.68
	2019-20	54639	7733.56
	2020-21	36858	6008.93
	2021-22*	10152	1770.80
आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2018-19	1256	128.63
	2019-20	1738	171.87
	2020-21	994	89.25
	2021-22*	275	25.10
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (देवनारायण)	2018-19	48670	7200.00
	2019-20	50438	7889.00
	2020-21	57599	8891.74
	2021-22*	47551	7270.30
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ	2018-19	432	261.25
	2019-20	677	205.39
	2020-21	559	170.22
	2021-22*	418	147.43
योग	**2018-19**	**672131**	**84691.08**
	2019-20	**852059**	**100026.39**
	2020-21	**509403**	**62053.81**
	2021-22*	**408798**	**54600.24**

* दिसम्बर, 2021 तक

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बी.पी.एल. परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में ₹21,000 दिये जा रहे हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 9,390 लड़कियों को ₹3,903.03 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया हैं।

आवासीय विद्यालयः इस योजना के अन्तर्गत, 25 आवासीय विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (आर.आर.ई.आई.एस.) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग

एवं अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष तक है, के गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹3,914.27 लाख की राशि व्यय कर 9,673 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है। 60 वर्ष से अधिक एवं 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना की प्रगति तालिका—9.5 में दर्शाई गई है।

तालिका—9.5 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाखों में)
2018-19	502274	20736.61
2019-20	770019	21698.87
2020-21	803655	22308.19
2021-22*	822785	22660.20

* दिसम्बर, 2021 तक

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं। 40 वर्ष से अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को ₹500 प्रति माह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹14,418.93 लाख की राशि व्यय कर 3,78,486 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2009 से शुरू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 18 वर्ष से अधिक व 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है, तथा 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹829.36 लाख की राशि व्यय कर 25,554 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजनाः वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है। इस योजना की प्रगति तालिका—9.6 में दर्शाई गई है।

तालिका—9.6 मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2018-19	2901396	290580.96
2019-20	4528941	449190.86
2020-21	4828536	459740.59
2021-22*	5230324	467628.20

* दिसम्बर, 2021 तक

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस योजना में ₹500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम) ₹750 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 55 व अधिक और 60 वर्ष से कम) ₹1,000 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 60 व अधिक और 75 वर्ष से कम) और ₹1,500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष व अधिक) पेंशन दी जा रही है। इस योजना की प्रगति तालिका—9.7 में दी गई है।

तालिका–9.7 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2018-19	970231	146940.34
2019-20	1473089	180126.01
2020-21	1634124	186646.26
2021-22*	1695629	195039.34

* दिसम्बर, 2021 तक

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना में, विशेष योग्यजनों को ₹750 प्रतिमाह (55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को), 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है। सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को भी ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) कुल ₹51,946.33 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 5,90,547 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनाः लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों में, जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष व अधिक तथा पुरूषों की आयु 58 वर्ष व अधिक हो तथा 75 वर्ष से कम हो, वृद्धजन सम्मान पेंशन ₹750 प्रतिमाह देय हैं व 75 वर्ष व अधिक आयु होने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) ₹22,332.23 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 2,62,374 लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

पालनहार योजनाः यह योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरम्भ की गई थी, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो। प्रारम्भ में यह योजना अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों (तीन बच्चों तक), कानूनी रूप से विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता/पिता के बच्चों, एच.आई.वी./ए.आई.डी.एस. से संक्रमित माता/पिता के बच्चों, जिन बच्चों की माँ नाते (तीन बच्चों तक) गई हो, विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चों एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए लागू की गई थी। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को 'पालनहार' कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष की आयु के आँगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को ₹500 प्रतिमाह एवं 6–18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों को ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹45,605.69 लाख व्यय कर 5,24,189 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाः सरकारी एवं अनुदानित बाल गृहों के बालकों, पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) राशि ₹35.91 लाख व्यय कर 155 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजनाः अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु "डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवती द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत ₹5 लाख प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में, वित्तीय वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹1,820 लाख का वितरण किया गया हैं और 364 जोड़े लाभान्वित हुए हैं।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदनः राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और जीवनयापन के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर नारी निकेतनों की स्थापना की है। वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 450 रहवासियों की स्वीकृत संख्या के विरूद्व 211 महिलाएं व 10 बच्चे रहवास कर रहे हैं, इनमें ₹333.45 लाख का व्यय किया जा चुका है।

अन्त्येष्टि अनुदान योजनाः इस योजना के तहत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को ₹5,000 दिये जाते हैं। वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 390 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में ₹19.50 लाख का व्यय किया गया है।

वृद्ध कल्याण योजनाः इन केन्द्रों में मुफ्त आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, मनोरंजन, आवश्यक दैनिक उपयोग की सुविधाएं आदि प्रदान करके वृद्धावस्था पेंशनधारियों को सामाजिक

सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के 22 जिलों में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 42 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) वृद्धावस्था कल्याण योजना के तहत ₹194.47 लाख व्यय किए गए।

नवजीवन योजनाः आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है। इस योजना के घटकों में कौशल विकास, ऋण अनुदान, बुनियादी सुविधाओं का विकास, इन परिवारों के बच्चों का निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नवजीवन योजना छात्रवृत्ति आदि से संबंधित कार्य शामिल है। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹645.93 लाख व्यय कर 6,336 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विधवा विवाह उपहार योजनाः पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप ₹15,000 दिये जाने का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2016—17 में इसे बढ़ाकर ₹30,000 वर्ष 2019—20 में पुनः बढ़ाकर ₹51,000 दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹3.36 लाख व्यय कर 7 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उज्ज्वला योजनाः यह योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोडने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹22.68 लाख का व्यय किया जा चुका है।

स्वाधार गृह योजनाः भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001—02 से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹16.33 लाख का व्यय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनाः कोविड—19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। 25 जून, 2021 से योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/ बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है। साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी.बी.टी. योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 तक ₹10,838 लाख व्यय कर 15,311 बच्चों/विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। विभाग द्वारा वर्ष 2013—14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में ₹70,000 देने का प्रवधान है। प्रथम किश्त में ₹25,000, द्वितीय किश्त में ₹25,000 एवं तृतीय किश्त में ₹20,000 अनुदान के रूप में दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹81.05 लाख व्यय कर 116 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013—14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में राशि ₹5,000 दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष

2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹5 लाख व्यय कर 100 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विशेष योग्यजन

राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के व्यापक कल्याण हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया है। विशेष योग्यजनों की समस्याओं के सम्पूर्ण समाधान तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में पृथक से एक विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा शारीरिक एवं विमन्दित व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु शिविरों के आयोजन किये जा रहे है। ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु विभाग कई योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का संक्षिप्त परिदृश्य नीचे दर्शाया गया हैः–

विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजनाः इस योजना अन्तर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹1.57 लाख व्यय हुए और 98 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनाः इस योजना में ₹5 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है। राज्य सरकार द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹167.02 लाख व्यय हुए और 600 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

सुखद दाम्पत्य योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन (पुरूष/स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹122.75 लाख व्यय हुए और 246 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

कृत्रिम अंग/उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायताः इस योजना के अन्तर्गत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट/जूते/पाम पेड आदि प्रदान करने के लिए ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹545.29 लाख व्यय हुए और 1,650 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

सिलिकॉसिस पॉलिसीः राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर, 2019 को सिलिकॉसिस नीति प्रारम्भ की है। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकॉसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाएंगे। सिलिकॉसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए ₹3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को ₹2 लाख प्रदान किये जाते है। पीड़ित को ₹1,500 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार ₹500 से ₹1,500 की विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग–अलग आयु वर्ग के अनुसार ₹500 से ₹2,000 (वार्षिक एकमुश्त) की सहायता दी जाएगी। पीड़ित और उसके परिवार को एनएफएसए जैसी सभी बी.पी.एल. सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह लाभ होगा। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

आस्था योजनाः ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये जाते है, जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वर्ष 2013–14 से आस्था कार्ड धारी परिवारों को राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों द्वारा बी.पी.एल के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। कुल आस्था कार्ड धारी लगभग 19,000 परिवार है।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी, 2019 को राज्य सरकार द्वारा इस नियम को प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं

में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।

पदोन्नति में आरक्षणः दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 से राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती मे अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंको में 5 प्रतिशत छूट संबंधी लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैः–

- **पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को ₹5,000 प्रति पोलियो करेक्शन ऑपरेशन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनाः** अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 3 दिसम्बर को प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन, कार्यालयों, एजेन्सियों और अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस योजना में पुरस्कार के रूप में ₹10,000 से ₹15,000 प्रति व्यक्ति/प्रति संस्थान तथा प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाते है। वर्ष 2021–22 के दोरान (दिसम्बर, 2021 तक) 39 विशेष योग्यजन एवं 4 संस्थाओं को लाभान्वित किया जाकर ₹4.30 लाख वितरित किये गये हैं।
- **विशेष योग्यजनों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएंः** खेलकूद योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की दक्षता और क्षमता को बढ़ाना है। विशेष योग्यजनों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है।
- **विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायताः** इस योजना में विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि ₹15,000 दी जाती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपनी पेंशन बन्द करवानी होती है।

वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियांः

- **ऑनलाईन योजनाएंः** आस्था कार्ड योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगाार योजना एवं सुखद दाम्पत्य योजना को ऑनलाईन किया गया।
- **मानदेय में वृद्धिः** बजट घोषणा 2020–21 की अनुपालना में गैर सरकारी संगठन के माध्यम से संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।
- **मानदेय कर्मियों की अनुदान राशि में वृद्धिः** राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में मानसिक मंद पुनर्वास गृहों, दृष्टिबाधित विद्यालयों, विकलांग व्यक्तियों के विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय को दुगुना (100 प्रतिशत वृद्धि) किया गया है।
- **स्कॉच अवार्ड से सम्मानितः** मानसिक विमंदित महिला एंव बाल पुनर्वास गृह जामडोली, जयपुर को माह अगस्त, 2019 में राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- **सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षणः** बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में 200 राज्य कार्मिको को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण नोएडा डेफ सोसाइटी के माध्यम से दिया जा चुका है।
- **हॉफ–वे–होमः** बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में जयपुर एवं जोधपुर में मानसिक रोगियों के लिये हॉफ–वे–होम का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
- **कॉल सेंटरः** बजट घोषणा 2019–20 की अनुपालना में कॉल सेंटर का संचालन 26 अगस्त, 2019 से विधिवत रूप से प्रारम्भ कर दिया गया है जिसका टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है।
- **छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरीः** बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के तहत कक्षा 1 से 4 तक तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृत्ति राशि को ₹40 से बढ़ाकर ₹500 एवं ₹50 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह किया गया है।
- **योजनाओं की उपलब्धीः** राज्य सरकार द्वारा संचालित 6 मुख्य योजनाओं मे 17 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक ₹2,538 लाख व्यय कर

14,328 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

- **अनुदान वितरणः** राज्य सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक स्वयं सेवी संस्थाओं को ₹6,701.54 लाख का अनुदान वितरित किया गया।
- **सिलिकोसिसः** सिलिकोसिस पीड़ितों/परिवारों के लिए माह दिसम्बर, 2021 तक 2,238 प्रकरणों में ₹6,685 लाख व्यय किये जा चुके है।
- **स्कूटी वितरणः** कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र–छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को 3 दिसम्बर, 2021 से स्कूटी वितरण प्रारम्भ कर दी गई है।
- **राजकीय भवन :** जयपुर शहर के 78 राजकीय भवनों को विशेष योग्यजनों के लिए सुगम्य बनाया गया।

विभाग द्वारा कोविड–19 महामारी का सामना करने हेतु उठाये गये कदम

- राजकीय मानसिक विमंदित पुर्नवास गृह जामड़ोली, जयपुर तथा स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमन्दित पुर्नवास गृह में कोविड–19 के संक्रमण की रोक थाम हेतु मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार दिशा निर्देश जारी कर पालना करवायी गयी।
- उक्त गृहों में कोविड–19 के तहत अपनाये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की मॉनिटरिंग हेतु सप्ताह में 2 बार विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करवाये गये।
- उक्त गृहों में 1,573 विशेष योग्यजन आवासित रहे, जिनकी नियमित अन्तराल में स्वास्थ्य जांच करवायी गयी।
- कोविड–19 के दौरान वित्तीय संकट से उभरने के लिए गैर सरकारी संगठनो द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- उपायुक्त, डीएसएपी को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और जिला अधिकारी एसजेईडी को जिला स्तर पर विशेष योग्यजन व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- कोविड–19 के दौरान बेघर और परित्यक्त विकलांग व्यक्तियों को डीएसएपी द्वारा संचालित गृहों में प्रवेश देने से पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।

अल्पसंख्यक मामलात

अल्पसंख्यक समुदाय को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग का पृथक से गठन किया गया।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। यह योजना उन निर्धन विद्यार्थियों हेतु लागू है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो तथा गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिसम्बर, 2021 तक 68,278 आवेदन प्राप्त हुए है।

मैरिट कम मीन्स (एम.सी.एम.) छात्रवृत्ति योजनाः इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। यह योजना अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उन विद्यार्थियों हेतु लागू की गई है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो तथा गत परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए दिसम्बर, 2021 तक 5,274 आवेदन प्राप्त हुए है।

अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाः इस योजना में राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के युवाओं/विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्रमशः अखिल भारतीय सिविल सेवा एवं राजस्थान सिविल सेवा के विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आई.आई.टी, आई.आई.एम., ए.आई.आई.एम.एस., एन.आई.टी., कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सी.एल.ए.टी.), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड एप्लाइड रिसर्च (कोलकाता और बैंगलुरू) एवं जी.ओ.आई./एम.सी.आई. सर्टिफाइड मेडिकल कॉलेजों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों (10+2 स्तर) एवं

राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹0.10 लाख व्यय किए गए एवं 1 व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। अब अनुप्रति योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कर दिया गया तथा 1,000 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए लाभान्वित किया जायेगा।

छात्रावास सुविधाः जिला मुख्यालय और अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों में अल्पसंख्यक लड़कियों एवं लड़कों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित छात्रावासों में मैस भत्ता, जिसमें आवास और बोर्डिंग सम्मिलित है, के लिए ₹2,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि के लिए एवं सरकारी छात्रावासों में मैस भत्ते के लिए ₹2,500 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह एवं अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, दो प्रकार से यथा विभागीय छात्रावास और अधिकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से छात्रावास की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह योजना विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नियमित अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्र—छात्राओं की ड्रॉप—आउट की दर में भी कमी लाने में सहायक है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) 10 छात्रावासों को संचालित कर 361 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा विभाग के भवन एवं किराये के भवन में 40 छात्रावास (बालक एवं बालिका) का संचालन प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, जिसमें अल्पसख्यंक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने को लक्षित किया गया है। योजनान्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य 16 जिलों के 2 जिला मुख्यालय, 15 ब्लॉक्स एवं 17 कस्बों में आर्थिक, चिकित्सा, शैक्षणिक एवं कौशल विकास के आधारभूत संरचना के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना अवधि 2017—18 से 2020—21 के दौरान राज्य को योजनान्तर्गत राशि ₹62,330.14 लाख के 2,612 कार्यो एवं साइबर ग्राम में 10,400 छात्र की स्वीकृति प्रदान की गई।

अल्पसंख्यकों को कौशल विकास प्रशिक्षणः अल्पसंख्यक युवाओं के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वार्षिक योजना, 2021—22 के लिए राशि ₹200 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2021—22 के लिए 1,070 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया हैं, जिसके विरूद्ध 33 जिलों के 2,306 युवाओं के 80 समर्पित बैचों की एक सूची आर.एस.एल.डी.सी. को भेजी गयी हैं। 120 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक 76 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए ऋणः राज्य में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आर.एम.एफ.डी.सी.सी.) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) राज्य एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। उक्त संस्था द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर व्यावसायिक ऋण प्रदान किया जाता है एवं रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 में (माह दिसम्बर, 2021 तक) ₹102.49 लाख की राशि व्यय कर 51 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मदरसा बोर्ड

मदरसा आधुनिकीकरण योजनाः मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पंजीकृत मदरसों की आधारभूत संरचना के विकास एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। मदरसों की आधारभूत संरचना में कक्षा—कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड के निर्माण तथा भौतिक सामग्री में जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, आलमारी, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई—कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण आदि का प्रावधान है। योजना में निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम राशि ₹25 लाख का प्रावधान किया गया है एवं कुल स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। योजना में वर्ष 2019—20 में कुल 47 मदरसों में निर्माण कार्य राशि ₹762 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020—21 में, 36 मदरसों के निर्माण कार्य के लिए ₹538.48 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जा चुका है। वर्ष 2021—22 में मुख्यमंत्री मदरसा

आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ₹25 करोड़ की घोषणा की गयी।

कोविड–19 प्रबंधन हेतु किये गये निर्णय / नवाचार एवं अर्जित उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण–

- राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित पंजीकृत मदरसों में शैक्षणिक कार्य हेतु स्माइल प्रोजेक्ट अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
- कोविड–19 के दौरान वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से ज़रूरतमंद व परेशान लोगों की मदद करने की दृष्टि से ज़रूरी खाद्य सामग्री की लगभग 1,000 किट बोर्ड के कर्मचारियों व समाज के लोगों की सहायता से घर–घर उपलब्ध कराये गये।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्थान

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा हेतु वचनबद्ध है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और समकक्ष आय वर्ग से संबंधित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए राशि ₹10,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका–9.8 में दी गई है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास (टी ए डी)

विभाग द्वारा जनजाति के लोगो के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2021–22 में कुल राशि ₹615.08 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹393.13 करोड़, ₹100 करोड़, ₹110 करोड़ एवं ₹11.95 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माह दिसम्बर, 2021 तक कुल राशि ₹298.97 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹263.22 करोड़, ₹5.89 करोड़, ₹29.82 करोड़ एवं ₹0.04 करोड़ का व्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त जनजाति विकास कोष हेतु राशि ₹100 करोड़ का प्रावधान रखा गया जिसके अंतर्गत राशि ₹10 करोड़ का माह दिसम्बर, 2021 तक व्यय किया गया।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक भौतिक उपलब्धियां तालिका–9.9 में दी गयी है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के सम्पूर्ण विकास का आधार है। राज्य की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः समाज के विकास की कल्पना महिलाओं की समान भागीदारी और सक्रियता के बिना संभव नहीं हो सकती। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अधिकारयुक्त वातावरण बनाये जाने पर निर्भर करता है, जो बराबरी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए सहायक हो सके। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन के लिए समय–समय पर कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

महिला विकास कार्यक्रमः राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए "साथिन" (मानदेय महिला कार्यकर्ता) कार्य कर रही है, जो न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य करती हैं, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत भी करती है। साथिन की आवश्यकता ऐसी बुराईयों एवं ऐसी परिस्थितियों के प्रति, जिनमें महिलाएं बहुधा अपने आपको परेशान, शोषित एवं पीड़ित पाती हैं, के विरूद्ध जागरूकता निर्माण करने के लिए भी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में 9,314 साथिन कार्य कर रही है। वार्षिक योजना 2021–22 में ₹4,000 लाख के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹2,899.56 लाख का व्यय किया गया है।

प्रारंभ में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान महिला विकास कार्यक्रम को कुछ समय के लिए मंदी का सामना करना पड़ा लेकिन जल्दी ही साथिनों के सहयोग ने कोविड–19 से संबंधित सर्वेक्षण को शुरू कर के समर्थन

तालिका–9.8 विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (राशि ₹लाखों में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ) बैंकिंग योजनाएं					
1.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (शहरी)	2500	521	250.00	48.98
2.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (ग्रामीण)	5685	1189	568.50	178.86
3.	ऑटोरिक्शा	90	0	9.00	0.00
4.	उन्नत नस्ल गाय/भैंस/बकरी	1465	253	146.50	49.90
5.	व्यक्तिगत पम्प सैट्स	90	0	9.00	0.00
6.	मुद्रा योजना	2020	478	202.00	41.25
(ब) गैर–बैंकिंग योजनाएं					
1.	बकरी पालन	12730	9369	1273.00	822.53
2.	कुँओं का विद्युतीकरण/ सौर ऊर्जा	1660	424	166.00	33.26
3.	कार्यशाला/दुकान	4760	2303	476.00	195.70
4.	आधुनिक कृषि यंत्र	2050	491	205.00	50.28
5.	दक्षता विकास व प्रशिक्षण	3084	0	462.60	0.00
6.	राष्ट्रीय निगम की योजनाएं (एन.एस.एफ.डी.सी एवं एन.एस.के.एफ.डी.सी.)	7214	466	721.40	20.33
(स) आधारभूत संरचना विकास कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुसार					
एनीकट, तालाब, सामुदायिक सुविधा केन्द्र आदि का निर्माण		0	0	0.00	87.41
योग (अ+ब+स)		**43348**	**15494**	**4489.00**	**1528.50**

तालिका–9.9 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.स.	योजना	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2021 तक)
1	आश्रम छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	27060	25683
2	आवासीय विद्यालय संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	11620	9853
3	खेल छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	875	865
4	माँ बाडी संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	81390	79290
5	प्रतिभावान जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृति	संख्या	3141	1097
6	महाविद्यालयी जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	संख्या	27524	20792
7	कक्षा–11 व 12 की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	संख्या	27172	11563
8	महाविद्यालयी जनजाति विद्यार्थियों को कमरा किराया पुर्नभरण	संख्या	17500	11614
9	कथौड़ी, सहरिया एवं खैरवा जनजाति व्यक्तियों को निःशुल्क घी, दाल व तेल वितरण	संख्या	130069	130069
10	मल्टीपरपज छात्रावास/कॉलेज छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	1300	913
11	क्षय रोग नियन्त्रण	संख्या	4210	3006
12	कृषि विकास परियोजना	लाभान्वित	197601	-
13	विद्यालय एवं महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष	संख्या	30	4
14	सामुदायिक भवन निर्माण	संख्या	20	6
15	पेयजल योजना/सौलर पनघट/पंप और टैंक/हेण्डपम्प स्थापना	संख्या	10	7
16	25 पुलिस थानों में परामर्श केन्द्र	संख्या	25	11

करना शुरू किया व साथ ही आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथिनों ने जरूरतमंदो को मास्क वितरित किये।

सामूहिक विवाह हेतु अनुदान (सामूहिक विवाह योजना): सामूहिक विवाह योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ₹18,000 प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें से ₹15,000 की राशि वधू को और ₹3,000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं। इस योजना की प्रगति तालिका–9.10 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.10 सामूहिक विवाह योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वित जोड़े (संख्या)	व्यय (₹लाख में)
2018-19	4139	729.42
2019-20	3592	768.59
2020-21	5141	912.79
2021-22*	2963	568.31

* दिसम्बर, 2021 तक

किशोरियों के लिए योजनाएं

गैर–पोषण घटक: इस योजना का लक्ष्य स्कूल नहीं जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को पुनः औपचारिक स्कूली शिक्षा या गैर पोषण घटक के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है। गैर पोषण घटक के अन्तर्गत अन्य सेवाएं यथा– आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.), सप्लीमेंट, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए परामर्श/मार्गदर्शन है।

इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना: योजना का चरणबद्ध शुभारम्भ 19 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 में घोषित बजट के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। इसके आधार पर प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जायेंगे। इसके दायरे का विस्तार करने के लिए राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई। उडान योजना में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया गया है, जहां "घूंघट प्रथा" अभी भी प्रचलित है, जहां लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना एवं संबंधित मुद्दो पर चर्चा करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार, महिला स्वयं सहायता समूहों और नागरिक समाज संगठन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रस्तावित बजट ₹200 करोड़ है।

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

- बालिकाओं और महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी गरिमा, सुरक्षा एवं माहवारी से संबंधित जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाना एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ घूंघट प्रथा है उन महिलाओं को जागरूक करना ताकि महिलायें अपनी माहवारी संबंधित समस्याओं पर निःसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सकें और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करें।
- राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना।
- स्वयं सहायता समूहों को सेनेटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा क्रय एवं वितरण की योजना बनाना।
- महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन देना।

योजना के प्रमुख घटक

- लड़कियों और महिलाओं में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना: राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा की गई। यह एक प्रमुख योजना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक/संरक्षक को 6 किश्तों में कुल राशि ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। 25.10 लाख बालिकाओं को प्रथम किश्त एवं 17.59 लाख बालिकाओं को द्वितीय किश्त के द्वारा

लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक बजट प्रावधान ₹300 करोड़ के विरूद्व ₹200 करोड़ का व्यय किया गया है।

''बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ'' योजनाः ''बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ'' योजना को सरकार की फ्लेगशिप और अभिसरण कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिससे बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दो को सम्बोधित किया जा सके। योजना का उद्देश्य जेण्डर आधारित चयन को रोकना है ताकि बालिका का अस्तित्व ओर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, साथ ही बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस योजना के तहत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियॉ आयोजित की गई। विभाग ने गतिविधियों के संचालन के लिए डिजिटल प्लटेफार्म का उपयोग करने के लिए प्रयास किए हैं। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राज्य बजट प्रावधान ₹25.60 लाख है, जिसमें से ₹6.09 लाख का व्यय हुआ है तथा भारत सरकार (जिलों के लिए) से ₹544.60 लाख का बजट प्राप्त हुआ।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षणः महिलाओं के संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक विशिष्ट महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई हैः—

- **महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.):** योजना में वित्तीय वर्ष 2021—22 में आवंटित बजट ₹110 लाख है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक ₹76.11 लाख का व्यय किया गया है। सभी 40 एम.एस.एस.के. से प्राप्त 7,340 प्रकरण में से 5,733 प्रकरण दिसम्बर, 2021 तक निस्तारित किए जा चुके हैं।
- 181 महिला हेल्पलाईन
- वन स्टॉप सेन्टर / सखी केन्द्र
- इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र योजना
- घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016
- त्रि—स्तरीय महिला समाधान समिति

जेण्डर प्रकोष्ठः जेण्डर प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में जेण्डर अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है तथा विभिन्न विभागों के बजट की जेण्डर के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। जेण्डर संवेदनशीलता, जेण्डर संवेदी बजट, जेण्डर आधारित आंकड़े एवं जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट की अवधारणा को विकसित करने हेतु राज्य में सभी जिला स्तरों पर आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं।

अमृता हाटः अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित / मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के अधिकतम अवसर प्रदान करने हेतु महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक मजबूत और स्थापित माध्यम है। इन हाट बाजारों के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण निदेशालय भी महिला स्वयं सहायता समूहों को आई.आई.टी. एफ., शिल्पग्राम उत्सव, अन्य विभागों के मेलों आदि में भी भागीदारी का अवसर प्रदान कर रहा है। वार्षिक योजना 2021—22 के लिए माह दिसम्बर, 2021 तक ₹100 लाख के प्रावधान के विरूद्ध ₹45.71 लाख का व्यय किया गया है।

इन्दिरा महिला शक्ति निधि (आई.एम.शक्ति): राजस्थान सरकार ने ₹1,000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ इन्दिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण पर केन्द्रित होगी, जिसे इन्दिरा महिला शक्ति निधि कहा जाएगा। इसमें कौशल विकास की सभी योजनाओं को एक साथ एक छत के नीचे लाया जाएगा। यह योजना 18 दिसम्बर, 2019 को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ की गयी हैः—

- उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- नवीन अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना।
- कौशल विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शिक्षा के लिए जागरूकता।
- महिला पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित योजनाएं संचालित किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी हैः

- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

अ) लड़कियों/महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.आई.टी. प्रशिक्षण

ब) लड़कियों/महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.एफ.ए. प्रशिक्षण

स) महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट प्रशिक्षण

द) कौशल सामर्थ्य योजना

य) शिक्षा सेतु योजना

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में लागू की जा रही अन्य योजनाएं हैंः–

- धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन।

इन्दिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थानः इस संस्थान में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित विषयों पर शोध कार्य किया जाएगा। संस्थान का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विभिन्न आयामों में शोध व सुझाव सम्बन्धी कार्य, जेण्डर स्टडीज, जेण्डर बजट, जेण्डर संवेदी प्रशिक्षण, वस्तु परक शोध, अनुसंधान व प्रशिक्षण, महिला नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में तकनीकी सहयोग, महिला सुरक्षा व संरक्षण सम्बन्धी योजना का अध्ययन एवं प्रलेखन, महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण व अनुसंधान, सोसायटी, स्वयं सेवी संस्थाओं व कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत औद्योगिक समूह व संस्थाओं एवं अन्य विभागों से समन्वय व सहयोग कर शोध व नवाचार का सृजन व विकास, महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित कानून, अधिनियम/नियमों का अध्ययन व संकलन करना है।

जागृति बैक टू वर्क योजनाः कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलायें जो कि शादी के बाद घर–परिवार संभालने के लिए और अन्य कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती हैं को पुनः रोजगार दिलवाने, घर से ही काम करने अर्थात् वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत काम या नौकरी छोड़ देने वाली महिलाओं का पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।
- योजना का शुभारम्भ ''जॉब्स फॉर हर फाउण्डेशन'' के माध्यम से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है।
- योजना के व्यापक क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थायें जो कि इस योजना से सी.एस.आर. के अन्तर्गत जुड़ने की इच्छुक हैं, को ई.ओ.आई. जारी कर योजना से जोड़ा जाएगा।
- सी.एस.आर. संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमो, सेमीनार, वेबीनार, नेटवर्किंग कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से चिन्हित लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
- उक्त योजनान्तर्गत आगामी 3 वर्षो में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006

बीस सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1982, 1986 एवं वर्ष 2006 में पुनः संरचित किया गया। पुनः संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.), 2006 के नाम से जाना जाता है, यह 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजनाओं तथा जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, को गति प्रदान करना है।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006 के अन्तर्गत कुल 65 मोनिटरिंग योग्य मदें सम्मिलित की गई हैं, इनमें से 15 मदों की मोनिटरिंग राज्य स्तर पर की जा रही है, जिसमें 12 श्रेणीबद्ध मदें शामिल है। राज्य स्तर पर मोनिटरिंग किए जा रहे मुख्य सूत्रों की प्रगति निम्नानुसार हैः–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)ः सूत्र संख्या–01ए

यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में प्रति परिवार कम से कम 100 दिवस के रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है। इसमें महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 4,605.43 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाकर ₹7,711.16 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान, दिसम्बर, 2021 तक 2,962.73 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित कर ₹5,629.27 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)ः सूत्र संख्या–01एफ01 I, II, III

यह योजना 1 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 2015–16 से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना की मोनिटरिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः–

- वर्ष 2020–21 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 20,000 के विरूद्ध 24,703 नए एवं पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 123.52 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक), वार्षिक लक्ष्य 65,480 के विरूद्ध 32,896 नए व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 50.24 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 27,000 के विरूद्ध 28,737 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 106.43 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक), वार्षिक लक्ष्य 66,928 के विरूद्ध 28,784 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 43.01 प्रतिशत है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 10,700 के विरूद्ध 11,999 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड (सी.आई.एफ.) उपलब्ध करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 112.14 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) वार्षिक लक्ष्य 17,257 के विरूद्ध 11,022 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो कि लक्ष्य का 63.87 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमः सूत्र संख्या 05ए02ः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 27,47,337.628 मैट्रिक टन अन्न का उठाव हुआ, जो कि आवंटन 27,54,125.914 मैट्रिक टन के विरूद्ध 99.75 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक)18,98,676.581 मैट्रिक टन अन्न का उठाव हुआ, जो कि आवंटन 19,27,813.593 मैट्रिक टन के विरूद्ध 98.49 प्रतिशत है।

ग्रामीण आवासः– प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.)ः सूत्र संख्या–06ए01

वर्ष 2020–21 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 1,97,146 के विरूद्ध 3,59,139 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 182.17 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) वार्षिक लक्ष्य 3,97,006 के विरूद्ध 94,302 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 23.75 प्रतिशत है।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / निम्न आय वर्ग के आवासः सूत्र संख्या–06बी01

वर्ष 2020–21 के दौरान, 6,997 आवासों का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) 1,851 आवासों का निर्माण कराया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः– लक्षित जल सम्बन्धों की संख्या (एफ.एच.टी.सी.)ः सूत्र संख्या 07ए05

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 20,69,816 के विरूद्ध 6,74,462 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जो कि लक्ष्य का 32.59 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) वार्षिक लक्ष्य 30,00,000 के विरूद्ध 2,53,898 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जो कि लक्ष्य का 8.46 प्रतिशत है।

संस्थागत प्रसवः सूत्र संख्याः 08ई01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 13,22,977 संस्थागत प्रसव कराए गए। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) 9,61,239 संस्थागत प्रसव कराये गये।

अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) घटक के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) एवं एन.एस.एफ.डी.सी. के रियायती ऋणों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 10ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2020–21 के दौरान 31,289 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) 15,494 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या : सूत्र संख्या 10ए03

इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 1,51,169 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) कुल 1,77,644 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) का सार्वभौमिकरणः सूत्र संख्या 12ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2020–21 के दौरान लक्ष्य 304 के विरूद्ध 304 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) भी लक्ष्य 304 के विरूद्ध 304 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था।

आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालनः सूत्र संख्या 12बी01

वर्ष 2020—21 के दौरान लक्ष्य 62,020 के विरूद्ध 61,627 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.37 प्रतिशत था। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) लक्ष्य 62,020 के विरूद्ध 61,625 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.36 प्रतिशत हैं।

शहरी निर्धन परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 14ए01

सात सूत्री चार्टर— भूमि पट्टा का आवंटन, सस्ता घर, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2020—21 के दौरान, 18,773 परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) 9,627 परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई।

वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान लक्ष्य 51,195.38 हैक्टेयर के विरूद्ध 33,511.32 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 65.46 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) लक्ष्य 51,200 हैक्टेयर के विरूद्ध 44,696.48 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 87.30 प्रतिशत है।

बीज पौधरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2020—21 के दौरान लक्ष्य 332.770 लाख के विरूद्ध 215.233 लाख पौधरोपण सार्वजनिक एवं वन भूमि पर कराया गया, जो कि लक्ष्य का 64.68 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान लक्ष्य 332.80 लाख के विरूद्ध 253.12 लाख (माह दिसम्बर, 2021 तक) पौधरोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 76.06 प्रतिशत है।

ग्रामीण सड़कें— पी.एम.जी.एस.वाई.: सूत्र संख्या 17ए01

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 2,200 किमी. के विरूद्ध 1,855.660 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो कि लक्ष्य का 84.35 प्रतिशत है। वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) लक्ष्य 2,200 किमी. के विरूद्ध 2,446.657 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो लक्ष्य का 111.21 प्रतिशत है।

गाँवों का विद्युतीकरणः (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना): सूत्र संख्या 18बी01

सभी गाँवों का विद्युतीकरण होने के कारण, भारत सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं हुये हैं।

ऊर्जावान पम्पसेटः सूत्र संख्या 18डी01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2020—21 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 44,770 के विरूद्ध 47,707 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 106.56 प्रतिशत था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2021—22 के दौरान (माह दिसम्बर, 2021 तक) निर्धारित लक्ष्य 40,000 के विरूद्ध 60,672 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 151.68 प्रतिशत है।

*****

अध्याय **10**

राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन

एक दृष्टि में

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2020–21 में कुल व्यय का 68.80 प्रतिशत विकासात्मक व्यय

स्कीमवार परिव्यय (2021–22)

- परिव्यय : ₹1,32,251.35 करोड़
- सर्वाधिक आवंटन : सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं (52.19 प्रतिशत)

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

- कुल ₹27,196.37 करोड़ की 13 बाह्य सहायतित परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं 2 परियोजनाएं जून एवं सितम्बर, 2021 में पूर्ण हो गई है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

- ₹16,796.11 करोड़ की निवेश राशि की 187 सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाएं 31 दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण हो चुकी है।

राजकोषीय प्रबन्धन

कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आई एवं इसका प्रभाव राज्य वित्त पर भी पडा। वर्ष 2020–21 में मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:–

राजस्व घाटा : राजस्व घाटा ₹44,002 करोड रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि निम्नांकित घटकों को समायोजित करने पर राजस्व घाटा ₹18,097 करोड़ रहता है जो वर्ष 2019–20 के राजस्व घाटे से कम है:–

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर ₹4,604 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि के रूप में केवल ₹35,576 करोड़ जारी किये गये जो कि वर्ष 2018–19 में जारी ₹41,853 करोड़ की तुलना में कम है।

(ग) केन्द्र सरकार के कोविड–19 प्रबंधन तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु लाये गये पैकेज का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ₹21,301 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए गए।

राजकोषीय घाटा : वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹58,608 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹59,375 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.86 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2020–21 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 6.12 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। राजकोषीय घाटे में निम्नांकित घटकों का प्रभाव पडा :–

(क) केन्द्र सरकार के कोविड–19 प्रबंधन तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु लाये गये पैकेज का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ₹21,301 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए गए।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु ₹1,002 करोड़ का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर ₹4,604 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त अतिरिक्त ऋण को राजकोषीय घाटे में से कम करने की स्थिति में राजकोषीय घाटा (कोविड–19 प्रभाव रहित) ₹32,468 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.20 प्रतिशत है तथा वर्ष 2019–20 के राजकोषीय घाटे ₹37,654 करोड़ (3.77 प्रतिशत) से कम है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा (कोविड प्रभाव रहित) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 के द्वारा निर्धारित सीमा के लगभग निकट रहा है।

राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति/वित्तीय मानकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार तालिका 10.1 एवं चित्र 10.1 से 10.11 तक में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1 राजकोषीय स्थिति/परिमाप

(₹ करोड़)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. राजस्व प्राप्तियां	**109026**	**127307**	**137873**	**140114**	**134308**
(i) स्वयं का कर राजस्व	44372	50605	57380	59245	60283
(ii) कर भिन्न राजस्व	11615	15734	18603	15714	13653
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	33556	37028	41853	36049	35576
(iv) केन्द्रीय सहायता	19483	23940	20037	29106	24796
2. गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां	**1741**	**15150**	**15178**	**15690**	**388**
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय		**15000**	**15000**	**14722**	**0**
3. कुल प्राप्तियां (राजस्व + गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां)	**110767**	**142457**	**153051**	**155804**	**134696**
4. कुल व्यय	**157085**	**167799**	**187524**	**193458**	**194071**
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	22372	15000	15000	14722	0
(i) राजस्व व्यय	127140	145841	166773	176485	178310
इसमें से					
(क) उदय योजनान्तर्गत व्यय	9000	12000	12000	13816	0
(ख) ब्याज भुगतान	17677	19720	21695	23643	25202
(ii) पूँजीगत परिव्यय	16980	20624	19638	14718	15270
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	3000	3000	3000	906	0
(iii) उधार एवं अग्रिम	12965	1334	1113	2255	491
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	10372	0	0	0	0
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011–12 की श्रृंखलानुसार)	**760587**	**832529**	**911674**	**999050**	**1013323**
6. राजस्व घाटा	**18114**	**18534**	**28900**	**36371**	**44002**
6.(अ) राजस्व घाटा (उदय योजना रहित)	9114	6534	16900	22555	44002
(i) कोविड–19 एवं सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-21301
(ii) जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-4604
6.(ब) राजस्व घाटा (कोविड–19 रहित)	**9114**	**6534**	**16900**	**22555**	**18097**
7. राजकोषीय घाटा	**46318**	**25342**	**34473**	**37654**	**59375**

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7.(अ) राजकोषीय घाटा (उदय योजना रहित)	23946	25342	34473	37654	59375
(i) कोविड–19 एवं सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-21301
(ii) जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-4604
(iii) पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-1002
7.(ब) राजकोषीय घाटा (कोविड–19 रहित)	**23946**	**25342**	**34473**	**37654**	**32468**
8. प्राथमिक घाटा	28641	5622	12778	14011	34173
8.(अ) प्राथमिक घाटा (उदय योजना रहित)	6269	5622	12778	14011	34173
8.(ब) प्राथमिक घाटा (कोविड–19 रहित)	6269	5622	12778	14011	**7266**
9. राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (%)	**6.09**	**3.04**	**3.78**	**3.77**	**5.86**
9.(अ) राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत) (उदय योजना रहित)	**3.15**	**3.04**	**3.78**	**3.77**	**5.86**
9.(ब) राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत) (कोविड–19 रहित)	3.15	3.04	3.78	3.77	**3.20**
10. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.72	16.77	8.30	1.63	-4.14
11. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.88	14.05	13.39	3.25	1.75
12. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	14.33	15.29	15.12	14.02	13.25
13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के स्वयं का कर राजस्व (प्रतिशत)	5.83	6.08	6.29	5.93	5.95
14. वेतन एवं मजदूरी पर कुल व्यय	**30016**	**37611**	**49790**	**49066**	**51619**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	27.53	29.54	36.11	35.02	38.43
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत (ब्याज एवं पेंशन भुगतान के अतिरिक्त)	30.89	33.52	39.93	37.15	39.50
15. ब्याज भुगतान व्यय	**17677**	**19720**	**21695**	**23643**	**25202**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	16.21	15.49	15.74	16.87	18.76
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत	13.90	13.52	13.01	13.40	14.13
16. राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व)	**255002**	**281182**	**311374**	**352702**	**410499**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	33.53	33.77	34.15	35.30	40.51
(i) कोविड–19 एवं सुधार हेतु अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-21301
(ii) जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-4604
(iii) पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त ऋण	0	0	0	0	-1002
16.(अ) राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व) (कोविड–19 रहित)	**255002**	**281182**	**311374**	**352702**	**383592**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत (कोविड–19 रहित)	33.53	33.77	34.15	35.30	**37.85**

चित्र 10.1

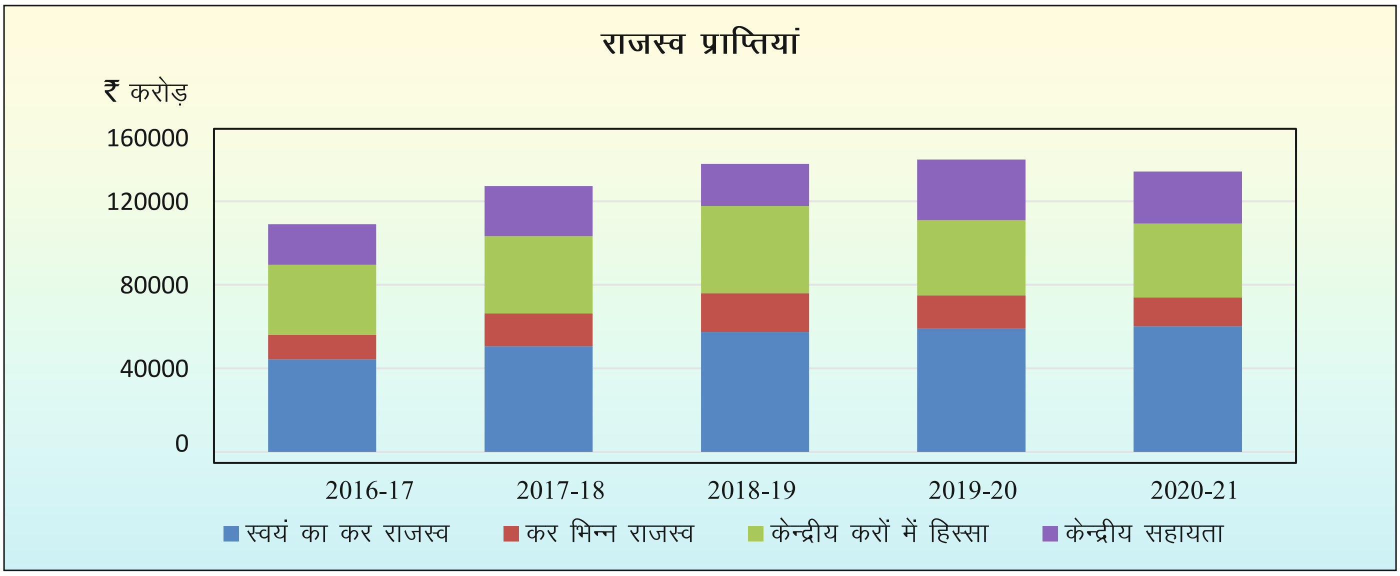

चित्र 10.2

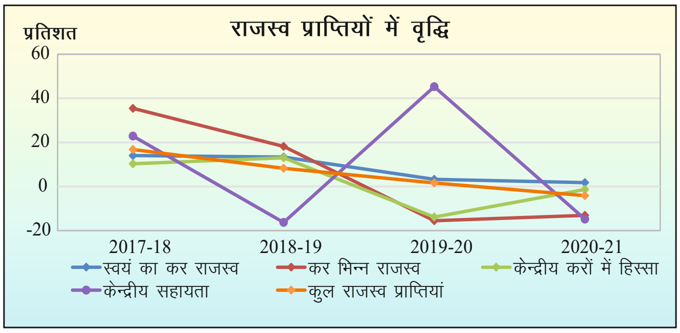

चित्र 10.3

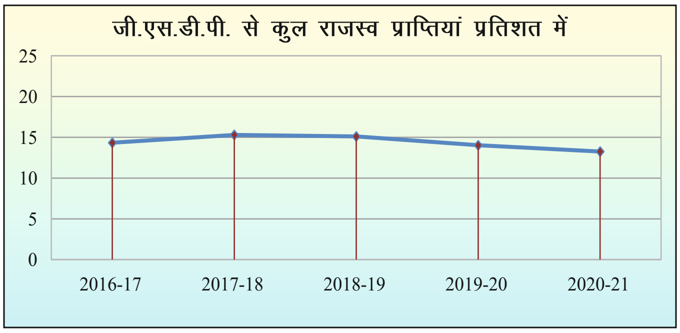

चित्र 10.4

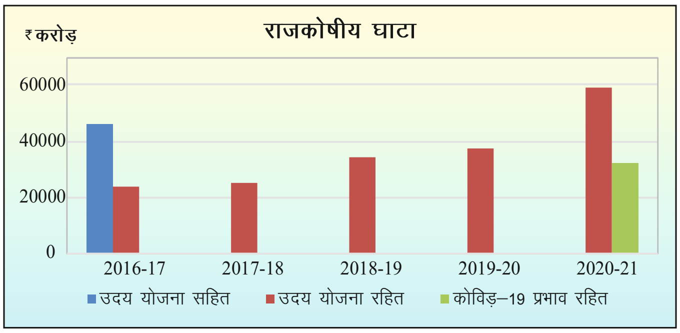

चित्र 10.5

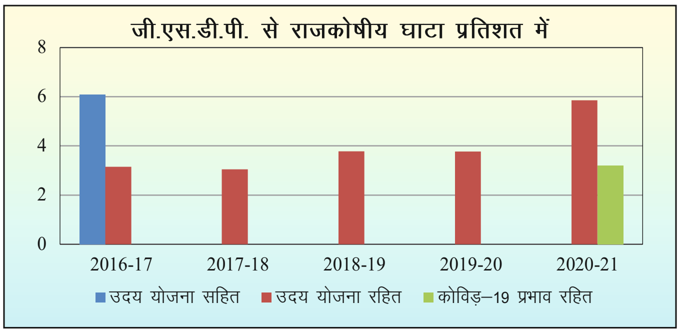

चित्र 10.6

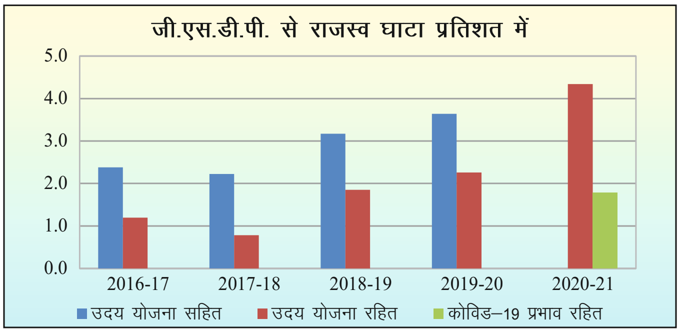

चित्र 10.7

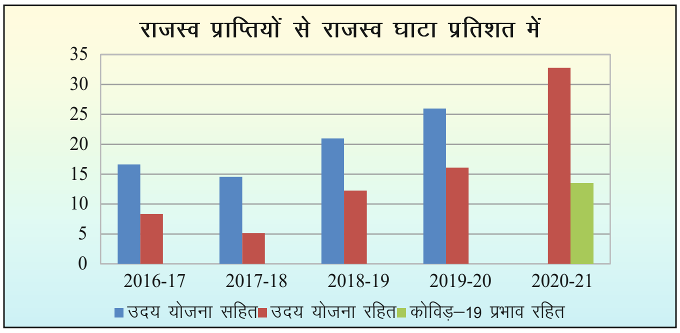

चित्र 10.8

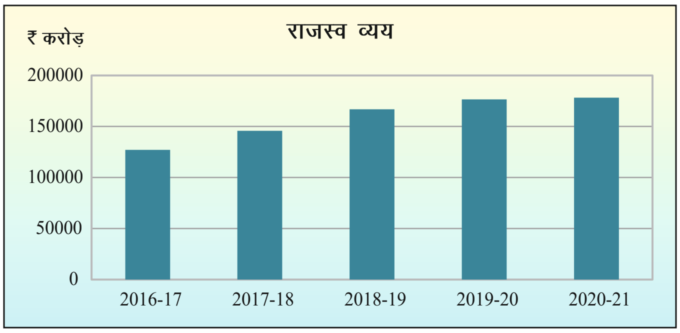

चित्र 10.9

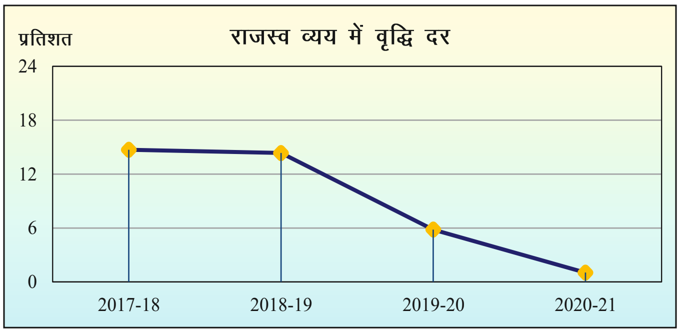

चित्र 10.10

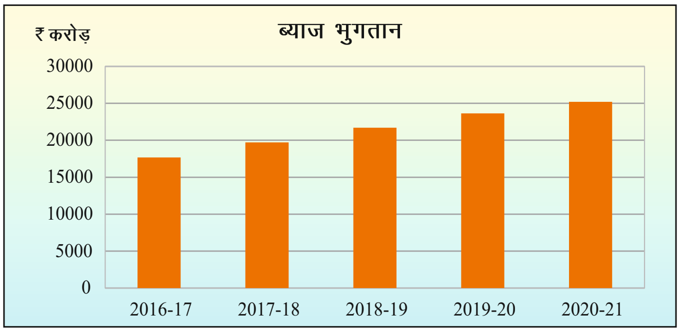

चित्र 10.11

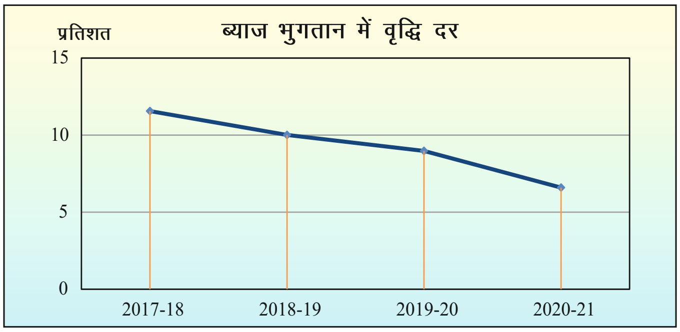

राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण तालिका 10.2 एवं चित्र 10.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2 राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण **(₹ करोड़)**

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल राजस्व व्यय	**127140**	**145841**	**166773**	**176485**	**178310**
सामान्य सेवाएं (सहायतार्थ अनुदान व अंशदान को सम्मिलित मानते हुए)	39203 (30.84)	43450 (29.79)	54364 (32.60)	56186 (31.83)	60144 (33.73)
सामाजिक सेवाएं	49372 (38.83)	53064 (36.39)	65687 (39.39)	68313 (38.71)	74010 (41.51)
आर्थिक सेवाएं	38565 (30.33)	49327 (33.82)	46722 (28.01)	51986 (29.46)	44156 (24.76)

नोटः कोष्ठक में दिए हुए समंक सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र 10.12

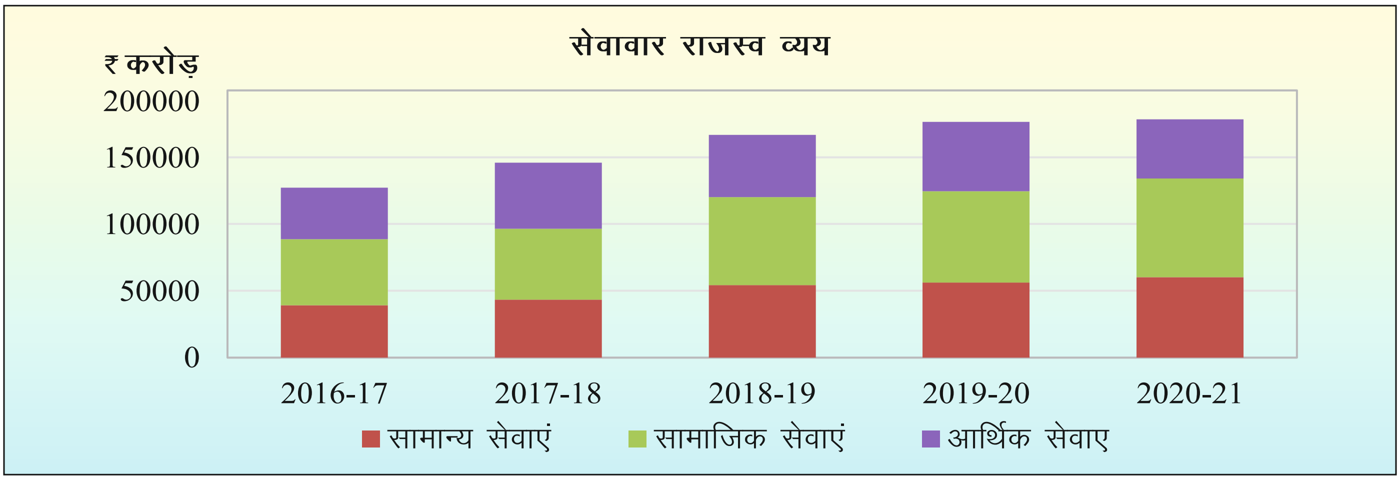

राजकोषीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

प्राप्तियों की प्रवृत्ति : वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 4.14 प्रतिशत की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में कमी रहने का मुख्य कारण गतवर्ष की तुलना में केन्द्रीय सहायता में 14.81 प्रतिशत तथा केन्द्रीय करों की हिस्सा राशि में 1.31 प्रतिशत कम राशि प्राप्त होना रहा है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 1.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुद्रांक एवं पंजीयन में 25.09 प्रतिशत, बिक्री कर में 10.33 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 2.72 प्रतिशत की वृद्धि तथा विद्युत शुल्क में (–)5.32 प्रतिशत, माल एवं सेवा कर में (–)5.46 प्रतिशत, वाहन कर में (–)11.77 प्रतिशत एवं भू–राजस्व में (–)23.77 प्रतिशत की कमी के परिणामस्वरूप रही।

व्यय की प्रवृत्ति : राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2019–20 में 78.39 प्रतिशत (उदय योजना सहित) की तुलना में वर्ष 2020–21 में 69.21 प्रतिशत रहा है तथा शेष राशि पूंजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है। वर्ष 2020–21 में योजनाओं पर व्यय ₹1,01,776 करोड़ का हुआ जो कि गत वर्ष (उदय रहित) की तुलना में 14.45 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2020–21 में वेतन एवं मज़दूरी पर व्यय, कुल व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 39.50 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2020–21 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 5.20 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2020–21 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ₹1,33,529 करोड़ (उदय योजना सहित) का रहा, जो कि समग्र व्यय का 68.8 प्रतिशत है। विकासात्मक व्यय का विवरण तालिका 10.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3 विकासात्मक व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामाजिक सेवाएं	55805	60495	72836	74089	81932
आर्थिक सेवाएं	61641	63326	59736	62720	51597
इसमें से उदय योजना	22372	15000	15000	14722	0
कुल विकासात्मक व्यय	117446	123821	132572	136809	133529
कुल व्यय	157085	167799	187524	193458	194071
विकासात्मक व्यय कुल व्यय से प्रतिशत	74.8%	73.8%	70.7%	70.7%	68.8%

पूंजीगत परिव्ययः वर्ष 2020–21 में पूंजीगत परिव्यय ₹15,270 करोड़ रहा है। जो कि गत वर्ष (उदय रहित) से 10.56 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण एवं अन्य दायित्व): वर्ष 2019–20 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारियाँ ₹3,52,702 करोड़ थी, जिसमें ₹57,797 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2021 को यह ₹4,10,499 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2019–20 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 16.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोविड–19 रहित राजकोषीय देनदारियाँ अर्थात अतिरिक्त ऋण को कम करने के पश्चात राशि ₹3,83,592 करोड रही जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.85 प्रतिशत है। राजकोषीय देनदारियों के घटक इस प्रकार हैः– (i) आन्तरिक ऋण ₹2,84,789 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार से ऋण ₹23,532 करोड़, (iii) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ₹56,325 करोड़ तथा (iv) आरक्षित निधि एवं जमा ₹45,853 करोड़।

वर्ष 2020–21 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 305.64 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020–21 के अन्त में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 5.55 गुना रही है। वर्ष 2020–21 में राजकोषीय देनदारियाँ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 40.51 प्रतिशत रही है।

राजकोषीय समेकन : वर्ष 2020–21 में ₹44,002 करोड़ का राजस्व घाटा रहा। वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा ₹59,375 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.86 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 में ₹37,654 करोड़ था जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 3.77 प्रतिशत था।

पंचवर्षीय / वार्षिक योजनाओं / स्कीमवार आय–व्ययक की समीक्षा

पंचवर्षीय / वार्षिक योजनाओं / स्कीमवार आय–व्ययक का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय तालिका–10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4 पंचवर्षीय / वार्षिक योजनाओं / स्कीमवार आय–व्ययक का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय विवरण

(₹करोड़)

योजना अवधि	अनुमोदित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)	64.50	54.15
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961)	105.27	102.74
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966)	236.00	212.70
वार्षिक योजना (1966–1967)	48.87	48.90
वार्षिक योजना (1967–1968)	43.65	39.88
वार्षिक योजना (1968–1969)	40.08	47.98
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974)	306.21	308.79
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–1979)	847.16	857.62
वार्षिक योजना (1979–1980)	275.00	290.19
षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980–1985)	2025.00	2130.69
सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985–1990)	3000.00	3106.18
वार्षिक योजना (1990–1991)	961.53	975.57
वार्षिक योजना (1991–1992)	1166.00	1184.41
अष्ठम पंचवर्षीय योजना (1992–1997)	11500.00	11998.97
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	27650.00	19566.82
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	31831.75	33951.21
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	71731.98	93954.34
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	196992.00	318065.73
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2017–2018)	81157.97	78117.34
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2018–2019)	107865.40	99743.07
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2019–2020)	116735.96	103530.80
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2020–2021)	110200.82	101924.97*
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2021–2022)	132251.35	88898.44#

* अनन्तिम व्यय # दिसंबर, 2021 तक

स्कीमवार बजट परिव्यय (2021–22)

वर्ष 2021–22 में स्कीमवार परिव्यय ₹1,32,251.35 करोड़ रखा गया। वर्ष 2021–22 के लिए मुख्य मदवार आवंटन का विवरण तालिका–10.5 व चित्र–10.13 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.5 स्कीमवार बजट परिव्यय का मदवार आवंटन 2021–22

(₹करोड़)

क्र.सं.	मुख्य मद/क्षेत्र	राशि
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	9818.74
2.	ग्रामीण विकास	15935.19
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	65.42
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4002.65
5.	ऊर्जा	18943.23
6.	उद्योग एवं खनिज	1196.15
7.	परिवहन	7941.39
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	17.59
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	69026.26
10.	आर्थिक सेवाएं	1869.71
11.	सामान्य सेवाएं	3435.02
योग		**132251.35**

चित्र–10.13

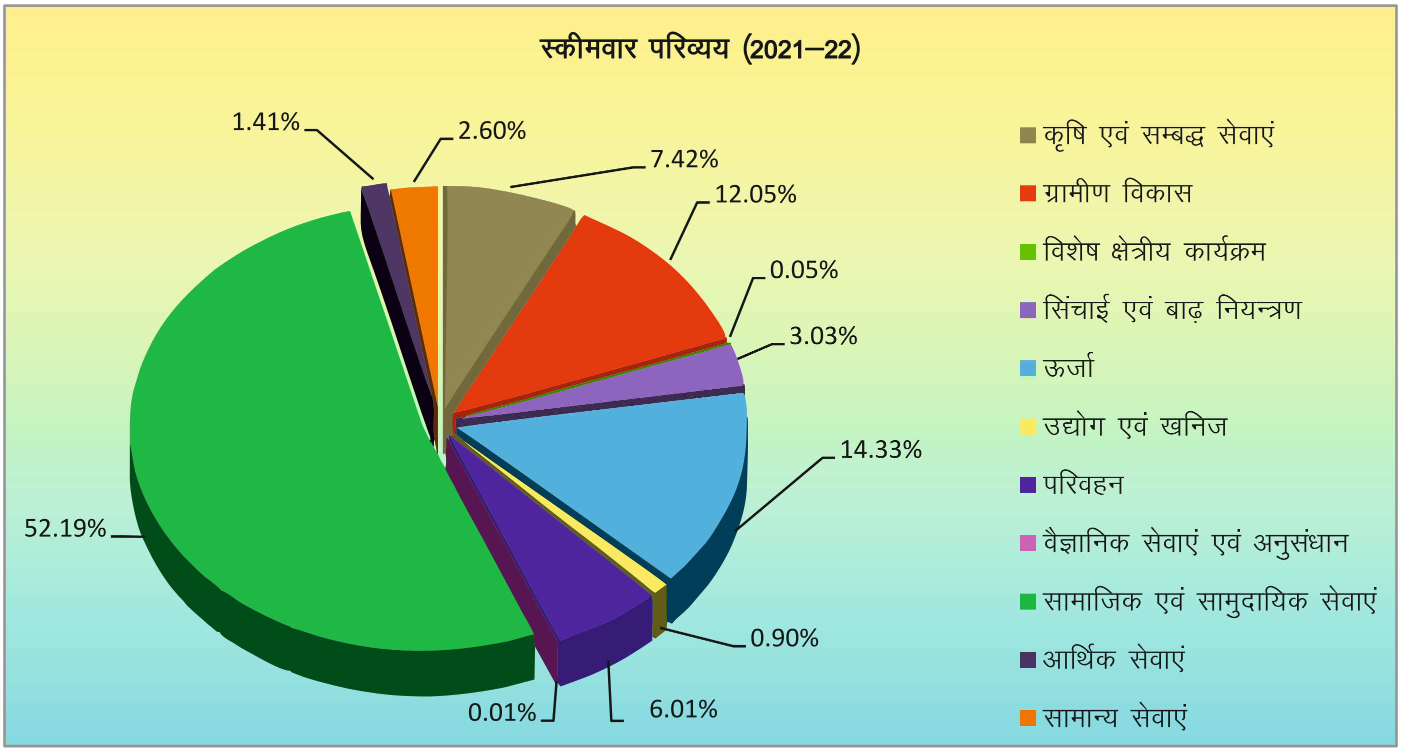

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के स्कीमवार बजट के अन्तर्गत व्यय को तालिका 10.6 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.6 स्कीमवार बजट के अन्तर्गत प्रगति वर्ष 2020–21 एवं 2021–22

(₹ लाख)

क्र.सं.	मुख्य मद	व्यय	
		2020–21*	2021–22#
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	1052622.13	552980.03
2.	ग्रामीण विकास	1088437.74	1052325.86
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	3098.36	350.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	276540.75	222599.15
5.	ऊर्जा	1468181.03	1319152.33
6.	उद्योग एवं खनिज	55514.67	90903.32
7.	परिवहन	444417.58	510972.35
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	897.79	665.02
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	5174317.21	4776001.90
10.	आर्थिक सेवाएं	206009.66	115398.17
11.	सामान्य सेवाएं	422459.79	248495.65
	योग	**10192496.71**	**8889843.78**

* अनन्तिम व्यय # दिसंबर, 2021 तक

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है।

विश्व बैंक समूह, जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.), के.एफ.डबल्यू. (जर्मन एजेन्सी), न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेन्सियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा–सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचना, ऊर्जा एवं कृषि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

राज्य सरकार को अनेक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क और आजीविका क्षेत्र राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। राजस्थान के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने में बाह्य ऋण/वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्त्रोत राज्य के लिए वृहद तौर पर अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक परियोजनाएं भी बाह्य वित्तीय सहायता से वित्त पोषित है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद स्वीकृत सभी नई बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए उसी आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिन शर्तों पर वह विदेशी संस्था से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार अब उन सेवा शर्तो यथा–परिपक्वता, ऋण स्थगन एवं ऋण समापन पर विदेशी ऋण प्राप्त कर रही है, जिन शर्तों पर भारत सरकार बाह्य एजेन्सियों से ऋण लेती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22

वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में राज्य में 11 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। जिनमें से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण क्रमशः जून, 2021 एवं सितम्बर, 2021 में पूर्ण हो गयी है। इस अवधि में राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना चरण द्वितीय (जे.आई.सी.ए.) एवं

द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (विश्व बैंक) स्वीकृत की गयी है, जो क्रमशः जुलाई, 2021 एवं अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹4,161.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 2021 तक ₹2,039.82 करोड़ व्यय किए गए।

तालिका–10.7 कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹करोड़)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/ परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 2021 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक कुल व्यय
1.	राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–II (जे.आई.सी.ए.) अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2021 तक	1152.53	7.00	1124.76
2.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–नागौर (जे.आई.सी.ए.) जनवरी, 2013 से जनवरी, 2022 तक	2938.00	300.00	@2845.24
3.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र (के.एफ.डब्ल्यू.) अक्टूबर, 2015 से जून, 2021	793.90	20.89	612.70
4.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम– (आर.यू.आई.डी.पी. चरण तृतीय) (ए.डी.बी.) नवम्बर, 2015 से जून, 2022	3672.00	487.57	2333.15
5.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (ए.डी.बी.) जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2027	3076.00	279.69	425.40
6.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–1 (ट्राँच–I) (एडीबी) नवम्बर, 2017 से मार्च, 2022	2452.36	143.06	*2819.75
7.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–I (ट्राँच–II) (ए.डी.बी.) दिसम्बर, 2019 से मार्च, 2024	2617.07	277.71	675.48
8.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम–II (विश्व बैंक) अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2024	2996.70	43.96	670.16
9.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (जे.आई.सी.ए.) अक्टूबर, 2017 से अक्टूबर, 2024	1069.40	86.83	541.77
10.	रेगिस्तान क्षेत्र के लिये जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना ट्रान्च –1 (एनडीबी) मई, 2018 से अगस्त, 2023	958.00	365.21	1213.35
11.	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना (विश्व बैंक) जुलाई, 2018 से मार्च, 2024	202.08	16.10	65.02
12.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना– चरण द्वितीय (जे.आई.सी.ए.) जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2024	4765.31	0.00	0.00
13.	द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (विश्व बैंक) अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2027	503.02	11.80	11.80
	योग	**27196.37**	**2039.82**	**13338.58**

@ एनआरडब्ल्यूडीपी का भाग शामिल

* पीपीपी का भाग शामिल

कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की परियोजनावार प्रगति निम्न प्रकार हैः–

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 (आर.एफ.बी.पी.–II) – जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) से वित्त पोषित थी। परियोजना की कुल लागत ₹1152.53 करोड़ निर्धारित की गई थी। परियोजना माह अक्टूबर, 2011 से प्रभावी होकर सितम्बर, 2021 में पूर्ण हो चुकी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य साझा वन प्रबन्धन (जे.एफ.एम.) की प्रक्रिया से कराए गए वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना था।

परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 15 जिलों यथा– बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुन्झुनूं, नागौर, चूरू, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों यथा– कुम्भलगढ़, फुलवाडी की नाल, जयसमन्द, सीतामाता, बस्सी, कैला देवी एवं रावली टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के कार्य करवाये गये।

परियोजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण, आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन उपयुक्त वानिकी प्रथाओं के माध्यम से किए गये। परियोजना गतिविधियों की योजना बनाने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन व सशक्तिकरण किया गया।

परियोजना अवधि के दौरान 83,675 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो गये है, इसके अलावा 2,00,000 क्यूबिक मीटर चेक–डेम, 5,00,967 रनिंग मीटर कन्टूर बन्डिंग एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु 5,000 हैक्टेयर में क्लोजर के कार्य परियोजना के तहत शुरू की गयी प्रमुख गतिविधियां थी। माचिया, सज्जनगढ, नाहरगढ़ एवं अभेड़ा जैविक उद्यान का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना की परियोजना पूर्णता रिपोर्ट माह नवम्बर, 2021 में जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी को प्रस्तुत कर दी गयी है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹1124.76 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹10.60 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹7.00 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–नागौर–जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की लागत ₹2,938 करोड़ है, जिसमें जे.आई.सी.ए. से ऋण के रूप में ₹2,212 करोड़, राज्यांश के रूप में ₹387 करोड़ एवं भारत सरकार के अंश के रूप में ₹339 करोड़ व्यय किए जाएंगे। परियोजना जनवरी, 2013 से प्रभावी होकर जनवरी, 2022 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना के कार्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु सतत् आधारभूत संरचना का निर्माण, स्वास्थ्य में सुधार एवं जल जनित बीमारियों में कमी करना, निवासियों के जीवन स्तर में सुधार विशेषकर महिला एवं विशिष्ट निम्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर के उत्थान का कार्य, प्रभावी एवं कुशल फ्लोरोसिस उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा फ्लोरोसिस का नियंत्रण एवं रोकथाम करना है।

इस परियोजना के माध्यम से नागौर जिले के 986 ग्रामों और 7 कस्बों यथा– लाडनूँ, परबतसर, मकराना, डीडवाना, डेगाना, नावां एवं कुचामन में इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना में जायल–मातासुख क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से लाभान्वित सभी 120 ग्रामों एवं नावां–दूदू–बीसलपुर परियोजना के 97 ग्रामों को भी लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना में नोखा–दहिया (बीकानेर) में 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का जल शोधन संयंत्र, 477 किमी. मुख्य पाइप लाईन, 1,966 किमी. राईजिंग पाइप लाईन, 939 किमी. यू.पी.वी.सी. एवं 4,965 किमी. एच.डी.पी.ई. वितरण पाइप लाईन, 44 पम्प हाऊस मय स्वच्छ जलाशय, 294 उच्च जलाशय एवं नहरी पानी के वितरण हेतु 316 किमी. विद्युत लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2045 की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए इससे 6,13,899 शहरी एवं 24,05,000 ग्रामीण व्यक्तियों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन को 10 पैकेजों में विभाजित किया गया है। सभी 9 आधारभूत विकास पैकेज के कार्य आदेश दिये जा चुके हैं उनमें से ट्रांसमिशन के 3 सिस्टम पैकेज पूर्ण हो गये है। 2 क्लस्टर वितरण प्रणाली (सी.डी.एस.–05 लाडनूं और

सी.डी.एस.–06 कुचामन) पैकेज (एनआरडीडब्ल्यूपी वित्त पोषित) के कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 290 गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जायल–मातासुख क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना के 120 गांवों को भी नहर का पानी 2018 से मिल रहा है।

शेष 4 कलस्टर वितरण पैकेज कार्य (परबतसर, मकराना, डीडवाना एवं डेगाना) के कार्यादेश अक्टूबर, 2017 में जारी किये गये व कार्य 33 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित था। कोविड–19 के कारण इन 4 पैकेजों का कार्य बाधित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पैकेज संख्या–10 फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा।

विभाग द्वारा बढायी गयी समय सीमा में कार्य की गति बनाये रखने हेतु अनेक कदम उठाये गये, जिसमें डिजाईन अनुमोदन, संवेदकों को शीघ्रता से भुगतान तथा प्रोजेक्ट मोनिटरिंग–निरीक्षण सलाहकार व संवेदक से संवाद बनाकर कार्य को गति प्रदान करने के हर संभव प्रयास किये गये। फलस्वरूप 3 सी.डी.एस. पैकेज के काम सितम्बर, 2021 में पूर्ण किये जा सके व सी.डी.एस.–4 भी जनवरी, 2022 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

परियोजना के सभी 7 कस्बों व 986 गांवों को नहरी पेयजल से लाभान्वित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹2,845.24 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹300.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹300.00 करोड़ व्यय किए गए हैं।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्य विद्युत प्रसारण तन्त्र–के.एफ.डबल्यू.

यह परियोजना के.एफ.डबल्यू. फ्रेंकफर्ट एम. मेन, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित थी। इस परियोजना की लागत ₹1,018.30 करोड़ थी। कुछ परियोजनाओं को ड्रोप/स्थगित करने और कुछ नई परियोजनाओं को शामिल करने के कारण परियोजना लागत को संशोधित कर ₹793.90 करोड़ किया गया था, जिसमें से 60 प्रतिशत (₹476.34 करोड़) के.एफ.डबल्यू. का ऋण भाग एवं 40 प्रतिशत (₹317.56 करोड़) नेशनल क्लीन एनर्जी कोष (एन.सी.ई.एफ.) द्वारा अनुदान था। परियोजना अक्टूबर, 2015 से प्रभावी होकर जून, 2021 में पूर्ण हो चुकी है।

पश्चिम राजस्थान में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर क्षेत्र में परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। परियोजनान्तर्गत सभी 11 आई.सी.बी पैकेजों का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजनान्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹612.70 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के बजट में कोई प्रावधान नही रखा गया तथा माह दिसम्बर, 2021 तक ₹20.89 करोड़ व्यय किए गए हैं, जिसमें से 60 प्रतिशत के.एफ.डबल्यू. का ऋण भाग एवं 40 प्रतिशत एन.सी.ई.एफ. अनुदान हैं।

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम – आर.यू.एस.डी.पी. (आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण)–ए.ड़ी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। ए.डी.बी. द्वारा आर.यू.एस.डी.पी. प्रोजेक्ट ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर एवं प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर स्वीकृत किए गए है। परियोजना की कुल लागत 610 मिलियन यू.एस. डॉलर (लगभग ₹3,672 करोड़ है, जिसमें ₹660 करोड़ राज्यांश के रूप में) है। परियोजना नवम्बर, 2015 से चल रही है तथा सितम्बर, 2020 तक पूर्ण की जानी थी। प्रोजेक्ट ऋण सितम्बर, 2020 में समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के माध्यम से जून, 2022 तक शेष कार्य पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना, सम्पूर्ण स्वच्छता सहित सीवरेज क्षेत्र में सुधार करना है।

प्रोजेक्ट ऋण घटक के उपयोग से पांच परियोजनाओं में चयनित शहरों यथा टोंक, श्रीगंगानगर, झुझुनू, पाली तथा भीलवाड़ा (केवल सीवरेज कार्य) में जलापूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली सुधार के कार्य किए जाएंगे। परियोजना के तहत मुख्य कार्य जलापूर्ति वितरण, निरन्तर दबाव वाली आपूर्ति के लिए जिला मीटर वाले क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क सुधार, गैर–राजस्व जल छीजत में कमी और शत–प्रतिशत मीटर्ड हाउस सर्विस कनेक्शन और सीवरेज नेटवर्क, जल उपचार, गृह कनेक्शन, उपचारित अपशिष्ठ का पुनरूपयोग आदि से संबंधित होंगें। इन अनुबन्धो में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन का प्रावधान किये गये है।

प्रोजेक्ट ऋण घटकों से सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,466 किमी में से 1,281.86 किमी सीवर लाईन डाली जा चुकी है तथा 05 सीवरेज शोधन संयत्र (एसटीपी) में से 02 एसटीपी एवं 07 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस) में से 03 एसपीएस निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इसी प्रकार पेयजल

योजना के अन्तर्गत 2,186 किमी में से 1,947.56 किमी पाईप लाईन डाली जा चुकी है साथ ही 12 पानी की टंकी में से 8 पानी की टंकी, 02 जल शोधन संयत्र में से 02 जल शोधन संयत्र, 09 स्वच्छ जलाशय में से 09 स्वच्छ जलाशय बनाये जा चुके है। 2 परियोजना यथा–पाली–2 और झुझुंनू में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है।

प्रोग्राम ऋण की राशि का उपयोग, राज्य में नीतिगत सुधारों और एकीकृत संस्थानिक निकाय व शहरी क्षेत्र की शासन व्यवस्था में सुधार के क्रियान्वयन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। हनुमानगढ़, बीकानेर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, माउण्ट आबू और उदयपुर में सीवरेज कार्य और बाँसवाड़ा में जल निकासी कार्यो को प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। प्रोग्राम ऋण की राशि को, ए.डी.बी. द्वारा दो ट्रॉन्चों मे प्रति ट्रॉन्च 125 मिलियन यू.एस. डॉलर जारी की गई है।

प्रोग्राम ऋण घटकों से सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,119 किमी में से 875.23 किमी सीवर लाईन डालने तथा 13 कि.मी. लंबे नाले का कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 एस.टी.पी. में से 4 तथा 12 एस.पी.एस में से 1 का कार्य पूर्ण हो गया है। बाँसवाड़ा शहर में ड्रेनेज एवं बीकानेर में सीवर लाइन से संबंधित कार्य पूर्ण किये जा चुके है। झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, माउंटआबू और उदयपुर में कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹2,333.15 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹779.63 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹487.57 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना-ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹3,076 करोड़, जिसमें से ₹2,154 करोड़ (300 मिलियन यू.एस. डॉलर) ए.डी.बी. द्वारा एवं ₹922.00 करोड़ (128.50 मिलियन यू.एस. डॉलर) राज्यांश के द्वारा वित्त पोषित किये जायेगे। परियोजना जनवरी, 2021 से प्रभावी होकर नवम्बर, 2027 तक पूर्ण की जायेगी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार करना है। परियोजना में 14 शहरों को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत 07 शहरों यथा आबू रोड़, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन, मंडावा, सरदारशहर और सिरोही में सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्य सम्पन्न किये जाएंगे। इसी तरह स्वच्छता कार्यों हेतु 06 शहरों यथा मकराना, प्रतापगढ़, रतनगढ़, डीडवाना, फतेहपुर एवं लाड़नूँ में सीवरेज कार्य और लक्ष्मणगढ़ शहर में जलापूर्ति कार्य सम्पन्न किए जाएंगे।

सभी 14 कस्बों के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। सीवर लाइन 631 किमी में से 443.55 किमी और जलापूर्ति लाइन 708 किमी में से 523.10 किमी पूर्ण हो चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹425.40 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में 2021–22 ₹291.39 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹279.69 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम-1 - ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,452.36 करोड़ है, जिसमें से ए.डी.बी. के ऋण के रूप में ₹1,430 करोड़ (220 मिलियन यू.एस.डॉलर), ₹224.39 करोड़ राज्यांश एवं ₹797.97 करोड़ निजी हिस्सा राशि है। परियोजना नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ हो चुकी है एवं मार्च, 2022 तक पूर्ण की जानी है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना है। परियोजना में लगभग 1,000 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को दो लेन या मध्यम लेन करना तथा सड़कों के प्रबन्धन, सड़क सुरक्षा एवं परियोजना प्रबंधन हेतु व्यापार प्रक्रिया के तरीके एवं प्रक्रिया तैयार कर पी.पी.पी. डिवीजन की दक्षता निर्माण करना सम्मिलित है।

4 पैकेजों में 980 कि.मी. लम्बाई के 16 राजमार्गों के विकास के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं (3 पैकेजों के अन्तर्गत 746 कि. मी. लम्बाई के 12 राजमार्ग पी.पी.पी. हाईब्रिड एन्यूटी मोड़ पर एवं 1 पैकेज के अन्तर्गत 234 कि.मी. लम्बाई के चार राजमार्ग ई.पी.सी. मोड़ पर)। माह दिसम्बर, 2021 तक 971 किमी. लम्बाई के राज्य राजमार्गों के विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 802 कि.मी. लम्बाई वाले 12 राजमार्गों का कार्य पूर्ण होने पर टोल वसूली का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹2,077.49 करोड़ राज्यांश व ए.डी.बी. की हिस्सा राशि से व्यय किए गए हैं एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत ₹742.26 करोड़ का निवेश भी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹415.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹143.06 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट-2-ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,617.07 करोड़ है, जिसमें ए.ड़ी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,310.81 करोड़ व ₹849.20 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे एवं निजी शेयर के रूप में ₹457.06 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की जा चुकी है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्गों पर सुरक्षा है। इस परियोजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ शामिल दो लेन या मध्यवर्ती–लेन मानकों के लिए राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के लगभग 754 कि.मी. के निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पी.पी.पी. प्रकोष्ठ की परियोजना प्रबंधन दक्षता में वृद्धि, विशेष रूप से सेफगार्ड क्रियान्वयन, मॉनिटिरिंग एवं सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

इस परियोजना में 6 पैकेजों के अन्तर्गत 754 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 4 पैकेजों के अन्तर्गत 474 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों को ई.पी.सी. मोड पर एवं 2 पैकेजों के अन्तर्गत 280 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर तैयार करवाये जाने प्रस्तावित है। ई.पी.सी. मोड के सभी 6 राजमार्गों के कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत तक के लिए निर्धारित 474 कि.मी. लम्बाई के संचित लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक 332 कि.मी. लम्बाई में डेन्सि बिटुमिन्स मैकडॉम/बिटुमिन्स मैकडॉम/सीमेंट कंक्रीट (डी.बी.एम/बी.सी. एवं पी.क्यू.सी.) निर्माण कार्य किया जा चुका है। कोविड–19 के प्रभाव के कारण इन 6 परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई है, अब इन 6 परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

एच.ए.एम. पैकेज–02 के अन्तर्गत 120 किमी. लम्बाई की 2 राजमार्गों का रियायतग्राही अनुबंध किया जा चुका है, कार्य प्रारंभ होने की सम्भावित तिथि मई, 2022 एवं समाप्ति की निर्धारित तिथि नवम्बर, 2023 सम्भावित है। एच.ए.एम. पैकेज–01 के अन्तर्गत 161 किमी. लम्बाई के 3 राजमार्गों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹675.48 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹852.75 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹277.71 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-2-विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,996.70 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा ₹893.63 करोड़ की राशि वहन की जायेगी एवं निजी अंश के रूप में ₹323.64 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना अक्टूबर, 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजमार्गों के बेहतर प्रबन्ध के लिए क्षमता निर्माण करना एवं राजस्थान राज्य के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार करना है।

परियोजना के अन्तर्गत 816 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों का दो लेन या मध्यम लेन मे उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा व परियोजना प्रबन्धन सहायता शामिल है।

इस परियोजना में 8 पैकेजों के अन्तर्गत 816 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना सम्मिलित है। 4 पैकेजों में 471 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों को तैयार करने का कार्य ई.पी.सी. मोड पर आवंटित किया जा चुका है, जिसमें से 237 किमी. लम्बाई की 2 परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 225 कि.मी लम्बाई की 4 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए निर्धारित 393 कि.मी. लम्बाई के संचित लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक 341 कि.मी. लम्बाई में डेन्सि बिटुमिन्स मैकडॉम/ बिटुमिन्स मैकडॉम (डी.बी.एम/बी.सी.) एवं सीमेंट कंक्रीट (पी.क्यू.सी.) निर्माण कार्य किया जा चुका है। हाईब्रिड एन्यूटी मोड पर 332 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्गों की निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी है, जिनमे से 130 कि.मी लम्बाई के 2 राजमार्गों के लिए रियायत समझौता किया गया है, 93 कि.मी. लम्बाई के 1 राजमार्ग का स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया जा चुका है। 109 कि.मी. लम्बाई के 2 राजमार्गों की निविदाएं पुनः आमंत्रित की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹670.16 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹570.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹43.96 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना– जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,348.87 करोड़ है। जे.आई.सी.ए. द्वारा दो ट्रांच के

रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक ट्रांच हेतु अलग–अलग ऋण अनुबन्ध किये जायेंगें। पहली ट्रांच की परियोजना लागत ₹1,069.40 करोड़ (16,148 मिलियन येन) है, जिसमें ₹908.94 करोड़ (13,725 मिलियन येन) जे.आई.सी.ए. ऋण राशि एवं ₹160.46 करोड़ (2,423 मिलियन येन) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना अक्टूबर 2017 से चल रही है एवं अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना के अन्तर्गत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किये जायेंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.) को लाभ मिलेगा।

ट्रांच–1 के अन्तर्गत राज्य के 21 जिलों–अलवर, अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, धौलपुर, डूँगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, झालावाड, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर की 2.62 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 65 लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

सी.सी.ए. की 65 उप–परियोजनाओं में से 81,034 हैक्टेयर की ₹214.24 करोड़ रुपये की 16 उप–परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राशि ₹454.30 करोड़ रुपये की 48 उप परियोजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है और शेष एक उप परियोजना की निविदा प्रक्रियाधीन है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिसम्बर, 2021 तक ₹541.77 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹465.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹86.83 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना– एन.डी.बी.

यह परियोजना न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,291.63 करोड़ है एवं यह परियोजना 5 वर्षो में 3 ट्रॅन्चेज में क्रियान्वित की जायेगी। प्रथम ट्रान्च की ₹958 करोड़ की लागत में से ₹669.40 करोड़ (100 मिलीयन यूएस डॉलर) एन.डी.बी. द्वारा और ₹288.60 करोड़ (43.11 मिलीयन यूएस डॉलर) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना मई, 2018 से चल रही है एवं अगस्त, 2023 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना अन्तर्गत इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की 114 कि.मी. लम्बाई में रिलाईनिंग, वितरण तंत्र जीर्णोद्धार, मरम्मत/सुधार, 22,851 हैक्टेयर जल प्लावन क्षेत्रों में भूमि सुधार तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित सिंचित क्षेत्र के विकास कार्य कराये जायेंगें।

विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की तय लाईनिंग 375 आरडी (114 किमी) के विरूद्ध 254 आरडी (77.45 किमी) लाईनिंग का कार्य 2018, 2019 व 2021 के क्लोजर में राशि ₹435.24 करोड़ व्यय कर पूर्ण करवाया जा चुका है। वर्ष 2020 के क्लोजर के दौरान कोविड–19 महामारी फैलने के कारण लॉक डाउन के फलस्वरूप कार्य नहीं कराये जा सके, जिन्हें वर्ष–2021 के क्लोजर में पूर्ण कराया गया।

इसके अतिरिक्त मुख्य नहर के वितरण तन्त्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु 79 कार्यादेश ₹951.27 करोड के जारी किये जा चुके है, इनमे से 68 कार्य ₹666.13 करोड राशि व्यय कर पूर्ण कराये जा चुके है एवं शेष 11 कार्यादेश राशि ₹258.60 करोड़ के कार्य प्रगतिरत है। वितरण तन्त्र की परियोजना में प्रस्तावित कुल 2,498.69 किमी के विरूद्व 1,021.82 किमी लम्बाई में जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण करवा लिये गये है।

परियोजना के द्वितीय चरण राशि ₹2,250.45 करोड़ के ऋण अनुबन्ध हेतु विभाग द्वारा ट्रॅांच रीलिज रिक्वेस्ट आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार को भिजवा दी गई है एवं अनुबन्ध मार्च 2022 तक सम्भावित है। परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ से माह दिसम्बर, 2021 तक ₹1213.35 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹378.42 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹365.21 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना– विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹202.08 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण राशि ₹141.46 करोड़ है (21.7 मिलीयन यू. एस. डॉलर) और ₹60.62 करोड़ (9.30 मिलीयन यू. एस. डॉलर) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना जुलाई, 2018 से चल रही है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

राजस्थान में वित्तीय स्वास्थ्य, जवाबदेही एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गये है। इसी निरंतरता में वर्तमान में राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना के मुख्य घटक हैः—

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना
- व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना
- परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण

परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विभागों के एस.पी.एफ.एम. परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विभागों के लिए विभिन्न सलाहकारों की सेवाएं और आई.टी. हार्डवेयर उपकरणों को शामिल किया गया है

परियोजना के माध्यम से बेहतर बजट नियोजन एवं क्रियान्वयन की दिशा में सुधार से जवाबदेही पारदर्शिता, सार्वजनिक व्यय एवं राजस्व प्रणाली में दक्षता, सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि अपेक्षित है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत 16 अनुबंध निष्पादित किये जाकर सहभागी विभागों में सलाहकार फर्मो द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 07 अनुबन्ध से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है व 09 अनुबन्ध से संबंधित कार्य निरन्तर प्रगति पर है।

कोविड—19 महामारी के प्रभावों के कारण परियोजना प्रगति प्रभावित हुई है। परियोजना के अर्न्तगत आरम्भ से माह दिसम्बर, 2021 तक ₹65.02 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में ₹42.11 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹16.10 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण—जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को—ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,765.31 करोड़ है, जिसमें जल जीवन मिशन (भारत सरकार का हिस्सा) ₹1985.17 करोड़, राज्यनिधि (ग्रामीण) ₹577.14 करोड़, राज्यनिधि (शहरी) ₹28.35 करोड़ और जे.आई.सी.ए. ऋण ₹2,174.65 करोड़ है। परियोजना जुलाई, 2021 से प्रभावी होकर दिसंबर, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जलशोधन प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं का निर्माण, ग्राम जल स्वच्छता समिति के क्षमता विकास के साथ—साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए योगदान मिलता है।

परियोजना के तहत झुंझुनू जिले के 2 कस्बों यथा सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी में पेयजल जलापूर्ति एवं 3,50,239 घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के माध्यम से बाड़मेर और झुंझुनू जिले के 1,173 गांवों और 4,184 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

परामर्श पैकेजः परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (पीएमएससी) के चयन के लिए परामर्शदाताओं के शॉर्ट लिस्टिग का कार्य प्रगति पर है। प्राप्त 13 सलाहकारों के आवेदनों में से 4 सलाहकार आवेदनों को समिति के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट सलाहकारों को जारी किए जाने वाला रिक्वेस्ट फॉर प्रप्रोजल दस्तावेज अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

निर्माण पैकेजः सभी 4 निर्माण पैकेजों के तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव तैयार किए जा रहे है। सलाहकार को परामर्श कार्य सौंपे जाने के बाद परियोजना पर वित्तीय प्रगति मार्च, 2022 से शुरू होना संभावित है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में ₹4.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना—विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक (ए.आई.आई.बी.) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹503.02 करोड़ (70.27 मिलीयन यू एस डॉलर) है, जिसमें से ₹352.11 करोड़ (49.04 मिलीयन यू एस डॉलर) विश्व बैंक एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक और ₹150.91 करोड़ (21.23 मिलीयन यूएस डॉलर) राज्यांश ऋण राशि के रूप में प्राप्त होगें। परियोजना अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होकर मार्च, 2027 तक पूर्ण की जानी है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.) चरण—द्वितीय 13 राज्यों में प्रारंभ की गई है, जिसमें राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है। यह परियोजना बांधों की सुरक्षा बढ़ाने, बांध सुरक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने, सुरक्षा प्रबंधन, बांध सुरक्षा के वित्तीय पोषण एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ाने के उद्धेश्य से प्रारंभ की गई है।

परियोजनान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार परियोजनान्तर्गत 36 बांधों (2020—21 के लिए 18 बांध और 2021—22 के लिए 18 बांध) पर कार्य करवाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020—21 की बजट घोषणा के 18 बांधों में से 06 बांधों (बीसलपुर, माही बजाज सागर, जवाई, सुकली सेलवाड़ा,

गंभीरी एवं मातृकुण्डिया) हेतु ₹117.00 करोड़ के कार्यादेश दिये जा चुके है एवं कार्य प्रगतिरत है। राशि ₹27.00 करोड़ की 02 निविदाओं सोम कमला अम्बा एवं छापी का कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के 14 बांधों की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी.एस.टी.) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लक्षित सभी बांधों की पी.एस.टी. तैयार कर, 10 बांधों की पी.एस.टी. केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹51.35 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2021 तक ₹11.80 करोड़ व्यय किए गए हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

परिचय

आधारभूत संरचना उत्पादकता, विकास और निर्धनता में कमी का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। आधारभूत संरचना क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता उच्च उत्पादकता स्तर, परिवहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को बढावा देती है। तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती शहरी आबादी, गाँवो से शहरों की ओर बढता पलायन और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बढती हुई मांग से विद्यमान बुनियादी सुविधाओं पर भार बढा है। सरकार के बजटीय संसाधन बढ़ती बुनियादी सुविधाओं की मांग को पूरा करने में कम पड़ रहे है।

राजस्थान सरकार का मानना है कि निजी पूंजी के द्वारा आधारभूत संरचना की व्यवस्था में नवाचारों और दक्षता को बढाने के समग्र उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही सार्वजनिक सेवाओं के स्तर में सुधार एवं दक्षता सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक आधारभूत संरचना में निरंतर विस्तार एवं उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की दक्षता, उपक्रम एवं वित्त का भी उपयोग किया जा रहा है।

निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल

नवीन आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ–साथ विद्यमान परिसम्पत्तियों के प्रबंधन दोनों में, पीपीपी को बढावा एवं समर्थन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की कई नीतियों और संस्थागत नवाचारों के फलस्वरूप, राज्य विशेषकर सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य क्षेत्रों में, सफल कार्यान्वयन के साथ विगत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का साक्षी रहा है।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

अ. संस्थागत व्यवस्था

राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने एक त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचा अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

1) अनुमोदन समितियां –

क) काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी)–आधारभूत संरचना परियोजनाओं, विशेषकर सार्वजनिक –निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) का गठन किया गया है। सी.आई.डी विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा उन सभी पी.पी.पी. परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है, जिनकी लागत ₹500 करोड़ से अधिक है।

ख) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी) – राज्य सरकार द्वारा, सी.आई.डी के कार्यो के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी.) का भी गठन किया गया है। ई.सी.आई.डी. द्वारा सी.आई.डी. को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ सी.आई.डी. के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया जाता है। सी.आई.डी. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाही भी इस कमेटी के द्वारा सम्पन्न की जाती है। आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, सी.आई.डी एवं ई.सी.आई.डी. के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

ग) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्टस् राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आर.एस.एच.डी.पी) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर

स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का पृथक से गठन किया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

घ) स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) — राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधित) नियम—2015 के प्रावधानों के अनुसार स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। यह स्टेट लेवल कमेटी, स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (पी.पी.पी. एवं गैर पी.पी.पी. दोनों) पर विचार व परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग है।

2) पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी) — सार्वजनिक—निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007—08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। यह सैल पीपीपी से संबंधित उत्तम क्रियाविधियों, दिशा—निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है। यह सी.आई.डी., ई.सी.आई.डी. एवं एस.एल.ई.सी. के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। पीपीपी सैल, आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव जो राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।

3) संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी) — राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग/एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

ब. निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम

1) प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) को पीपीपी मोड में बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।

2) रोड इन्फ्रास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) को राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में विकसित किया गया।

3) सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल) को भादला (जोधपुर) में 1,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में विकसित किया गया।

4) एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) को जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में विकसित किया गया।

5) अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) को जैसलमेर और भादला (जोधपुर) में 2,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2015 में विकसित किया गया।

स. परियोजना विकास कोष (पीडीएफ)

निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष 2003 में प्रारम्भ में 5 वर्षों के लिए ₹4.50 करोड़ का एक कोष बनाया गया था, जिसे बाद में 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया।

वर्ष 2011 में भी निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ राज्य में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और सहायता के लिए ₹25 करोड़ के प्रारम्भिक कोष से राजस्थान आधारभूत संरचना परियोजना विकास कोष (आर.आई.पी.डी.एफ.) बनाया गया। आर.आई.पी.डी.एफ. 18 जून 2015 से निष्प्रभावी/विघटित हो गया है।

वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति, संबंधित प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट/बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आई आई पी डी एफ) के तहत, केंद्रीय सहायता लेकर कर सकते है।

द. सौदा सलाहकार सेवाएं

राज्य के प्रशासनिक विभाग सौदा सलाहकार सेवाओं (वित्तीय परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार) की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन मार्ग के माध्यम से सक्षम हैं। आरटीपीपी नियम, 2013 अन्तर्गत, प्राथमिकता पर, निम्नलिखित में से किसी एक से परामर्शदात्री सेवाएं लेने का भी प्रावधान हैः —

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)

2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।

3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला एक समनुषंगी।

4. राईट्स लिमिटेड, भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।

5. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.), पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी।

6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

7. पीडीकोर लिमिटेड सामाजिक आर्थिक/बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरणीय सुधार, दक्षता सुधार आदि के लिए संसाधन जुटाने (जैसे पीपीपी परियोजनाओं/परिसंपत्ति पुनर्विकास/परिसंपत्ति मुद्रीकरण) सहित परियोजना/कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एंड टू एंड आधार पर पेशेवर सेवाओं के लिए, परामर्श सेवाओं को छोड़कर जहां कार्यान्वयन की सफलता में बिना किसी भूमिका/हिस्सेदारी के केवल परामर्श की आवश्यकता होती है, बशर्ते (।) पीडीकोर लिमिटेड को देय शुल्क, सोपानों से जुड़े पेशेवर शुल्क और परियोजना/कार्यक्रम के पूरा होने से जुड़ी उपलब्धि/सफलता शुल्क का योग है। और (।।) सभी मामलों में सफलता शुल्क के रूप में पीडीकोर लिमिटेड को कुल सेवा शुल्क का न्यूनतम 50 प्रतिशत देय है।

सरकारी विभागों/अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का परियोजना संरचना, वित्तीय विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, कानूनी विश्लेषण, अनुबंध दस्तावेज तैयार करने, खरीद प्रसंस्करण, प्री–फिजीबिलिटी और विस्तृत–फिजीबिलिटी/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा पीपीपी परियोजना लाने में सहयोग एवं अन्य सहायता के लिए राज्य सरकार ने पांच (5) सौदा सलाहकारों का एक पैनल बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिसे शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए तथा जरूरत पड़ने पर इसे एक वर्ष के लिए ओर बढ़ाया जा सकता है।

समय–समय पर संशोधित आरटीपीपी अधिनियम, 2012 और बाद के आरटीपीपी नियम, 2013 के अनुसार परियोजना–विशिष्ट संदर्भ की शर्तें जारी करके और परियोजना विशिष्ट वित्तीय प्रस्ताव की मांग करके विभिन्न खरीद संस्थाओं द्वारा चयनित लेनदेन सलाहकारों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

य. वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जारी की गई।

पीपीपी प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन बड़े पूंजी–निवेश की आवश्यकताओं, दीर्घकालीन समयावधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता आदि के कारण वाणिज्यिक रूप से वायबल नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की ''आधारभूत संरचना में पीपीपी को वित्तीय समर्थन के लिए योजना'' के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता आकर्षित कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप–योजनाओं अन्तर्गत अधिक वीजीएफ समर्थन देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है:–

उप–योजना–1: भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत परिचालन लागत की वसूली के साथ सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं यथा अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए टीपीसी का अधिकतम 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत + 30 प्रतिशत प्रत्येक) संवर्धित वीजीएफ सहायता प्रदान की जा सकती है।

उप–योजना–2: यह केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नमूना/पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने तक ही सीमित है। इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक और राज्य सरकार टीपीसी के अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन, आगे प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) के बाद पहले 5 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत का

अधिकतम 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत + 25 प्रतिशत प्रत्येक) तक वीजीएफ समर्थन प्रदान किया जा सकता हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अन्य सभी क्षेत्रों को परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत वीजीएफ समर्थन मिलता रहेगा, जहां केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना के टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन प्रदान करेगी और राज्य सरकार कैपेक्स के लिए टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक का वीजीएफ समर्थन आगे बढ़ा सकती है।

र. मॉनिटरिंग क्रियाविधि

राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से, दोनों, परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर मासिक एवं विभागीय स्तर पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। आयोजना विभाग के पीपीपी सैल द्वारा भी राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की तीन श्रेणियां यथा पूर्ण की गई परियोजनाओं, प्रगतिरत परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

ल. अन्य समर्थककारी प्रयास

पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित द्वारा भी सहायता मिली है: –

1) सड़क विकास नीति, 2013

राजस्थान वर्ष 1994 में, राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड—ऑपरेट—ट्रांसफर (बीओटी) आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था।

हाल के वर्षों में सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में राज्य अग्रणी रहा है।

2) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल पर ₹1 का उपकर (सैस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया। उपकर की दरों को समय—समय पर संशोधित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है।

3) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014

राजमार्गो की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ—साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2015 में एक व्यापक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम बनाया गया।

4) क्षमतावर्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)

राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए, आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, उपापन और पोस्ट अवॉर्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने हेतु प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है।

आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशलन पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (एन.पी.सी.बी.पी.), राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यकारी एजेन्सियों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों को पीपीपी परियोजनाओं की अवधारणा, संरचना, अवॉर्ड, क्रियान्वयन और मॉनिटंरिग में सक्षम बनाने के लिए बड़े स्तर पर संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना था।

एन.पी.सी.बी.पी. की परिणति को चिह्नित करने के लिए, आयोजना विभाग के पीपीपी सैल, राजस्थान सरकार को आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2014 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

आयोजना विभाग का पीपीपी सैल राज्य में उपलब्ध सभी राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी पर रिसोर्स सपोर्ट प्रदान कर रहा है।

व. राज्य के लिए पीपीपी पॉलिसी

राजस्थान सरकार ने पीपीपी भागीदार की खरीद प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए राज्य के लिए एक व्यापक पीपीपी पॉलिसी तैयार करने का भी निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री की राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (सीएमआरईटीएसी) द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निजी सहभागिता पर एक अध्ययन भी किया जा रहा है। वर्तमान में, सीएमआरईटीएसी ड्राफ्ट पीपीपी पॉलिसी और अनुसंधान अध्ययन के साथ जुड़े मुद्दों को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

ष. राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति

सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत अवसंरचना, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य की पीपीपी परियोजनाओं का तीन श्रेणियों में यथा पूर्ण परियोजनाओं, क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं का दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति में समग्र संक्षिप्त विवरण तालिका–10.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.8 क्षेत्रवार संचालित सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं की 31 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति

क्र.स.	सेक्टर	पूर्ण परियोजनाएं		क्रियान्वित की जा रही परियोजनाए		प्रक्रियाधीन /पाईपलाईन परियोजनाएं	
		संख्या	₹करोड़	संख्या	₹ करोड़	संख्या	₹करोड़
1	सड़कें (राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग)	70	8142.29	5	597.87	10	2600.36
2	शहरी आधारभूत ढांचा*	26	535.67	9	530.97	22	7478.50
3	ऊर्जा	13	7297.16	7	1157.66	3	1574.42
4	जलापूर्ति	1	46.00	-	-	1	365.00
5	सूचना प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6	सामाजिक*	61	560.62	6	39.95	5	683.93
7	अन्य	15	160.36	1	6.00	7	59.35
योग		**187**	**16796.11**	**28**	**2332.45**	**48**	**12761.56**

*नोटः विभिन्न शहरों में जन सुविधाओं का संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सम्बद्ध उप केन्द्रों का संचालन, सी.टी. स्कैन मशीन का संचालन, सी.टी. स्कैन एवं एम.आर.आई. मशीनों की स्थापना एवं संचालन, आई.वी.एफ. केन्द्रों का संचालन, हिमोडायलिसिस का संचालन, स्वचालित ड्राइविंग ट्रेक और फुट ओवर ब्रिज को सम्बन्धित श्रेणी में एक परियोजना के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारांश यह दर्शाता है कि 31 दिसम्बर, 2021 तक ₹16,796.11 करोड़ के निवेश वाली 187 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 28 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹2,332.45 करोड़ है, के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और ₹12,761.56 करोड़ लागत की अन्य 48 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन अथवा पाइपलाइन में हैं।

*****

अध्याय **11**

सतत् विकास गोल्स् (एस.डी.जी.)

एक दृष्टि में

- सितम्बर, 2019 में आयोजित एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने सतत् विकास गोल्स् को अर्जित करने में 10 वर्ष से भी कम समय शेष होने पर इस अवधि को एस.डी.जी. को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयासो में तेजी लाने वाले '**कार्रवाई दशक (Decade of Action)**' के रूप में घोषित किया है।
- भारत भी **'कार्रवाई दशक'** के पथ पर आगे बढ़ा है और एस.डी.जी. के सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों (Targets) को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ–साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर (Horizontal and Vertical) नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एस.डी.जी. के समग्र समन्वय एवं मॉनिटरिंग के लिए लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है।
- जुलाई, 2020 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में द्वितीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review-VNR) प्रस्तुत की गई।
- राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के वर्जन 3.1 में 295 संकेतक (Indicator) सम्मिलित किये गये हैं।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स एवं डेशबोर्ड के तृतीय संस्करण में भारत के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। यह वर्ष 2019–20 के 60 से बढकर वर्ष 2020–21 में 66 हो गया है जो कि एस.डी.जी. को अर्जित करने में राष्ट्र के समग्र रूप से आगे बढने को इंगित करता है। राजस्थान ने भी अपने एस.डी.जी. समग्र स्कोर में सुधार किया है। यह वर्ष 2019–20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 60 हो गया है।
- राजस्थान ने राज्य एवं जिला स्तर पर एस.डी.जी. की उपलब्धियों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिये राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (State Indicator Framework-SIF) और जिला संकेतक फ्रेमवर्क (District Indicator Framework-DIF) जारी किया है जिनमें क्रमशः 330 व 251 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है।
- एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिये जिलो के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स, 2021 (संस्करण 2.0) को मार्च, 2021 में जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

सतत् विकास गोल्स् गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी ग्रह (Planet) की रक्षा करने, शांति लाने और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर और सम्भावनाओं में सुधार करने के लिए सार्वभौमिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करता है।

वर्ष 2015 में सतत् विकास एजेण्डा 2030 के भाग के रूप में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों द्वारा 17 गोल्स् को अपनाया गया और इन गोल्स् की प्राप्ति हेतु 169 टार्गेट्स वाली 15 वर्षीय योजना 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई। प्रत्येक गोल्स् के टार्गेट्स में हुई उपलब्धि को मापने हेतु इन्हें संकेतको के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में, वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (Global Indicator Framework-GIF) में 247 संकेतक सम्मिलित है।

एजेण्डा 2030 के केन्द्र के 5 महत्वपूर्ण आयाम – लोग (People), समृद्धि (Prosperity), पृथ्वी (Planet), साझेदारी (Partnership) एवं शांति (Peace) है, जिन्हें 5 पीज् (Ps) के नाम से जाना जाता है। परम्परागत रूप से देखे जाने वाले तीन प्रमुख तत्वों यथा सामाजिक समावेशन, आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त सतत् विकास गोल्स् एजेण्डा 2030 में दो महत्वपूर्ण घटकों यथा भागीदारी एवं शांति को जोड़कर इसे और अधिक समृद्ध अर्थों में लिया जा कर अपनाया गया है। वास्तव में सतत् विकास इन पांच आयामों पर निर्भर है। एजेण्डा 2030 में निम्नलिखित मूल सिद्धान्त सम्मिलित है:

सार्वभौमिकता (Universality): एजेण्डा 2030, सभी देशों के लिये उनके आय के स्तरों एवं विकास की स्थिति की भिन्नता के बावजूद, सतत् विकास की दिशा में व्यापक प्रयास करने में योगदान देने के अवसरों एवं प्रतिबद्धता के रूप में सार्वभौमिक है। यह एजेण्डा सभी राष्ट्रो में हर समय एवं सभी संदर्भो में लागू होता है।

'कोई भी पीछे ना रहे' (Leaving No One Behind) : एजेण्डा 2030, सभी लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करता है और यह सभी जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग के लोगों, वो जहाँ भी हो, उनकी विशेष चुनौतियों एवं कमजोरियों को दूर करने के लिए पंहुच स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि 'कोई भी पीछे न रहे'। इसके लिए यह परिणामो के विश्लेषण एवं प्रगति को मापने हेतु स्थानीय और विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत समंकों (Data) की विशेष आवश्यकता पर जोर देता है।

अंतर्संबंधता एवं अविभाज्यता (Interconnectedness and Indivisibility) : एजेण्डा 2030 के सभी 17 गोल्स् अविभाज्य होने के साथ–साथ आपस में संबंधित है।

समावेशी (Inclusiveness): एजेण्डा 2030, इसके क्रियान्वयन में योगदान करने के लिये नस्ल, लिंग, जाति और पहचान की भिन्नता के बावजूद समाज के सभी वर्गो की भागीदारी का आह्वान करता है।

बहु–हितधारकों की भागीदारी (Multi-Stakeholder Partnerships): एजेण्डा 2030, सतत् विकास गोल्स् को सभी देशो द्वारा अर्जित करने में ज्ञान, विशेषज्ञता, तकनीकी व वित्तीय संसाधनों को साझा करने और सहयोग करने हेतु सभी हितधारकों की भागीदारी स्थापित करने हेतु निर्देशित करता है।

चित्र 11.1: सतत् विकास गोल्स्–2030 वैश्विक एजेण्डा एवं 5 पीज् (Ps)

एस.डी.जी. 2030 एजेण्डा:

- क्रियान्वयन अवधि : 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2030
- 17 गोल्स, 169 टार्गेट्स एवं 247 वैश्विक संकेतक
- 'कोई भी पीछे ना रहे'
- सार्वभौमिक

विश्व के नेताओं ने सितम्बर, 2019 में आयोजित एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन में सतत् विकास गोल्स् को प्राप्त करने में शेष रही 10 वर्ष से भी कम अवधि को '**कार्रवाई दशक (Decade of Action)**' के रूप में घोषित किया गया है और सतत् विकास गोल्स् को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु वित्तीय संसाधनों को संचालित करने, राष्ट्रीय क्रियान्वयन को बढ़ाने एवं संस्थानों को सुदृढ़ करने का संकल्प लेने हेतु कहा है, ताकि कोई भी पीछे ना रहे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने समाज के सभी क्षेत्रों से 'कार्रवाई दशक (Decade of Action)' के लिये निम्नलिखित तीन स्तरों पर कार्य करने हेतु आह्वान किया गया है:

- **वैश्विक स्तर (Global Action)** – एस.डी.जी. के लिये वृहत नेतृत्व को बनाये रखना, अधिक संसाधन एवं बेहतर समाधान प्राप्त करना।
- **स्थानीय स्तर (Local Action)** – सरकारों, शहरों एवं स्थानीय प्राधिकरणों की नीतियों, बजट प्रावधानों, संस्थानों तथा नियामक फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधारो को लागू करना।
- **आमजन स्तर (People Action)** – आवश्यक सुधारों हेतु अनवरत प्रयास करने के लिये युवाओं, नागरिक संगठनों, मीडिया, निजी क्षेत्रों, संघों, शिक्षाविदों एवं अन्य भागीदारों को संगठित करना।

सभी राष्ट्रों द्वारा गरीबी और लैंगिक असमानता को दूर करने से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए उपायों और क्रियान्वयन को गति प्रदान की जा रही है। सतत् विकास गोल्स् को अपनाने के बाद से गत 5 वर्षो में विकास के सभी प्रमुख भागीदारों की राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर एस.डी.जी. को अपनाने, क्रियान्वित करने एवं मॉनिटरिंग किये जाने की आवश्यकता तथा शीघ्रता पर आम सहमति बनी है। यह सहमति, सरकार के सभी स्तरों पर नागरिक समुदायों, निजी क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से मुख्य कार्यों के रूप में रूपान्तरित हो रही है।

17 सतत् विकास गोल्स् (एस.डी.जी.)

गोल 1: गरीबी का अंत (No Poverty)

गोल 1 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक न केवल मौद्रिक दृष्टि से बल्कि सभी रूपों एवं आयामों में गरीबी का उन्मूलन करना है। इसमें सबसे वंचित को लक्षित करना, आधारभूत संसाधनों एवं सेवाओं में बढ़ोतरी करना तथा संघर्षो व जलवायु संबंधी आपदाओं से प्रभावित समुदायों की सहायता करना सम्मिलित है। यह सामाजिक सुरक्षा की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन करने के लिये निर्देशित करता है। इस गोल में विकास सहयोग को बढाने सहित संसाधनों को विभिन्न स्त्रोतों से संचालित करने के महत्व पर भी बल दिया गया है।

गोल 2: भूखमरी समाप्त करना (Zero Hunger)

गोल 2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की भूखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करना तथा सभी लोगों विशेषकर बच्चों तक वर्ष पर्यंत पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें सतत् कृषि को बढ़ावा देना, लघु कृषको का सहयोग करना तथा भूमि, प्रोद्योगिकी एवं बाजारों तक समान पंहुच सम्मिलित है। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। यह गोल कृषि उत्पादकता को दोगुना करने, बीजों, पौधों एवं कृषि में उपयोगी जानवरों की आनुवंशिक विविधता को बनाये रखनें तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती की क्षमता को सुदृढ़ करने पर भी केन्द्रित है।

गोल 3: आरोग्य एवं कल्याण (Good Health and Well Being)

सतत् विकास के लिये अच्छा स्वास्थ्य परम आवश्यक है तथा एजेण्डा 2030 इन दोनों की जटिलता एवं अतंःसम्बन्धता को दर्शाता है। इसमें बढ़ती आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं, तेजी से हो रहे शहरीकरण, जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी खतरों, एच.आई.वी. एवं अन्य संक्रामक रोगों के निरंतर बढते भार तथा गैर–संचारी रोगों जैसी उभरती नवीन चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के मामलों पर भी एक नये सिरे से ध्यान केन्द्रित करने हेतु कहा गया है। वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती दवाओं की उपलब्धता सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इस गोल के अभिन्न अंग है।

गोल 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)

सभी के लिये समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करना सतत् विकास के लिये

सबसे मजबूत एवं प्रमाणित साधनों में से एक होने की पुष्टि करता है। इस गोल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों एवं लड़कों की प्राथमिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूर्ण करना तथा किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षणों तक समान पहुंच प्रदान कर जेण्डर एवं धन की असमानताओं का उन्मूलन करना और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धता सुनिश्चित करना हैं। इसके अतिरिक्त, यह जीवन भर सीखने के अवसरों पर जोर देता है ताकि वयस्क साक्षरता एवं अंक–ज्ञान के उचित स्तर को प्राप्त किया जा सके तथा बच्चों, विशेष योग्यजनों एवं जेण्डर संसेटिव वर्तमान शिक्षा सुविधाओं का निर्माण व उन्नयन किया जा सके।

गोल 5: लैंगिक समानता (Gender Equality)

5 लैंगिक समानता

महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध किये जाने वाले सभी भेदभावों को समाप्त करना एक मौलिक मानव अधिकार है तथा सतत् विकास के लिये एक पूर्व आवश्यकता है। गोल 5 महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा, तस्करी एवं यौन शोषण को समाप्त करने का आह्वान करता है। महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में निर्णय लेने के लिये सभी स्तरो पर पूर्ण व प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसरो की महत्वपूर्णता पर जोर देने के साथ निःशुल्क देखभाल एवं घरेलू काम के मूल्यों को मान्यता देना इस गोल के प्रमुख घटक है।

गोल 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)

6 शुद्ध जल एवं स्वच्छता

गोल 6, वर्ष 2030 तक सभी के लिये सुरक्षित एवं किफायती जल, सफाई सुविधाओं एवं स्वच्छता की उपलब्धता की मांग करता है। कृषि एवं उद्योगों में भी जल संसाधन महत्वपूर्ण हैं और इसके लिये जल–संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित एवं पुनःस्थापित करना अनिवार्य है। इस गोल का उद्देश्य प्रदूषण को कम कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, सभी क्षेत्रों में जल–उपयोग कुशलता में पर्याप्त वृद्धि करना तथा जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार करने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुदृढ़ करना है।

गोल 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)

7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा

सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये ऊर्जा सुरक्षा एक पूर्व आवश्यकता है। ऊर्जा की उपलब्धता लोगो को उनकी आय एवं उत्पादकता बढाने, स्वास्थ्य देखभाल, जल व शिक्षा तक पहुंच बढाने तथा उनकी समग्र खुशहाली में सुधार करने में सक्षम बनाती है। गोल 7 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक किफायती, विश्वसनीय एवं कुशलतापूर्ण ऊर्जा सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों में स्वच्छ एवं कुशल ऊर्जा प्रदान करने हेतु बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना महत्वपूर्ण है।

गोल 8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास (Decent Work and Economic Growth)

8 समानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास

गोल 8 सतत् आर्थिक विकास, उत्पादकता के उच्च स्तर एवं प्रौद्योगिकीय नवाचार को बढ़ावा देता है। बंधुआ मजदूरी, दास–प्रथा एवं मानव तस्करी का उन्मूलन करने हेतु प्रभावी उपाय के रूप में उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण हैं। इसमें श्रम अधिकारो को संरक्षित करने तथा सम्मानजनक कार्यो के सृजन, सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण का समर्थन करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना भी अपेक्षित है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2030 तक सभी महिलाओं एवं पुरूषों के लिये पूर्ण व उत्पादक रोजगार तथा सम्मानजनक कार्य को प्राप्त किया जाना लक्षित है।

गोल 9: उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना (Industry, Innovation and Infrastructure)

9 उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना

यह गोल नवाचार में निवेश तथा विश्वसनीय एवं परिवर्तनशील बुनियादी ढ़ाचें को बढ़ावा देता है, जो कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य संसाधन कुशलता में वृद्धि तथा वृहत्तर रूप से स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों व औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाने को बढ़ावा देना भी है। यह सतत् विकास को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में सतत् उद्योगो को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश के महत्व को मान्यता देता है।

गोल 10: असमानताओं में कमी लाना (Reduced Inequalities)

10 असमानताओं में कमी लाना

यह गोल अवसरों की समान उपलब्धता तथा उम्र, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जाति, मूल, धर्म, आर्थिक या समाज में व्याप्त

अन्य कोई स्थिति से निरपेक्ष सभी के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समावेश सुनिश्चित कर न केवल आय की असमानताओं बल्कि सभी परिणामिक असमानताओं को उत्तरोत्तर कम करने की भी मांग करता है। इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और उनके पक्ष को बढ़ावा देना भी है।

गोल 11: संधारणीय शहर एवं समुदाय (Sustainable Cities and Communities)

11 संधारणीय शहर एवं समुदाय

गोल 11 समावेशी एवं सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देता है। संधारणीय शहरीकरण से आशय आजीविका एवं व्यवसाय के अवसरों का सृजन, सुरक्षित व किफायती आवास तथा सक्रिय समाज व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने से है। इसमें सार्वजनिक परिवहन में निवेश, सार्वजनिक हरित क्षेत्र का सृजन तथा भागीदारी व समावेशी तरीको से नगर नियोजन एवं प्रबंधन में सुधार करना शामिल है।

गोल 12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन (Responsible Consumption & Production)

12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन

यह गोल 'कम से अधिक करने पर' बल देता है अर्थात् संसाधन दक्षता, हरित अर्थव्यवस्था एवं टिकाऊ बुनियादी ढ़ांचे को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह गोल निम्नीकरण एवं प्रदूषण को कम करने तथा अपशिष्टो को न्यूनतम करने पर भी ध्यान देता है। इस गोल को प्राप्त करने में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन तथा जहरीले अपशिष्ट एवं प्रदूषकों के निस्तारण करने के हमारे तरीके महत्वपूर्ण है। यह सतत् विकास, जीवन शैलियों एवं व्यवहारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने व प्रसार करने का आह्वान करता है।

गोल 13: जलवायु कार्रवाई (Climate Action)

13 जलवायु कार्रवाई

इस गोल का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास की रणनीतियों में जलवायु परिवर्तन उपायों, आपदा जोखिम उपायों व सतत् प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को एकीकृत करना है। यह गोल भू—भौतिकीय आपदाओं के मानवीय प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु शमन, अनुकूलता एवं समय से पहले चेतावनी के लिये मानवीय एवं संस्थागत क्षमता सहित लचीली एवं अनुकूल क्षमताओं को सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं प्रभावों के राष्ट्रीय सीमाओं से परे होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, ऊर्जा के स्वच्छ एवं आधुनिक स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा संसाधनों के संधारणीय उपभोग के लिये व्यवहार परिवर्तन करने के पक्ष का समर्थन करने हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना इसमें सम्मिलित है।

गोल 14: जल में जीवन (Life Below Water)

14 जल में जीवन

वैश्विक महासागरों— उनका तापमान, रसायनिक संरचना, धाराएं एवं जीवन, भू—मण्डल प्रणाली को संचालित करती है जिससे पृथ्वी मानवजाति के लिये रहने योग्य बनती है। गोल 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों को संरक्षित करने एवं संधारणीय उपयोग के लिये देशों को प्रतिबद्ध करता है। यह समुद्रीय प्रदुषण को रोकने, अवैध एवं हानिकारक मत्स्याटन व्यवहारों को समाप्त करने तथा समुद्रीय व्यवस्था में सुधार करने के लिये वैज्ञानिक ज्ञान व अनुसंधान में वृद्धि करने एवं समुद्रीय प्रौद्योगिकी के हस्तानान्तरण द्वारा समुद्रीय एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण पर ध्यान देता है।

गोल 15: भूमि पर जीवन (Life on Land)

15 भूमि पर जीवन

इस गोल का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं स्थानीय नियोजन में पारिस्थितिकी तंत्रो एवं जैव विविधता को एकीकृत करने के साथ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण, पुर्नस्थापन एवं संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत् प्रबंधन, मरूस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को रोकना एवं पुनः सही करना है। यह आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के उचित एवं समान बंटवारे को बढ़ावा देने तथा वनस्पतियों एवं जीवों की संरक्षित प्रजातियों के शिकार एवं तस्करी को रोकने का भी प्रयास करता है।

गोल 16: शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं (Peace, Justice and Strong Institutions)

16 शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं

सतत् विकास के लिये विधि द्वारा स्थापित शासन पर आधारित शांति, स्थिरता एवं प्रभावी शासन तथा समानता, मानवाधिकार व न्याय के सिद्धान्तो को बनाये रखना आवश्यक शर्तें है। एजेण्डा 2030 का उद्देश्य सभी प्रकार की हिंसा में सार्थक कमी करना तथा संघर्षों एवं असुरक्षा की समाप्ति के लिये सरकारों एवं समुदायों

के साथ कार्य करना है। इस प्रकिया में विधि द्वारा स्थापित शासन एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है, जिनसे अवैध हथियारो की रोकथाम एवं वैश्विक शासन की संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी मजबूत होगी। इसके अलावा गोल 16 अनुचित व्यवहारों, शोषण, तस्करी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को समाप्त करने तथा जवाबदेह व पारदर्शी संस्थानों के विकास करने पर भी केन्द्रित है।

गोल 17: गोल्स् के लिये साझेदारियां (Partnerships For The Goals)

17 गोल्स् के लिये साझेदारियां

गोल 17 और इससे सबद्ध टार्गेट्स सभी एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बहुत अधिक कार्य होने तथा अधिकाशं टार्गेट्स का विस्तार किसी एक देश से संबद्ध ना होकर सभी अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों से संबंधित होने के कारण इसके लिये सभी देशों के मध्य सक्रिय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस सतत् विकास एजेण्डा की सफलता में सरकारों, नागरिक संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के मध्य साझेदारियों के सिद्धान्त पर आधारित है। सरकारों एवं नागरिक समाजों को बदलते समय की नवीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है, पृथ्वी एवं इस पर रहने वाले जीवों के सम्मुख चुनौतियों से सामना करने के लिये नवीन एवं कम लागत वाले प्रभावी समाधान निकालने हेतु उक्त दोनों को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सतत् विकास एजेण्डा को आगे बढ़ाने के लिये साझा दृष्टिकोण एवं मूल्यों के आधार पर विभिन्न स्तरों– वैश्विक, राष्ट्रीय, उप–राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर समावेशी भागीदारी का निर्माण करने की आवश्यकता है।

सतत् विकास गोल्स् के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत भी विश्व के साथ–साथ 'कार्रवाई दशक' के पथ पर आगे बढ़ा है। इस कार्रवाई दशक में एजेण्डा 2030 को वैश्विक वास्तविकता में बदलने के लिये सामुहिक प्रयास के लिये आह्वान किया गया है। भारत सतत् विकास गोल्स् के सिद्धान्तों एवं टार्गेट्स के लिये प्रतिबद्ध है। वैश्विक दृष्टिकोण एवं अपने स्वयं के कारणों से भारत को इन टार्गेट्स को अर्जित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। हाल ही के वर्षो में देश भर में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत ने एस.डी.जी. को पूर्ण रूप से अर्जित करने के लिये साक्ष्य समर्थित तरीके से प्रगति को बनाये रखने हेतु पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ–साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर (Horizontal and Vertical) नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु एस.डी.जी. के समग्र समन्वय एवं मॉनिटरिंग के लिए लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है। गत वर्षो में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं–

i. एस.डी.जी. के स्थानीयकरण में गति लाने हेतु नीति आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र तंत्र के सहयोग से विशेष सहभागिता के माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ संवेदीकरण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिये 25 राष्ट्रीय एवं राज्य परामर्शो की एक श्रंखला आयोजित की गई है।

ii. मार्च, 2021 में राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क वर्जन–3.0 जारी किया गया, जिसमें 308 संकेतक सम्मिलित थे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग करने के लिये 295 संकेतक वाला अद्यतन राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क वर्जन–3.1 जारी किया गया है।

iii. भारत ने जुलाई, 2020 में द्वितीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review -VNR) संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत की है। यह प्रत्येक एस.डी.जी. को प्राप्त करने के दिशा में की गई पहलों एवं प्रगति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स (SDGs India Index)

नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स व डेशबोर्ड डिजाइन एवं विकसित किया गया है, जो एस.डी.जी. मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयासो में से एक महत्वपूर्ण साधन है। यह इंडेक्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गोल्स एवं टार्गेट्स में की गई प्रगति को मापता है। इडेंक्स का उद्देश्य अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के सांख्यिकी तंत्रों के डेटा गेप्स को उजागर करने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें सुदृढ़ एवं अधिक निरंतर डाटा संग्रहण की आवश्यकता होती है, में राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया, जिसमें 13 सतत् विकास गोल्स् के 62 संकेतकों का उपयोग किया गया है, इसके बाद इंडेक्स का द्वितीय वर्जन दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया, जिसमें गोल 17 को छोडकर 16 गोल्स् के 100 संकेतकों का उपयोग किया गया है। तृतीय एवं वर्तमान संस्करण 2020–21 (वर्जन 3.0) 16 गोल्स् के कुल 115 संकेतको के आधार पर बनाया गया है। समग्र सूचकांक की गणना में 109 संकेतकों का उपयोग किया

गया है, गोल 14 के 5 संकेतक केवल 9 तटीय राज्यों से संबंधित होने तथा गोल 10 का 1 संकेतक तुलना योग्य नहीं होने के कारण गणना में सम्मिलित नहीं किये गये है। इनमें से अधिकाशं संकेतक सीधे राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में से लिये गये है तथा कुछ राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के संकेतको को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में डाटा उपलब्धता के आधार पर संशोधित कर उपयोग में लिया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में, प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के समग्र स्कोर की गणना प्रत्येक गोल में उनके प्रदर्शन के औसत के आधार पर की गई है। समग्र स्कोर की सीमा 0 से 100 है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की गोल्स् के अन्तर्गत टार्गेट्स को प्राप्त करने की उनकी समग्र उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों: अचीवर (Achiever): इंडेक्स स्कोर 100 के बराबर; फ्रंट—रनर (Front-runner): इंडेक्स स्कोर 65—99; परफॉर्मर (Performer): इंडेक्स स्कोर 50—64 एवं एस्पिरेंट (Aspirant): इंडेक्स स्कोर 50 से कम में वर्गीकृत किया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018—19 के 60 से बढ़कर वर्ष 2019—20 में 66 हो गया है, जो एस.डी.जी. को प्राप्त करने की दिशा में देश की समग्र रूप से हुई प्रगति को दर्शाता है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन को चित्र 11.2 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 11.2: एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का समग्र प्रदर्शन

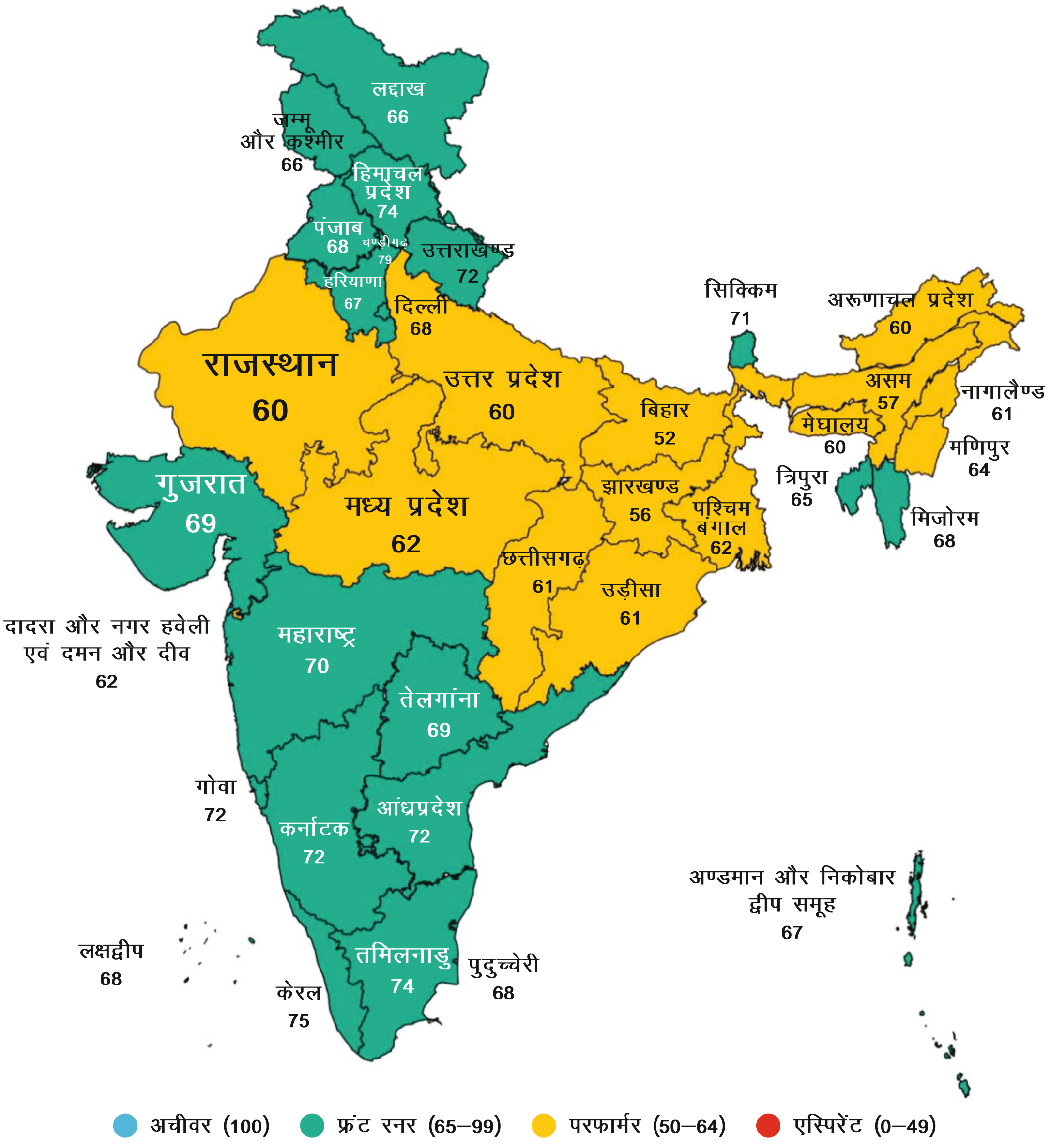

राजस्थान का स्कोर वर्ष 2019–20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 60 हो गया है हालांकि अभी भी यह परफॉर्मर श्रेणी में बना हुआ है। वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के सूचकांको के 16 गोल्स के किये गये आकलन के अनुसार, राजस्थान द्वारा गोल 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में अधिकतम प्रगति की है, जिसमें इसका स्कोर 100 रहा है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में राजस्थान का गोलवार प्रदर्शन चित्र 11.3 में दर्शाया गया है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान की संकेतकवार (Indicator Wise) स्थिति तालिका 11.1 में प्रदर्शित की गई है।

चित्र 11.3: एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, वर्ष 2020–21 (वर्जन 3.0) में भारत की तुलना में राजस्थान का प्रदर्शन

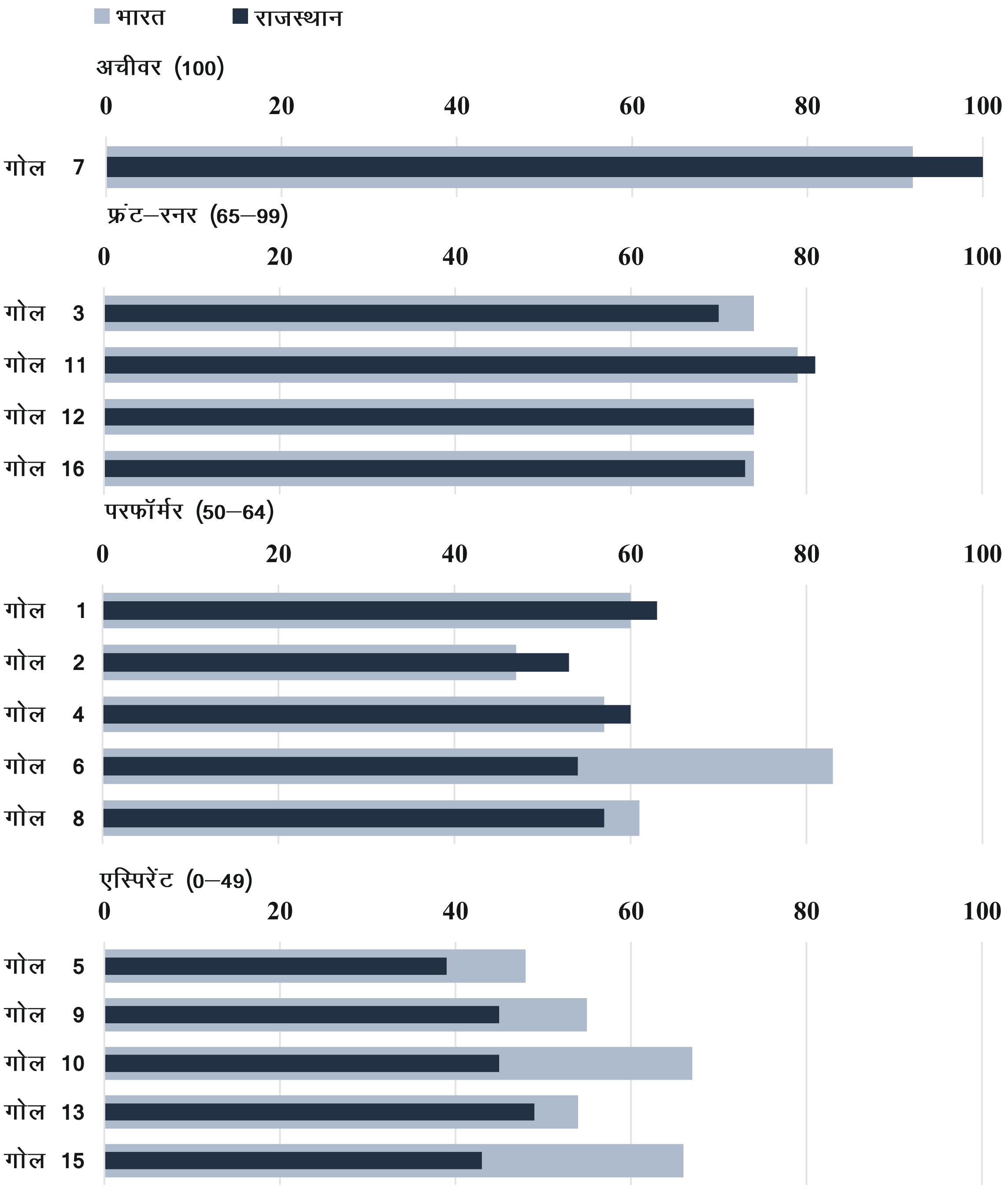

तालिका 11.1 एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स वर्ष 2020-21 (3.0) में राजस्थान की संकेतकवार स्थिति

गोल	संकेतको की संख्या			
	अचीवर (100)	फ्रंट–रनर (65-99)	परफॉर्मर (50-64)	एस्पिरेंट (0-49)
गोल–1: गरीबी का अंत	0	3	1	2
गोल–2: भूखमरी समाप्त करना।	1	0	4	2
गोल–3: आरोग्य एवं कल्याण	1	4	2	3
गोल–4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	2	4	0	5
गोल–5: लैंगिक समानता	0	1	2	6
गोल–6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता	2	2	0	4
गोल–7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा	2	0	0	0
गोल–8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास	1	3	2	3
गोल–9: उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना	1	0	1	5
गोल–10: असमानताओं में कमी लाना	1	1	0	4
गोल–11: संधारणीय शहर एवं समुदाय	2	5	0	1
गोल–12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	1	4	1	1
गोल–13: जलवायु कार्रवाई	2	0	0	3
गोल–15: भूमि पर जीवन	1	1	0	4
गोल–16: शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं	0	6	0	2
कुल (109)	**17**	**34**	**13**	**45**
गोलवार श्रेणी				
गोल संख्या	7	3, 11, 12, 16	1,2, 4, 6, 8	5, 9, 10, 13, 15

एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स एण्ड डेशबोर्ड (SDGs Urban Index & Dashboard)

एस.डी.जी. के स्थानीयकरण तथा शहरी स्तर पर प्रभावी एस.डी.जी. मॉनिटरिंग के लिये संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु, नीति आयोग द्वारा हाल ही में प्रथम बार एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स एण्ड डेशबोर्ड वर्ष 2021–22 जारी किया गया है। यह शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एस.डी.जी. की प्रगति की मॉनिटरिंग करने का एक साधन है, जिसमें 56 शहरी स्थानीय निकाय एवं 77 संकेतक (Indicator) शामिल है। इसमें एस.डी.जी इण्डिया इंडेक्स के समान ही गणना विधि एवं वर्गीकरण का उपयोग किया गया है। एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स में 15 गोल्स् में प्रदर्शन के आधार पर 56 शहरी स्थानीय निकायों को रैंक दी गई है। एस.डी.जी. 14 (जल में जीवन) के केवल तटीय क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसे शामिल नही किया गया है तथा एस.डी.जी 17 (गोल्स् के लिये साझेदारी) के शहरी स्थानीय निकाय स्तर से संबंधित नही होने के कारण इसे भी सम्मिलित नही किया गया है। इन 56 शहरी स्थानीय निकायों में 31 निकाय फ्रंट–रनर श्रेणी में तथा 25 निकाय परफॉर्मर श्रेणी में रहे हैं। राजस्थान से चयनित तीन शहरी निकाय यथा जयपुर, कोटा एवं जोधपुर क्रमशः 37, 45 व 51 रैंक के साथ परफॉर्मर श्रेणी में रहे हैं। एस.डी.जी. अर्बन इण्डेक्स वर्ष 2021–22 में प्राप्त रैंक के आधार पर सूची में शिमला एवं कोयंबटूर सबसे ऊपर हैं जबकि मेरठ एवं धनबाद सबसे नीचे है।

सतत् विकास गोल्स् के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता

राज्य के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं वर्ष 2030 तक एस.डी.जी. को अर्जित करने वाले प्रयासों को गति प्रदान की गई है। राज्य में आयोजना विभाग सतत् विकास गोल्स् के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में एस.डी.जी. को अर्जित करने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग, समीक्षा एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिये एक सतत् विकास लक्ष्य क्रियान्वयन केन्द्र स्थापित किया गया है। मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सतत् विकास गोल्स् के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 8 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। इसके अलावा, एस.डी.जी. के स्थानीयकरण को बढ़ावा देनें के वैश्विक एवं राष्ट्रीय प्रयासों के क्रम में जिला स्तर पर एस.डी.जी. की सामयिक समीक्षा तथा आकलन करने के लिये संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। राज्य में एस.डी.जी. क्रियान्वयन के संबंध में की गई अन्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैः

- माह मार्च, 2021 में 'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट, वर्ष 2021 (वर्जन 3.0) जारी किया गया। इस स्टेट्स रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा चयनित 153 संकेतको सहित कुल 376 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है।
- राजस्थान द्वारा मार्च, 2021 में राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (State Indicator Framework-SIF) जारी किया गया है, जिसमें राज्य स्तर पर 17 एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग के लिये 330 संकेतक सम्मिलित है।
- राजस्थान में जिला स्तर पर एस.डी.जी. की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिये अक्टूबर, 2021 में जिला संकेतक फ्रेमवर्क (District Indicator Framework-DIF) का प्रथम वर्जन जारी किया गया, जिसमें 251 संकेतक सम्मिलित है।
- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में सभी गोल्स में राजस्थान के कमजोर प्रदर्शन वाले संकेतको की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। एस.डी.जी. को प्राप्त करने में आ रही चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा उपरांत सभी संबद्ध विभागो को एस.डी.जी. पर प्रदर्शन में सुधार के लिये विशेष निर्देश प्रदान किये गये हैं।

राजस्थान में एस.डी.जी. के लिये किये गये प्रमुख प्रयासों को चित्र 11.4 में दर्शाया गया है।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स

राज्य के एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य जिलों के एस.डी.जी. प्रदर्शन का आकलन करना है। इंडेक्स में जिलो के स्कोर की गणना तथा प्रदर्शन के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में प्रयुक्त की गई गणनाविधि को अपनाया गया है।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स प्रथम संस्करण, वर्ष 2020 में जारी किया गया, जिसमें 12 गोल्स् के 31 संकेतक सम्मिलित थे। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का द्वितीय संस्करण मार्च, 2021 में जारी किया गया, जिसकी गणना 13 गोल्स् के 55

संकेतको पर की गई है। डाटा की उपलब्धता न होने के कारण गोल 10, 13, 14 एवं 17 को सम्मिलित नही किया गया है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स 2.0 में, राजस्थान के 33 जिलों में कोटा सूची में सबसे ऊपर है, जबकि जैसलमेर सबसे निचले स्थान पर है। सात जिले – डूंगरपुर, धौलपुर, जालोर, बारां, प्रतापगढ़, बाड़मेर एवं जैसलमेर 50 से कम समग्र एस.डी.जी. स्कोर के साथ 'एस्पीरेंट' श्रेणी में रहे हैं, जबकि शेष सभी जिलें 50 से अधिक या बराबर परन्तु 65 से कम स्कोर के साथ 'परफॉर्मर' श्रेणी में रहे है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स, 2021 (संस्करण 2.0) में जिलों का प्रदर्शन चित्र 11.5 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 11.4 : एस.डी.जी. के लिये राजस्थान के प्रयास

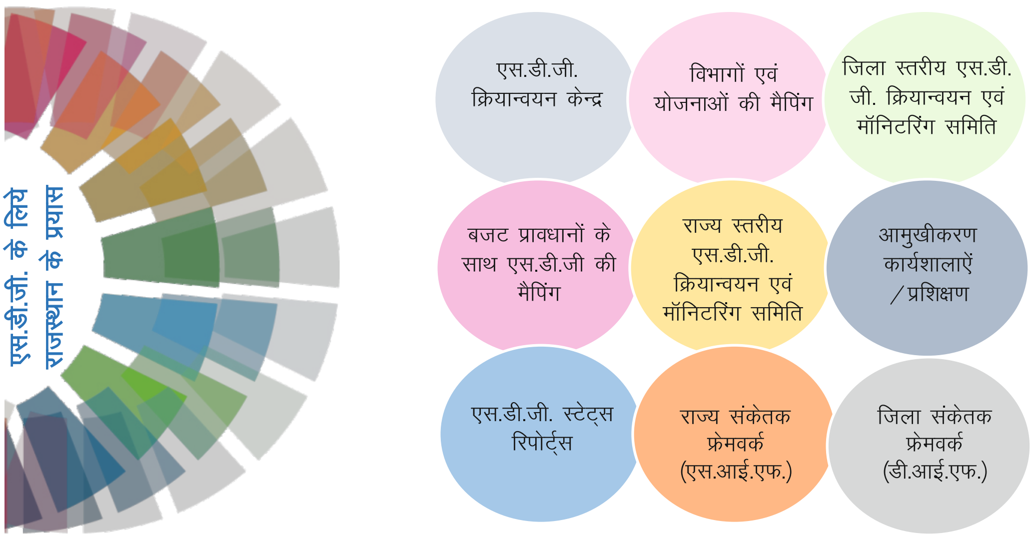

चित्र 11.5 : राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स, 2021 (वर्जन 2.0) में जिलों का प्रदर्शन

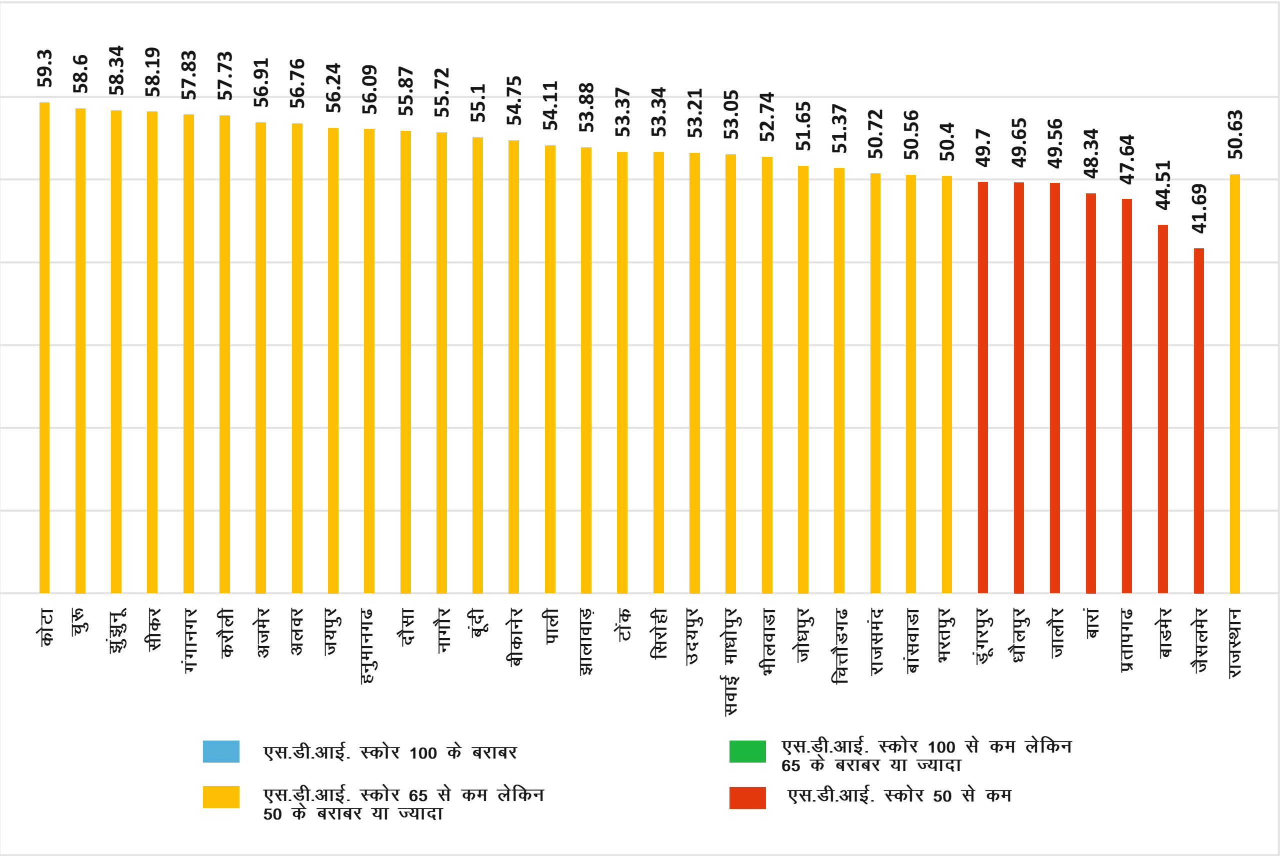

आर्थिक समीक्षा

2021-22

सांख्यिकीय परिशिष्ठ

साँख्यिकीय परिशिष्ट

परिशिष्ठ	पृष्ठ	विषय
1	प 1	महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
2	प 4	सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
3	प 5	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
4	प 6	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
5	प 7	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
6	प 8	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
7	प 9	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
8	प 10	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
9	प 11	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
10	प 12	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
11	प 13	सकल स्थाई पूँजी निर्माण
12	प 14	बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)
13	प 15	बजट (प्राप्तियां)
14	प 17	बजट (व्यय)
15	प 19	योजनावार व्यय
16	प 21	कार्यक्रमवार बजट व्यय
17	प 22	राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक
18	प 23	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
19	प 24	संगठित क्षेत्र में रोजगार
20	प 25	कृषि उत्पादन सूचकांक
21	प 27	फसलवार उत्पादन
22	प 29	फसलवार क्षेत्रफल
23	प 31	स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल
24	प 32	स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल
25	प 33	ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता
26	प 34	राज्य में सड़कों की लम्बाई
27	प 35	स्वास्थ्य सूचक
28	प 37	राज्य में साक्षरता दर
29	प 38	जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011
30	प 40	राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति
31	प 41	राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	434837	493551	551031	615642
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	434837	454564	486230	521509
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	395331	446382	494236	551517
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	395331	409802	434292	465408
5. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	₹	57192	63658	69480	76429
6. प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹	57192	58441	61053	64496
7. सकल स्थाई पूंजी निर्माण ⊖	₹ करोड़	147946	161156	194011	200210
8. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		147.66⊕⊕	108.92	115.89	117.98
9. कृषि उत्पादन सूचकांक ** (2005–06 से 2007–08)=100		153.49	147.50	156.16	143.34
10. कुल खाद्यान्न उत्पादन **	000 मै.टन	21925	20060	20719	19643
11. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		222.67	253.21	259.88	267.97
12. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇					
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		192	214	230	238
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		191	215	233	240
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		192	215	236	245
13. राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	13867	15212	17538	17553
14. स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	114371	114299	120174	133400

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

◇ कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊕⊕ आधार वर्ष 2004–05=100 कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊖ प्रावधानिक

** कृषि वर्ष से संबंधित है।

लगातार....

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	7	8	9	10
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	681482	760587	832529	911674
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	563340	596746	628020	642929
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	610713	682626	748490	819340
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	501922	529650	557618	568102
5. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	₹	83426	91924	98698	106624
6. प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹	68565	71324	73529	73929
7. सकल स्थाई पूंजी निर्माण ϴ	₹ करोड़	203488	211986	236069	265091
8. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		119.25	122.11	133.08	140.37
9. कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06 से 2007–08)=100		145.62	175.12	170.17	183.07
10. कुल खाद्यान्न उत्पादन**	000 मै.टन	18288	23140	22105	23160
11. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		273.55	287.24	292.34	301.74
12. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇					
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		245	257	268	282
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		248	256	260	272
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		259	269	274	278
13. राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	17550	17556	17564	17536
14. स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	135338	134077	98160	83742

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित
◇ कलेण्डर वर्ष से संबंधित
** कृषि वर्ष से संबंधित है
ϴ प्रावधानिक

लगातार....

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

<table>
<tr><th colspan="2">सूचक</th><th>इकाई</th><th>2019-20</th><th colspan="2">2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><th colspan="2">1</th><th>2</th><th>11</th><th colspan="2">12</th><th>13</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर</td><td>₹ करोड़</td><td>999050*</td><td colspan="2">1013323#</td><td>1196137$</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर</td><td>₹ करोड़</td><td>679564*</td><td colspan="2">660118#</td><td>733017$</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर</td><td>₹ करोड़</td><td>898081*</td><td colspan="2">914262#</td><td>1078903$</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर</td><td>₹ करोड़</td><td>598550*</td><td colspan="2">583645#</td><td>648142$</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर</td><td>₹</td><td>115356*</td><td colspan="2">115933#</td><td>135218$</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर</td><td>₹</td><td>76882*</td><td colspan="2">74009#</td><td>81231$</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सकल स्थाई पूंजी निर्माण Θ</td><td>₹ करोड़</td><td>283423</td><td colspan="2">276473</td><td>उ.न.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)</td><td></td><td>126.90</td><td colspan="2">122.34</td><td>131.33##</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06) से (2007–08)=100</td><td></td><td>202.56</td><td colspan="2">204.97</td><td>उ.न.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>कुल खाद्यान्न उत्पादन**</td><td>000 मै.टन</td><td>26635</td><td colspan="2">26909</td><td>उ.न.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)</td><td>संख्या</td><td>17536</td><td colspan="2">17765</td><td>17774Ø</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>स्कूल शिक्षण संस्थाऐं</td><td>संख्या</td><td>84664</td><td colspan="2">84885</td><td>86712Ø</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)</td><td></td><td>316.00</td><td colspan="2">337.70</td><td>369.01Ø</td></tr>
<tr><td>14</td><td>उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇</td><td></td><td>Base Year 2001=100</td><td>Base Year 2001=100</td><td>Base Year 2016=100</td><td>Base Year 2016=100</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)</td><td></td><td>292</td><td>300Ψ</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)</td><td></td><td>313</td><td>325Ψ</td><td>114.3^</td><td>115.8^^</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)</td><td></td><td>296</td><td>307Ψ</td><td>116.2^</td><td>118.5^^</td></tr>
<tr><td></td><td>(iv) अलवर (आधार वर्ष 2001=100)</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>118.1^</td><td>120.9^^</td></tr>
</table>

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित
◇ कलेण्डर वर्ष से संबंधित है।
उ.न. उपलब्ध नहीं
** कृषि वर्ष से संबंधित है
Θ प्रावधानिक

* संशोधित अनुमान-II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
अप्रैल से दिसम्बर 2021 तक (प्रावधानिक)
Ø दिसम्बर, 2021 तक

Ψ अप्रैल से अगस्त, 2020
^ सितम्बर से दिसम्बर, 2020
^^ जनवरी से अक्टूबर, 2021

2. सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	127746	127746	112636	112636	18565	18565
2005-06	142236	136285	125333	120202	20275	19445
2006-07	171043	152189	151428	134350	24055	21342
2007-08	194822	160017	172250	140471	26882	21922
2008-09	230949	174556	203939	152284	31279	23356
2009-10	265825	186245	233767	161159	35254	24304
2010-11	338348	213079	300907	185366	44644	27502
2011-12	434837	434837	395331	395331	57192	57192
2012-13	493551	454564	446382	409802	63658	58441
2013-14	551031	486230	494236	434292	69480	61053
2014-15	615642	521509	551517	465408	76429	64496
2015-16	681482	563340	610713	501922	83426	68565
2016-17	760587	596746	682626	529650	91924	71324
2017-18	832529	628020	748490	557618	98698	73529
2018-19	911674	642929	819340	568102	106624	73929
2019-20*	999050	679564	898081	598550	115356	76882
2020-21#	1013323	660118	914262	583645	115933	74009
2021-22$	1196137	733017	1078903	648142	135218	81231

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2004–05 से 2010–11, 2004–05 श्रृंखला पर आधारित

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2011–12 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

3. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	101561	92472	104272	124995	133573	154936
2. पशुपालन	75621	89678	94683	110028	134813	155959
3. वानिकी	24432	22986	22557	23523	24964	25088
4. मत्स्य पालन	704	784	864	947	998	1239
5. खनन	50958	55792	28379	25877	25517	30973
6. विनिर्माण	78766	82415	96313	93169	86312	112199
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	23480	27310	26694	30914	32104	35159
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	20599	24171	22993	27267	28248	30893
ii जल आपूर्ति	2881	3139	3701	3648	3856	4266
8. निर्माण	59473	64713	74214	78760	78590	96832
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	85149	98664	114180	124789	117976	143034
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	81053	94111	108905	119198	112690	136625
ii होटल तथा जलपान गृह	4096	4553	5275	5591	5286	6408
10. रेलवे	5716	5336	5943	6586	5565	6739
11. अन्य परिवहन	24246	26339	30205	31342	27636	30410
12. भंडारण	167	206	486	512	632	782
13. संचार	12768	12162	12754	14617	12351	14957
14. वित्तीय सेवाएं	20540	29100	34214	38437	38783	43243
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	78621	87454	96986	105636	99866	115961
16. लोक प्रशासन	22752	24071	30102	29738	32388	36262
17. अन्य सेवाएं	57017	68232	86399	92320	98048	111793
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	721972	787715	859246	932193	950116	1115564
कृषि क्षेत्र	202319	205920	222377	259493	294348	337221
उद्योग क्षेत्र	212677	230230	225599	228721	222524	275163
सेवा क्षेत्र	306976	351566	411269	443979	433244	503180

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

4. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	14.07	11.74	12.14	13.41	14.06	13.89
2. पशुपालन	10.47	11.38	11.02	11.80	14.19	13.98
3. वानिकी	3.38	2.92	2.63	2.52	2.63	2.25
4. मत्स्य पालन	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
5. खनन	7.06	7.08	3.30	2.78	2.69	2.78
6. विनिर्माण	10.91	10.46	11.21	9.99	9.08	10.06
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	3.25	3.47	3.11	3.32	3.38	3.15
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	2.85	3.07	2.68	2.93	2.97	2.77
ii जल आपूर्ति	0.40	0.40	0.43	0.39	0.41	0.38
8. निर्माण	8.24	8.22	8.64	8.45	8.27	8.68
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	11.79	12.53	13.29	13.39	12.42	12.82
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	11.23	11.95	12.67	12.79	11.86	12.25
ii होटल तथा जलपान गृह	0.57	0.58	0.61	0.60	0.56	0.57
10. रेलवे	0.79	0.68	0.69	0.71	0.59	0.60
11. अन्य परिवहन	3.36	3.34	3.52	3.36	2.91	2.73
12. भंडारण	0.02	0.03	0.06	0.05	0.07	0.07
13. संचार	1.77	1.54	1.48	1.57	1.30	1.34
14. वित्तीय सेवाएं	2.84	3.69	3.98	4.12	4.08	3.88
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	10.89	11.10	11.29	11.33	10.51	10.39
16. लोक प्रशासन	3.15	3.06	3.50	3.19	3.41	3.25
17. अन्य सेवाएं	7.90	8.66	10.06	9.90	10.32	10.02
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	28.02	26.14	25.88	27.83	30.98	30.23
उद्योग क्षेत्र	29.46	29.23	26.26	24.54	23.42	24.67
सेवा क्षेत्र	42.52	44.63	47.86	47.63	45.60	45.10

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

\# संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

5. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	23.78	-8.95	12.76	19.87	6.86	15.99
2. पशुपालन	19.06	18.59	5.58	16.21	22.53	15.69
3. वानिकी	13.08	-5.92	-1.87	4.28	6.13	0.49
4. मत्स्य पालन	32.26	11.42	10.17	9.59	5.39	24.10
5. खनन	8.73	9.49	-49.14	-8.82	-1.39	21.38
6. विनिर्माण	2.37	4.63	16.86	-3.26	-7.36	29.99
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	22.03	16.31	-2.25	15.81	3.85	9.52
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	24.44	17.34	-4.87	18.59	3.60	9.37
ii जल आपूर्ति	7.22	8.96	17.89	-1.44	5.72	10.64
8. निर्माण	6.20	8.81	14.68	6.13	-0.22	23.21
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	10.45	15.87	15.73	9.29	-5.46	21.24
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	10.39	16.11	15.72	9.45	-5.46	21.24
ii होटल तथा जलपान गृह	11.66	11.15	15.87	5.98	-5.46	21.24
10. रेलवे	17.11	-6.65	11.37	10.82	-15.50	21.10
11. अन्य परिवहन	10.96	8.64	14.68	3.76	-11.83	10.04
12. भंडारण	13.78	23.38	135.78	5.38	23.45	23.68
13. संचार	-0.09	-4.75	4.87	14.60	-15.50	21.10
14. वित्तीय सेवाएं	2.40	41.67	17.57	12.35	0.90	11.50
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	12.80	11.23	10.90	8.92	-5.46	16.12
16. लोक प्रशासन	11.04	5.80	25.05	-1.21	8.91	11.96
17. अन्य सेवाएं	15.89	19.67	26.63	6.85	6.20	14.02
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	12.29	9.11	9.08	8.49	1.92	17.41
कृषि क्षेत्र	20.64	1.78	7.99	16.69	13.43	14.57
उद्योग क्षेत्र	6.84	8.25	-2.01	1.38	-2.71	23.66
सेवा क्षेत्र	11.14	14.53	16.98	7.95	-2.42	16.14

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान–I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

6. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	75949	72618	77840	87573	86815	85088
2. पशुपालन	52261	56496	59744	68798	79495	90040
3. वानिकी	20027	18984	18653	18580	18868	18847
4. मत्स्य पालन	551	593	613	638	661	747
5. खनन	58665	59872	21361	17670	17638	19075
6. विनिर्माण	71845	73337	82646	81240	73279	90684
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	9915	11027	11901	12067	12445	13292
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	7767	8742	9321	9682	10008	10624
ii जल आपूर्ति	2147	2285	2580	2385	2438	2668
8. निर्माण	46354	47651	50004	52344	50753	54749
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	59703	67036	75837	78696	71246	83738
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	56831	63943	72333	75171	68054	79987
ii होटल तथा जलपान गृह	2872	3093	3504	3526	3192	3752
10. रेलवे	4398	4023	4396	4556	3726	4170
11. अन्य परिवहन	19906	21105	23328	23835	18763	19405
12. भंडारण	117	140	323	323	382	458
13. संचार	10499	9749	9846	11101	8385	9544
14. वित्तीय सेवाएं	19056	25058	27331	29015	28580	29723
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	57204	59785	61898	64750	62009	69405
16. लोक प्रशासन	16892	17266	20709	20089	20561	22316
17. अन्य सेवाएं	39755	45268	53682	54669	56632	63658
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	563097	590008	600112	625945	610238	674941
कृषि क्षेत्र	148789	148692	156850	175590	185839	194722
उद्योग क्षेत्र	186778	191886	165912	163320	154115	177801
सेवा क्षेत्र	227530	249430	277350	287035	270284	302418

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

\# संशोधित अनुमान–I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

7. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	13.49	12.31	12.97	13.99	14.23	12.61
2. पशुपालन	9.28	9.58	9.96	10.99	13.03	13.34
3. वानिकी	3.56	3.22	3.11	2.97	3.09	2.79
4. मत्स्य पालन	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
5. खनन	10.42	10.15	3.56	2.82	2.89	2.83
6. विनिर्माण	12.76	12.43	13.77	12.98	12.01	13.44
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	1.76	1.87	1.98	1.93	2.04	1.97
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1.38	1.48	1.55	1.55	1.64	1.57
ii जल आपूर्ति	0.38	0.39	0.43	0.38	0.40	0.40
8. निर्माण	8.23	8.08	8.33	8.36	8.32	8.11
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	10.60	11.36	12.64	12.57	11.68	12.41
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	10.09	10.84	12.05	12.01	11.15	11.85
ii होटल तथा जलपान गृह	0.51	0.52	0.58	0.56	0.52	0.56
10. रेलवे	0.78	0.68	0.73	0.73	0.61	0.62
11. अन्य परिवहन	3.54	3.58	3.89	3.81	3.07	2.88
12. भंडारण	0.02	0.02	0.05	0.05	0.06	0.07
13. संचार	1.86	1.65	1.64	1.77	1.37	1.41
14. वित्तीय सेवाएं	3.38	4.25	4.55	4.64	4.68	4.40
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	10.16	10.13	10.31	10.34	10.16	10.28
16. लोक प्रशासन	3.00	2.93	3.45	3.21	3.37	3.31
17. अन्य सेवाएं	7.06	7.67	8.95	8.73	9.28	9.43
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	26.42	25.20	26.14	28.05	30.45	28.85
उद्योग क्षेत्र	33.17	32.52	27.65	26.09	25.26	26.34
सेवा क्षेत्र	40.41	42.28	46.21	45.86	44.29	44.81

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

\# संशोधित अनुमान–I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

8. स्थिर (2011—12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	3.82	-4.39	7.19	12.50	-0.87	-1.99
2. पशुपालन	14.38	8.10	5.75	15.15	15.55	13.27
3. वानिकी	14.13	-5.21	-1.75	-0.39	1.55	-0.12
4. मत्स्य पालन	18.25	7.65	3.36	4.11	3.48	13.03
5. खनन	12.61	2.06	-64.32	-17.28	-0.18	8.15
6. विनिर्माण	2.99	2.08	12.69	-1.70	-9.80	23.75
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	7.36	11.21	7.93	1.39	3.13	6.81
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	8.77	12.55	6.63	3.87	3.37	6.16
ii जल आपूर्ति	2.56	6.39	12.93	-7.55	2.20	9.45
8. निर्माण	3.10	2.80	4.94	4.68	-3.04	7.87
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	4.80	12.28	13.13	3.77	-9.47	17.53
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	4.74	12.51	13.12	3.92	-9.47	17.53
ii होटल तथा जलपान गृह	5.95	7.71	13.27	0.63	-9.47	17.53
10. रेलवे	5.92	-8.54	9.27	3.63	-18.20	11.90
11. अन्य परिवहन	7.49	6.02	10.53	2.17	-21.28	3.42
12. भंडारण	7.96	19.55	130.51	0.06	18.22	19.90
13. संचार	-3.17	-7.15	1.00	12.75	-24.46	13.82
14. वित्तीय सेवाएं	2.55	31.50	9.07	6.16	-1.50	4.00
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	5.13	4.51	3.54	4.61	-4.23	11.93
16. लोक प्रशासन	6.53	2.22	19.94	-2.99	2.35	8.54
17. अन्य सेवाएं	8.80	13.87	18.59	1.84	3.59	12.41
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	6.47	4.78	1.71	4.30	-2.51	10.60
कृषि क्षेत्र	8.72	-0.07	5.49	11.95	5.84	4.78
उद्योग क्षेत्र	6.09	2.73	-13.54	-1.56	-5.64	15.37
सेवा क्षेत्र	5.35	9.62	11.19	3.49	-5.84	11.89

* संशोधित अनुमान—II

संशोधित अनुमान—I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016—17 से 2021—22, 2011—12 श्रृंखला पर आधारित

9. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	89996	80020	90772	110168	117728	136557
2. पशुपालन	74654	88595	93547	108847	133366	154285
3. वानिकी	24240	22768	22349	23292	24719	24841
4. मत्स्य पालन	647	727	803	877	925	1148
5. खनन	42791	47070	23936	21446	21148	25669
6. विनिर्माण	64602	66918	78989	74610	69119	89849
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	15646	18877	18152	21213	22029	24126
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	13983	17109	15973	19154	19852	21717
ii जल आपूर्ति	1663	1768	2179	2059	2177	2409
8. निर्माण	55826	60541	69298	72922	72765	89655
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	80604	93908	107794	117756	111327	134972
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	76975	89873	103121	112830	106670	129326
ii होटल तथा जलपान गृह	3628	4036	4673	4926	4657	5646
10. रेलवे	4715	4253	4678	5187	4383	5308
11. अन्य परिवहन	20413	21439	24605	24933	21987	24179
12. भंडारण	140	173	443	466	575	712
13. संचार	9587	8441	8255	9291	7851	9507
14. वित्तीय सेवाएं	20076	28552	33435	37537	37875	42230
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	68173	77107	83743	91372	86381	100303
16. लोक प्रशासन	18479	19812	24899	24682	26881	30096
17. अन्य सेवाएं	53422	64475	81212	86624	91997	104894
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	644011	703676	766911	831223	851055	998331
कृषि क्षेत्र	189537	192110	207471	243184	276738	316831
उद्योग क्षेत्र	178866	193406	190375	190191	185061	229298
सेवा क्षेत्र	275608	318160	369065	397848	389256	452202

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान–I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

10. स्थिर (2011—12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21#	2021-22$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	67214	63427	68156	77307	76639	75114
2. पशुपालन	51413	55603	58864	67888	78443	88849
3. वानिकी	19861	18806	18493	18403	18689	18668
4. मत्स्य पालन	500	542	560	580	600	678
5. खनन	51941	52873	17909	14321	14295	15459
6. विनिर्माण	59141	59772	68009	65711	59272	73350
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	2896	3653	4668	3861	3982	4253
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1656	2366	3149	2515	2606	2738
ii जल आपूर्ति	1239	1287	1519	1347	1376	1515
8. निर्माण	42874	43690	45468	46883	45458	49038
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	55677	63002	70665	73052	66135	77732
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	53218	60346	67645	70058	63425	74546
ii होटल तथा जलपान गृह	2459	2656	3019	2994	2710	3186
10. रेलवे	3538	3123	3389	3442	2815	3150
11. अन्य परिवहन	16397	16725	18411	18472	14543	15031
12. भंडारण	94	113	289	287	339	406
13. संचार	7782	6603	6154	6693	5056	5755
14. वित्तीय सेवाएं	18650	24591	26692	28278	27854	28968
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	48416	51491	51780	53801	51523	57668
16. लोक प्रशासन	13010	13508	16284	15861	16234	17620
17. अन्य सेवाएं	36597	42084	49495	50090	51889	58326
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	496002	519606	525285	544931	533765	590065
कृषि क्षेत्र	138989	138378	146073	164178	174370	183308
उद्योग क्षेत्र	156852	159988	136054	130776	123007	142101
सेवा क्षेत्र	200161	221240	243158	249977	236388	264656

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान–I
$ अग्रिम अनुमान
राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2016–17 से 2021–22, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

11. सकल स्थाई पूँजी निर्माण

(₹ करोड़)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
2004-05	8885	35948	44833
2005-06	9886	41492	51378
2006-07	15010	49363	64373
2007-08	25108	51051	76159
2008-09	29272	59479	88751
2009-10	34305	61727	96032
2010-11	47873	76044	123917
2011-12	27257	120689	147946
2012-13	33395	127761	161156
2013-14	47062	146949	194011
2014-15	51480	148730	200210
2015-16	56170	147318	203488
2016-17	59279	152707	211986
2017-18	61168	174901	236069
2018-19	66546	198544	265091
2019-20	65255	218168	283423
2020-21	66085	210388	276473

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 तक प्राvधानिक है।

12. बजट—अधिशेष (+)/घाटा (–)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व—अधिशेष (+) /घाटा (-)	बजट—अधिशेष (+) /घाटा (-)	प्रारम्भिक—अधिशेष (+) /घाटा (-)	राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5
2004-05	-2142.60	-124.92	-973.98	6145.98
2005-06	-660.02	205.75	59.93	5150.07
2006-07	638.38	272.13	1732.09	3969.73
2007-08	1652.98	-921.29	2534.62	3408.37
2008-09	-826.75	544.70	-749.07	6973.32
2009-10	-4747.18	-206.42	-3529.66	10298.79
2010-11	1054.86	546.98	3242.95	4126.05
2011-12	3357.45	61.79	4265.96	3625.86
2012-13	3451.22	-78.23	-194.46	8534.51
2013-14	-1039.21	49.10	-6126.08	15189.28
2014- 15	-3215.06	24.91	-8536.62	18999.51
2015-16*	-5954.12	458.02	-51061.65	63069.96
2015-16#	-5954.12	458.02	-11011.89	23020.19
2016-17*	-18114.14	-491.44	-28641.01	46317.95
2016-17#	-9114.14	-491.44	-6268.82	23945.75
2017-18*	-18534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2017-18#	-6534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2018-19*	-28900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2018-19#	-16900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2019-20*	-36371.30	98.84	-14011.09	37654.36
2019-20#	-22554.83	98.84	-14011.09	37654.36
2020-21(सं. अ.)	-41721.62	89.95	-33177.44	58608.33
2021-22(ब. अ.)	-23750.04	84.69	-19292.39	47652.77

सं. अ. संशोधित अनुमान * उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान # उदय योजना रहित

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां			विविध पूंजीगत प्राप्तियां
	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	4	5
2004-05	12720.43	2146.15	2897.01	-
2005-06	15180.31	2737.67	2921.21	0.81
2006-07	18368.61	3430.61	3792.96	-
2007-08	21802.33	4053.93	4924.36	1.16
2008-09	23942.22	3888.46	5638.17	4.21
2009-10	25672.41	4558.22	5154.39	8.94
2010-11	33613.75	6294.12	6020.33	13.42
2011-12	40354.10	9175.10	7481.56	15.73
2012-13	47605.50	12133.59	7173.92	8.12
2013-14	52150.77	13575.25	8744.36	10.27
2014- 15	58489.91	13229.50	19607.50	14.57
2015-16	70628.85	10927.88	18728.40	24.34
2016-17	77927.52	11615.56	19482.91	27.84
2017-18	87633.42	15733.72	23940.04	16.61
2018-19	99232.69	18603.01	20037.32	20.13
2019-20	95294.12	15714.15	29105.53	20.42
2020-21(सं. अ.)	101770.05	15724.12	30486.02	20.00
2021-22(ब. अ.)	130156.43	17698.21	36475.49	20.00

सं. अ. संशोधित अनुमान

ब. अ. बजट अनुमान

लगातार...

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां
	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	सार्वजनिक लेखा (शुद्ध)	
1	6	7	8	9	10
2004-05	11791.40	124.63	0.00	911.21	30590.82
2005-06	5495.30	237.61	0.00	853.20	27426.11
2006-07	4222.14	513.90	0.00	1800.14	32128.36
2007-08	5063.33	1780.73	0.00	-730.44	36895.40
2008-09	7477.87	89.23	165.00	2472.78	43677.94
2009-10	8796.42	112.00	0.00	4241.02	48543.40
2010-11	7977.35	318.41	0.00	12.92	54250.30
2011-12	5918.40	1229.31	0.00	1259.66	65433.87
2012-13	9955.00	1101.56	0.00	3207.99	81185.68
2013-14	14491.44	315.53	0.00	4862.56	94150.18
2014- 15	18140.82	1004.44	300.00	5843.65	116630.39
2015-16*	60998.17	1447.34	0.00	7488.84	170243.81
2015-16#	20948.40	1447.34	0.00	7488.84	130194.04
2016-17*	43888.85	1713.52	0.00	6952.22	161608.44
2016-17#	21516.66	1713.52	0.00	6952.22	139236.24
2017-18*	28556.57	15133.41	0.00	8465.50	179479.26
2017-18#	28556.57	133.41	0.00	8465.50	164479.26
2018-19*	37846.81	15158.42	0.00	13459.55	204357.92
2018-19#	37846.81	158.42	0.00	13459.55	189357.92
2019-20*	46173.72	15669.75	0.00	11612.16	213589.86
2019-20#	46173.72	947.79	0.00	11612.16	198867.89
2020-21(सं. अ.)	91261.70	390.98	0.00	8499.70	248152.57
2021-22 (ब. अ.)	61904.13	655.19	500.00	3422.58	250832.03

सं. अ. संशोधित अनुमान
ब. अ. बजट अनुमान

* उदय योजना सहित
\# उदय योजना रहित

14. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व व्यय					पूँजीगत परिव्यय				
	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05	17164.22	2236.68	505.29	_	19906.19	67.79	3044.93	375.57	_	3488.29
2005-06	18367.68	2430.25	701.28	_	21499.21	60.59	3733.80	499.29	_	4293.68
2006-07	21153.68	2910.27	889.85	_	24953.80	141.78	3833.26	834.31	_	4809.35
2007-08	23993.98	4094.23	1039.43	_	29127.64	944.28	4576.18	1035.09	_	6555.55
2008-09	28524.99	4361.58	1409.03	_	34295.60	-195.85	4884.25	1211.55	_	5899.95
2009-10	33845.30	5027.69	1259.20	_	40132.19	-644.60	5275.61	543.72	_	5174.73
2010-11	36120.68	6938.75	1813.91	_	44873.34	20.06	4954.05	276.51	_	5250.62
2011-12	41237.77	10457.85	1957.69	_	53653.31	16.33	6828.25	274.67	_	7119.25
2012-13	49226.49	12105.71	2129.59	_	63461.79	1.36	10301.24	380.98	_	10683.58
2013-14	58145.26	15153.39	2210.94	_	75509.59	-12.23	13308.77	368.12	_	13664.66
2014- 15	67098.09	27443.88	0.00	_	94541.97	15.31	16087.37	0.00	_	16102.69
2015-16*	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	21995.01	0.00	_	21985.26
2015-16#	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	16295.01	0.00	_	16285.26
2016-17*	79657.59	47482.55	0.00	_	127140.14	12.26	16967.46	0.00	_	16979.72
2016-17#	79657.59	38482.55	0.00	_	118140.14	12.26	13967.46	0.00	_	13979.72
2017-18*	0.00	0.00	0.00	145841.52	145841.52	0.00	0.00	0.00	20623.28	20623.28
2017-18#	0.00	0.00	0.00	133841.52	133841.52	0.00	0.00	0.00	17623.28	17623.28
2018-19*	0.00	0.00	0.00	166773.19	166773.19	0.00	0.00	0.00	19638.20	19638.20
2018-19#	0.00	0.00	0.00	154773.19	154773.19	0.00	0.00	0.00	16638.20	16638.20
2019-20*	0.00	0.00	0.00	176485.10	176485.10	0.00	0.00	0.00	14718.05	14718.05
2019-20#	0.00	0.00	0.00	162668.63	162668.63	0.00	0.00	0.00	13812.56	13812.56
2020-21(सं. अ.)	0.00	0.00	0.00	189701.80	189701.80	0.00	0.00	0.00	16799.05	16799.05
2021-22(ब. अ.)	0.00	0.00	0.00	208080.17	208080.17	0.00	0.00	0.00	24215.97	24215.97

सं. अ. संशोधित अनुमान   * उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान   # उदय योजना रहित

लगातार...

14. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	कुल पूँजीगत व्यय	कुल व्यय
1	12	13	14	15	16
2004-05	6681.55	639.72	0.00	10809.56	30715.75
2005-06	992.48	434.18	0.00	5720.34	27219.55
2006-07	1780.43	312.65	0.00	6902.43	31856.23
2007-08	1845.81	287.69	0.00	8689.05	37816.69
2008-09	2432.63	340.06	165.00	8837.64	43133.24
2009-10	2945.08	497.82	0.00	8617.63	48749.82
2010-11	3317.24	262.12	0.00	8829.98	53703.32
2011-12	3490.42	1109.10	0.00	11718.77	65372.08
2012-13	4706.71	2411.83	0.00	17802.12	81263.91
2013-14	4115.62	811.21	0.00	18591.49	94101.08
2014- 15	4960.04	700.78	300.00	22063.51	116605.48
2015-16*	4959.03	36602.26	0.00	63546.55	169785.79
2015-16#	4959.03	2252.49	0.00	23496.78	129736.02
2016-17*	5014.57	12965.45	0.00	34959.74	162099.88
2016-17#	5014.57	2593.26	0.00	21587.54	139727.68
2017-18*	11673.66	1334.01	0.00	33630.95	179472.47
2017-18#	11673.66	1334.01	0.00	30630.95	164472.47
2018-19*	16914.80	1113.09	0.00	37666.10	204439.28
2018-19#	16914.80	1113.09	0.00	34666.10	189439.28
2019-20*	20032.68	2255.19	0.00	37005.92	213491.02
2019-20#	20032.68	2255.19	0.00	36100.43	198769.06
2020-21(सं. अ.)	41063.12	498.64	0.00	58360.82	248062.62
2021-22 (ब. अ.)	17589.25	361.95	500.00	42667.17	250747.33

सं. अ. संशोधित अनुमान
ब. अ. बजट अनुमान

* उदय योजना सहित
\# उदय योजना रहित

15. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र		प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	वार्षिक योजना 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पंचम योजना 1974-79	वार्षिक योजना 1979-80	षष्ठम् योजना 1980-85
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	2.88	8.26	14.83	10.95	15.60	46.85	20.35	121.42
II	ग्रामीण विकास	3.04	12.52	14.48	4.15	3.00	19.24	18.12	123.32
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.31	27.86	87.88	46.59	105.26	271.17	76.31	553.29
V	ऊर्जा	1.24	15.15	39.36	46.82	93.98	248.97	100.00	566.13
VI	उद्योग एवं खनिज	0.46	3.37	3.31	2.06	8.55	34.53	11.87	83.65
VII	परिवहन	5.55	10.17	9.75	4.41	9.99	84.20	22.57	251.04
VIII	वैज्ञानिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
IX	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	9.12	25.05	42.86	21.67	72.07	149.05	39.74	419.88
X	आर्थिक सेवाएं	0.55	0.11	0.23	0.11	0.34	0.83	0.16	1.50
XI	सामान्य सेवाएं	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.78	1.07	10.31
योग		**54.15**	**102.74**	**212.70**	**136.76**	**308.79**	**857.62**	**290.19**	**2130.69**

लगातार....

15. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	सप्तम् योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	वार्षिक योजना 1991-92	अष्टम् योजना 1992-97	नवम् योजना 1997-02	दशम् योजना 2002-07	ग्यारहवीं योजना 2007-12	बारहवीं योजना 2012-17
1	10	11	12	13	14	15	16	17
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	203.41	79.56	95.27	1112.14	1050.07	1013.70	5610.22	16162.99
II ग्रामीण विकास	210.41	73.60	101.84	871.40	1686.42	3004.22	8254.56	34865.23
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1.73	0.40	1.00	39.03	149.41	237.67	526.80	1094.68
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	690.51	177.49	218.14	1836.19	2259.65	3769.83	3760.16	6800.71
V ऊर्जा	921.77	275.13	347.11	3253.90	5258.06	10699.24	37619.30	123502.63
VI उद्योग एवं खनिज	145.57	88.72	62.22	638.98	646.79	567.41	888.50	1207.34
VII परिवहन	142.48	42.40	60.30	868.20	1882.56	3105.56	5228.00	16914.47
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	2.41	1.76	2.46	16.65	10.10	7.17	75.19	160.38
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	736.26	222.31	278.44	3095.79	6397.50	10164.93	29450.68	107556.70
X आर्थिक सेवाएं	12.28	5.88	8.08	71.67	84.18	1020.19	1474.64	5949.85
XI सामान्य सेवाएं	39.35	8.32	9.55	195.02	142.08	361.29	1066.29	3850.75
योग	**3106.18**	**975.57**	**1184.41**	**11998.97**	**19566.82**	**33951.21**	**93954.34**	**318065.73**

16. कार्यक्रमवार बजट व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	कार्यक्रमवार बजट व्यय				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#
1	2	3	4	5	6
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	3864.85	7288.73	8659.85	10526.22	5529.80
II ग्रामीण विकास	12208.62	10413.97	11907.61	10884.38	10523.26
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	297.91	189.21	100.08	30.98	3.50
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2268.18	2481.55	2560.99	2765.41	2225.99
V ऊर्जा	16199.34	25183.88	26691.39	14681.81	13191.52
VI उद्योग एवं खनिज	343.03	388.78	449.96	555.15	909.03
VII परिवहन	6027.74	6310.44	5335.53	4444.18	5109.73
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	16.44	15.44	9.33	8.98	6.65
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	34269.61	41765.08	42723.58	51743.17	47760.02
X आर्थिक सेवाएं	1769.53	2426.15	1504.87	2060.10	1153.98
XI सामान्य सेवाएं	852.09	3279.83	3587.61	4224.60	2484.96
योग	**78117.34**	**99743.07**	**103530.80**	**101924.97**	**88898.44**

*अनन्तिम व्यय # दिसम्बर 2021 तक

17. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (1999–2000=100)

वर्ष	प्राथमिक वस्तु समूह			ईंधन, शक्ति, प्रकाश उपस्नेहक समूह	विनिर्मित समूह	समस्त वस्तुऐं सामान्य सूचकांक
	कृषि	खनिज	संयुक्त			
भार	**29.933**	**3.961**	**33.894**	**16.253**	**49.853**	**100.000**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2004-05	114.74	110.69	114.27	188.29	118.77	128.54
2005-06	118.29	120.11	118.50	216.78	120.87	135.68
2006-07	132.21	148.56	134.11	229.21	134.47	149.76
2007-08	145.29	153.56	146.26	227.65	149.42	161.06
2008-09	167.37	154.16	165.82	241.06	164.02	177.15
2009-10	182.67	180.05	182.37	239.79	166.00	183.54
2010-11	195.67	207.85	197.09	259.73	179.46	198.48
2011-12	220.38	226.65	221.11	281.16	204.66	222.67
2012-13	272.68	240.99	268.98	307.10	224.91	253.21
2013-14	269.58	252.29	267.57	360.51	221.83	259.88
2014-15	272.04	266.71	271.42	376.64	230.19	267.97
2015-16	291.06	283.91	290.22	372.72	229.89	273.55
2016-17	305.31	297.41	304.39	408.37	236.09	287.24
2017-18	291.61	309.01	293.64	433.14	245.55	292.34
2018-19	298.50	327.21	301.85	464.76	248.52	301.74
2019-20	320.30	339.58	322.55	468.66	261.77	316.00
2020-21	334.70	363.05	338.01	528.61	275.25	337.70
2021-22*	388.42	390.57	388.67	577.12	287.79	369.01

* दिसम्बर 2021 तक

नोटः– अप्रैल–मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका।

18. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

कलेण्डर /वित्तीय वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र	खनिज क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	सामान्य
1	2	3	4	5
2004	227.69	171.59	271.07	228.88
2005	101.76	110.24	103.04	102.09
2006	109.19	121.17	103.00	108.98
2007	111.71	141.92	101.43	111.62
2008	123.27	154.47	106.55	122.66
2009	140.77	164.96	107.21	138.55
2010	140.83	171.70	132.51	140.92
2011	145.79	193.77	153.17	147.66
2012-13	101.48	128.17	102.51	108.92
2013-14	108.72	134.04	110.67	115.89
2014-15	108.99	132.49	131.11	117.98
2015-16	110.29	134.49	130.53	119.25
2016-17	115.71	135.04	125.32	122.11
2017-18	134.71	132.85	124.96	133.08
2018-19	143.39	134.76	137.70	140.37
2019-20	125.93	125.60	135.15	126.90
2020-21	122.95	119.43	126.10	122.34
2021-22*	133.91	123.71	135.77	131.33

2004 का आधार वर्ष 1993–94 =100

2005 से 2011 तक आधार वर्ष 2004–05=100

वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक आधार वर्ष 2011–12=100

* दिसम्बर, 2021 तक (प्रावधानिक)

19. संगठित क्षेत्र में रोजगार

(संख्या लाखों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4
2004	9.28	2.45	11.73
2005	9.45	2.52	11.97
2006	9.52	2.65	12.17
2007	9.55	2.77	12.32
2008	9.59	2.91	12.50
2009	9.62	3.09	12.71
2010	9.54	3.21	12.75
2011	9.46	3.38	12.84
2012	9.51	3.55	13.06
2013	9.53	3.70	13.23
2014	9.60	3.86	13.46
2015	9.52	4.00	13.52
2016	9.65	4.05	13.70
2017	9.61	4.14	13.74
2018	9.69	4.40	14.08
2019	9.72	4.20	13.92
2020	9.88	4.17	14.05
2021*	9.85	4.26	14.11

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

स्त्रोतः रोजगार विभाग के रोजगार बाजार सूचना योजना पर आधारित है।

* सितम्बर, 2021 तक

20. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	अनाज	दलहन	तिलहन	रेशे (कपास एवं सण)*	मसालें #
भार	35.476	14.857	33.021	8.850	3.053
1	2	3	4	5	6
2004-05@	139.45	116.11	212.90	84.82	165.00
2005-06@	129.33	77.35	232.41	97.66	118.58
2006-07@	174.83	128.01	201.53	82.84	149.32
2007-08	113.27	118.75	83.45	103.90	134.62
2008-09	115.95	139.32	102.94	87.49	131.80
2009-10	95.48	53.38	87.16	108.85	143.47
2010-11	158.68	247.10	130.11	103.27	172.84
2011-12	152.73	181.05	116.72	208.57	245.51
2012-13	145.27	148.90	125.91	184.12	197.81
2013-14	147.21	188.66	119.67	155.05	218.16
2014-15	141.24	149.65	108.26	184.05	165.70
2015-16	133.52	154.17	111.25	146.37	274.42
2016-17	161.02	265.73	129.85	188.02	344.20
2017-18	150.37	282.66	123.52	228.11	338.60
2018-19	158.09	294.13	153.87	246.19	342.60
2019-20	180.30	348.87	152.08	335.93	371.91
2020-21(अ)	180.62	331.21	165.55	386.45	348.10

मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी सम्मिलित है।

* वर्ष 2007–08 से रेशे में सिर्फ कपास सम्मिलित है।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ (अन्तिम)

लगातार....

20. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	फल एवं तरकारियां $	गन्ना	तम्बाकू/ इसबगोल*	ग्वार बीज	समस्त फसलें
भार	0.575	0.962	0.055	3.150	100.000
1	7	8	9	10	11
2004-05@	250.69	23.65	39.68	94.46	154.24
2005-06@	318.00	41.25	30.45	165.61	153.84
2006-07@	317.83	53.76	26.72	183.81	167.63
2007-08	106.92	104.49	124.41	149.52	106.08
2008-09	95.74	68.21	174.40	151.61	115.77
2009-10	94.84	60.60	354.52	24.37	88.69
2010-11	124.18	64.96	288.06	185.21	158.77
2011-12	165.24	79.37	304.14	222.14	153.49
2012-13	120.42	74.64	252.97	243.65	147.50
2013-14	157.93	63.83	278.39	344.07	156.16
2014-15	224.78	71.17	297.76	330.34	143.34
2015-16	337.53	93.44	365.08	267.31	145.62
2016-17	310.62	85.95	467.76	168.89	175.12
2017-18	267.94	67.17	573.49	152.10	170.17
2018-19	163.74	78.82	490.49	124.01	183.07
2019-20	243.41	57.38	432.11	154.47	202.56
2020-21(अ)	264.65	69.25	498.05	136.68	204.97

$ आलू, प्याज, शंकरकन्दी, सिंघाड़ा सम्मिलित है।

* वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक तम्बाकू एवं आगे के वर्षों के लिये इसबगोल का सूचकांक हैं।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ (अन्तिम)

21. फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	4695452	6123545	10818997	500799	843413	1344212
2005-06	3599596	6324088	9923684	359209	540736	899945
2006-07	5100362	8348190	13448552	550571	929194	1479765
2007-08	6866501	7665427	14531928	949853	602654	1552507
2008-09	6701751	8165843	14867594	817100	1009157	1826257
2009-10	3535934	8121776	11657710	133407	568722	702129
2010-11	8961999	11360203	20322202	1603097	1648814	3251911
2011-12	8621619	10950717	19572336	1313399	1039429	2352828
2012-13	6378906	11725908	18104814	636970	1318342	1955312
2013-14	6284051	11964559	18248610	773380	1697502	2470882
2014-15	6904383	10789160	17693543	962955	987058	1950013
2015-16	5092507	11204241	16296748	1046966	943333	1990299
2016-17	6377020	13344122	19721142	1879235	1539463	3418698
2017-18	6277655	12193726	18471381	1870091	1763595	3633686
2018-19	6621882	12779625	19401507	1867668	1890887	3758555
2019-20	7179918	14961111	22141029	1775638	2718551	4494189
2020-21(अ)	9703541	12958150	22661691	1929132	2318309	4247441

अ (अन्तिम)

लगातार....

21. फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास (लिंट)
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	5196251	6966958	12163209	1588523	3972926	5561449	276642	129988
2005-06	3958805	6864824	10823629	1516613	4418292	5934905	482634	149683
2006-07	5650933	9277384	14928317	1360196	3806737	5166933	628963	126956
2007-08	7816354	8268081	16084435	1866389	2362957	4229346	594056	146576
2008-09	7518851	9175000	16693851	1694516	3506119	5200635	387814	123424
2009-10	3669341	8690498	12359839	1481554	2955059	4436613	344559	153561
2010-11	10565096	13009017	23574113	2269595	4371908	6641503	369354	145690
2011-12	9935018	11990146	21925164	2787234	2977811	5765045	451282	294229
2012-13	7015876	13044250	20060126	2555573	3815597	6371170	424349	261022
2013-14	7057431	13662061	20719492	2240571	3799990	6040561	362881	218737
2014-15	7867338	11776218	19643556	2421530	2898996	5320526	404616	259645
2015-16	6139453	12147574	18287027	2244005	3267135	5511140	531267	206487
2016-17	8256255	14883585	23139840	2563053	3955656	6518709	488652	265245
2017-18	8147746	13957321	22105067	2567783	3546350	6114133	381868	321800
2018-19	8489550	14670512	23160062	2843321	4821104	7664425	448115	347311
2019-20	8955556	17679662	26635218	2566406	4753638	7320044	326262	473902
2020-21(अ)	11632673	15276459	26909132	3396845	4560464	7957309	393737	545176

अ (अन्तिम)

22. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	6316950	2185889	8502839	2488817	1087496	3576313
2005-06	6714435	2326252	9040687	2363984	1126113	3490097
2006-07	6728402	2797723	9526125	2151465	1055749	3207214
2007-08	6933290	2841988	9775278	2603680	1265123	3868803
2008-09	6985633	2582221	9567854	2383203	1288045	3671248
2009-10	7210619	2618724	9829343	2483702	919903	3403605
2010-11	7541113	3365466	10906579	2915289	1836481	4751770
2011-12	6776318	3214516	9990834	2971521	1477714	4449235
2012-13	5794042	3372226	9166268	1956669	1288694	3245363
2013-14	6110864	3516534	9627398	2221340	1976445	4197785
2014-15	5852346	3664303	9516649	2038707	1323525	3362232
2015-16	5782024	3368429	9150453	2830818	1035964	3866782
2016-17	5902931	3628879	9531810	4100379	1645183	5745562
2017-18	5849553	3326318	9175871	4239817	1620991	5860808
2018-19	5866486	3225883	9092369	4274556	1631449	5906005
2019-20	6047238	3802008	9849246	3838773	2497233	6336006
2020-21(अ)	6092354	3364663	9457017	3994665	2147026	6141691

अ (अन्तिम)

लगातार....

22. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	8805767	3273385	12079152	1468348	3685927	5154275	5724	437776
2005-06	9078419	3452365	12530784	1615089	3669351	5284440	7922	471563
2006-07	8879867	3853472	12733339	1312317	3215383	4527700	10897	349602
2007-08	9536970	4107111	13644081	1518290	2498852	4017142	10401	369179
2008-09	9368836	3870266	13239102	1822203	2842098	4664301	6526	302687
2009-10	9694321	3538627	13232948	1843810	2314286	4158096	5986	444540
2010-11	10456402	5201947	15658349	1829587	3688814	5518401	5512	335871
2011-12	9747839	4692230	14440069	2119242	2507195	4626437	6415	567576
2012-13	7750711	4660920	12411631	2080205	2837943	4918148	5805	540644
2013-14	8332204	5492979	13825183	2197741	3081415	5279156	5261	393088
2014-15	7891053	4987828	12878881	1984087	2477568	4461655	5575	486553
2015-16	8612842	4404393	13017235	2283838	2559394	4843232	6141	447649
2016-17	10003310	5274062	15277372	2026160	2800416	4826576	6854	471167
2017-18	10089370	4947309	15036679	1927066	2222532	4149598	5427	584230
2018-19	10141042	4857332	14998374	1988121	2824991	4813112	5370	629244
2019-20	9886011	6299241	16185252	2341603	3485402	5827005	4466	760500
2020-21(अ)	10087019	5511689	15598708	2448914	2722758	5171672	4977	807837

अ (अन्तिम)

23. स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1957957	85534	4972511	77185	7093187
2005-06	2352358	82764	5293095	89819	7818036
2006-07	2370432	137194	5363387	87173	7958186
2007-08	2515493	103568	5382200	87194	8088455
2008-09	2460916	33631	5338314	77066	7909927
2009-10	2109132	18099	5107124	74418	7308773
2010-11	2463576	57635	5718997	81617	8321825
2011-12	2729980	72124	5999495	101289	8902888
2012-13	2885036	94113	6347171	129147	9455467
2013-14	2975815	70210	6649262	169581	9864768
2014-15	3067957	72149	6874357	156322	10170785
2015-16	3255513	66867	7116780	123285	10562445
2016-17	3219237	100588	7215168	189450	10724443
2017-18	3179567	68866	7232471	122598	10603502
2018-19	3336113	35536	7485631	164115	11021395
2019-20	3566473	79579	7963368	179220	11788640

24. स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1457471	82407	4266653	73416	5879947
2005-06	1705767	76740	4426605	84834	6293946
2006-07	1703284	130791	4580694	80976	6495745
2007-08	1687753	101724	4572049	82534	6444060
2008-09	1583116	30565	4558657	72710	6245048
2009-10	1423923	16597	4338313	71081	5849914
2010-11	1628746	55676	4897427	78876	6660725
2011-12	1843797	68785	5111105	97888	7121575
2012-13	1900662	91686	5382149	124623	7499120
2013-14	1859107	67461	5561022	162037	7649627
2014-15	1928740	69699	5733278	149993	7881710
2015-16	1979480	66193	5775257	117067	7937997
2016-17	2018266	99296	5956495	182955	8257012
2017-18	1926523	68160	5870501	119753	7984937
2018-19	2016562	34978	6069433	161983	8282956
2019-20	2198456	78055	6368814	175651	8820976

25. ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

(मेगावाट)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता
1	2
2004-05	5296.11
2005-06	5453.88
2006-07	6089.43
2007-08	6420.69
2008-09	7019.48
2009-10	8076.51
2010-11	9188.22
2011-12	10308.45
2012-13	12275.88
2013-14	14371.61
2014-15	15907.81
2015-16	17439.78
2016-17	18677.18
2017-18	19552.77
2018-19	21077.64
2019-20	21175.90
2020-21	21978.90
2021-22*	23321.40

* दिसम्बर, 2021 तक

26. राज्य में सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राज मार्ग	राज्य राज मार्ग	मुख्य जिला सड़कें	अन्य जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	5655	10139	6735	22615	117976	163120
2005-06	5655	11594	7328	21412	121139	167128
2006-07	5655	11668	7447	23681	125063	173514
2007-08	5714	11750	7658	24424	132914	182460
2008-09	5722	11758	7673	24418	137235	186806
2009-10	5724	11866	7829	24480	138635	188534
2010-11	5724	11873	10137	24062	137606	189402
2011-12	7260	10953	9900	25033	136854	190000
2012-13	7310	10937	10168	25761	137518	191694
2013-14	7310	11971	9509	25626	141434	195850
2014-15	8016	11421	9815	29603	149487	208342
2015-16	8168	15607	7646	30313	155973	217707
2016-17	8202	15438	8462	31431	163321	226854
2017-18	9079	15543	8802	32175	170971	236572
2018-19	10600	15518	8758	53432	175937	264244
2019-20	10618	15621	8780	53792	180217	269028
2020-21	10618	15545	8965	54746	183086	272959

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	अशोधित जन्म दर *		अशोधित मृत्यु दर **		शिशु मृत्यु दर #	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7
2004	24.1	29.0	7.5	7.0	58	67
2005	23.8	28.6	7.6	7.0	58	68
2006	23.5	28.3	7.5	6.9	57	67
2007	23.1	27.9	7.4	6.8	55	65
2008	22.8	27.5	7.4	6.8	53	63
2009	22.5	27.2	7.3	6.6	50	59
2010	22.1	26.7	7.2	6.7	47	55
2011	21.8	26.2	7.1	6.7	44	52
2012	21.6	25.9	7.0	6.6	42	49
2013	21.4	25.6	7.0	6.5	40	47
2014	21.0	25.0	6.7	6.4	39	46
2015	20.8	24.8	6.5	6.3	37	43
2016	20.4	24.3	6.4	6.1	34	41
2017	20.2	24.1	6.3	6.0	33	38
2018	20.0	24.0	6.2	5.9	32	37
2019	19.7	23.7	6.0	5.7	30	35

स्त्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, आरजीआई (संदर्भित वर्ष)

* प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या

** प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या

प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्युओं की संख्या

लगातार...

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	जीवन प्रत्याशा दर (वर्षों में)	
	भारत	राजस्थान
1	8	9
2000-04	63.9	64.1
2001-05	64.3	64.5
2002-06	64.7	64.9
2003-07	65.0	65.2
2004-08	65.4	65.8
2005-09	65.7	66.2
2006-10	66.1	66.5
2007-11	66.5	66.8
2008-12	67.0	67.2
2009-13	67.5	67.5
2010-14	67.9	67.7
2011-15	68.3	67.9
2012-16	68.7	68.3
2013-17	69.0	68.5
2014-18	69.4	68.7

स्त्रोत :- एस. आर. एस. आधारित एब्रीज्ड जीवन तालिका, आरजीआई

28. राज्य में साक्षरता दर

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	13.88	2.66	8.50	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1961	28.08	7.01	18.12	21.74	3.19	12.95	59.93	26.89	44.55
1971	33.87	10.06	22.57	27.04	4.80	16.44	64.53	34.94	50.82
1981	44.77	14.00	30.11	35.32	6.78	22.47	72.29	41.46	58.05
1991	54.99	20.44	38.55	47.64	11.59	30.37	78.50	50.24	65.33
2001	75.70	43.85	60.41	72.16	37.34	55.34	86.45	64.67	76.20
2011	79.19	52.12	66.11	76.16	45.80	61.44	87.91	70.73	79.68

उ. न. उपलब्ध नहीं

स्त्रोतः भारत की जनगणना – (संदर्भ अवधि)

नोटः– साक्षरता दर 1951, 1961 तथा 1971 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 5 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है तथा साक्षरता दर 1981 से 2011 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 7 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है।

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	जनसंख्या (संख्या में)					लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001—2011 (%)
	पुरुष	महिला	कुल	ग्रामीण	शहरी	समस्त	वर्ष 0—6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	1324085	1258967	2583052	1547642	1035410	951	901	305	18.6
अलवर	1939026	1735153	3674179	3019728	654451	895	865	438	22.8
बांसवाड़ा	907754	889731	1797485	1669864	127621	980	934	397	26.5
बारां	633945	588810	1222755	968541	254214	929	912	175	19.7
बाड़मेर	1369022	1234729	2603751	2421914	181837	902	904	92	32.5
भरतपुर	1355726	1192736	2548462	2053363	495099	880	869	503	21.4
भीलवाड़ा	1220736	1187787	2408523	1895869	512654	973	928	230	19.2
बीकानेर	1240801	1123136	2363937	1563553	800384	905	908	78	24.3
बून्दी	577160	533746	1110906	888205	222701	925	894	192	15.4
चित्तौडगढ़	783171	761167	1544338	1259074	285264	972	912	197	16.1
चूरू	1051446	988101	2039547	1463312	576235	940	902	147	20.3
दौसा	857787	776622	1634409	1432616	201793	905	865	476	23.5
धौलपुर	653647	552869	1206516	959066	247450	846	857	398	22.7
डूंगरपुर	696532	692020	1388552	1299809	88743	994	922	368	25.4
गंगानगर	1043340	925828	1969168	1433736	535432	887	854	179	10.0
हनुमानगढ़	931184	843508	1774692	1424228	350464	906	878	184	16.9
जयपुर	3468507	3157671	6626178	3154331	3471847	910	861	595	26.2
जैसलमेर	361708	308211	669919	580894	89025	852	874	17	31.8
जालौर	936634	892096	1828730	1676975	151755	952	895	172	26.2
झालावाड़	725143	685986	1411129	1181838	229291	946	912	227	19.6
झुंझुनूं	1095896	1041149	2137045	1647966	489079	950	837	361	11.7
जोधपुर	1923928	1763237	3687165	2422551	1264614	916	891	161	27.7
करौली	783639	674609	1458248	1240143	218105	861	852	264	20.9
कोटा	1021161	929853	1951014	774410	1176604	911	899	374	24.4
नागौर	1696325	1611418	3307743	2670539	637204	950	897	187	19.2
पाली	1025422	1012151	2037573	1577567	460006	987	899	164	11.9
प्रतापगढ़	437744	430104	867848	796041	71807	983	933	195	22.8
राजसमन्द	581339	575258	1156597	972777	183820	990	903	248	17.7
सवाई माधोपुर	704031	631520	1335551	1069084	266467	897	871	297	19.6
सीकर	1374990	1302343	2677333	2043427	633906	947	848	346	17.0
सिरोही	534231	502115	1036346	827692	208654	940	897	202	21.8
टोंक	728136	693190	1421326	1103603	317723	952	892	198	17.3
उदयपुर	1566801	1501619	3068420	2459994	608426	958	924	262	23.7
राजस्थान	**35550997**	**32997440**	**68548437**	**51500352**	**17048085**	**928**	**888**	**200**	**21.3**

लगातार...

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	साक्षरता दर प्रतिशत में								
	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अजमेर	82.4	55.7	69.3	76.5	41.3	59.1	90.8	76.5	83.9
अलवर	83.7	56.3	70.7	82.1	52.2	67.9	91.0	74.7	83.4
बांसवाड़ा	69.5	43.1	56.3	67.7	40.1	54.0	91.0	79.3	85.2
बारां	80.4	52.0	66.7	78.4	47.8	63.6	87.8	67.5	78.0
बाड़मेर	70.9	40.6	56.5	69.4	38.6	54.8	88.6	66.6	78.2
भरतपुर	84.1	54.2	70.1	83.1	50.5	67.9	88.1	68.8	79.0
भीलवाड़ा	75.3	47.2	61.4	71.3	40.6	56.0	89.0	71.8	80.7
बीकानेर	75.9	53.2	65.1	70.6	44.3	58.1	85.7	69.5	78.0
बून्दी	75.4	46.6	61.5	72.3	41.2	57.3	87.7	67.4	77.9
चित्तौडगढ़	76.6	46.5	61.7	73.3	40.2	56.8	90.8	74.3	82.7
चूरु	78.8	54.0	66.8	76.9	51.1	64.4	83.4	61.3	72.6
दौसा	83.0	51.9	68.2	81.8	49.4	66.3	91.0	69.4	80.7
धौलपुर	81.2	54.7	69.1	81.2	52.4	68.1	81.3	62.9	72.7
डूंगरपुर	72.9	46.2	59.5	71.5	44.0	57.6	91.4	77.1	84.4
गंगानगर	78.5	59.7	69.6	75.9	55.3	66.2	85.3	71.3	78.7
हनुमानगढ़	77.4	55.8	67.1	75.9	53.1	65.1	83.3	66.8	75.4
जयपुर	86.1	64.0	75.5	82.5	51.7	67.6	89.2	75.1	82.5
जैसलमेर	72.0	39.7	57.2	69.4	35.5	53.8	87.4	66.2	78.0
जालौर	70.7	38.5	54.9	69.4	36.8	53.3	84.2	56.9	71.1
झालावाड़	75.8	46.5	61.5	73.0	41.5	57.6	89.5	72.1	81.1
झुंझुनूं	86.9	61.0	74.1	86.8	59.8	73.4	87.4	65.0	76.5
जोधपुर	79.0	51.8	65.9	74.6	41.2	58.5	86.7	71.3	79.4
करौली	81.4	48.6	66.2	80.9	46.5	65.0	84.1	60.0	72.8
कोटा	86.3	65.9	76.6	82.2	54.0	68.6	88.9	73.7	81.7
नागौर	77.2	47.8	62.8	76.0	45.2	60.9	81.9	58.8	70.6
पाली	76.8	48.0	62.4	73.6	43.5	58.4	87.1	63.9	75.8
प्रतापगढ़	69.5	42.4	56.0	67.3	39.0	53.2	92.2	77.1	84.8
राजसमन्द	78.4	48.0	63.1	75.9	43.3	59.5	91.1	72.3	81.9
सवाई माधोपुर	81.5	47.5	65.4	79.4	42.4	61.9	89.8	67.2	79.0
सीकर	85.1	58.2	71.9	84.9	56.4	70.8	85.8	64.3	75.4
सिरोही	70.0	39.7	55.3	64.6	32.7	49.0	89.3	66.9	78.7
टोंक	77.1	45.4	61.6	75.5	39.7	58.0	82.9	64.8	73.8
उदयपुर	74.7	48.4	61.8	69.6	39.8	54.9	93.4	81.2	87.5
राजस्थान	**79.2**	**52.1**	**66.1**	**76.2**	**45.8**	**61.4**	**87.9**	**70.7**	**79.7**

30. राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति

कृषि वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू–राजस्व * निलंबित (₹लाख)
1	2	3	4	5
2004-05	31	19814	227.65	167.77
2005-06	22	15778	198.44	123.21
2006-07	22	10529	136.73	36.49
2007-08	12	4309	56.12	39.86
2008-09	12	7402	100.12	47.69
2009-10	27	33464	429.13	459.04
2010-11	2	1249	13.67	9.53@
2011-12	11	3739	49.95	30.77@
2012-13	12	8030	120.90	65.44@
2013-14	17	10225	159.38	101.44
2014-15	13	5841	74.30	15.35
2015-16	19	14487	194.87	171.55@
2016-17	13	5656	90.38	62.00@
2017-18	16	6838	106.50	89.38@
2018-19	9	5555	72.50	14.85@
2019-20	21	14331	150.72	-
2020-21	6	2062	21.62	-
2021-22	10	6122	74.28	-

* वित्तीय वर्ष के समंक

@ संभावित

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी.) 2011	देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का प्रतिशत 2011	भारत की कुल जनसंख्या मे राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत 2011	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) 2011	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2011	साक्षरता दर (प्रतिशत) 2011
1	2	3	4	5	6	7
1 आन्ध्र प्रदेश	1.63	4.96	4.09	304	29.5	67.4
2 असम	0.78	2.39	2.58	398	14.1	72.2
3 बिहार	0.94	2.86	8.60	1106	11.3	61.8
4 गुजरात	1.96	5.97	4.99	308	42.6	78.0
5 हरियाणा	0.44	1.34	2.09	573	34.9	75.6
6 हिमाचल प्रदेश	0.56	1.69	0.57	123	10.0	82.8
7 कर्नाटक	1.92	5.83	5.05	319	38.7	75.4
8 केरल	0.39	1.18	2.76	860	47.7	94.0
9 मध्य प्रदेश	3.08	9.38	6.00	236	27.6	69.3
10 महाराष्ट्र	3.08	9.36	9.28	365	45.2	82.3
11 उड़ीसा	1.56	4.74	3.47	270	16.7	72.9
12 पंजाब	0.50	1.53	2.29	551	37.5	75.8
13 राजस्थान	**3.42**	**10.41**	**5.66**	**200**	**24.9**	**66.1**
14 तमिलनाडू	1.30	3.96	5.96	555	48.4	80.1
15 तेलंगाना*	1.12	3.41	2.89	312	38.9	66.5
16 उत्तर प्रदेश	2.41	7.33	16.50	829	22.3	67.7
17 पश्चिम बंगाल	0.89	2.70	7.54	1028	31.9	76.3
अखिल भारत	32.87	100.00	100.00	382	31.1	73.0

* स्रोत स्टेटिसटिकल ईयर बुक, 2018 डी. ई. एस. तेलंगाना

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2019	जोतों का औसत आकार (हैक्टेयर) 2015—16	प्रति हैक्टेयर खाद का अनुमानित उपभोग (कि.ग्राम./हैक्टर) 2019—20 *	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹) 2020—21 #
1	**8**	**9**	**10**	**11**
1 आन्ध्र प्रदेश	25	0.94	195.81	170215
2 असम	40	1.09	61.51	86801[ɵ]
3 बिहार	29	0.39	245.25	46292
4 गुजरात	25	1.88	130.75	213936[ɵ]
5 हरियाणा	27	2.22	212.86	239535
6 हिमाचल प्रदेश	19	0.95	64.24	183286
7 कर्नाटक	21	1.35	152.21	226796
8 केरल	6	0.18	36.49	221904[ɵ]
9 मध्य प्रदेश	46	1.57	102.49	98418
10 महाराष्ट्र	17	1.35	117.74	202130[ɵ]
11 उड़ीसा	38	0.95	67.19	109730
12 पंजाब	19	3.62	243.06	151367
13 राजस्थान	**35**	**2.73**	**62.28**	**109386**
14 तमिलनाडू	15	0.75	161.82	225106
15 तेलंगाना	23	1.00	206.52	237632
16 उत्तर प्रदेश	41	0.73	180.37	65431
17 पश्चिम बंगाल	20	0.76	167.90	121267
अखिल भारत	30	1.08	133.44	128829

स्रोतः— सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (ɵ वर्ष 2019—20)

* कृषि सांख्यिकी, एट ए ग्लान्स 2020, भारत सरकार

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.) * 2018–19	प्रति लाख जनसंख्या@ पर मोटर वाहन $ की संख्या 31.03.2019	प्रति सौ वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई # (कि.मी.) 2017–18
1	12	13	14
1 आन्ध्र प्रदेश	1480	23017	133.89
2 असम	341	11532	438.06
3 बिहार	311	7201	308.58
4 गुजरात	2378	37307	102.80
5 हरियाणा	2082	30171	113.14
6 हिमाचल प्रदेश	1418	22456	111.18
7 कर्नाटक	1396	32130	184.84
8 केरल	757	38047	661.70
9 मध्य प्रदेश	1084	18710	118.08
10 महाराष्ट्र	1424	29087	203.61
11 उड़ीसा	1628	18459	197.79
12 पंजाब	2046	35483	283.22
13 राजस्थान	**1282**	**23047**	**91.57**
14 तमिलनाडू	1866	39942	207.60
15 तेलंगाना	1896	32697	114.27
16 उत्तर प्रदेश	606	14620	181.11
17 पश्चिम बंगाल	703	7802**	370.84
अखिल भारत	1181	22269	161.70

* उपयोगिता तथा अनुपयोगिता से सम्बन्धित (स्रोत–सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरेटी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर)–पी.आई.बी. जी.ओ.आई.

$ (परिवहन + गैर परिवहन)

जे आर वाई सड़कों के अतिरिक्त (स्रोत–बेसिक रोड स्टेटिसटिक्स ऑफ इण्डिया 2017–18 भारत सरकार) (पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036, आरजीआई) (1 अक्टूबर, 2018)

**वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित

@ रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक, 2017–18 एवं 2018–19, भारत सरकार

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक (संख्या) # (सितम्बर, 2021)	प्रति व्यक्ति बैंक जमा # (₹) (सितम्बर, 2021)	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण # (₹) (सितम्बर, 2021)
1	15	16	17
1 आन्ध्र प्रदेश	14	71095	93590
2 असम	8	49555	23663
3 बिहार	6	32694	13493
4 गुजरात	12	125002	85268
5 हरियाणा	17	199617	100383
6 हिमाचल प्रदेश	22	160881	48309
7 कर्नाटक	16	188744	113843
8 केरल	19	179868	107617
9 मध्य प्रदेश	8	56433	37071
10 महाराष्ट्र	11	252267	230616
11 उड़ीसा	11	84389	31980
12 पंजाब	21	158551	83512
13 राजस्थान	**10**	**62227**	**47002**
14 तमिलनाडू	15	137165	136166
15 तेलंगाना	15	164929	153106
16 उत्तर प्रदेश	8	56856	23153
17 पश्चिम बंगाल	10	95279	41910
अखिल भारत	11	116327	81440

1 अक्टूबर, 2021 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011—2036, आरजीआई

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक–आरबीआई की जमा और साख पर तिमाही सांख्यिकी – आर. बी. आई.

डाउनलोड के लिए स्कैन करें

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
वेबसाइट: statistics.rajasthan.gov.in
ई-मेल: dir.des@rajasthan.gov.in
फ़ोन: +91 141 222 2740